jansatta.com epaper.jansatta.com facebook.com/jansatta twitter.com/jansatta

## देशव्यापी एनआरसी अनावश्यक व औचित्यहीन: नीतीश

पटना, 13 जनवरी (भाषा)।

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में एनआरसी को अनावश्यक बताते हुए सोमवार को कहा कि इसका कोई औचित्य नहीं है।

अनुसूचित जाति/जनजाति के वास्ते आरक्षण 10 साल के लिए और बढ़ाने के संवैधानिक संशोधन को मंजूरी देने के लिए बिहार विधानसभा के आहूत एकदिवसीय सत्र के दौरान प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने अपने संबोधन में एनआरसी का मामला उठाया। इस पर नीतीश ने कहा– एनआरसी का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता।

उन्होंने कहा कि केंद्र में राजीव गांधी की सरकार के समय असम के परिप्रेक्ष्य में एनआरसी की बात आई थी। देशव्यापी एनआरसी की कोई बात नहीं थी।नीतीश ने कहा कि उन्हें इसका कोई

डीएसपी देविंदर सिंह

निलंबित, मामले की

जांच एनआइए को

जम्मू-कश्मीर के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी

देविदंर सिंह को सोमवार को निलंबित कर दिया

गया और यह बात सामने आई है कि उसने तीन

आतंकवादियों को बादामी बाग छावनी इलाके में

सेना की 16वीं कोर के मुख्यालय के पास अपने

गिरफ्तार किया गया। इस बीच, जम्मू–कश्मीर

प्रशासन ने देविंदर सिंह मामले की जांच राष्ट्रीय

एक टीम ने सिंह से पूछताछ जारी रखी। श्रीनगर

हवाईअड्डे पर स्थित उनके कार्यालय को सील

कर दिया गया है। सिंह को विमान अपहरण

विरोधी दस्ते में पुलिस उपाधीक्षक पद पर नियुक्त

घटनाओं की कड़ियों को जोड़ते हुए

बाकी पेज 8 पर

इस्लामिया

अधिकारियों ने कहा कि इरफान नामक एक

सिंह के साथ ही उन आतंकवादियों को

आवास पर आश्रय दिया था।

26

*आतंकवादियों* को दिया

था अपने आवास में आश्रय।

चार महीने पहले ही

राष्ट्रपति पुलिस पदक से

अलंकृत किया गया था।

किया गया था।

वकील प्रतिबंधित

जनसत्ता ब्यूरो/भाषा

मुख्यमंत्री ने कहा, केंद्र में राजीव सरकार के समय असम में एनआरसी की बात आई थी। देशव्यापी एनआरसी की कोई बात नहीं

एहसास नहीं है कि अनावश्यक एनआरसी राष्ट्रीय

परिप्रेक्ष्य में आ सकता है। इसका कोई औचित्य



## यूपी के 21 जिलों में 32 हजार शरणार्थियों का पता लगा

लखनऊ, 13 जनवरी (भाषा)।

और सीएए पर भी सदन में चर्चा कराए जाने की

तक 21 जिलों में 32 हजार से ज्यादा

शरणार्थियों को चिह्नित किया है।

राज्य सरकार के प्रवक्ता एवं ऊर्जा उत्तर प्रदेश सरकार ने संशोधित मंत्री श्रीकांत शर्मा ने बताया कि सीएए के नागरिकता कानून (सीएए) को लागू लिए अधिसूचना तीन दिन पहले जारी की करने की प्रक्रिया शुरू करते हुए अब जा चुकी है और सभी जिलाधिकारियों से कहा गया बाकी पेज 8 पर

तेजस्वी के जातिगत जनगणना, एनपीआर में अलग-अलग राय है, उसपर चर्चा होनी चाहिए। उनकी राय है कि सदन के अगले सत्र में इसमें इन विषयों पर चर्चा हो।

उन्होंने कहा कि एनपीआर को लेकर जो भी बाकी पेज 8 पर

#### नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मांग की ओर इशारा करते हुए नीतीश ने कहा कि भी इस विषय पर साफ साफ बोल दिया है, उन्हें कोई एतराज नहीं है। हर चीज पर चर्चा होनी चाहिए। अगर किसी चीज को लेकर लोगों के मन इसलिए एनआरसी वाली कुछ बात नहीं है। रोजगार और महंगाई

# के मोचे पर चिंता बढ़ी

## नौकरियों में भारी गिरावट का अनुमान

मुंबई, 13 जनवरी (भाषा)।

एजंसी

(एनआइए) को

सौंपने की सिफारिश

गृह मंत्रालय को

यह जानकारी दी।

करीब चार महीने

पहले ही सिंह को

राष्ट्रपति के पुलिस

पदक से अलंकृत

किया गया था।

उन्होंने बताया कि

पुलिस और खुफिया

अधिकारियों की

अधिकारियों ने

भेजी है।

अर्थव्यवस्था में सुस्ती से देश में रोजगार सृजन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। चालू वित्त वर्ष में नई नौकरियों के अवसर एक साल पहले की तुलना में कम

एक रिपोर्ट में कहा गया है कि चाल वित्त वर्ष 2019-20 में इससे पिछले वित्त वर्ष 2018-19 की तुलना में 16 लाख कम नौकरियों का सूजन होने का अनुमान है। पिछले वित्त वर्ष में कुल 89.7 लाख रोजगार के अवसर पैदा हुए थे।

एसबीआई रिसर्च की रिपोर्ट इकोरैप के अनुसार असम, बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और ओड़ीशा जैसे राज्यों में नौकरी मजदुरी के लिए बाहर गए व्यक्तियों की ओर से घर भेजे जाने वाले धन में कमी आई है। यह दर्शाता है कि ठेका श्रमिकों की संख्या कम हुई है। इन राज्यों के लिए मजदूरी के लिए पंजाब , गुजरात और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में जाते हैं और वहां से

घर पैसा भेजते रहते हैं। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के आंकड़ों के अनुसार

## खुद्रा मुद्रास्फीति पांच साल के उच्चतम स्तर पर

नई दिल्ली, 13 जनवरी (भाषा)।

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित खुदरा मुद्रारफीति अनाज और उनके उत्पाद 4.36 दिसंबर 2019 मांस और मछली 9.57 सामान्य सूचकांक अंडे 8.79 दूध और दुग्ध-उत्पाद 📕 4.22 7.35% तेल और वसा 3.11 फल 4.45 सिद्धायां । 60.50 दालें और उनके उत्पाद | 15.44 कपड़े, चीनी और मिटाइयां 3.35 बिस्तर, जूते मसाले 5.76 1.50 पेय जो नशीले नहीं 1.42 तैयार मोज्य पदार्थ\* 2.20 आवास भोजन एवं पेय 12.16 4.30 पान, तंबाकू, नशीली चीजें 3.37

बाकी पेज 8 पर

अनुसार, दिसंबर में खाद्य वस्तुओं की मुद्रास्फीति बढ़कर 14.12 फीसद पर पहुंच गई। दिसंबर, 2018 में यह शुन्य से

सब्जियों के दाम चढ़ने से खुदरा मुद्रास्फीति की दर दिसंबर 2019 में जोरदार तेजी के साथ 7.35 फीसद के स्तर पर पहुंच गई है। यह इसका पांच साल में सबसे ऊंचा स्तर है और भारतीय रिजर्व बैंक की दृष्टि से सामान्य स्तर को लांघ चुकी है।

इससे पहले यह जुलाई, 2014 के 7.39 फीसद से नीचे चल रही थी। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) के सोमवार को जारी सरकारी आंकड़ों के मुताबिक आलोच्य माह में सब्जियों की कीमतें पिछले साल से औसतन 60.5 फीसद ऊपर चल रही थीं। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित खुदरा मुद्रास्फीति दिसंबर, 2018 में 2.11 फीसद और नवंबर, 2019 में 5.54 फीसद थी।

एमएसओ के आंकड़ों के बाकी पेज 8 पर

## सीएए, एनआरसी पर विपक्ष की बैठक

# सात बड़ी पार्टियां नहीं हुई शामिल

जनसत्ता ब्यूरो नई दिल्ली, 13 जनवरी।

देश की खराब आर्थिक स्थिति, नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) और राष्ट्रीय नागरिकता पंजी (एनआरसी) के खिलाफ हुए देशव्यापी विरोध प्रदर्शनों के बाद बने हालात पर मंत्रणा के लिए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी द्वारा सोमवार को बुलाई गई विपक्षी दलों की बैठक में बसपा, सपा, तृणमूल कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, डीएमके, टीडीपी, शिवसेना सरीखे प्रभावशाली विपक्षी दल नहीं शामिल हुए। हालांकि शिव सेना

के बारे में कहा गया सीएए, एनआरसी कि उसे बैठक में नहीं पर कांग्रेस की बुलाया गया।

सुप्रीमो अगुआई में विपक्षी मायावती ने बैठक से दलों की बैटक अलग रहने के अपने वामपंथी दलों, पार्टी के निर्णय के लिए राकापा, राजद सहित कांग्रेस को जिम्मेदार 20 विपक्षी दल रहे ठहराया। उन्होंने ट्वीट किया कि उनकी पार्टी मौजूद सीएए और एनआरसी

के खिलाफ है, लेकिन बैठक में शामिल होने से राजस्थान में उनकी पार्टी के कार्यकर्ता हतोत्साहित होंगे।

इस बैठक में एक प्रस्ताव पारित कर देश की गंभीर आर्थिक हालत पर चिंता जताई गई। प्रस्ताव में कहा गया कि देश की आर्थिक हालत खराब है, सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) लगातार नीचे गिर रहा है, बेरोजगारी रेकार्ड स्तर पर है, किसान आत्महत्या करने को विवश हैं और महंगाई आसमान छू रही है। दूसरी ओर बाकी पेज 8 पर सरकार इन



बैटक में राहुल गांधी और हेमंत सोरेन



कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने केंद्र सरकार की तीखी निंदा की। सीएए व एनआरसी के **न्निया** मामले में सरकार पर लोगों को गुमराह करने का आरोप

लगाते हुए उन्होंने कहा कि सरकार लोगों पर अत्याचार कर रही है और घृणा फैला रही है।

### '... मुख्यमंत्री एनपीआर प्रक्रिया निलंबित करें'

नई दिल्ली, 13 जनवरी (ब्यूरो)।

कांग्रेस समेत देश के 20 विपक्षी दलों ने सोमवार को संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) को वापस लेने व राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) पर रोक लगाने की मांग करते हुए कहा कि जिन मुख्यमंत्रियों ने बाकी पेज 8 पर अपने-अपने

## यूपी में पुलिस आयुक्त प्रणाली को हरी झंडी



पुलिस विभाग में सुधार के लिहाज से इस कदम को सरकार ने उढाया है। –योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री

नोएडा/लखनऊ, 13 जनवरी (जनसत्ता/एजंसी)।

पुलिसिंग व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने के लिए उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने लखनऊ और गौतम बृद्ध नगर जनपद में पुलिस आयुक्त प्रणाली लागु करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।प्रयागराज के अपर पुलिस महानिदेशक सुजीत पांडे लखनऊ के और मेरठ मंडल के अपर पुलिस बाकी पेज 8 पर

# जामिया में सेमेस्टर परीक्षाएं रह

जनसत्ता संवाददाता नई दिल्ली, 13 जनवरी।

जामिया मिल्लिया विश्वविद्यालय की कुलपति नजमा अख्तर ने सोमवार को कहा कि विश्वविद्यालय प्रशासन पिछले महीने परिसर में हुई पुलिस बर्बरता के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के लिए अदालत जाने की संभावना पर विचार

फिलहाल सेमेस्टर परीक्षाएं रद्द रहेंगी और जल्द ही नया कार्यक्रम जारी किया जाएगा। कुलपति ने यह बात दिल्ली पुलिस के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर विद्यार्थियों के कुलपति कार्यालय घेराव के

बाकी पेज 8 पर

करेगा। इतना ही नहीं विश्वविद्यालय

प्रशासन की ओर से कहा गया है कि

*कुलपति* नजमा अख्तर ने कहा कि प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए अदालत जाने पर करेंगे विचार



## जेएनयू शिक्षकों ने कक्षा का बहिष्कार किया

जनसत्ता संवाददाता नई दिल्ली, 13 जनवरी।

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) प्रशासन ने सोमवार से मानसन सत्र की पढाई परी करने के लिए कक्षाएं शरू की थीं लेकिन विद्यार्थियों के साथ

शिक्षकों ने भी कक्षाओं का बहिष्कार किया। जेएनयू शिक्षक संघ ने सोमवार को मानव संसाधन विकास (एचआरडी) मंत्रालय से कहा कि शिक्षक, परिसर में सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं और वहां का माहौल अकादिमक


*शिक्षक* संघ ने कहा, परिसर में हम नहीं हैं सुरक्षित; पढ़ाने के लिए माहौल नहीं है

बाकी पेज 8 पर

## ड़ोन का 31 तक कराएं पंजीकरण, नहीं तो कार्रवाई

नई दिल्ली, 13 जनवरी (भाषा)।

विमानन मंत्रालय ने मानकों का अनुपालन नहीं करते हुए ड्रोन उड़ाने वाले सभी लोगों के लिये एक स्वैच्छिक



है और उनसे 31 जनवरी तक ऐसा कराने को कहा गया है। अमेरिकी ड्रोन हमले में शीर्ष ईरानी जनरल

कासिम सुलेमानी के मारे जाने के कुछ दिन बाद यह कदम उठाया गया है। बाकी पेज 8 पर पंजीकरण नहीं

## विवादास्पद टिप्पणी कोलकाता, १३ जनवरी (भाषा)।

पश्चिम बंगाल भाजपा के अध्यक्ष दिलीप घोष ने अपने इस बयान से विवाद खड़ा कर दिया

दिलीप घोष की

सीएए विरोधियों पर

है कि 'सीएए विरोधी प्रदर्शनकारियों भाजपा शासित राज्यों में कुत्तों की तरह गोलियों से मारा गया।' इस पर राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों के साथ ही

भाजपा के कुछ नेताओं ने भी कड़ी आपत्ति जताई है। घोष ने रविवार को नादिया जिले में बाकी पेज 8 पर

## सेना का जवान बर्फ में फिसलकर पाकिस्तान पहुंचा

नई दिल्ली, 13 जनवरी (ब्यूरो)।

कश्मीर के गुलमर्ग में तैनात देहरादून निवासी सेना में हवलदार राजेंद्र सिंह नेगी बर्फ में फिसलकर पाकिस्तान



लापता घोषित किया गया है। उनकी पत्नी राजेश्वरी देवी को

सीमा में पहंच गए और वहां से लापता हो गए हैं। फिलहाल राजेंद्र सिंह के बारे में कोई सूचना नहीं मिल पा रही है। सैन्य प्रवक्ता के मृताबिक, नेगी को

बाकी पेज 8 पर

चारों दोषियों को 22 जनवरी को दी जानी है फांसी

निर्भया मामला

दोषियों के वजन के मुताबिक बनाई गई थी डमी

## तिहाड़ में डमी पर किया गया फांसी देने का अभ्यास

जनसत्ता संवाददाता नई दिल्ली, 13 जनवरी

निर्भया मामले में फांसी की सजा पाए चारों दोषियों को फंदे से लटकाने का अभ्यास तिहाड़ जेल में डमी पर किया गया। यह अभ्यास जेल अधिकारियों ने यह जानकारी दी। डमी पर किया गया अभ्यास सफल रहा। अधिकारियों ने बताया कि यह अभ्यास यह देखने के लिए किया गया है कि रस्सियां कैदियों का वजन संभालने के लिहाज से उपयुक्त हैं कि नहीं। साथ ही तख्ते व लीवर वगैरह दुरुस्त हैं कि नहीं। अभ्यास का मकसद समय का भी आकलन करना भी था।

दिल्ली की अदालत ने सात जनवरी को चारों दोषियों मुकेश (32), पवन गुप्ता (25), विनय शर्मा (26) और अक्षय कुमार सिंह (31) का डेथ वारंट जारी किया था। अदालत ने चारों को 22 जनवरी को सुबह सात बजे तिहाड़ जेल में फांसी देने का आदेश दिया है। जेल नंबर तीन में बने इस फांसी घर में यह परीक्षण किया गया। जेल नंबर तीन के अधीक्षक की

अभ्यास के लिए बक्सर से मंगाई गई उन्हीं रस्सियों का इस्तेमाल किया गया जिनसे उन कौदियों को फांसी दी जानी है।

इन रस्सियों को मुलायम व मजबूत बनाए रखने के लिए उन पर मक्खन लगाया

*तिहाड* जेल महानिदेशक ने उप्र जेल प्रशासन को जल्लाद भेजने के लिए पत्र लिखा है। उन्होंने दो जल्लादों की मांग की है जबकि उत्तर प्रदेश में एक ही जल्लाद है।

मौजुदगी में अधिकारियों के एक दल ने रविवार को डमी को फांसी देने का अभ्यास किया। इसमें बक्सर से मंगाई गई उन्हीं रिस्सियों का इस्तेमाल किया गया जिनसे उन कौदियों को फांसी दी जानी है। इन रस्सियों को मुलायम व मजबूत बनाए रखने के लिए उन पर मक्खन लगाया गया है।

के मुताबिक ही अलग-अलग डमी बनाई गई थी। डमी के बोरे में कंकंड़ और पत्थर भरे थे। जेल प्रवक्ता राजकुमार ने बताया कि दोषियों को जेल संख्या तीन में फांसी दी जाएगी। लिहाजा चार में से तीन कौदियों को इसी जेल के अलग-अलग कोठरियों में रखा गया है,जबिक एक कैदी को जेल नंबर चार में रखा गया है। उन्होंने बताया कि फांसी के एक-दो दिन पहले उसे भी तीन नंबर जेल में लाया जाएगा।

इस बीच, तिहाड जेल महानिदेशक ने उप्र जेल प्रशासन को जल्लाद भेजने के लिए पत्र लिखा है। उन्होंने दो जल्लादों की मांग की है जबिक उत्तर प्रदेश में एक ही जल्लाद है। उत्तर प्रदेश जेल प्रशासन ने पृष्टि कर दी है कि चारों दोषियों को फांसी देने के लिए मेरठ से पवन जल्लाद को भेजा

जाएगा। चारों दोषियों को एक ही वक्त पर फांसी दी जाएगी। जेल प्रवक्ता ने बताया कि जेल के अधिकारी व मनोविज्ञानी दोषियों से नियमित संवाद कायम रख रहे हैं ताकि उनका मानसिक स्वास्थ्य संभला रहे। इस बीच, एक दोषी मुकेश की मां जेल में उससे मिलने आई थीं। जेल अधिकारियों ने बताया कि उनके मुलाकात का इंतजाम किया गया। हालांकि जब फांसी का दिन नजदीक होगा तब केवल आखिरी मुलाकात की ही इजाजत दी जाएगी। इस बर्बर कांड के एक आरोपी राम सिंह ने तिहाड जेल में कथित तौर पर आत्महत्या कर ली थी। जबकि एक अन्य दोषी नाबालिग था और तीन साल तक सुधार गृह में रहने के बाद उसे रिहा कर दिया गया था।

र्जेल के वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि अलग-अलग दोषियों के वजन



## जनसत्ता

#### व्यक्तिगत

I,Wasi S/O Rahees Ahmad R/o E-286, Galino.8/5, Subhash-Vihar, North Ghonda, Delhi-110053. Have Changed My Name To Wasi Ahmed.

0040527439-3 I**,Ramesh** Kumar S/o-sh. Nanku Ram Thakur R/o-H-2/93 2&3 floor Sector-16 Rohini, Delhi-110089 have changed my name to Ramesh Kumar Thakur. 0040527477-1

,Parwez Ahmad Siddigui. R/0 flat no 404, Ozone Apartment, Jupiter Enclave, Sector 104. Noida (U.P.) Pin code 201304 have changed my minor child' s name from Fatima Parwez to Fatimah Parwez Siddiqui

0070692461-1 I**,Nirmal** Singh R/o Plot No.28, Vikaspuri Extension, Chander Vihar, Nilothi, Delhi-110041 state that actual name of my father is Rawail Singh which is wrongly mentioned as Rawel Singh in Bank records which may be

0040527410-1 **,Jag** Mohan Singh Rawat S/o Chander Singh Rawat R/o-A-315 Gali.No-16,Veer-Bazar Road Indraprasthacolony, Park-1 Amrit-Vihar Burari, Delhi-110085, have Changed my Name to Jag Mohan Rawat for all 0040527494-9 purposes.

amended accordingly.

**,Beauty** Pandey,D/o-Arun Kumar Pandey, R/o-B-25, D.K. Road Mohan Garden, Uttam Nagar, New Delhi-110059, have changed my name to Divya Pandey for all purposes.

l**.Aman** Kumar S/o Roshan Lal, Rank NC(E) TINDEL, R/o-A-250, Durga Vihar, Near Devli Village, ND-80, have changed to my name Aman Lal for.all 0040527486-2 purpose

I**,** Vijay Laxmi,D/o Shri.Partap Singh And, W/o Sh. Praveen Sharma R/o:RZF-2/100,G/F. Back-Side, Mahavir-Enclave, Palam-Wine Shop, New-Delhi, Have Changed My Name, From Vijay Laxmi To Manisha, For All, Future Purposes.

I, Vandna W/O Vijay Sharma R/O-6a/14wea, Karol-Bagh New Delhi-110005. Changed My Name To Vandana Sharma.

l**,** Urmila Sharma wife of Shri Tribhuvan Kumar, R/o 5/2, Kishan Ganj Railway Colony, Delhi-110007, have changed my name from Urmila Sharma to Urmil Sharma for all purposes. 0040527421-1

l**,** Urmila Kumari W/o Jagdish Raj R/o-M-4/21, 3rd-Floor, Model-Town-III, Delhi-110009.have changed my name to Urmil Kumari.

l, Syed Mohammed Ali Murtaza,S/O-Syed Mohammed Nadeem Hasan R/O-96-A, Zakir-Bagh, Maulana -Mohammed Ali Jouhar-Marg Delhi-110025.Changed My Name To Syed Mohammed Ali 0040527494-5

I**,** Shamshad Ali S/o Jahoor Khan R/o H.No. A-74, Anand Vihar, Sadullabad Ghaziabad Uttar Pradesh-201102 have changed my name to Shamshad Malik for all purposes.

I**,** Shalley W/o Amit Kumar Bansal R/o-WZ-31/C. Gali.No.1, Sri Nagar, Shakur Basti, Delhi-110034, have changed my name to Shalley Bansal. 0040527486-1

, Rodi Kaur D/o Lila Singh R/o Hamirgarh, Hamirgarh, Sangrur, Punjab-148033, have changed my name and shall hereafter be known as

Manpreet Kaur. 0070692460-1 l, Ritu Sondhi W/o-Ajay Sondhi R/o-804, Aman-Castle, Sector-4, Vaishali, Ghaziabad, U.P.-

201010.declare that Ritu and Ritu Sondhi are one and the 0040527492-3 same person. . Reena Kumari.W/o Late Purandeo Sahay, R/o Flat No.

804, Trishul Tower, Kaushambi, Ghaziabad, Uttar Pradesh-201010, affirm that Reena Kumari and Reena Sahay both are one and the same 0040527427-1 person

l, Reeka D/o, Ved Prakash R/o H.No. B-54, Street No.5, Brahampuri, New Delhi 110053 have changed my name to Ritika Sharma for all

purposes 0040527420-1 I, Ravendra Kumar S/o Hukam Pal Singh R/o C-104, Sector Alpha-1, Greater Noida(U.P.),

have changed my name to Ravinder Kumar. 0040527425-1

| Gaurav Kumar Singhal S/o Sh.Dinesh Singhal R/o H.No.NP-102-A, Pitampura, Mauriya Enclave, Delhi -110034 have changed my name to Gaurav Singhal for all purposes. 0040527465-1

l Faizan Ali S/O Dildar Ali Add D-6 3rd-Floor Okhla-Vihar Okhla Delhi-110025 changed My Name To Syed Faizan Ali.

0040527443-6 l Bimla W/O Late Jagmohan R/O-49-C Mohammadpur Village New Delhi-110066.

Changed My Name To Bimlesh For All Purpose.

www.readwhere.com

0040527492-9

ट्यक्तिगत

I, Rasheed Ali S/o Ghulam Nabi R/o K-427, New Seelampur, Delhi-110053, have changed my name from Rasheed Ali to Rashid Ali for all future 0040527424-1

I, Ram Chander Bhagat, S/o Hari Bhagat Residing at-A-30, Second-Floor, Block-A, Majlis-Park, Adrash-Nagar Delhi-110033.have changed the name of my minor son Chhotu, aged 12-years and he shall hereafter be known as Shivam Kumar. 0040527459-6

purposed.

I, Rajesh Kumar S/o Late. Shankar Lal R/o-C-7/52, Sector-5, Rajapur-Kalan, Rohini, Delhi-110085.have changed my name to Rajesh 0040527492-7

I, Rahees Ahmed S/O Sabbir Ahmed R/o E-303, Streetno.9. Subhash-Vihar, North Ghonda, Delhi-110053. Have Changed My Nameto Rahees 0040527439-4

I, Punita Singh W/O Gurpreet Singh R/O-C-25, Fateh Nagar, Jail Road, Delhi-110018. Changed My Name To Punita 0040527439-5

I, Priyanka D/O-Jagdish Dabral R/O-168, Gali.No-5, Panchsheel-Colony Part-2, Basantpur Theka-Ismailpur Faridabad Pin-121003. Changed My Name To Priyanka Dabral. 0040527494-7

I, Parminder Singh S/O, Late Shri Gobind Ram Chuchra R/o 1B/E-5 Shatabdi Vihar, Sector-52, Noida have changed my name to Parminder Singh Chucha for all future purposes. 0040527418-1

I, Naresh Chauhan S/O Nathu Ram R/o G-5/358, Sector-16, Rohini, Delhi-110089. Have Changed My Name To Naresh 0040527439-6 Kumar.

I, Munauwar Ahmad s/o-Imamuddin R/o-152/49, S/F, Gali.No.3, Gaffar-Manzil, Jamia-Nagar, Okhla, New-Delhi-110025, have changed my name to Munawar Ahmad permanently. 0040527439-10

I. Mukesh Kumar S/o Rai Chand R/o-F-24/87, 2nd-Floor, Sector-3, Rohini, Delhi-110085, have changed my name to Mukesh Jain. 0040527439-9

**I,** Mridul D/O Laxmi Kant Tripathi R/O-G-1801 Glory-Tower Ajnara-Gen-X Crossing-Republic Ghaziabad 201046. Changed My Name To Mridul Tripathi. 0040527498-1

I, Mohd Nazim Khan s/o Abdulla Khan R/o-I-14, I-Block, Welcome-Seelampur-III, Delhi-110053, have Changed my name to Mohd Nazim permanently. 0040527443-7

I, Mohammad Dilshad, S/o. Abdul Salam, R/o-E-103-104 VijayVihar Delhi-110085, inform that Mohammad Dilshad Saifi and Mohammad Dilshad name are same 0040527443-1

I, Manoj Kumar @Manoj Goyal,S/o Ram Kumar Goel R/o-B-301, Ground-Floor B-Block Prashant-Vihar, Delhi-85, changed my name to Manoj Kumar Goel.

I, Mamta Panjani W/o Tarun Kumar Punjani R/o-A-63, Gujranwala Town Part-1 Delhi-110009, changed my name to Mamta Punjani.

0040527443-2 I, Km. Surjeet Kaur Bedi D/O-Pritpal Singh Bedi R/O-17/30, Geeta-Colony Delhi-110031. Changed My Name To Surject 0040527494-3

I, Kasturi Lal Pawar S/O-Ram Prasad R/O-N-88, Near-Khyala Road, Sham-Nagar, Tilak-Nagar, Delhi-110018. Changedmy Nameto Kasturi

0040527492-10 I, Kari Naimuddin S/O-Mohammad Murtaja R/O-203-Pocket-8 Sec-A-5 Punarwas-Colony Dda-Flats Narela

Delhi-110040.Changed My

Name To Naimuddin. 0040527498-4 I, Karamwati W/O-Jai Prakash Yadav R/O-C-3/45, Air-India Colony Vasant-Vihar New-Delhi-110057.Changed My

Name To Karamwati Yadav 0040527494-1 I, Javed S/O-Yakubkhan H.No-34, Ali-Nagar-Colony, Near-

Bilal Masjid, Pasonda-Paswada, , Ghaziabad, U.P-201005.Have Changed My Name To Javed Khan. 0040527459-5

I, Iqra Ali D/o Intezar Ali R/o-174-A J-Extn. Gali.No.5, Laxmi-Nagar, New Delhi-110092.have changed my name to Iqra.

0040527492-1 I, Gurmeet Kaur W/o Shane Ali, R/o H.No-18A, Gandhi Park, Hauz Rani, Malviya Nagar, New Delhi-17 have changed my name from Gurmeet Kaur to Gulshan Ara for all 0040527415-1 purposes.

I Bharat Bhushan S/O Radhey Shyam H.NO-33/2B Basant-Nagar, Vasant-Vihar, New Delhi-110057., Changed My Name To Bharat Bhushan Verma. 0040527492-5

I Amrita Arun Patil D/O-Arun Raosaheb Patil., Flat.no-801, new-Shivani CGHS, plot.no-51, Block-B, sector-56, Gurgaon.have changed my name to Amrita Patil.

0040527439-7 I "Ashok Kumar" S/O, "Harisharan Sharma" R/o 262, Nand Vihar Colony, Sunehra Road, Near. K.L. Polytechnic Hostel, Roorkee, Uttarakhand, 247667 have changed my name to "Ashok Kumar Sharma" for all intents and 0040527452-1 purposes.

I, Gulshan Khan S/o Mehmood Khan R/o E-16/B-121, T-Huts, New Seelampur, Delhi-110053 have changed my name from Gulshan Khan to Gulshaan Khan for all future purposes.

0040527424-2 I, Durga Devi W/o-Late Shri.Deshraj Sahu R/o-House.No.A-769/B,Sangam Vihar, New Delhi-110062, have changed my name to Durga Devi Sahu for all future 0040527486-3 purpose.

I, Dheeraj S/O- Raj Kumar R/O-B-7/180, Sec-17, Rohini, Delhi-89, Have Changed My Name To Dheeraj Kumar. 0040527439-1 I, Deedar Ali S/O Anna Shah Add-341 Block-3 Dakshinpuri-

Ext Dr Ambedkar-Nagar Delhi-110062.Changed My Name To 0040527459-1 Didar Ali. I, Darksha Begum W/O Mohd Shakeel R/O-20/438-439, TrilokPuri Patparganj Delhi-

110091. Changed My Name To

0040527494-6

I, Chandan Singh Chauhan, S/o-Jasod Singh Chauhan, R/o-A-74A Baljeet-Vihar, Nithari, Delhi-110086.inform that my,name and my father,name has-been, wrongly-written as Chandan Singh S/o-Jasodh Singh in my school-certificate, instead of correct-name Chandan Singh Chauhan S/o-

Jasod Singh Chauhan

0040527443-9 I, Bobby, D/o H.A. Hanif, W/o Mohd.Yunus,R/o-D-96/4, Shaheen-Bagh, Abul-Fazal Enclave Part-II, Jamia-Nagar, New Delhi-110025. have changed my name to Naaz Khan after marriage with Mohd.Yunus for all future 0040527459-9 purposes.

I, Rozy W/o Manveer Singh R/o-67-A, Shiv-Vihar, Nilothi-Extn., Delhi-110041, have changed my name to Rasbeer 0040527439-8 Kaur.

I, Bhavana, D/o Shri. Vinod Dwivedi R/o-148, Surya-Niketan, Shakarpur, East-Delhi-110092.have changed my name to Bhavana Dubey, for all future purposes.

0040527459-10

I, Basim Ahmed S/o Arshad Parvez R/o 134, Gali No-21, Zakir Nagar, Jamia Nagar, Okhla, Delhi-110025 do hereby solemnly inform that in my passport my name is wrongly written as Basim Ahmad instead of Basim Ahmed, both are one and same

I, Bablu Chaudhary S/O-Sudhir Kumar Chaudhary R/O-B-258, Industrial-Area Phase-1, Naratna Delhi-110028. Changed My Name To Bablu Kumar Chaudhary.

I, B Navatha W/o Sh. Boyapally Venkat Reddy R/o House No.9, First Floor, Flat No.101, Om Vihar Ph-1, Uttam Nagar, Delhi-59 have change my name from B Navatha to Boyapally Navatha vide affidavit dated 10/01/2020 before Kanta Rana, New Delhi

**I,** Atul Sharma, S/o Late B.D.Sharma, R/o-35, judgescolony, Sector-9, Vaishali-Ghaziabad. Have Changed my Name to Atul B Sharma, For All, Future Purposes Whatsoever. 0040527443-8

I, Ashwinjit Singh R/o 19-B, Janyug Apartments Sec-14 Rohini Delhi-110085 have changed my name to Ashwin 0070692458-1

I, Ashwani Kumar Malhotra S/o Har Prakash Malhotra R/o-B-25, Karampura, Delhi-110015.have changed my name to Ashwani Malhotra permanently. 0040527492-8

I, Arjit S/O Dinesh Sharma R/O 432 Gali-Mandir-Wali Naya Bans Chandni-Chowk Dwlhi-110006.Changed My Name To **Arjit Sharma.** 0040527498-3

I, Anjna Awasthi W/o Rajesh Sharma R/o,A-1/176B keshav Puram, Delhi-110035. have changed my name to Anjana Sharma. future purposes.

0040527411-1 I, Anita Goyal W/o-Manoj Kumar Goel R/o-B-301, Ground-Floor B-Block Prashant-Vihar Delhi-85 changed my name to Anita 0040527459-8

I, Anil Kumar S/O Uttam Chand H.No-2385, Sector-08, Faridabad Haryana-121006. Changed My Name To Anil Kumar Verma. 0040527494-2

I, Amarjit Singh S/O-Mangal Singh R/O-Wz-49 Street No.8 Krishna-Park Extension Tilak-Nagar New-Delhi 110018. Changed My Name To Amarjeet Singh. 0040527498-2

I Yogesh Arora W/O-Amit Chawla R/o 3A/34 Vishnu-Garden Delhi-110018. Changed My Name To Yogesh Kumari.

0040527439-2

I Mohammad Touheed S/o-Naseer Uddin R/o-2138 M P Street, Pataudi-House Daryaganj Delhi-2 have changed my name to Tauheed Naseer.

0040527443-10 I Laika Begam W/O-Abdul Waheed Add-C-42 Raju-Park Devli-Road Khanpur New-Delhi-110062. Changed My Name To Laika Begum.

0040527459-2 I Hussen Ibrahim Mohammed R/O-A-15, 3rd-Floor, Shalimar-Appt., Masjid-Moth, South-Extn., Delhi-110049., Have Changed my Minor Child Name Yousef & Yousef Hussen to Yousef Hussen Ibrahim. 0040527443-5

#### व्यक्तिगत

I Wahid S/O Allah Diya Add-C-42 Raju-Park Devli-Road Khanpur New-Delhi-110062. Changed My Name To Abdul Waheed. 0040527459-4

I Vikas Singh Rawat S/o Surender Singh Rawat R/o-H.No.54-A, Block-C, SGM Nagar, NIT-Faridabad, Haryana have changed my name from Vikas Singh Rawat to Vikas Singh for all future purposes. 0040527494-10

I Umed Singh Bora S/O, Vikram Singh Bora R/o A-1/43, mohan Garden, uttam Nagar, new Delhi-59 have changed my name to Umesh Singh Bora for all purposes. 0040527417-1

I Sonia W/O Bharat Bhushan Verma, H.NO-33/2B Basant-Nagar, Vasant-Vihar, New Delhi-110057, Changed My Name To Sonia Verma.

0040527492-4 I Razia Begam W/O-Sadakat Ali Add-C-42 Raju-Park Devli-Road Khanpur New-Delhi-110062., changed My Name To Raziya Begum. 0040527459-3 I Ramthal S/O Nathai R/O 210-

Changed my Name to Ram 0040527443-4 I Bharat Bhushan Verma H.No-33/2B, Basant-Nagar, Vasant-Vihar, N.Delhi-110057.Changed My Name Minor Daughter

Name Kritika To Kritika

0040527492-6

Verma.

Road, New-Delhi-110011 Have

340, T-Huts, Race Cource

I, Mumtaz Ali S/o Late Mr. Ali Baksh R/o House No-36, Bhainser Hedi, Bhainser Heri, Basera, Muzaffarnagar, UP-251310 do hereby inform that in my documents my name is wrongly written as Mumtaz instead of Mumtaz Ali, both are one and same person.

#### 0040526575 PUBLIC NOTICE

Be it know to all concerned that my clier Rubaida Khatoon Wife of Mohd Sahim Rio House No. F-225, Shattar Wali Gali, Pevli Road, Khanpur, New Delhi-110062 and her son Mohd Noushad. My client has debarred them from all his all-moveable and immovable properties, which exist and future. My client severs his relations onnections her said huband and son. M client shall not be responsible for their an act any body dealing with them shall de

> **RAJ KUMAR Advocate** Enrl. No. D-764/02 Ch. No. 466, Lawyers Block Saket Court New Delh1-11001

PUBLIC NOTICE Niwas and Smt. Kamla Wijo Sh. Ram Phool Both R/O H.N- L- 1.154, Gali-5, Shani Bazar Sh. Ram Phool and Jugnu S/o Sh. Ram Phool & my clients daughter-in-law's namely Smt Lakshmi Woo Sh. Jugnu used to misbehave with my clients and tried to grap their property fence, my clients have debarred/disow them from their life as well as from their 13.01.2020. Now my clients shall not be liable sponsible for any act of them in future as my dients have no concern or relation with them Kapil Kumar (Advocate)

Ch. No. 801, Saket Courts, New Delhi-17 PUBLIC NOTICE

My client Tara Chand Harit S/o Charan Singh R/o 260, Main Road, Mandawali Fazalpur, Delhi hereb disown/debar his son PravesI Kumar Harit from all movable mmovable properties/ severe a disobedient and beyond the control Anybody deals with him, shall do a his/her own cost. My client will no be responsible for his any acts.

**DEEPCHAND** Advocate En. No. D/2098/2014

PUBLIC NOTICE at large that my client Smt. Jee Kour W/o Late Sh. Mohan Singh R/o WZ-693, UGF, Shiv Nagar, Jail Road New Delhi-110058 has severed all her relations from her son Sh. Jasvinder Singh, his wife Smt. Baljeet Kour, their lega heirs (1) Preet Mohan Singh (2) Abavieet Singh and their associates, disowned and debarred al of them from all her movable & mmovable properties with immediate effect because of harassment, torture, cruelty, atrocities committed by them against my client. Any person dealing with them shall be doing so at their own risk, cost & consequences My client shall not be responsible in any manner for the same.

#### A.K. Verma (Advocate) 84-A, Lions Enc., Vikas Puri, ND-59 PUBLIC NOTICE

Notice is hereby given to the public a large that Clix Housing Finance Private Limited is going to create simple mortgage over propert bearing No.-C-48, Old No.-692/1, area 50 Sq. Yds., Khasra No.-400 situated at Village Ghonda Gujran Khadar, in the abadi of Bhajanpura, Ilaqa Shahdara Delhi belongs to Mr. Jai Raj Kumar Garg as attorney of Mr. Ashok purchase by Mr. Anil Mishra by availing home loan from the company. In case if any person/Financial Institute/Bank/Authority/Board or any other entity having objection/contingent or vested interest over the same may contact at following address within 7 days of this publication. It may be further noted that after lapse of aforesaid period no claim in any manner shall be entertained and same will be considered as waived or abandoned. Avnish Shukla (Advocate) Ch. No. E-419, Karkardooma Court, Delhi-110032.

#### "IMPORTANT"

Mob.: 9871603366, 9717476101.

Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

#### 'मोदी-मैक्रों में बातचीत के दौरान कश्मीर पर हुई थी चर्चा'

जनसत्ता ब्यूरो नई दिल्ली, 13 जनवरी।

फ्रांसीसी दिल्ली स्थित दुतावास ने सोमवार को कहा कि वह कश्मीर में स्थिति पर करीबी नजर रख रहा है और तीन दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांसीसी राष्ट्रपति एमेनुएल मैक्रों के बीच फोन पर हुई बातचीत में इस मुद्दे पर चर्चा हुई थी।

#### खोया+पाया

I, MD Kashif S/o-MD. Shamim R/o-B-95, Pratap-Vihar-3 Kirari, Delhi-110086, lost my property-paper F-18 transfer letter-26.12.2019 at Kirari Chowk contact-9910795652.

0040527480-1 I, Amit Chaudhary S/o Late Shri Ranveer Singh R/o B-65, Gali No-10, Shiv Mandir Road Swaroop Nagar, Delhi-110042 have lost my original convenyance deed last page FIR

lodged LR No-39556/2020.

0040527419-It is notified for the information that my Original Certificate of Secondary Examination Roll.No-58547 (Year-1986) and 12th-Class Examination Roll.No-342446 (Year-1988) pass out from CBSE Delhi, has been actually lost.ASHA DHAKA W/o. H.S.Dhaka R/o-H.No.230, Pitampura-Village, New Delhi-0040527409-1 110034

It is notified for the information that my Original-**Oualifying Examination-**Certificate of Main, Secondary-Examination of Year-2010 and Roll No.6449237 and Senior-Secondary-Examination of Year-2012 and Roll.No.9739321 issued by C.B.S.E has been actually lost.OMWATI R/o-TA-320/5, Tughlakabad-Extn., New-Delhi-110019 Mo-8447322868.

0040527480-10 **It** is notified for the information that my Original-Qualifying Examination-Certificate of Main-Secondary Examination of Year-2008, Roll. No. 6133171, issued by CBSE has been actually lost.Monika Pilani.R/o-C-4/219,Sector-6,Rohini,Delhi.

I hitherto known as Yog Sharma Mishra alias Jogendra Mishra son of Ram Lakhan Mishra, Permananent Address Village-MangadPur, ITI-Siddique Pur.P S Sarai Khwaja, Saidpur Garaur, Jaunpur, Mangadpur, Jaunpur, Uttar-Pradesh-222001 & Prsently residing at-407, Guru Yogi Raj Puram, Village Rani-Khera, Delhi &, have changed my name and shall hereafter be known as Jogendra Mishra. 0040527480-9

**I,Manju** Mittal,W/o-Ashok Kumar Aggarwal, R/o-Plot no.313,flat no.-102,Gyan khand-1,Indirapuram, Ghaziabad, Uttar Pradesh-201001, have changed my name and shall hareafter be known as Manju AGGARWAL, for all purposes. 0040527477-8

I,Deepak,S/o-Ram Sewak Singh R/o,J-56,ArpanVihar Jaitpur Extn.Part-I,Badarpur N.Delhi-44 Lost my 10th Class Certificate Roll.No.8642950 Year-Issued by CBSE finder Cont. Above Address.

**It** is notified for the information that my Original-Qualifying Examination-Certificate of Main-Secondary Examination of Year-2018,Roll.No.8188707,issued by CBSE has been actually lost.Bhavya Pilani,R/o-C-4/219, Sector-6, Rohini, Delhi.

नियोटेक सोलुशन्स एंड सिक्योरिटीज लिमिटेड (सी.आइ.एन. :U65921DL1989PLC036274) 1E, S-505, स्कूल ब्लॉक,

0040527477-4

शकरपुर, दिल्ली-110092 एतद द्वारा सूचित किया जाता है। कि, नियोटेक सोलुशन्स एंड

सिक्योरिटीज लिमिटेंड (सी आई एन U65921DL1989PLC036274) का मूल एन.बी.एफ.सी. रजिस्ट्रेशन प्रमाणं पत्र संख्या बी.—14. 00258 दिनांक 15 जुलाई, 2003 (पूर्व में प्रोमिनेन्ट सिक्योरिटीज लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) जो रिजर्व बैंक आफ इंडिया द्वारा निर्गत किया गया था, खो गया है तथा तलाश करने पर नहीं मिल रहा है। यदि किसी व्यक्ति को मिले तो कृपया **नियोटेक** सोलुशन्स एंड सिक्योरिटीज लिमिटेड 1E, S-505, स्कूल ब्लॉक, शकरपुर, दिल्ली-110092 मो. न. 9837605838 पर सूचित करें। खोये हुए प्रमाण पत्र का अनाधिकृत उपयोग गैर कानूनी

क्ते नियोटेक सोलुशन्स एंड सिक्योरिटी लिमिटेड अधिकृत हस्ताक्षरी

PUBLIC NOTICE MY CLIENT DEEPA JOSHI W/O LA MANI JOSHI R/O KHASRA NO. 69/20, BLOCK 8A, GALI NO. 20, NEAR OSCAR PUBLIC SCHOOL KAUSHIK ENCLAVE, BURARI DELHI SEVERE ALL RELATIONS DISOWNED/ DEBARRED HER DAUGHTER KOMAL SHARMA FROM ALL MOVABLE-IMMOVABLE PROPERTY & ASSETS DUE TO HER MISBEHAVIOR AND HOSTILE ATTITUDE. ANYBODY DEALING WITH THEM, SHALL DO AT HIS/HER OWN RISK.

(YOGESH RAMOLA) ADVOCATE En D-1526/11

# मलबा हटाने का निर्देश

नई दिल्ली, 13 जनवरी (भाषा)।

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केरल सरकार को निर्देश दिया कि कोच्चि के मरदु क्षेत्र में न्यायिक आदेश के तहत ढहाए गए चार अवैध अपार्टमेंट परिसरों का मलबा हटाया जाए। तटीय विनियमन जोन मानदंडों का उल्लंघन कर-के इन अपार्टमेंट का निर्माण किया गया था

न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा और न्यायमूर्ति एमआर शाह के पीठ को राज्य सरकार ने सूचित किया कि उसके आदेशों का अनुपालन करते हुए इन इमारतों को ढहा दिया गया है। इस पर पीठ ने टिप्पणी की, 'यह कष्टप्रद काम है।' पीठ ने राज्य सरकार के वकील से कहा, 'हम इसका

मरदु फ्लैट्स मामला (याचिका) अभी निस्तारण नहीं करेंगे। आपको मलबा हटाना होगा। ऐसी खबरें हैं कि कुछ मलबा बैकवाटर में गिरा है।

आपको इस क्षेत्र को पहले जैसा बनाना होगा।' मरद् के कुछ फ्लैट के मालिकों की ओर से एक वकील ने कहा कि उच्चतम न्यायालय ने 'बेहतर संतुलन' का आदेश दिया था और उन्हें 25-25 लाख रुपए का अंतरिम मुआवजा दिलाया है। उन्होंने कहा कि शीर्ष अदालत ने बिल्डर के खिलाफ उचित कार्यवाही के लिए दीवानी अदालत जाने की फ्लैट मालिकों को छूट प्रदान की है।

इस वकील ने जब यह कहा कि इस अवैध निर्माण की अनुमति देने वाले अधिकारियों के खिलाफ कुछ नहीं हुआ है तो पीठ ने कहा, 'इसमें कुछ हो रहा है।

इसके लिए इंतजार कीजिए।' वकील ने कहा कि कुछ फ्लैट मालिकों के ढहाई गई इमारतों में एक से ज्यादा फ्लैट थे लेकिन गिराने की प्रक्रिया और कुल मुआवजा राशि के आकलन के लिए न्यायालय द्वारा नियुक्त एक सदस्यीय समिति ने कहा कि मुआवजा सिर्फ एक फ्लैट के लिए ही दिया जाएगा।

इस पर पीठ ने उससे कहा, 'इस संबंध में आप ठीक तरह से आवेदन दायर करें।' बिल्डर के खिलाफ मकान खरीदारों की याचिका पर उचित कार्यवाही शरू करने के लिए एक अदालत गठित करने सहित अन्य मुद्दों पर पीठ ने कहा कि इसके

> दाखिल किया जाए। पीठ इस मामले में अब 10 फरवरी को सुनवाई करेगी। न्यायालय ने

लिए सही तरीके से आवेदन

इससे पहले, आठ मई, 2019 को इन इमारतों को एक महीने के भीतर हटाने का आदेश दिया था क्योंकि इनका निर्माण अधिसूचित तटीय नियमन क्षेत्र में किया गया था।

शीर्ष अदालत ने इन अपार्टमेंट्स को गिराने के न्यायालय के आदेश पर रोक के लिए कुछ फ्लैट मालिकों की याचिका पिछले साल 30 सितंबर को खारिज कर दी थी। न्यायालय ने 27 सितंबर को 138 दिन के भीतर इन फ्लैटों को गिराने का निर्देश दिया था और साथ ही राज्य सरकार को प्रत्येक फ्लैट मालिक को चार सप्ताह के भीतर 25 लाख रुपए का अंतरिम मुआवजा देने का भी निर्देश दिया था।

## बंगाल में भाजपा कार्यालय में आग, पार्टी ने टीएमसी पर लगाया आरोप

आसनसोल (पश्चिम बंगाल), 13 जनवरी (भाषा)।

पश्चिम बंगाल के पश्चिम वर्धमान जिले में भाजपा के एक कार्यालय में आग लग गई, जिसके बाद भाजपा कार्यकर्ताओं ने इस घटना के पीछे तृणमूल कांग्रेस का हाथ होने का आरोप लगाया है।

पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि आसनसोल में सालनपुर इलाके में भाजपा का एक कार्यालय रविवार रात आग लगने पर जल कर खाक हो गया। उन्होंने कहा कि आग लगने के कारणों की जांच की भाजपा ने इसके लिए तृणमूल कांग्रेस पर आरोप लगाया है, हालांकि सत्ताधारी दल ने आरोपों से इनकार करते हुए इसे भाजपा के 'गुंडों' के बीच हुए झगड़े का नतीजा बताया है।

भाजपा नेता अभिजीत रॉय ने कहा, 'केंद्रीय मंत्री और स्थानीय सांसद बाबुल सुप्रियो की पहल के तौर पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने रविवार सुबह इलाके में आदिवासियों को कंबल बांटे थे, जिसके बाद तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने हमारे पार्टी कार्यालय में आग लगा दी।' उन्होंने कहा 'तुणमुल कांग्रेस द्वारा पूर्व में भी इलाके में भाजपा के कुछ कार्यालयों को आग लगाई गई है। चुंकि भाजपा की लोकप्रियता बढ़ रही है इसलिये तृणमूल कांग्रेस लोगों को डराने के लिये इस तरह के हथकंडे अपना रही है।' आरोपों को खारिज करते हुए सालनपुर से तृणमूल कांग्रेस विधायक बिधान उपाध्याय ने कहा कि यह घटना भाजपा के 'गुंडों' के बीच झगड़े का नतीजा है।

उन्होंने कहा, 'भाजपा कार्यालय के प्रवेश द्वारा पर लॉटरी टिकटें बेची जाती थी और भाजपा से जुड़े गुंडे वहां शराब पिया करते थे। यह घटना उनके बीच हुए झगड़े का नतीजा है।'

नड्डा अगले हफ्ते बन सकते हैं भाजपा के पूर्णकालिक अध्यक्ष

जनसत्ता ब्यूरो नई दिल्ली, 13 जनवरी।

भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा अगले हफ्ते तक केंद्रीय मंत्री अमित शाह की जगह पार्टी के पूर्णकालिक अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाल सकते हैं। सुत्रों ने सोमवार को बताया कि नए अध्यक्ष के चुनाव के लिए सारिणी जल्द जारी की जाएगी। उन्होंने भरोसा जताया कि नड्डा निर्विरोध अध्यक्ष निर्वाचित होंगे। सुत्रों के मुताबिक इस मामले में औपचारिक घोषणा 20 जनवरी को होगी। साल 2019 में लोकसभा चुनाव में भाजपा की जीत के बाद मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में मौजूदा अध्यक्ष अमित शाह को गृहमंत्री बनाया गया और जुलाई में नड्डा को पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई। पिछले साल हुए आम चुनाव में नड्डा को राजनीतिक रूप से अहम उत्तर प्रदेश में भाजपा का चुनावी प्रभारी बनाया गया था।

## नक्सली कमांडर गिरफ्तार, दो बम बरामद

दंतेवाड़ा/रायपुर, 13 जनवरी (भाषा)।

छत्तीसगढ के नक्सल प्रभावित दंतेवाडा जिले में सुरक्षाबलों ने एक नक्सली कमांडर को गिरफ्तार किया है। उधर, कांकेर में सुरक्षाबलों ने दो प्रेशर कुकर बम बरामद किए हैं।

दंतेवाड़ा जिले के पुलिस अधिकारियों ने सोमवार को बताया कि जिले के किरंदुल थाना क्षेत्र के अंतर्गत आलनार गांव के पास सुरक्षाबलों ने जनलिशिया कमांडर देवा मुचाकी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि नक्सल विरोधी अभियान के तहत रविवार को किरंदुल थाना क्षेत्र में सुरक्षाबलों को गश्त पर रवाना किया गया था। दल जब आलनार गांव के करीब था तब नक्सली देवा से वहां से भागने लगा। बाद में सुरक्षाबलों ने घेराबंदी कर नक्सली कमांडर को नुकसान पहुंचाने के लिए लगाया था।

गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने बताया कि देवा के खिलाफ क्षेत्र में सडक निर्माण में लगे वाहनों में आग लगाने तथा 13 फरवरी वर्ष 2012 को किरंदल सीआईएसएफ के दल पर गोलीबारी करने की घटना में शामिल होने का आरोप है। इस घटना में सीआइएसएफ के छह जवानों समेत सात लोगों की मृत्यु हो गई थी। नक्सली इस घटना

में मृत जवानों के हिथियार लूटकर ले गए थे। उधर, नक्सल प्रभावित कांकेर जिले में सुरक्षाबलों ने दो प्रेशर कुकर बम बरामद किए हैं। कांकेर जिले के पुलिस अधिकारियों ने बताया कि जिले के छोटेबेटिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत आकामेटा नाले के पास सुरक्षाबलों ने नक्सलियों द्वारा लगाए गए दो प्रेशर कुकर बम और अन्य विस्फोटक बरामद किया है। उन्होंने कहा कि नक्सलियों ने बम सुरक्षाबलों को

## विजय और सेन ने राज्यसभा में सर्वाधिक सवाल पूछे

जनसत्ता ब्यूरो नई दिल्ली, 13 जनवरी।

अन्नाद्रमुक के राज्यसभा सदस्य ए विजय कुमार और तृणमूल कांग्रेस के डा. शांतनु सेन पिछले दो संसद सत्र के दौरान सर्वाधिक तारांकित प्रश्न पूछने वाले सदस्य हैं। राज्यसभा के 249वें और 250वें सत्र में प्रश्नकाल के दौरान सदस्यों द्वारा पूछे गये सवालों के विश्लेषण के अनुसार पिछले दो सत्रों में विजय कुमार ने सर्वाधिक 13 तारांकित प्रश्न पूछे। राज्यसभा सचिवालय के सूत्रों ने विश्लेषण रिपोर्ट के हवाले से बताया कि विजय कुमार ने 249वें सत्र में सर्वाधिक सात प्रश्न और 250वें सत्र में छह प्रश्न पृछे।

संसद का आगामी बजट सत्र व राज्यसभा का 251वां सत्र 31 जनवरी से शुरू होगा। पिछले संसद सत्र (250वें) में सर्वाधिक सात तारांकित प्रश्न डा. सेन ने पृछे थे। राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने प्रश्नकाल में सदस्यों की भागीदारी के आकलन के लिए राज्यसभा सचिवालय को यह विश्लेषण करने का निर्देश दिया था। विश्लेषण रिपोर्ट के अनुसार 249वें सत्र में 25 कार्यदिवस के दौरान हुए प्रश्नकाल में कुल 660 तारांकित प्रश्नों में 375 सूचीबद्ध थे जबिक 250वें सत्र में 19 कार्यदिवस के प्रश्नकाल में 285 तारांकित प्रश्न सूचीबद्ध थे। पिछले दोनों सत्र में क्रमशः 75 प्रतिशत और 65 प्रतिशत सदस्यों को तारांकित प्रश्न पूछने का अवसर मिला।

नियमानुसार उच्च सदन के 13 सदस्य जो केंद्रीय मंत्री हैं और राज्यसभा के उपसभापति प्रश्न नहीं पूछते हैं। इस प्रकार प्रश्न पूछने के लिए अधिकृत 226 सदस्यों में से 177 सदस्यों ने 249वें सत्र में ओर 146 सदस्यों ने 250वें सत्र में प्रश्न पूछे। इनमें से लगभग एक चौथाई सवाल सात फीसद सदस्यों ने पूछे। दोनों सत्रों में सर्वाधिक सवाल पूछने वालों में विजय कुमार के बाद भाजपा के हरनाथ सिंह यादव (11 सवाल), डा. सेन (10 सवाल) और टीआरएस के बंदा प्रकाश और भाजपा के विनय पी सहत्रबुद्धे, रामनाथ ठाकुर व अमर शंकर सांबले (नौ सवाल) शामिल हैं। सदन की 25 महिला सदस्यों में सर्वाधिक तारांकित प्रश्न अन्नाद्रमुक की शशिकला पुष्पा रामास्वामी ने (सात सवाल) पछे।

249वें सत्र में 49 और 250वें सत्र में 80 सदस्यों ने एक भी सवाल नहीं पूछा। दोनों सत्र में कांग्रेस के अहमद पटेल, अभिषेक मनु सिंघवी, एमडीएमके के वाइको और राजद के मनोज झा ने एक सवाल पृछा। रिपोर्ट के अनुसार लगभग 100 सदस्यों ने प्रतिदिन तारांकित प्रश्न के लगभग 200 नोटिस दिए।

सुशील राघव

नई दिल्ली, 13 जनवरी।

खाली नहीं रहती है।

नई दिल्ली

जनसत्ता, नई दिल्ली, 14 जनवरी, 2020 3

बिहार की बेटी ने पास

की आइईएस परीक्षा

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) की एमए अर्थशास्त्र की

छात्रा अर्चना कुमारी ने पहली प्रयास में ही 16वीं रैंक हासिल कर

भारतीय आर्थिक सेवाएं (आइईएस) सूची में जगह बनाई। अर्चना ने

लेडी श्रीराम कॉलेज से स्नातक किया है। कुछ सूचनाओं के मुताबिक

आइईएस के कुल 32 स्थानों में से 18 पर जेएनयू के विद्यार्थियों रहे।

पिता सरकारी विद्यालय में शिक्षक रह चुके हैं। अर्चना ने बताया कि जेएनयू में उनके विभाग के शिक्षक देश के सबसे योग्य शिक्षकों में

शामिल हैं और इससे उन्हें आइईएस परीक्षा को पास करने में बहुत मदद मिली। उन्होंने बताया कि जेएनयू का माहौल बहुत खुला हुआ है।

यहां की सबसे अच्छी बात यही है कि आप जब मन चाहो पढ़ सकते

हो। अपने दोस्तों से समूह चर्चा कर सकते हो और ये चीजें किसी भी

परीक्षा की तैयारी के लिए बहुत जरूरी होती हैं। उन्होंने कहा कि जो

लोग कहते हैं कि जेएनयू में विद्यार्थी पढ़ाई नहीं करते हैं, वे

विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में जाएं और देखें कि वहां एक भी कुर्सी

विद्यार्थी राजनीति में शामिल होकर अपनी मांगें सामने रखते हैं और

सरकार की नीतियों पर सवाल उठाते हैं। उन्होंने कहा कि लेकिन इस

राजनीति का असर विद्यार्थियों की पढ़ाई पर नहीं पड़ना चाहिए। अगर

ऐसा होता है तो विद्यार्थी धीरे-धीरे छात्र राजनीति से दूर होते चले जाएंगे।

उन्होंने कहा कि मेरा मानना है कि उच्च शिक्षा मुफ्त होनी चाहिए और

जो लोग इसकी कीमत देने में सक्षम हैं, उन्हें खुद ही इसका भुगतान भी

करना चाहिए। उन्होंने कहा कि हालांकि भारत में इस बात का पता

लगना बहुत मुश्किल है कि कौन आर्थिक सहायता के लिए योग्य है और

कौन नहीं। उन्होंने कहा कि मैंने भी लोगों के द्वारा दिए गए कर के जरिए

केन्द्रीय भण्डारण निगम

निगमित कार्यालयः 4/1, सीरी इंस्टीट्यूशनल एरिया, अगस्त क्रान्ति मार्ग, हीजस्थास, नई दिल्ली—110016,

दिनांक: 10.01.2020

ही पढ़ाई की है और अब मैं समाज को इसे वापस करूंगी।

जेएनयू में वर्तमान में चल रहे आंदोलन के बारे में उन्होंने कहा कि

अर्चना बिहार के नवादा जिले के फरिया गांव से हैं और उनके



विद्यार्थिओं से बात करते हुए।

## खबरों में शहर

#### 'स्वामी विवेकानंद ६५ करोड़ युवाओं के प्रतिनिधि'

जनसत्ता संवाददाता नई दिल्ली, 13 जनवरी।

वसुंधरा स्थित मेवाड़ ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस में स्वामी विवेकानंद जयंती पर समारोह आयोजित किया गया। इस मौके पर मेवाड इंस्टीट्यूशंस के चेयरमैन डॉ अशोक कुमार गदिया ने स्वामी विवेकानंद को भारत के 65 करोड़ युवाओं का सशक्त प्रतिनिधि बताया। उन्होंने युवाओं से कहा कि वे स्वामी विवेकानंद के मद्रास में मेरी क्रांतिकारी योजना विषय पर दिए गए भाषण को एक बार जरूर पढें। उनका मानना है कि आज शिक्षा व ज्ञान की कमी का ही परिणाम है कि भारत के युवा फिल्मी सितारों को अपना आदर्श बनाए बैठे हैं। जबिक महापुरुषों के चरित्र को अपनाकर ही भारत में विकास की संभावनाओं को जन्म दिया जा सकता है। समारोह में संस्थान की निदेशिका डॉ अलका अग्रवाल समेत संस्थान का तमाम स्टाफ व विद्यार्थी मौजूद थे। साथ ही डॉ गदिया की संकलित 'मेरी क्रांतिकारी योजना' किताब की प्रतियां बच्चों में बांटी गई। आंबेडकर कॉलेज में युवा

दिवस मनाया गया जनसत्ता संवाददाता

नई दिल्ली, 13 जनवरी।

भीमराव आंबेडकर कॉलेज में छात्र संघ और युवा संस्था ने स्वामी विवेकानंद जयंती के उपलक्ष्य पर 'नए भारत में युवाओं की भूमिका' विषय पर एक कार्यक्रम आयोजित किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों को स्वामी विवेकानंद के विचारों और जीवन के महत्त्वपूर्ण मूल्यों के प्रति जागरूक कराना था। इसमें कॉलेज के कई शिक्षकों समेत विभिन्न विभाग के विद्यार्थियों ने भाग लिया। कार्यक्रम

दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) के डॉक्टर

में डीयू के प्रॉक्टर डॉक्टर राजकुमार फलवारिया, हिंदी विभाग के प्रोफेसर केएन तिवारी और मंजरी फाउंडेशन के अध्यक्ष राकेश सिंह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। कॉलेज प्राचार्य जीके अरोड़ा ने कॉलेज छात्र संघ और युवा संस्था को अच्छे और सफल कार्यक्रम को कराने के लिए बधाई दी।

#### पुलिस ने नशे में धृत्त युवक को खुदखुशी करने से रोका

जनसत्ता सवाददाता नई दिल्ली, 13 जनवरी।

सोनिया विहार में चुन्नी से फांसी लगाकर जान देने की कोशिश कर रहे एक युवक को पीसीआर ने बचा लिया। जानकारी के मुताबिक पुलिस को एक युवक ने फोन कर सूचना दी थी। जैसे ही पुलिस को पता चला तूरंत पीसीआर की टीम गली नंबर-नौ, पांचवा पुश्ता पहुंची और युवक को बाहर निकालकर उसकी जान बचाई। युवक ने घर की कुंडी अंदर से बंद कर खुदकुशी करने की कोशिश कर रहा था। जानकारी

#### आज के कार्यक्रम

के मुताबिक युवक शराब के नशे में धुत्त था।

#### सभा/संगोष्ठी

इंडिया इंटरनेशनल सेंटर : डॉ सीडी देशमुख स्मारक व्याख्यान २०१०, सीडी देशमुख ऑडिटोरियम्, ४० मैक्सम्यूलर मार्ग, शाम छह बजे। भारतीय किसान संघ : लोकार्पण कार्यक्रम, किसान शक्ति, ४३ दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, सुबह ११ बजे।

#### नृत्य

इंडिया हैबीटेट सेंटर: नृत्य कार्यक्रम, द स्टेन ऑडिटोरियम, लोधी रोड, शाम सात बजे।

# आईशी घोष समेत तीन विद्यार्थियों से पूछताछ

जनसत्ता संवाददाता नई दिल्ली, 13 जनवरी।

पुलिस की अपराध शाखा की दो टीमों ने सोमवार को जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) का दौरा किया

और विश्वविद्यालय परिसर में पांच जनवरी को हुए हमले के सिलसिले में तीन विद्यार्थियों से पूछताछ की, जिनमें जेएनयू छात्रसंघ अध्यक्ष आईशी घोष भी शामिल थीं। टीम के एक अधिकारी ने बताया कि पंकज मिश्रा, वास्कर विजय मेक और घोष से पूछताछ की गई। ये तीनों उन नौ संदिग्धों में शामिल थे, जिनकी तस्वीरें दिल्ली पुलिस हाल ही में जारी की गई र्थी। हमले में घोष समेत 35 विद्यार्थी घायल हुए थे। दिल्ली पुलिस ने पिछले हफ्ते दावा किया था कि जेएनयू में हमला परिसर में पंजीकरण प्रक्रिया को लेकर एक जनवरी से चल रहे तनाव का नतीजा था।

पुलिस द्वारा बताए गए नौ संदिग्धों में से सात घोष समेत

वामपंथी छात्र संगठन से संबद्ध थे जबिक दो संदिग्ध राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से संबंधित अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) से जुड़े हैं। घोष, मिश्रा और मेक के अलावा पुलिस ने संदिग्धों के तौर पर दोलन सामंता, प्रिया रंजन, सुचेता तालुकदार और चुनचुन कुमार (पूर्व छात्र) का नाम लिया है। ्र एबीवीपी के विकास पटेल और योगेंद्र

भारद्वाज भी संदिग्धों में शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक एक समाचार चैनल द्वारा दिखाए गए स्टिंग ऑपरेशन में नजर आए अक्षत अवस्थी और रोहित शाह को भी जांच में शामिल होने के लिए नोटिस जारी किया गया है। इसके अलावा पुलिस ने सोशल मीडिया पर हमले के साझा किए गए वीडियो में नकाबपोश चेक शर्ट पहनी हुई, हल्का नीले रंग का स्कार्फ लगाए हुए और हाथों में डंडा लिए युवती की पहचान कोमल शर्मा के तौर पर की है। पुलिस ने बताया कि दौलत राम कॉलेज

की छात्रा कोमल शर्मा को भी जांच में शामिल होने के लिए

नोटिस भेजा गया है।

## जरूरत पड़ने पर रणनीति में करेंगे बदलाव: साकेत मून

जनसत्ता संवाददाता नई दिल्ली, 13 जनवरी

फोटो : अरुष चोपडा

24 से 48 घंटे में हो

सकती है बारिश

दिल्ली में सोमवार को हल्की बूंदाबांदी के

बीच मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि तेज

आंधी के साथ दिल्ली सिहत देश के कई इलाकों

में अगले 24 से 48 घंटे में बारिश हो सकती है।

इस बीच पश्चिमोत्तर भारत को दो पश्चिमी

विक्षोभ के प्रभाव का सामना करना पड रहा है।

इससे बारिश के साथ तापमान में उतार चढाव भी

जारी है। 16 व 17 जनवरी को भी पहाड़ों में

बर्फबारी के साथ मैदानों में बारिश के आसार बने

हए हैं। कई इलाके घने कोहरे की चपेट में रहे।

जहां पंजाब और राजस्थान में न्यूनतम तापमान में

बढ़त देखी गई। वहीं, उत्तर प्रदेश, बिहार व मध्य

प्रदेश शीतलहर की चपेट में हैं। राजधानी दिल्ली

में सोमवार को सुबह तो धूप खिली रही लेकिन

दोपहर होते-होते बादल घिर आए व कुछ इलाकों

जनसत्ता संवाददाता

नई दिल्ली, 13 जनवरी।

जेएनय छात्र संघ साकेत ने कहा कि आवश्यकता होने पर छात्र संघ विद्यार्थियों से बात कर

अपनी रणनीति में बदलाव कर सकता है। उन्होंने बताया कि अभी केंद्रों और स्कूलों में आम सभाओं का आयोजन हो रहा है जल्द ही विश्वविद्यालय आम सभा का आयोजन कर आगे की रणनीति पर भी विचार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हम पढने के लिए यहां आए हैं और अगर विद्यार्थियों की पढ़ाई का नुकसान हो रहा है तो इस पर भी हम सोचेंगे।

उन्होंने कहा कि मानव संसाधन विकास (एचआरडी) मंत्रालय की ओर से जो-जो भी बातें कही गई थीं कुलपति एक को भी अमल में नहीं लाए हैं। साकेत ने कहा कि एचआरडी की ओर से कहा गया था कि 28 अक्तूबर के बाद विद्यार्थियों पर जो जांच शुरू की गई हैं, उनमें विनम्रता बरती जाए लेकिन प्रशासन इसका उल्टा कर रहा है। उन्होंने बताया कि पहले की प्रक्रिया के मृताबिक विद्यार्थियों

> शुरुआती रूप से पंजीकरण करने के बाद छात्रावास शुल्क का भुगतान कर रहे थे लेकिन दो दिन से इसमें बदलाव कर दिया गया है।

अब छात्रावास शुल्क का भुगतान करने वाले विद्यार्थी ही आगे पंजीकरण कर पा रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि प्रशासन लगातार पंजीकरण करने वाले विद्यार्थियों की संख्या पर झुठ बोल रहा है। उन्होंने बताया कि हमारी जानकारी के मुताबिक अब तक

1200 के करीब विद्यार्थियों ने अपनी पंजीकरण प्रक्रिया पूरी की है जबिक प्रशासन बार बार 4400 से अधिक का आंकडा दे रहा है।

संख्या के.भ.नि./आई-सलाहकार/भर्ती/2019-20

केन्द्रीय भण्डारण निगम के निगमित कार्यालय में सलाहकार के रूप में काम करने के लिए केन्द्रीय/राज्य सरकार एवं सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से सेवानिवृत्त अधिकारियों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। आवेदक का E-8 (आईडीए वेतनमान) के स्तर पर या उससे ऊपर/7 वीं सीपीसी के स्तर-14 या उससे ऊपर (सीडीए वेतनमान) से सेवानिवत्त होना आवश्यक है। विधिवत रूप से भरे हए आवेदन को

> किया जा सकता है। इस विज्ञापन से सम्बंधित सम्पूर्ण विवरण हमारी वेबसाइट www.cewacor.nic.in पर उपलब्ध है। उप-महाप्रबंधक (कार्मिक विभाग)

> निगमित कार्यालय, 4/1, सीरी इन्स्टीट्यूशनल एरिया, अगस्त क्रान्ति मार्ग,

हीजखास, नई दिल्ली—110016 में 24.01.2020 को शाम 05 बजे या उससे पहले प्रस्तृत

## चाकू के बल पर दुकानदार को लूटा

जनसत्ता संवाददाता नई दिल्ली, 13 जनवरी।

में हल्की बारिश हई।

दुकान पर युवती से चाकू के बल पर नगदी और मोबाइल लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। पुलिस ने कई टीम गठित की और घात लगांकर दोनों बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। बाहरी जिला के निहाल विहार थाने की पुलिस टीम ने इलाके की एक दुकान पर चाकू के बल पर लूटपाट करने वाले बदमाशों की तलाश शुरू की कि तभी दलजीत सिंह नामक व्यक्ति के बारे में पता चला। वह चंद्र विहार, निलोठी का रहने वाला है। उसका दूसरा साथी बलजीत बिहार का रहने वाला है।

जिला पुलिस उपायुक्त के मुताबिक वारदात के बाद मिली जानकारी पर इन बदमाशों के बारे में पता लगाना शुरू किया था। स्थानीय खुफिया सुत्रों को सतर्क करते हुए पुलिस ने दो बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। इनके पास से लूटा गया मोबाइल फोन, चाकू और वारदात में इस्तेमाल मोटरसाइकिल भी बरामद की गई। पूछताछ में पता चला कि दलजीत पर पहले से झपटमारी और चोरी के कई मामले दर्ज हैं। जबकी उसका दूसरा साथी बलजीत दो महीने पहले निहाल विहार रहने आया था। इसी बीच दोनों की दोस्ती हो हो गई और फिर दोनों ने मिलकर वारदात को अंजाम दिया। वारदात के दिन दोनों मोटरसाइकिल

#### हत्या के इरादे से चलाई गोली, गिरफ्तार

सुल्तानपुरी इलाके में हत्या के इरादे से गोली चलाने वाले बदमाश को पुलिस ने बसई दारापुर में गिरफ्तार किया है। पश्चिम जिला के स्पेशल स्टाफ की पुलिस टीम ने शातिर बदमाश अरुण को गिरफ्तार कर उसके पास से अत्याधुनिक पिस्तौल और दो जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। पुलिस उपायुक्त दीपक पुरोहित के मुताबिक अरुण के बारे में जानकारी मिली थी। उसके ऊपर आढ जनवरी को सुल्तानपुरी इलाके में हत्या के प्रयास का मामल दर्ज है। उसने अपने दो साथियों के साथ मिलकर सरेआम गोली चलाई थी। जिसमें एक महिला को गोली लगी थी। पुलिस ने मिली सूचना पर एक टीम को बसई दारापुर में ईएसआइ अस्पताल के पास तैनात किया था। टीम ने उसे वहां हथियार के साथ दबोच लिया। उसके खिलाफ रजौरी गार्डन थाने में आर्म्स एक्ट का मामला दर्ज किया गया।

से परचून की दुकान पर पहुंचे। बलजीत मोटरसाइकिल लेकर बाहर खडा हो गया और दलजीत चाकू लेकर वहां पहुंचा और दुकान पर मौजूद युवती से चाकू के बल पर गल्ले में रखी 20 हजार नगदी और मोबाइल लट कर दोनों फरार हो गए।

#### 2018 में बलात्कार के 1921 मामले, 2019 में यह आंकड़ा 1947 तक पहुंचा

## महिलाओं के लिए अभी भी असुरक्षित दिल्ली

अमलेश राजू नई दिल्ली, 13 जनवरी।

दिल्ली पुलिस की तमाम कवायदों के बाद भी राजधानी में घटित होने वाले गंभीर अपराधों जैसे हत्या के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। राह चलते मिनट भर में हथियार के बल पर वाहन चोरी और चोरी की अन्य वारदातों में तो बढ़ोतरी ने रेकार्ड बनाना शुरू कर दिया है।


दिल्ली पुलिस के आंकड़े बताते हैं कि महिलाओं के साथ हो रहे अपराधों में बलात्कार, महिलाओं को बुरी नजर से देखने, ससुरालियों के हाथों उत्पीड़न और दहेज हत्याओं में बढ़ोतरी तो हुई ही। इससे अलग हत्या, वाहन चोरी, घर में चोरी और आइपीसी की अन्य धाराओं में दर्ज मामले की संख्या में 2018 की तुलना में 2019 में बढ़ोतरी देखी जा रही है। पुलिस के लिए खुश होने वाली बात यह है कि झपटमारी, सेंधमारी, डकैती, दंगा और लूटपाट की घटनाओं के कम मामले दर्ज हुए हैं।

स्पेशल सेल, अपराध शाखा और जिले की पुलिस की सख्त चेतावनियों और सावधानियों के बावजूद बलात्कार और हत्या जैसी गंभीर घटनाओं में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। पुलिस

के 15 नवंबर के ताजा आंकड़ों के मुताबिक 2018 में जहां बलात्कार के 1921 मामले दर्ज हुए थे। वहीं, 2019 में यह आंकड़ा 1947 पर पहुंच गया है। इसी प्रकार महिलाओं के लिए विशेष प्रकोष्ठ बनाने से लेकर उनकी सुनवाई और मध्यस्थता केंद्रों के बनाने के बाद भी पति और ससुरालियों के हाथों प्रताड़ित महिलाओं की संख्या 2018 में दर्ज 2716 के मुकाबले 2019 में 3187 पर पहुंच गया है।

इसी प्रकार गंभीर अपराध की श्रेणी में हत्या के मामले जहां 2018 में 439 दर्ज थे। वहीं 2019 में यह 458 पर पहुंच चुका है। 2018 में जहां वाहन चोरी के 40073 मामले दर्ज हुए थे। वहीं, 2019 में यह आंकड़ा 40737 पर जा चुका है। दिल्ली पुलिस के तमाम जाबांजों की जांबाजी के बावजुद राजधानी में आइपीसी की अन्य वारदातों में भी पुलिस की किरकिरी दिख रही है। 2018 में यह आंकड़ा 24246 दर्ज था तो इस साल 15 नवंबर तक ही यह आंकड़ा 2019 में 27531 पर आकर रूका हुआ है।

आइपीसी के कुल मामले जहां 2018 में 214214 दर्ज थे। वहीं, यह बढकर 2019 में 263027 पर छलांग लगाकर पुलिस के लिए चुनौती बन गए हैं।



- गलत दिशा में वाहन न चलाएं
- लाल बत्ती की अनदेखी करने से घातक दुर्घटना हो सकती है
- आड़ी-तिरछी ड्राइविंग आपके एवं अन्य व्यक्तियों के लिए खतरनाक है

## देशी से पहुँचने के तनाव से अच्छा है कि समय पर घर से निकलें

निर्धारित सीमा से अधिक गति से वाहन चलाने पर ... हल्के वाहनों के लिए जुर्माना ₹1000/- से ₹2000/-मध्यम एवं अन्य श्रेणी के वाहनों के लिए ₹2000/- से ₹4000/-+ तीन माह के लिए वाहन चलाने के लिए अयोग्य घोषित

ट्रैफिक प्रहरी बर्ने ऐप डाउनलोड करें App Store Coogle play

24 घंटे यातायात हेल्पलाइन 011-25844444/1095

हमसे जुड़े ttps://www.facebook.com/dtptraffic https://twitter.com/dtptraffic

पुलिस आयुक्त, दिल्ली को ई-मेल करें cp.amulyapatnaik@delhipolice.gov.in

लिखें : पुलिस आयुक्त, दिल्ली को पोस्ट बॉक्स नं. 171, जीपीओ, नई दिल्ली पर

# पूर्व विधायक राम सिंह 'आप' में शामिल

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद महाबल मिश्रा के बेटे विनय मिश्रा भी शामिल

हमारी नीतियों से प्रभावित होकर ले रहे हैं सदस्यता : केजरीवाल

जनसत्ता संवाददाता

नई दिल्ली, 13 जनवरी। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेसी

नेताओं के पार्टी छोड़ने का सिलसिला जारी है। मटिया महल के पूर्व विधायक शोएब इकबाल और कुछ पार्षदों के पार्टी छोड़ आम आदमी पार्टी (आप) में **इधर-उधर** शामिल होने के बाद सोमवार को एक और पूर्व विधायक राम सिंह नेताजी और अन्य तीन लोग मुख्यमंत्री केजरीवाल की मौजूदगी में 'आप' में शामिल हुए। इनमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद महाबल मिश्रा के बेटे विनय मिश्रा भी शामिल हैं। वह पिछले विधानसभा चुनाव में पालम सीट से चुनाव हार गए थे।

केजरीवाल ने कहा कि पार्टी की नीतियों और दिल्ली सरकार के कामकाज से प्रभावित होकर लोग हमारे परिवार में शामिल हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी में उनका गर्मजोशी से स्वागत है। इस मौके पर नेताजी ने कहा कि वह 'आप' सरकार के कामकाज से प्रभावित हुए



पूर्व विधायक राम सिंह नेताजी को आम आदमी पार्टी में शामिल कराते मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और सांसद संजय सिंह। फोटो : अरुष चोपड़ा

है और इस वजह से कांग्रेस छोडने का फैसला किया। वह दो बार बदरपुर विधानसभा सीट से चुनाव जीत चुके हैं। वह एक बार बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर और दूसरी बार निर्दलीय चुनाव जीते और बाद में कांग्रेस में शामिल हो गए। बवाना विधानसभा के रोहिणी वार्ड से पार्षद

तथा सामाजिक कार्यकर्ता जय भगवान उपकारजी तथा गांधीनगर क्षेत्र से सामाजिक कार्यकर्ता नवीन दीपू चौधरी भी 'आप' में शामिल हो गए जो कांग्रेस में थे। दिल्ली विधानसभा की 70 सीटों के लिए मतदान आठ फरवरी को होगा।

'आप' को अपने नहीं, दूसरी पार्टियों के नेताओं पर भरोसा : शर्मा

जनसत्ता संवाददाता

नई दिल्ली, 13 जनवरी।

कई नेताओं के कांग्रेस पार्टी छोड़ने पर दिल्ली कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता मुकेश शर्मा ने कहा है कि इससे साफ हो गया है कि 'आप' के विधायक चुनाव नहीं जीत सकते। यही कारण है कि दूसरे दल के नेताओं को पार्टी में शामिल कराया जा रहा है।

शर्मा ने यह भी कहा कि बीते दिनों कुछ अन्य नेता भी 'आप' में शामिल हुए थे। उन नेताओं को अहसास हो गया था कि पार्टी उन्हें उम्मीदवार नहीं बनाएगी। यही कारण है कि कुछ घंटे तक पार्टी की गतिविधियों में शामिल रहने वाले नेता बाद में 'आप' में शामिल हो गए। विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए दिल्ली कांग्रेस से जुड़े पूर्व विधायक, निगम पार्षद, पूर्व निगम पार्षद, नेताओं और कार्यकर्ताओं ने कुल 683 लोगों आवेदन किए हैं। शर्मा का आरोप है कि कांग्रेस जिन लोगों को टिकट के लिए मना कर चुकी है। उनसे दल बदल करवाकर हारी हुई लड़ाई जीतने का असफल प्रयास कर रही है।

## शाह ने भाजपा दिल्ली इकाई की बैठक की अध्यक्षता की

नई दिल्ली, 13 जनवरी (भाषा)।

भाजपा के अध्यक्ष अमित शाह ने विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नामों को अंतिम रूप देने के लिए सोमवार को पार्टी की दिल्ली इकाई के कोर समूह की बैठक की अध्यक्षता की। कोर समूह ने पार्टी उम्मीदवारों के नामों पर विचार करने और चुनाव प्रचार अभियान का जायजा लेने के लिए शनिवार की रात को शाह के आवास पर मैराथन बैठक की थी।

पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि 70 सदस्यीय दिल्ली विधानसभा में लगभग 40 सीटों के लिए उम्मीदवारों के नामों पर लगभग सहमित बनी है और पहली सूची 16-17 जनवरी को

घोषित की जा सकती है। भाजपा के एक नेता ने कहा कि निगम पार्षदों के नामों पर भी पार्टी टिकट के लिए विचार किया जा रहा है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में 70

सीटों के लिए नामांकन प्रक्रिया मंगलवार को शुरू होगी। नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 21 जनवरी है और मतदान आठ फरवरी को होगा।



एं भाई...

े डायल करें : 6357

या विजिट करें www.mainhoo

जान

प्रेस कांफ्रेंस के दौरान नई दिल्ली से सांसद मीनाक्षी लेखी।

#### मीनाक्षी लेखी ने केजरीवाल सरकार पर बोला हमला

जनसत्ता संवाददाता नई दिल्ली, 13 जनवरी।

नई दिल्ली की सांसद मीनाक्षी लेखी ने केजरीवाल सरकार पर हमला बोला और कहा कि केजरीवाल के पांच साल के कारनामे कमाल दिल जीते नहीं किए हलाल और अगर किए हो

काम पांच साल, तो काहे टेंशन में हो केजरीवाल । वे सोमवार को प्रदेश भाजपा मुख्यालय पर पत्रकारों से संवाद कर रही थी। लेखी ने कहा कि झुट के पांव नहीं होते और केजरीवाल सरकार इसी तरह बिना पांव के टिकी हुए है। मुख्यमंत्री केजरीवाल के राजनीति में आने के बाद ही उनके साथियों से हाथ छूटने का सिलसिला शुरू हो गया है और इसका आंकडा बढता चला गया और ये अब अकेला अरविंद पार्टी (आप) बन चुका है। उन्होंने झुट और फरेब की राजनीति की और लोगों की

भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है। एडिमरल रामदास, योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण, आशुतोष, आशीष खेतान, कुमार विश्वास, प्रोफेसर आनंद कुमार, किरण बेदी, अंजलि दमानिया, शाजिया इल्मी, देवेंद्र शहरावत, कपिल मिश्रा, अनिल वाजपेयी, अशोक कुमार, एमएस धीर, गुग्गन सिंह, वेद प्रकाश, अश्विनी उपाध्याय, ये ऐसे नाम हैं जिन्होंने आम आदमी पार्टी को बनाने में अहम भूमिका निभाई लेकिन सत्ता में आने के बाद केजरीवाल ने इन्हें ही पार्टी छोड़ने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने कहा कि मिनरल वाटर पीने वाली, गाडियों के काफिला लेकर चलने वाली केजरीवाल एंड टीम ने दिल्ली के लोगों की आम समस्या को ही नहीं समझा इसलिए उन्हें दिल्ली के लोगों के असली मुद्दों की जानकारी नहीं है।

#### वाले विधानसभा चुनाव में भी ऐसा ही होगा। बुराड़ी में 'आप' सरकार ने नहीं किया कोई काम : झा

निगम और लोकसभा के चुनाव में 'आप' की

हार ने ये साबित कर दिया है कि दिल्ली के लोग

केजरीवाल सरकार को नकार चुके हैं और आने

जनसत्ता संवाददाता

नई दिल्ली. 13 जनवरी।

बुराड़ी विधानसभा से भाजपा से टिकट लड़े गोपाल झा ने सोमवार को कहा कि दिल्ली आम आदमी पार्टी ने इस क्षेत्र को नारकीय जीवन जीने को छोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में एक भी सरकारी स्कूल का जीर्णोद्धार नहीं हुआ और स्वास्थ्य के क्षेत्र में अस्पताल का निर्माण नहीं हुआ जिससे लोग आकिस्मक हालत में मौत

के मुंह में समा रहा है। उन्होंने कहा कि अनिधकृत कॉलोनी के बावजूद केजरीवाल ने इस क्षेत्र में सुविधाओं के नाम पर आंखें मूद ली है और यहां गंदे पानी पीने से लोग बीमार होते जा रहे हैं। झा ने कहा कि आने वाले चुनाव में

केजरीवाल की पार्टी के उम्मीदवार से जनता इन्हीं सवालों का जवाब पूछेगी।

चुनाव आचार संहिता लागू होते ही निगम की कार्रवाई

जनसत्ता सवाददाता नई दिल्ली, 13 जनवरी।

दिल्ली में चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद दक्षिणी दिल्ली नगर निगम ने सभी जोनों में कुल 13913 होर्डिंग, पोस्टर और बैनर हटाए गए। इस कार्रवाई के तहत राजनीति और चुनाव से जुड़ी प्रचार सामग्री हटाई जा रही है। निगम ने नजफगढ़ जोन में 2678 होर्डिंग, पोस्टर, बैनर और मध्य जोन में 1668, दक्षिण जोन में 5388 और पश्चिमी जोन में ४१७९ होर्डिंग, पोस्टर और बैनर हटाए गए।

## महंगाई पर काबू पाने में केंद्र और दिल्ली सरकार विफल: कांग्रेस

जनसत्ता सवाददाता नई दिल्ली. 13 जनवरी।

दिल्ली कांग्रेस का आरोप है कि दिल्ली और केंद्र सरकार बढ़ती महंगाई पर काब् पाने में पूरी तरह से विफल रहे हैं। कांग्रेस का कहना है कि जमाखोरों से मिलीभगत कर दोनों पार्टियों ने जनता को लूटने का काम किया है। प्याज की कीमतों पर काबू पाने के लिए दोनों सरकार नकाम रही। यही नहीं दुध की कीमतों में भी लागतार वृद्धि हो रही है। दिल्ली कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता मुकेश शर्मा ने आरटीआइ का हवाला देते हुए कहा कि दिल्ली सरकार ने पिछले पांच साल में सब्जी, दालों व अन्य आवश्यक खाने पीने की वस्तुओं के दामों को कम करने के लिए एक भी कदम नहीं उठाया। इस सरकार ने प्याज की कीमतें 250 रुपए किलो होने के बाद भी दिल्ली मे किसी भी जमाखोर और बिचौलिए पर न तो छापा मारा न कोई कार्रवाई की। शर्मा का आरोप है कि पांच साल में दाल

के भाव लगभग दोगुने हो गए, खाने का तेल, डबल रोटी, प्याज व आलू और हरी सब्जियां के दाम आसमान छू रहे है और सरकार रसोई गैस सिलेंडर के दाम में बीते पांच सालों में ३३७ रुपए का इजाफा

कांग्रेस का आरोप दूध और सब्जियों के दाम में लगातार हो रही है वृद्धि *प्याज* के जमाखोरों से अवैध धन वसूली कर रही

है दिल्ली सरकार: शर्मा

सिलेंडर बढ गई।

उपाय नहीं किए।

मुकदर्शक बनकर बैठी है। आज भी प्याज के दाम 100 रुपए किलो से ऊपर है। उन्होंने आरोप लगया कि आम आदमी पार्टी ने जमाखोरों से अवैध रुप से धन वसली की है। शर्मा ने कहा कि रसोई गैस सिलेंडर की

कीमतें पिछले पांच साल में 337 रुपए प्रति

उन्होंने यह भी कहा कि घरों में पाईप लाईन के जरिए आपूर्ति होने वाली आइजीएल में 67 रुपए की वृद्धि हो चुकी है। बीते पांच साल में करीब 14 रुपए लीटर दुघ दिल्ली में मंहगा हो चुका है। मुकेश शर्मा का यह भी आरोप है कि आम आदमी पार्टी ने बढती महंगाई को कम करने के लिए कोई

अपनी गलती दूसरों पर मढ़ते हैं केजरीवाल : गोयल

> जनसत्ता संवाददाता नई दिल्ली, 13 जनवरी।

सांसद और दिल्ली भाजपा के पूर्व अध्यक्ष विजय गोयल ने केजरीवाल सरकार के हरियाणा पर यमुना का पानी गंदा करने के आरोप पर कहा कि ऐसे ही आरोप दिल्ली सरकार ने पहले भी लगाए हैं जिनको फिर केंद्रीय प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड ने खारिज कर दिया था। जैसे-जैसे चूनाव पास आ रहे हैं वैसे-वैसे ही केजरीवाल सरकार नए तरीके ढंढ रही है जिससे वह अपने पिछले पांच साल काम ना करने का दोष किसी और के माथे मह दें।

गोयल ने कहा कि केजरीवाल सरकार ने 2015 में वादा किया था कि यमना को साफ कर देंगे पर पांच साल में यमना साफ होने की जगह और गंदी हो गई। अभी कुछ महीने पहले ही छठ से पहले यमुना की जहरीली झाग भरी तसवीरें सामने आई थी। उसका दोष केजरीवाल किसी और को ही देंगे। गोयल ने कहा कि अब दिल्ली में सिर्फ पानी ही नहीं हवा भी प्रदुषित है।

## 'आप' ने दिल्ली की जनता को दिया धोखा: प्रवेश वर्मा

जनसत्ता संवाददाता नई दिल्ली, 13 जनवरी।

पश्चिमी दिल्ली के सांसद प्रवेश साहिब सिंह वर्मा ने आम आदमी पार्टी (आप) पर 70 वादों से दिल्ली की जनता के साथ किए धोखे का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि दिल्ली में पांच साल पहले जिस पार्टी की सरकार बनी, उसने जिनता को सपने तो बहत दिखाए लेकिन जब पूरा करने का समय आया तो जनता को केवल धोखा मिला। दिल्ली की सत्ता में 67 सीटों के प्रचंड बहुमत के साथ केजरीवाल सरकार आई लेकिन जब काम करने का समय आया तो कभी कहा कि राज्यपाल

वर्मा ने कहा कि जब उन्हीं की पार्टी के लोगों ने उन्हें उनके वादों की याद दिलाई तो उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। चूनाव सामने है और उन्हें कैसे भी करके अपनी नाकामियों को छिपाना था जिसके लिए केजरीवाल अंतिम तीन महीनों में बिजली पानी मुफ्त करके जनता को

काम नहीं करने दे रहे है और कभी कहा

प्रधानमंत्री काम नहीं करने दे रहे हैं।

गुमराह कर रहे हैं। केजरीवाल ने दिल्ली की जनता से किए अपने 70 वादों में कहा था कि दिल्ली को अपना पावर स्टेशन चाहिए ताकि दिल्ली को बिजली दे सकें लेकिन आज तक कोई पावर स्टेशन नहीं मिला न कोई जमीन आंबटित की गई। उन्होनें कहा था कि दिल्ली को हम सोलर सिटी बनाएंगे लेकिन दिल्ली को सोलर देने वाले केजरीवाल दिल्ली

सरकार की बिल्डिंग पर भी सोलर नहीं लगा पाए।

वर्मा ने कहा कि केजरीवाल ने वादा किया था कि सुखे तालाबों को पुनर्जीवित करेंगे लेकिन तालाबों को जीवित तो नहीं किया गया लेकिन अनिधकृत कॉलोनियों में बारिश होने पर सड़कों पर तालाब जरूर बन गया। दो लाख सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण दिल्ली में कराएंगे जिसके लिए उन्हें फंड भी आबंटित किया गया लेकिन सारा फंड ऐसे ही पड़ा रहा उसका इस्तेमाल नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि 500 नए स्कुल बनाएंगे लेकिन केवल 35 स्कूलों की बिल्डिंग में दोबारा से काम करवाकर शिक्षा में क्रांति का दिखावा

अपनी वाहवाही कराने के लिए छोटे बच्चों के

कोमल मन से खेल रहे हैं। यह पहली बार नहीं

है जब 'आप' ने ऐसा काम किया है। पहली भी

चनाव के कैंपेन के लिए 'आप' ने महिलाओं,

मजदुरों की तस्वीरों का इस्तेमाल किया है। ऐसा

करके 'आप' अपनी ओछी मानसिकता का

परिचय दे रही है। दूसरी ओर, तिवारी ने कहा कि

नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) शरणार्थियों

को नागरिकता देने के लिए है किसी भी भारतीय

## दो नाबालिगों पर छात्रा से सामूहिक बलात्कार का आरोप

जनसत्ता सवाददाता

नोएडा, १३ जनवरी।

थाना सेक्टर-39 में दो नाबालिगों पर एक छात्रा से सामृहिक बलात्कार का आरोप लगा है। आरोप है कि छात्रा को उसकी ही एक दोस्त ने समोसे में नशीला पदार्थ मिलाकर खिला दिया। फिर उसे अपने कमरे पर ले गई। वहां पर छात्रा के साथ पढ़ने वाले दो नाबालिगों ने उसके साथ बलात्कार किया। छात्रा के पिता ने मामले की शिकायत थाना सेक्टर-39 पुलिस से की है।

पुलिस के मृताबिक रविवार शाम छात्रा घर से

तभी उसकी एक दोस्त वहां पहुंची। उसने छात्रा को नशीला पदार्थ मिला समोसा खिला दिया। बेहोशी की हालत में वे छात्रा को अपने कमरे पर ले गई। वहां मौजूद दो नाबालिगों ने छात्रा के साथ बलात्कार किया। होश आने पर छात्रा अपने घर पहंची और परिजनों को घटना के बारे में बताया। छात्रा के पिता ने थाना सेक्टर-39 पुलिस से शिकायत की है।

पीड़िता की शिकायत पर पुलिस मामला दर्ज कर जांच कर रही है। एसएचओ नीरज मलिक का कहना है कि छात्रा की चिकित्सीय जांच करा दी गई है। इस संबंध में मामला दर्ज कर किया निकलकर पास ही दुकान में दूध लेने गई थी। गया है। आरोपियों की तलाश की जा रही है।

## भाजपा ने की 'आप' की शिकायत

'थीम सॉन्ग' का मामला

जनसत्ता संवाददाता

नर्ड दिल्ली, 13 जनवरी।

प्रदेश भाजपा ने आम आदमी पार्टी (आप) के थीम सांग में प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी की अनुमति के बिना उनके द्वारा फिल्माए गए फिल्मों व गानों के इस्तेमाल करने पर और अपने चुनावी कैंपेन के लिए बच्चों को इस्तेमाल करने पर की गई शिकायत पर संज्ञान लेते हुए चुनाव आयोग ने 'आप' सरकार को नोटिस जारी कर जवाब

तिवारी ने सोमवार को पत्रकारों को कहा कि ये साबित हो गया है कि मुख्यमंत्री केजरीवाल विधानसभा चुनाव के परिणाम से अभी से घबराए हए हैं और मेरी छवि खराब करने के लिए किसी

आम आदमी पार्टी ने अपने ओछेपन का सबत दिया है। आम आदमी पाटी के नेता और

कार्यकर्ता पुरी तरह निराश और हताश हो चुके हैं, क्योंकि उन्हें दिल्ली की जनता का समर्थन नहीं मिल रहा है और ऐसे में लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए 'आप' निम्न स्तरीय हथकंडे अपना रही है। 'आप' का ये वीडियो चुनाव आचार संहिता के नियमों के भी खिलाफ था इसलिए प्रदेश भाजपा विधि एवं विधायी विभाग ने चुनाव आयोग से इसकी शिकायत की।

की नागरिकता छीनने के लिए नहीं है। शाहीन बाग इलाके में सीएए के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है जिससे कि दिल्ली और नोएडा आने जाने वालों का रास्ता बंद हो गया हैं। उन्होंने कहा कि सभी शांति पूर्ण प्रदर्शन करने का अधिकार है। लेकिन प्रदर्शन के नाम पर आम जनता को परेशान करना उचित नहीं है।

तिवारी ने कहा कि जिस तरह से 'आप' अपने चुनावी कैंपेन के लिए बच्चों का इस्तेमाल कर रही है उससे ये साफ जाहिर हो रहा है कि भी हद तक जा सकते हैं। तिवारी ने कहा कि 'आप' और उनके कार्यकर्ता संवेदनहीन है और

डीएम के कुछ अधिकार भी पुलिस आयुक्त को मिलेंगे

#### ओवरटेक करने के चक्कर में हुआ सड़क हादसा, दो की मौत

जनसत्ता सवाददाता ग्रेटर नोएडा, 13 जनवरी।

जीटी रोड स्थित मोहन स्वरूप अस्पताल के पास रविवार रात हुए सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल हुए कार चालक और छह महीने के बच्चे की इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतकों की पहचान गौरव व शीनू के रूप में हुई हैं। थाना बादलपुर पुलिस ने दोनों शव को

पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है।

www.readwhere.com

जानकारी के मुताबिक दादरी इलाके के चिटहेरा गांव के रहने वाले गौरव रविवार देर शाम परिवार के सदस्यों के साथ कार में सवार होकर गाजियाबाद के लोनी इलाके से वापस लौट रहे थे। थाना बादलपुर इलाके में जीटी रोड पर मोहन स्वरूप अस्पताल के पास पहुंचने पर एक ट्रक गौरव की कार के आगे मध्यम गति से चल रहा था। गौरव ने अपनी कार की रफ्तार तेज कर ट्रक को ओवरटेक करने की कोशिश की। इसी दौरान कार पेड से टकराकर गहरी खाई में जा गिरी।

# गौतम बुद्ध नगर में पुलिस आयुक्त समेत 38 पद होंगे

जनसत्ता संवाददाता नोएडा, 13 जनवरी।

उत्तर प्रदेश की आर्थिक राजधानी नोएडा में पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू होने के बाद गौतम बुद्ध नगर को महानगर क्षेत्र घोषित कर दिया गया हैं। 1995 के आइपीएस अफसर और अलीगढ के मूल निवासी आलोक सिंह को नोएडा का नया पुलिस आयुक्त बनाया गया है। इस प्रणाली के तहत पुलिस आयुक्त को जिला मैजिस्ट्रेट के कुछ समेत कुल 15 अधिकार मिलेंगे। आयुक्त के अलावा दो अतिरिक्त आयुक्त और सात डीसीपी

की तैनाती होगी। गौतम बुद्ध नगर में पुलिस आयुक्त समेत 38 पद होंगे। अपर पुलिस महानिदेशक स्तर के एक पुलिस आयुक्त, डीआइजी स्तर के दो अपर पुलिस आयुक्त व एसपी स्तर के सात अधिकारी तैनात किए जाएंगे। पुलिस अधीक्षक स्तर की एक महिला अधिकारी और यातायात प्रबंधन के लिए पुलिस अधीक्षक को तैनात किया जाएगा। पुलिस एक्ट के मृताबिक 10 लाख से अधिक आबादी

पुलिस अधिकारियों की तैनाती हुई शुरू

अखिलेश कुमार को अपर पुलिस आयुक्त (एडिशनल कमिश्नर लॉ एंड आर्डर) और श्रीपर्ण गांगुली को अपर पुलिस आयुक्त अपराध और मुख्यालय बनाया गया है। इसके अलावा नितिन



वाले नगरीय क्षेत्रों में पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू होनी चाहिए। वर्तमान में नोएडा की आबादी 16 लाख से अधिक है। जबिक नोएडा व ग्रेटर नोएडा, दोनों को मिलाकर गौतम बुद्ध नगर जनपद के तहत 25 लाख की आबादी हो जाती है। पुलिस महानिदेशक (एडीजी) स्तर के अधिकारी को पुलिस आयुक्त की जिम्मेदारी दी जाएगी। पुलिस आयुक्त एवं उपायुक्तों को जिला प्रशासन से संबंधित तमाम अधिकार मिल जाएंगे। इसमें शांति-व्यवस्था, गुंडा, गैंगस्टर, अनैतिक

व्यापार, पश् क्रुरता, विस्फोटक, गैर कानूनी गतिविधि, कारागार अधिनियम-1894, सरकारी गोपनीयता अधिनियम-1923, विदेशी अधिनियम-1946, भारतीय पुलिस अधिनियम-1861, यूपी अग्निशमन सेवा अधिनियम-1944, यूपी अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा अधिनियम-2005, यूपी गिरोहबंद और समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम-1986 शामिल है। हालांकि आबकारी और शस्त्र लाइसेंस की मंजूरी देने का अधिकारी अब भी जिलाधिकारी के

सात पुलिस उपायुक्त, सभी एसपी स्तर के होंगे। तीन पुलिस उपायुक्त जोन में तैनात होंगे। जबिक एक-एक उपायुक्त यातायात, मुख्यालय, अपराध, महिला अपराध से संबंधित मामले देखेगा। नौ पुलिस उपायुक्त, ये सभी अपर पुलिस अधीक्षक स्तर के होंगे। इसमें एक स्टाफ ऑफिसर की जिम्मेदारी निभाएगा और तीन जोन में होंगे। एक- एक कानून व्यवस्था, यातायात, अपराध, मुख्यालय, अभिसूचना व सुरक्षा की जिम्मेदारी निभाएंगे। 17 सहायक पुलिस आयुक्त, जो सभी पुलिस उपाधीक्षक स्तर के अधिकारी होंगे। जो दस सर्किल में तैनात होंगे। कानून व्यवस्था, यातायात, अपराध, पुलिस लाइन, लेखा व कार्यालय और दो महिला अपराध से संबंधित मामले देखेंगे। सहायक रेडियो अधिकारी व मुख्य

पुलिस आयुक्त की नई टीम में दो अपर

पुलिस आयुक्त, दो पुलिस उपमहानिरीक्षक

(डीआइजी) स्तर के अधिकारी होंगे। एक कानून

व्यवस्था और दुसरा मुख्यालय का काम देखेगा।

पास ही रहेगा।

नई दिल्ली

अग्निशमन अधिकारी के एक- एक पद होंगे।

तिवारी , हरीश चंदर, बृंदा शुक्ला, संकल्प शर्मा, मिनाक्षी कात्यान, राजेश कुमार सिंह और राजेश एस को पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) बनाया गया है। आलोक सिंह श्रीपर्ण गांगुली और अखिलेश कुमार।

## नुसली वाडिया ने सुप्रीम कोर्ट से याचिका वापस ली

नई दिल्ली, 13 जनवरी (भाषा)

बांबे डाइंग के चेयनमैन नुसली वाडिया ने टाटा समूह के पूर्व चेयरमैन रतन टाटा और अन्य के खिलाफ दायर 3000 करोड़ रुपए के हर्जाने सहित मानहानि के सभी मामले सोमवार को वापस ले लिए।

खिलाफ 3000 करोड के हर्जाने सहित मानहानि के सभी प्रधान न्यायाधीश एसए बोबडे की मामले वापस लिए अध्यक्षता वाले पीठ ने वाडिया को शीर्ष

रतन टाटा व अन्य के

अदालत में अपनी याचिका वापस लेने की अनुमति दे दी। इससे पहले, पीठ ने इस कथन को दर्ज किया कि टाटा और अन्य की मंशा वाडिया को बदनाम करने की नहीं थी। पीठ ने कहा, 'टाटा के इस बयान के मद्देनजर कि वाडिया को बदनाम करने की कोई मंशा नहीं थी, जो हाई कोर्ट के नतीजे के अनुरूप है, याचिकाकर्ता को मौजूदा याचिका और हर्जाने के लिए लंबित वाद वापस लेने की अनुमति दी जाती है।' पीठ ने वाडिया की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता सीए सुंदरम से कहा कि न्यायालय उनके मुवक्किल के दृष्टिकोण की सराहना करता है। शीर्ष अदालत ने छह जनवरी को वाडिया और टाटा से कहा था कि

वे एकसाथ बैठक पर मानहानि के मामले में अपने मतभेद दूर करें वाडिया ने 2016 में रतन टाटा और अन्य के खिलाफ उस समय मानहानि का मामला दायर किया था जब उन्हें टाटा समूह की कुछ कंपनियों के बोर्ड से हटा दिया गया था।

## मप्र : मिलावटखोरों के विरुद्ध रासुका के तहत होगी कार्रवाई

भोपाल, 13 जनवरी (भाषा)।

मध्य प्रदेश के लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री तुलसीराम सिलावट ने प्रदेश में मिलावट करने वाले खाद्य व्यापारियों के विरुद्ध रासुका के तहत कार्रवाई करने के निर्देश अधिकारियों को देते हुए कहा कि आम आदमी के हित में अशुद्ध खाद्य पदार्थों के निर्माण और बिक्री को रोकना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। प्रदेश में अब तक 41 मिलावटखोरों के विरुद्ध रासुका के तहत कार्रवाई की गई है।

खाद्य सुरक्षा विभाग की गतिविधियों की सोमवार को मंत्रालय में समीक्षा करते हुए सिलावट ने अधिकारियों से कहा कि लगातार मिलावट कर रहे खाद्य व्यापारियों



के खिलाफ रासुका की कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि 'शुद्ध के लिए युद्ध' अभियान में अभी तक लिए गए नमुनों में से 35 प्रतिशत से अधिक नमने अमानक स्तर के पाए गए हैं। इन नमनों से संबंधित मिलावटखोरों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सिलावट ने अभियान को जारी रखने के निर्देश देते हुए कहा कि अभियान में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के विरुद्ध निलंबन तक की कार्यवाही होगी।

खाद्य सुरक्षा आयुक्त राजीव दुबे ने बैठक में बताया कि 'शुद्ध के लिए यद्ध' अभियान के अन्तर्गत अभी तक 41 मिलावटखोरों के विरुद्ध रासका की कार्रवाई की गई है। मिलावटखोरी में दोषी पाए गए शेष मामलों में प्रकरण संबंधित न्यायालयों में प्रस्तुत किए गए हैं। सिलावट ने निर्देश दिए कि प्रदेश में संभाग एवं जिला स्तर पर 'शुद्ध के लिए युद्ध' अभियान के अंतर्गत जन-जागरूकता रैली आयोजित की जाए।

## सबरीमला मामले में पुनर्विचार याचिकाओं पर सुनवाई नहीं

नई दिल्ली, 13 जनवरी (भाषा)

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को स्पष्ट किया कि वह सबरीमला मंदिर में सभी आयु वर्ग की महिलाओं को प्रवेश की अनुमति देने संबंधी 2018 के फैसले पर पुनर्विचार के लिये दायर याचिकाओं की सुनवाई नहीं कर रहा है और इसकी बजाय वह धार्मिक परंपराओं में न्यायालय के हस्तक्षेप के दायरे सहित दूसरे बड़े मुद्दों पर विचार करेगा।

प्रधान न्यायाधीश एसए बोबडे की अध्यक्षता वाले नौ सदस्यीय संविधान पीठ ने शुरू में ही स्पष्ट कर दिया कि वह सबरीमला मंदिर मामले में पांच सदस्यीय संविधान पीठ द्वारा भेजे गए मुद्दों पर ही विचार करेगा। पीठ ने इस मामले में अधिवक्ताओं से कहा कि वे 17 जनवरी को बैठक करके 'मद्दों को नए सिरे से तैयार करने' या उसके द्वारा विचार करने योग्य अतिरिक्त मुद्दे जोड़ने के बारे में फैसला लें।

पीठ ने कहा, 'हम सबरीमला मामले में पुनर्विचार याचिकाओं की सुनवाई नहीं कर रहे हैं। हम पांच न्यायाधीशों के पीठ द्वारा भेजे गए मुद्दों पर विचार कर रहे हैं।' पीठ ने हालांकि कहा कि वह इनका फैसला नहीं करेगी लेकिन वह मस्जिदों में महिलाओं के प्रवेश, दाऊदी बोहरा मुसलिम समुदाय में लड़िकयों के खतने और गैर पारसी व्यक्ति से विवाह करने वाली पारसी महिलाओं का अग्यारी में पवित्र अग्नि के समक्ष प्रवेश वर्जित करने संबंधित याचिकाओं को सूचीबद्ध करने पर विचार करेगी

इस संविधान पीठ के अन्य सदस्यों में न्यायमूर्ति आर भानुमति, न्यायमूर्ति अशोक भूषण, न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव , न्यायमूर्ति एमएम शांतनागौडर, न्यायमूर्ति एस अब्दुल नजीर, न्यायमूर्ति आर सुभाष रेड्डी, न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति सूर्यकांत शामिल हैं।

## रेलटेल से समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर

जनसत्ता संवाददाता नई दिल्ली, 13 जनवरी।

रेलवे के 58 इकाइयों में 50000 उपयोगकर्ताओं के लिए एनआइसी ई कार्यालय के पहले चरण के काम के पूरा हो जाने के बाद भारतीय रेलवे ने परियोजना के दूसरे चरण के लिए रेल मंत्रालय के तहत चलने वाले रेलटेल के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। दूसरे चरण

ईऑफिस प्लेटफॉर्म पर 34 से अधिक रेलवे डिवीजनों में 39000 उपयोगकर्ताओं को पंजीकृत करेगा। एनआइसी ई-ऑफिस को पुरा करने का पहला चरण मार्च, 2020 तक काम पूरा कर लिया जाएगा। इसके लिए आदेश जारी किया गया है।

में रेलटेल 30 जून, 2020 तक एनआइसी

इस मौके पर रेलवे अधिकारियों ने बताया कि रेलटेल ने समय से पहले काम पूरा कर लिया और भारतीय रेलवे की 58 इकाइयों में 50000 से अधिक उपयोगकर्ताओं व अधिकारियों को केवल छह महीने के समय में मंच को संभालने के लिए प्रशिक्षित किया व सक्षम बनाया। रेलवे बोर्ड के कार्यकारी निदेशक (तकनीकी विकास) उमेश बलौदा और रेलटेल की महाप्रबंधक (जीएम )आइटी परियोजना हरीतिमा जयपूरियार ने समझौता ज्ञापन पर

#### एरियन रॉकेट 17 को इसरो के उपग्रह को लेकर भरेगा उड़ान

बंगलुरु, 13 जनवरी (भाषा)।

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने सोमवार को कहा कि भारत 17 जनवरी को फ्रेंच गुयाना से एरियन-5 प्रक्षेपण यान के माध्यम से संचार उपग्रह जीसैट-30 प्रक्षेपित करेगा।

जीसैट-30 उपग्रह भारतीय समयानुसार उस दिन दो बजकर 35 मिनट पर दक्षिण अमेरिका के उत्तर-पूर्वी तट पर कौरो के एरियर प्रक्षेपण परिसर से अपनी यात्रा पर रवाना होगा। उसका वजन 3357

किलोग्राम है। इसरो ने कहा, 'इनसैट-4 ए की जगह लेगा जीसैट-30 और उसकी कवरेज क्षमता अधिक होगी।'

उसने बताया कि यह उपग्रह केयू बैंड में भारतीय मुख्य भूमि और द्वीपों को, सी बैंड में खाड़ी देशों, बड़ी संख्या में एशियाई देशों और आस्ट्रेलिया को कवरेज प्रदान करता है। 30 वर्ष की मिशन अवधि वाला जीसैट उपग्रह डीटीएच, टेलीविजन अपलिक और वीसैट सेवाओं के लिए क्रियाशील संचार उपग्रह है।

#### PUBLIC ANNOUNCEMENT

(This is a public announcement for information purposes only and is not a prospectus announcement and does not constitute an invitation or offer to acquire, purchase or subscribe to securities, not for release, publication or distribution, directly or undirectly outside india.)



#### LIKHITHA INFRASTRUCTURE LIMITED

Our Company was incorporated under the provisions of the Companies Act, 1956 as "Likhitha Constructions Private Limited" on August 06, 1998, as a private limited company vide Certificate of Incorporation issued by Registrar of Companies ("RoC"), Hyderabad, Andhra Pradesh. Our Company's name was subsequently changed to "Likhitha Infrastructure Private Limited" pursuant to a Fresh Certificate of Incorporation consequent upon change of name dated March 30, 2011 issued by RoC, Hyderabad, Andhra Pradesh. Subsequently, our Company was converted into a public limited company and the name of our Company changed to "Likhitha Infrastructure Limited" pursuant to a shareholders' resolution passed at the ExtraOrdinary General Meeting of our Company held on January 11, 2019 and a Fresh Certificate of Incorporation dated February 12, 2019 was issued by the RoC, Hyderabad, Telangana. The Corporate Identification Number of our Company is U45200TG1998PLC029911. For details on change of name and registered office of our Company, please refer to chapter titled "History and Certain Corporate Matters" beginning on page 148 of the Draft Red Herring Prospectus ("DRHP").

Registered Office: Flat No. 701, Plot No.8-3-940 and 8-3-940/A to E, Tirumala Shah Residency, Yellareddy Guda, Ameerpet, Hyderabad-500073, Telangana, India.

Contact Person: Mr. Santhosh Kumar Gunemoni, Company Secretary and Compliance Officer; Telephone: +91 40-23752657 | E-mail: info@likhitha.in; cs@likhitha.in; Website: www.likhitha.co.in

PROMOTERS OF OUR COMPANY: MR. SRINIVASA RAO GADDIPATI AND MS. LIKHITHA GADDIPATI

PUBLIC ISSUE OF UPTO 51,00,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 10/- EACH OF LIKHITHA INFRASTRUCTURE LIMITED (THE "COMPANY" OR THE "ISSUER") FOR CASH AT A PRICE OF ₹ [•]/- PER EQUITY SHARE INCLUDING A SHARE PREMIUM OF ₹ [•]/- PER EQUITY SHARE (THE "ISSUE PRICE") AGGREGATING TO ₹ [•] LAKHS ("THE ISSUE"). THE ISSUE WILL CONSTITUTE [●] % OF THE POST ISSUE PAID UP EQUITY SHARE CAPITAL OF OUR COMPANY THE FACE VALUE OF THE EQUITY SHARES IS ₹ 10/- EACH AND THE ISSUE PRICE IS [•] TIMES THE FACE VALUE OF THE

EQUITY SHARES. THE PRICE BAND AND THE MINIMUM BID LOT WILL BE DECIDED BY OUR COMPANY IN CONSULTATION WITH THE BOOK RUNNING LEAD MANAGER ("BRLM") AND WILL BE ADVERTISED IN ALL EDITIONS OF [●] (A WIDELY CIRCULATED ENGLISH NATIONAL DAILY NEWSPAPER), ALL EDITIONS OF [.] (A WIDELY CIRCULATED HINDI NATIONAL DAILY NEWSPAPER) AND TELUGU EDITION OF THE REGIONAL NEWSPAPER [●], (TELEGU BEING THE LOCAL LANGUAGE OF TELANGANA, WHERE OUR REGISTERED OFFICE IS SITUATED), AT LEAST 2 (TWO) WORKING DAYS PRIOR TO THE BID, ISSUE OPENING DATE WITH THE RELEVANT FINANCIAL RATIOS CALCULATED AT THE FLOOR PRICE AND THE CAP PRICE AND SHALL BE MADE AVAILABLE TO BSE LIMITED ("BSE") AND NATIONAL STOCK EXCHANGE OF INDIA LIMITED ("NSE") COLLECTIVELY REFERRED TO AS THE "STOCK EXCHANGES" FOR THE PURPOSE OF UPLOADING ON THEIR WEBSITES.

In case of any revisions in the Price Band or force majeure, banking strike or similar circumstances, the issuer may, for reasons to be recorded in writing, extend Bid/Issue Period by at least 3 (three) additional Working Days after such revision in the Price Band, subject to the Bid/ Issue Period not exceeding 10 (ten) Working Days. Any revision in the Price Band and the revised Bid/ Issue Period, will be widely disseminated by notification to the Stock Exchanges, by issuing a press release, also by indicating the change on the website of the BRLM and the terminals of the Syndicate Member(s) and the Sponsor Bank.

The Issue is made in terms of Rule 19(2)(b)(i) of the Securities Contracts (Regulations) Rules, 1957, as amended (the "SCRR") the Issue is being made for at least 25% of the post-Issue paid-up Equity Share capital of our Company. The Issue is being made through the Book Building Process, in compliance with Regulation 6(1) of the SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018, as amended ("SEBI ICDR Regulations") wherein not more than 50% of the Issue shall be available for allocation on a proportionate basis to Qualified Institutional Buyers ("QIBs", and such portion, the "QIB Portion") Our Company, in consultation with the BRLM, may allocate up to 60% of the QIB Portion to Anchor Investors on a discretionary basis in accordance with the SEBI ICDR Regulations ("Anchor Investor Portion"), out of which at least one-third shall be available for allocation to domestic Mutual Funds only, subject to valid Bids being received from the domestic Mutual Funds at or above the Anchor Investor Allocation Price. Further, 5% of the Net QIB Portion shall be available for allocation on a proportionate basis to Mutual Funds only, and the remainder of the QIB Portion shall be available for allocation on a proportionate basis to all QIB Bidders other than Anchor Investors, including Mutual Funds, subject to valid Bids being received at or above the Issue Price. Further, not less than 15% of the Issue shall be available for allocation on a proportionate basis to Non-Institutional Bidders and not less than 35% of the Issue shall be available for allocation to RIIs in accordance with SEBI ICDR Regulations, subject to valid Bids being received at or above the Issue Price. All Bidders (other than Anchor Investors), shall only participate in the Issue through the Application Supported by Block Amount ("ASBA") process by providing details of their respective bank account (including UPI ID for RIIs using UPI Mechanism) wherein the Bid Amounts will be blocked by SCSBs or under the UPI Mechanism by Sponsor Bank, as the case may be, to the extent of respective Bid Amounts. Anchor Investors are not permitted to participate in Anchor Investor Portion through ASBA process. For details, please refer to "Issue Procedure" beginning on page 290 of the DRHP.

This public announcement is being made in compliance with the provisions of regulation 26(2) of the SEBI ICDR Regulations to inform the public that the Company is proposing, subject to requisite approvals, market conditions and other considerations, an initial public offering of its Equity Shares and has filed the DRHP dated January 11, 2019 with the Securities and Exchange Board of India ("SEBI") on January 13, 2019.

Pursuant to Regulation 26(1) of SEBI ICDR Regulations, the DRHP filed with SEBI shall be made public for comments, if any, for a period of at least 21 (twenty one) days from the date of such filling, by hosting it on the websites of SEBI at www.sebi.gov.in, the BRLM at www.ckpfinancialservices.com and the Stock Exchanges where the Equity Shares are proposed to be listed, i.e. BSE at www.bseindia.com and NSE at www.nseindia.com. Our Company hereby invites the public to give their comments on the DRHP filed with SEBI in respect of disclosures made in the DRHP. The public is requested to send a copy of the comments sent to SEBI, to the Company Secretary and Compliance Officer of our Company and the BRLM at their respective addresses mentioned below. All comments must be received by our Company or the BRLM on or before 5 p.m. on the 21st day from the aforementioned date of filing of the DRHP with SEBI

Investments in equity and equity-related securities involve a degree of risk and investors should not invest any funds in this Issue unless they can afford to take the risk of losing their investment. Investors are advised to read the risk factors carefully before taking an investment decision in this Issue. For taking an investment decision, investors must rely on their own examination of our Company and the Issue including the risks involved. The Equity Shares issued in the Issue have neither been recommended nor approved by SEBI, nor does SEBI guarantee the accuracy or adequacy of the contents of the DRHP.

Specific attention of the investors is invited to the chapter titled "Risk Factors" beginning on page 31 of the DRHP. Any decision to invest in the equity shares described in the DRHP shall be made after a Red Herring Prospectus ("RHP") has been registered with the RoC and must be solely based on the RHP. The Equity shares, when offered through the RHP, are proposed to be listed on Stock Exchanges

**BOOK RUNNING LEAD MANAGER** 

CKP FINANCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED

Floor no. 02, Shashank CHS Ltd. Manmala Tank, Road, Near Starcity Cinema, Mahim, Mumbai 400 016, India. Telephone: +91 9322997964

Email: mb@ckpfinancialservices.com Investor grievance email: compliance@ckpfinancialservices.com

Contact Person: Mr. Brijesh Parekh Website: www.ckpfinancialservices.com SEBI registration number: INM000012449 CIN: U74120MH2015PTC270984

REGISTRAR TO THE ISSUE

BIGSHARE SERVICES PRIVATE LIMITED 1st Floor, Bharat Tin Works Building, Opp. Vasant Oasis, Makwana Road, Marol, Andheri (East), Mumbai 400059, India.

Telephone: +91 22 6263 8200 Facsimile: +91 22 6263 8280 Email: ipo@bigshareonline.com

Investor grievance email: investor@bigshareonline.com Contact Person: Mr. Ashish Bhope Website: www.bigshareonline.com SEBI Registration Number: INR000001385

CIN: U99999MH1994PTC076534U6 All capitalized terms used herein and not specifically defined shall have the same meaning as ascribed in the DRHP.

> For Likhitha Infrastructure Limited On behalf of Board of Directors

Date: January 13, 2019

Company Secretary and Compliance Officer

Likhitha Infrastructure Limited is proposing, subject to applicable statutory and regulatory and requirements, receipt of requisite approvals, market conditions and other considerations to make an initial public offering of its Equity Shares and has filed a DRHP with SEBI. The DRHP shall be available on the website of SEBI at www.sebi.gov.in, NSE at www.nseindia. com, BSE at www.bseindia.com and the website of the BRLM at www.ckpfinancialservices.com. Any potential Investor should not rely on the DRHP filed with SEBI for making any investment decisions and should note that investment in equity shares involves a high degree of risk and are requested to refer to the section titled "Risk Factors" beginning on page 31 of the DRHP for details of the same.

This announcement has been prepared for publication in India and not to be released or distributed in the United States. This announcement is not an offer to sell or a solicitation of any offer to buy Equity Shares of our Company in any jurisdiction, including the United States. The Equity Shares offered in the Issue have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act, 1933 ("U.S. Securities Act") or any state securities laws in the United States, and may not be offered or sold within the United States, except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the U.S. Securities Act and applicable state securities laws. The Equity Shares have not been and will not be registered, listed or otherwise qualified in any other jurisdiction outside India and may not be offered or sold, and Bids may not be made by persons in any such jurisdiction, except in compliance with the applicable laws of such jurisdiction.

सार्वजनिक उद्घोषणा

अर्जुन इस्पात इंडिया प्राईवेट लिमिलेड - परिसमापन में

[ भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता (परिसमापन प्रक्रिया) विनियमन, 2016 के नियम 12 के साथ पठित नियम 31(2) ] अर्जुन इस्पात इंडिया प्राईवेट लिमिटेड के स्टेकहोल्डर के ध्यानार्थ - परिसमापन में

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (परिसमापन प्रक्रिया) विनियमन 2016. ("विनियमन") के विनियमन 31 के अनुपालन में कम्पनी के सभी स्टेकडॉल्डर के लिए एतदुद्वारा **सार्वजनिक उद्घोषणा** की जाती है कि 13 जनवरी, 2020 को माननीय एनसीएलटी, नई दिल्ली बेंच - ।। के समक्ष कम्पनी के सभी हितधारकों की सूची दाखिल की गई है। कम्पनी की कोई वेबसाईट नहीं है। परिसमापक की ओर से स्वीकृत राशि समय-समय पर संशोधित राशि सहित के पूर्ण विवरण के साथ हितधारकों की सूची परिसमापक. को ई–मेल

विनियमन ३१ (५) के अंतर्गत, हितधारकों की सूची उन सभी र्व्याक्तयों जिन्होंने दावों का प्रमाण प्रस्तुत किया है और कंपनी के सदस्यों, निदेशकों और गारंटरों के निरीक्षण के लिए

उपलब्ध होगी। इच्छक हिनधारक परिसमापक के साथ liquidatoraipl@gmail.com या rajneesha1@gmail.com पर संपर्क कर सकते है। स्टेकहोल्डर्स को आगे सुचित किया जाता है कि माननीय एनसीएलटी, नई दिल्ली बेंच-।। के समक्ष दाखिल हितधारकों की सुची में किसी प्रविष्टि के सन्दर्भ में कोई संशोधन सिर्फ

माननीय एनसीएलटी, नई दिल्ली बेंच-।। को आवेदन दाखिल कर और तथा बेंच द्वारा निर्देशित तरीके से किया जा सकता है। रजनीश सिंघवी, परिसमापक ई-मेल: liquidatoraipl@gmail.com (प्रक्रिया विशिष्ट) (माननीय एनसीएलटी, नई दिल्ली बैंच-।। के आदेश

ई-मेलः rajneesha1@gmail.com (IBBI के साथ पंजीकृत) दिनांक 18.11.2019 द्वारा नियुक्त) संपर्क करें-+91-9314511003 पंजीकरण संख्या - IBBI/IPA-001/IP-P00037/2017-2018/10098 36ए, सूरज नगर (पूर्व), सिविल लाइंस, जयपुर, राजस्थान-302006

> अर्जुन इस्पात इंडिया प्राईवेट लिमिलेड - परिसमापन में स्टेकहोल्डर्स कंसल्टेशन समिति के लिए आमंत्रण

दिनांक: 14.01.2020 मैसर्स अर्जुन इस्पात इंडिया प्राईवेट लिमिटेड (परिसमापन में) के जिन हितधारकों के दावों को स्वीकार करके हितधारकों की सूची में शामिल किया गया है, उन्हें "स्टेकहोल्डर्स कंसल्टेशन समिति" जिसका गठन दिवाला और भारतीय शोधन अक्षमता (परिसमापन प्रक्रिया) विनियमन 2016 के विनियमन 31ए के अंतर्गत होन है, में अपने प्रतिनिधियों को नामित करने के लिए आंमत्रित किया जाता है।

प्रतिभूत लेनदार	1
अप्रतिभृत विल्तीय लेनदार	
कर्मकार एवं कर्मचारी	
सरकारी	8 10
प्रचालन लेनदार (कर्मकार एवं कर्मचारी एवं सरकारी दावे के अतिरिक्त)	1

परिसमापक की ओर से स्वीकृत राशि, समय-समय पर संशोधित राशि सहित, के पूर्ण विवरण के साथ हितधारकों की सुची परिसमापक को ई-मेल भेजकर परिसमापक र

प्राप्त की जा सकती है। नामांकन हेत् सम्पर्क दिनांक 18.01.2020 को 04:30 (सायं) बजे तक liquidatoraipl@gmail.com एवं rajneesha1@gmail.com पर ई-मेल भेजकर किया जा सकता है। रजनीश सिंघबी, परिसमापक ई-मेल: liquidatoraipl@gmail.com (प्रक्रिया विशिष्ट)

(माननीय एनसीएलटी, नई दिल्ली बैंच-11 के आदेश ई-मेल: rajneesha1@gmail.com (IBBI के साथ पंजीकृत) संपर्क करें-+91-9314511003 दिनांक 18.11.2019 द्वारा नियुक्त) 36ए, सूरज नगर (पूर्व), सिविल लाइंस, जवपुर, राजस्थान-302006 पंजीकरण संख्या - IBBI/IPA-001/IP-P00037/2017-2018/10098

कार्यालय वसूली अधिकारी-f I ऋण वसूली अधिकरण-f II, दिल्ली // n चौथी मंजिल, जीवन तारा भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001

आर.सी. सं. 11/2017

लॉट

मैसर्स इण्टरनेशनल एसेट्स रीकंस्ट्रक्शन कम्पनी प्रा.लि. बनाम मैसर्स न्यूकेम लिमिटेड ऋणों की वसुली तथा बकाया अधिनियम, 1993 के साथ पठित आयकर अधिनियम, 1961 की द्वितीय अनुसूची के नियम 52 (2) के अंतर्गत बिक्री उद्घोषणा

जैसा कि माननीय द्वारा आहरित वसूली प्रमाणपत्र 11/2017 दिनांक 12.01.2017 सीडी सं. 1. मैसर्स न्यूकेम लि., कार्यालय 20/6, मथुरा रोड, फरीदाबाद

सीडी सं. 2. श्री आर.सी. बरार (जमानती) पुत्र स्व. श्री हरजस राज जैन निवासी डी-10, रूपमहल, एनएच-2, एनआईटी फरीदाबाद-121001. सीडी सं. 3. श्री अरुण बरार (जमानती) (मृत होने से) श्रीमती रेनू बराबर-पत्नी निवासी डी-9, रूपमहल, एनएच-2, एनआईटी फरीदाबाद-

साथ ही : मकान नं. 372, सेक्टर-46, फरीदाबाद, नई दिल्ली, श्री कुणाल बरार-पुत्र निवासी डी-9, रूपमहल, एनएच-2, एनआईटी फरीदाबाद-121001.

साथ ही : मकान नं. 372, सेक्टर-46, फरीदाबाद, नई दिल्ली

सीडी सं. ४. श्री प्रथमेश बरार (जमानती) पुत्र श्री बी.एन. जैन निवासी डी-९, रूपमहल, एनएच-२, एनआईटी फरीदाबाद-121001,

साथ ही : बी4-401, महिन्द्रा कैलोरिस सोसाइटी, सेक्टर-19, फरीदाबाद-121002

सम्पत्ति का विवरण

जैसा कि रु. 8,24,50,775/- (रुपये आठ करोड़ चौबीस लाख पचास हजार सात सौ पचहत्तर मात्र) की राशि का उल्लेख करते हुए पीठासीन अधिकारी, ऋण वसूली अधिकरण–II, द्वारा ओ.ए. सं. 489/2014 में माननीय पीठासीन अधिकारी, ऋण वसूली अधिकरण–II, दिल्ली द्वारा आहरिर आईबिड रिकवरी प्रमाणपत्र के अनुसार आप पर बकाया हो गया है। आवेदक वादकालीन सीडी ज 1 से 4 संयुक्त तथा पृथक रूप से रु. 1,50,000/ की लागत के साथ 09.12.2014 से वसली की तिथि तक वादकालीन तथा 13% प्रति वर्ष की साधारण दर पर ब्याज के साथ रु. 8,23,00,775/ (रुपये आठ करोड़ तेईस लाख सात सौ पचहत्तर मात्र) की राशि का भुगतान करने के लिये उत्तरदायी हैं। 2. तथा जैसा कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त वसूली प्रमाण पत्र की संतुष्टि के लिए नीचे तालिका में वर्णित संपत्ति की बिक्री का आदेश दिया है।

3. एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि स्थगन आदेश की अनुपस्थिति में 12.2.2020 को 11.00 बजे पूर्वा. से 12.00 बजे अप. के बीच यदि जरूर हो. 12.00 बजे अप. के बाद 5 मिनट के विस्तार के साथ ई-नीलामी तथा बोली द्वारा उक्त संपत्ति की बिक्री की जाएगी तथा यह बोली ''ऑन-

लाइन इलेक्ट्रोनिक बोली'' के माध्यम से वेबसाईट https://www.drt.auctiontiger.net, मैसर्स ई-प्रोक्योरमेंट टेक्नोलॉजीज लि. ए-801 वॉल स्ट्रीट-II, सामने ओरिएन्ट क्लब, एलिस ब्रिज, अहमदाबाद-380006 सम्पर्क दुरभाष : +91 079 40230816-820, 079-402830831 833, ई-मेल : support@auctiontiger.com पर सम्पन्न की जायेगी। सम्पर्क व्यक्ति : श्री तिलक मराठा. सम्पर्क नं. 01035180083 एव श्री नितीश झा. मोबाइल नं. 91-8800800847. यह बिक्री नीचे तालिका में नामित उपरोक्त सीडी 'ज की संपत्ति की होगी तथा उक्त संपत्ति से जुड़ी देयताएं एवं दावे, जो अब तक सुनिश्चित है वे प्रत्येक लॉट के समक्ष अनसची में निर्दिष्ट हैं।

5. संपत्ति को अनुसूची में निर्दिष्ट लॉट में बिक्री पर रखा जाएगा। यदि वसूल की जाने वाली राशि संपत्ति के भाग की बिक्री से पूरी हो जाती है त शेष के मामले में तुरंत बिक्री रोक दी जाएगी। यदि बिक्री संचालक अधिकारी के पास अनुसूची में वर्णित बकाए, ब्याज लागत (बिक्री लागत

सहित) जमा कर दी जाती है अथवा उक्त प्रमाणपत्र की राशि, ब्याज एवं लागत अधोहस्ताक्षरी के पास जमा कर दिए होने का उनकी संतुष्टि वे लिए प्रमाण जमा कर दिया जाता है तो किसी भी लॉट की नीलामी से पूर्व बिक्री तत्काल रोक दी जाएगी। . ऐसे किसी भी अधिकारी या अन्य व्यक्ति बिक्री के सिलसिले में कोई कर्त्तव्य निर्वहन का दायित्व हो, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, वे बेची जा रर्ह

संपत्ति को अर्जित करने के लिए बोली लगाने या कोई हित अर्जित करने के लिए प्रयास करने में अक्षम होंगे। 7. यह बिक्री आयकर अधिनियम, 1961 की द्वितीय अनुसूची में निर्दिष्ट शर्तों तथा उसके अंतर्गत निर्मित नियमों तथा आगे की निम्नलिखित शत

आरक्षित मल्य

7.1 संलग्न अनुसूची में निर्दिष्ट विवरण अधोहस्ताक्षरी की सर्वश्रेष्ठ जानकारी के अनुसार प्रस्तुत की गई है, लेकिन, इस उद्घोषणा में किसी गलती त्रृटि अथवा खामी के लिए अधोहस्ताक्षरी उत्तरदायी नहीं होंगे।

(i) मथुरा रोड, फरीदाबाद, हरियाणा पर प्लॉट सं. 20/06 (दुर्मजिले भवन में रु. 14,50,00,000/- (रुपये रि. 1,45,00,000/- (रुपये एव करोड़ पैंतालीस लाख मात्र) प्लॉट क्षेत्रफल 10808 वर्ग गज तथा 17478 वर्ग फीट बिल्ट अप एरिया) चौदह करोड़ पचास लाख मात्र) (ii) हिसार, तोहाना रोड, ग्राम एवं तहसील तोहाना, जिला फतेहाबाद, हरियाणा पर 🛮 रु. 10,80,00,000/- (रुपये 🛮 रु. 1,08,00,000/- (रुपये एव 66 किमी पर फैक्ट्री तथा भवन (276 कनाल 16 मरला = 34.60 एकड़) करोड अस्सी लाख मात्र) दस करोड अस्सी लाख मात्र) रु. 2,25,00,000/ (रुपये दो रु. 22,50,000/- (रुपये बाईर (iii) हिसार, तोहाना रोड, ग्राम एवं तहसील तोहाना, जिला फतेहाबाद, हरियाणा पर 66 किमी पर न्युकेम लिमिटेड का संयन्त्र तथा मशीनरी (276 कनाल 16 करोड़ पच्चीस लाख मात्र) 7.3 जो इच्छक बोलीदाता रिकवरी अधिकारी-I, डीआरटी-II, दिल्ली के कार्यालय में 10.02.2020 के 5 बजे सायं तक पैन कार्ड, पहचान वे

प्रमाण, निवास के प्रमाण, तथा कम्पनी के मामले में कम्पनी के निदेशक मण्डल द्वारा पारित प्रस्ताव की प्रति अथवा कम्पनी का प्रतिनिधित्व/अटार्न सुनिश्चित करने वाले अन्य दस्तावेज के साथ आरक्षित मूल्य से ऊपर अपना प्रस्ताव जमा करते हैं वे ई-नीलामी में भाग लेने के योग्य होंगे जं 12.02.2020 को 11.00 बजे पूर्वाह्न से 12.00 बजे दोपहर के बीच आयोजित की जाएगी। व्यक्तिगत मामले में, उसकी ओर से या उसवे प्रमुखों की ओर से संविदा की घोषणा भी जमा करनी होगी। बाद वाले मामले में संविदाकार को अपना प्राधिकार जमा करना होगा, चूक व स्थिति में उसकी संविदा अस्वीकार कर दी जायेगी। यदि बोली नीलामी बन्द होने के अंतिम 5 मिनट में रखी जाती है तो अंतिम समय स्वतः

7.4 सम्पत्ति का निरीक्षण 29.01.2020 से 31.01.2020 को 11.00 बजे से 16.00 बजे के बीच किया जा सकता है।

7.5 बोलीदाता रु. 1,00,000/- (रुपए एक लाख मात्र) के गुणक में अपनी बोली में सुधार कर सकते हैं।

7.6 असफल बोलीदाता ई-नीलामी प्रक्रिया समाप्त होने के तत्काल बाद रिकवरी अधिकारी-I, डीआरटी-II, दिल्ली/सीएच अर्थात आईएआरसी प्रा.लि. से प्रत्यक्ष रूप से अपना ईएमडी प्राप्त कर सकते हैं। 7.7 सफल/ उच्चतम बोलीदाता को ईएमडी समायोजित करने के बाद बैंक के अगले कार्यदिवस अर्थात 04.00 बजे अपराहन तक रिकवरी अधिकारी

I, डीआरटी-II, दिल्ली खाता आरसी नं. 11/2017 के पक्ष में संविदा/बिक्री राशि के 25% का डिमांड ड्राफ्ट/ पे आर्डर तैयार करना होगा। 7.8 सफल/उच्चतम बोलीदाता को संपत्ति की नीलामी की तिथि से 15वें दिन, उस दिन को छोड़कर अथवा यदि 15वाँ दिन रविवार या अवकाश होत है तो 15वें दिन के बाद प्रथम कार्यालय दिवस को रिकवरी अधिकारी-I. डीआरटी-II. दिल्ली के समक्ष रजिस्टार डीआरटी-II. दिल्ली के पर में देय रु. 1000/- तक 2% तथा 1000 से अधिक की सकल राशि पर 1% की दर से पाउन्डेज शल्क के साथ रिकवरी अधिकारी-I. डीआरटी-II, दिल्ली खाता ''आर.सी. नं. 11/2017'' के पक्ष में देय डिमांड ड्राफ्ट/पे आर्डर द्वारा शेष 75% बिक्री राशि का भुगतान करना होगा (डाव

द्वारा शेष 75% राशि के भगतान की स्थिति में वह उक्त रूप से रिकवरी अधिकारी के पास पहुंच जाना चाहिए)। 7.9 निर्धारित अवधि में भुगतान में चूक करने पर बिक्री की नई उद्घोषणा जारी करने के बाद संपत्ति की फिर से बिक्री की जाएगी। बिक्री के खर्च के डेफ्रे करने के बाद अधोहस्ताक्षरी यदि उपयुक्त समझते हैं तो जमा की गई राशि सरकार के पक्ष में जब्त कर ली जाएगी तथा चूक करने वाले क्रेता को उस राशि अथवा जिसके लिए बाद में उसकी बिक्री की जाएगी, के प्रति दावे करने के सभी अधिकारों से वंचित कर दिया जाएगा

8. संपत्ति की बिक्री ''जैसा है जहां है आधार''''तथा जो भी वहां है आधार'' पर की जाएगी। 9. सीएच बैंक/सीएचएफआई को यहाँ दिये गये विवरणों की सत्यता को प्रमाणित तथा पुष्ट करने का निर्देश दिया जाता है।

10. अधोहस्ताक्षरी को किसी या सभी बोली को स्वीकार करने अथवा अनुपयुक्त पाते हैं तो अस्वीकार करने अथवा बिना कोई कारण बताए किसी भी समय नीलामी को स्थगित करने का अधिकार प्राप्त है।

सम्पत्ति की अनसची

राजारा यम अपुराचा			
सम्पत्ति का विवरण	सम्पत्ति या उसके	सम्पत्ति पर देय	सम्पत्ति पर देय
	किसी भाग पर गणना	किसी अधिभारों	किसी अधिभारों
	की गई राजस्व	का विवरण	का विवरण
मथुरा रोड, फरीदाबाद, हरियाणा पर प्लॉट सं. 20/06 (दुमंजिले भवन में प्लॉट	ज्ञात नहीं	ज्ञात नहीं	ज्ञात नहीं
क्षेत्रफल 10808 वर्ग गज तथा 17478 वर्ग फीट बिल्ट अप एरिया)			
हिसार, तोहाना रोड, ग्राम एवं तहसील तोहाना, जिला फतेहाबाद, हरियाणा पर 66	ज्ञात नहीं	ज्ञात नहीं	ज्ञात नहीं
किमी पर फैक्ट्री तथा भवन (276 कनाल 16 मरला = 34.60 एकड़)	, .		
हिसार, तोहाना रोड, ग्राम एवं तहसील तोहाना, जिला फतेहाबाद, हरियाणा पर 66	ज्ञात नहीं	ज्ञात नहीं	ज्ञात नहीं
किमी पर न्यूकेम लिमिटेड का संयन्त्र तथा मशीनरी (276 कनाल 16 मरला =			
34.60 एकड़ें)			
	सम्पत्ति का विवरण  मथुरा रोड, फरीदाबाद, हरियाणा पर प्लॉट सं. 20/06 (दुमंजिले भवन में प्लॉट क्षेत्रफल 10808 वर्ग गज तथा 17478 वर्ग फीट बिल्ट अप एरिया) हिसार, तोहाना रोड, ग्राम एवं तहसील तोहाना, जिला फतेहाबाद, हरियाणा पर 66 किमी पर फैक्ट्री तथा भवन (276 कनाल 16 मरला = 34.60 एकड़) हिसार, तोहाना रोड, ग्राम एवं तहसील तोहाना, जिला फतेहाबाद, हरियाणा पर 66 किमी पर न्यूकेम लिमिटेड का संयन्त्र तथा मशीनरी (276 कनाल 16 मरला =	सम्पत्ति का विवरण  सम्पत्ति का विवरण  सम्पत्ति या उसके  किसी भाग पर गणना की गई राजस्व  मथुरा रोड, फरीदाबाद, हरियाणा पर प्लॉट सं. 20/06 (दुमंजिले भवन में प्लॉट क्षेत्रफल 10808 वर्ग गज तथा 17478 वर्ग फीट बिल्ट अप एरिया)  हिसार, तोहाना रोड, ग्राम एवं तहसील तोहाना, जिला फतेहाबाद, हरियाणा पर 66 कात नहीं  किमी पर फैक्ट्री तथा भवन (276 कनाल 16 मरला = 34.60 एकड़)  हिसार, तोहाना रोड, ग्राम एवं तहसील तोहाना, जिला फतेहाबाद, हरियाणा पर 66 कात नहीं  किमी पर न्यूकेम लिमिटेड का संयन्त्र तथा मशीनरी (276 कनाल 16 मरला =	सम्पत्ति का विवरण  सम्पत्ति वा उसके किसी भाग पर गणन की गई राजस्व का विवरण  मथुरा रोड, फरीदाबाद, हरियाणा पर प्लॉट सं. 20/06 (दुमंजिले भवन में प्लॉट क्षेत्रफल 10808 वर्ग गज तथा 17478 वर्ग फीट बिल्ट अप एरिया) हिसार, तोहाना रोड, ग्राम एवं तहसील तोहाना, जिला फतेहाबाद, हरियाणा पर 66 कात नहीं ज्ञात नहीं किमी पर फैक्ट्री तथा भवन (276 कनाल 16 मरला = 34.60 एकड़) हिसार, तोहाना रोड, ग्राम एवं तहसील तोहाना, जिला फतेहाबाद, हरियाणा पर 66 क्ञात नहीं ज्ञात नहीं ज्ञात नहीं किमी पर न्यूकेम लिमिटेड का संयन्त्र तथा मशीनरी (276 कनाल 16 मरला =

मिरे हाथ से तथा मुहर लगाकर 02.01.2020 को दी गई।

ह./- (अविनाश चन्द्रा अतिरिक्त प्रभार, रिकवरी अधिकारी-I, डीआरटी-II, दिल्ले

जमा धरोहर राशि

#### TENNECO फेडरल-मोग्रुल गोएट्जे (इंडिया) लिमिटेड पंजीकृत कार्यालय । डीएलएफ प्राइम टावर, 10 प्राउण्ड फ्लोर, एफ- 79 व 80, **POWERTRAIN** आंखला फेज-1, नई दिल्ली-110020, [CIN]: L74899DL1954PLC002452

टेली./फैक्स: + 91 11 - 49057597

कृते फेडरल-मोगुल गोएटज (इंडिया) लिमिटेड

E mail: investor.grievance@tenneco.com, Website: www.federalmogulgoetzeindia.net अंश प्रमाण-पत्र खोने एवं उनके एवज में दूसरे प्रमाण-पत्र जारी किए जाने के सम्बन्ध में एतददारा सचित किया जाता है कि निम्नतिखित अंश प्रमाण-पत्र खो गये हैं। कहीं गलत जगह रख दिए गये हैं एवं कम्पनी इनके एवजे में हुप्लीकेट शेयर सर्टीफिकेट जारी करना चाहती है बशर्ते कोई वैध आपत्ति पत्र,समस्त सम्बन्धित वैध दस्तावेजों द्वारा समर्थित, कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय में इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 15 दिनों के भीतर प्राप्त न हो।

	असाण पश्चा	से - तक	अशा का सः
श्री एम.पी. पुरी	99931	11678563	50
श्री अनमोल पुरी	8499	2921026-2921075	50
श्री क्रांती प्रकाश पुरी	400018	27155716-27155751	36

हस्ताक्षर/-स्थान : नई दिल्ली (डॉ. खालिद इकबाल खान) तिथि : 13 जनवरी, 2020 पूर्ण-कालिक निदेशक-विधिक एवं कम्पनी सचिव

सम्बन्धित किसी भी प्रकार का लेन-देन न करें।

## पंजाब नैशनल बैंक

#### किद्धा सूचना (अचल सम्पत्ति हेतु)

जबकि, पंजाब नैशनल बैंक की तरफ से प्राधिकृत अधिकारी ने सिक्युरिटाईजेशन एण्ड रिकन्सट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एण्ड इनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में सिक्योरिटी इंटरेस्ट 2002 के साथ 60 दिनों के भीतर नोटिस में निहित रकम की अदायगी हेत् एक डिमांड नोटिस जारी किया था। ऋणी के द्वारा रकम की अदायगी न करने के कारण निम्नलिखित ऋणकर्ता एवं जन साधारण को नोटिस दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रत्येक खाते के समक्ष अंकित तिथि को उक्त नियमों के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप—धारा (4) के तहत प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में अधोलिखित सम्पत्ति का **सांकेतिक कब्जा दिनांक 10, जनवरी, 2020** को ले लिया है। विशेषतः ऋणी एवं जन साधारण को एतद द्वारा सतर्क किया जाता है कि वे संबंधित परिसम्पत्ति की खरीद फरोख्त न करें तथा इन परिसम्पत्ति के किसी भी क्रय विक्रय के लिए यहाँ नीचे खाते के समक्ष रकम उस पर देय ब्याज के लिए पंजाब नेशनल बैंक के प्रभार अधीन होंगे। कर्जदार का ध्यान, प्रत्याभूत आस्तियों को छुड़ाने के लिए, उपलब्ध समय कें संबंध में. अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधान की ओर आकष्ट किया जाता हैं

क0 सं0	शाखा का नाम	खाते का नाम	ऋणकर्ता व गारंटर का नाम और पता	बंधक सम्पत्ति का विवरण	(13/2)मांग नोटिस की तिथि,मांग नोटिस के अनुसार बकाया राशि	सांकेतिक कब्जे की तिथि	प्राधिकृत अधिकारी का नाम
1.	रोड,	श्री पंकज त्यागी पुत्र स्व. जय पाल सिंह	पाल सिंह (ऋणकर्ता) पताः डी –50, शास्त्री नगर मेरठ – 250005 (यूपी) श्री परवेंद्र कुमार त्यागी पुत्र श्री महेश चंद त्यागी (गारंटर)	आवासीय फ्लैट नं, 602, 7 वीं मंजिल, टॉवर ए, गोकुलधाम, गढ़ रोड, मेरठ। (ग्रांड इंफ्राबिल्डटेक प्राइवेट लिमिटेड) कुल भूमि का क्षेत्रफल 125.41 वर्ग मीटर संपत्ति श्री पंकज त्यागी पुत्र स्वर्गीय श्री जय पाल सिंह (ऋणकर्ता) के नाम। सीमायें:-पूर्वः बालकनी इसके बाद खुला आसमान, पश्चिमः आम दीवार इसके बाद फ्लैट नंबर 601, उत्तरः आम रास्ता इसके बाद फ्लैट का दरवाजा दक्षिणः बालकनी इसके बाद खुला आसमान	रु. 16,54,228.50 दिनांक 01.09.2019 से ब्याज व अन्य खर्चे	10.01.2020	श्री राहुल शर्मा 7388984339
	दिनांक	:- 13.01.2020	10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 -	स्थान:– मेरठ	itan di	प्राधिकृतः	अधिकारी

# **अ**

### आतक का दायरा

स दौर में पूरी दुनिया एक व्यापक और जटिल आतंकवाद की समस्या से जूझ रही है, उसमें किसी ऐसे व्यक्ति को आतंकियों के साथी के रूप में गिरफ्तार किया जाता है, जिसे आतंकवादियों से निपटने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, तो यह समझा जा सकता है कि इस समस्या की चुनौती कितनी गहरी है। खासतौर पर भारत ने आतंकवाद की पीड़ा जिस स्तर तक झेली है, वह किसी से छिपा नहीं है। लेकिन आतंकियों का सामना करने के लिए सरकार ने हर स्तर पर चौकसी बरती और यही वजह है कि आज आतंकवादियों के हौसले कमजोर हुए हैं। विडंबना यह है कि देश ने सुरक्षा व्यवस्था के तहत जिन लोगों को आतंकियों का सामना करने के लिए तैनात किया है, उनमें से ही कुछ लोग आतंकवादियों के साथी के तौर पर काम कर रहे थे। हालांकि देश का सुरक्षा तंत्र फिलहाल इतना चौकस है कि इसमें न केवल आतंकियों, बल्कि प्रच्छन्न रूप से उनका साथ देने वाले भी पकड़ में आ जाते हैं। गौरतलब है कि सोमवार को आई एक खबर के मुताबिक दक्षिण कश्मीर के कुलगाम इलाके में खुफिया सूचना मिलने के बाद शुरू किए गए सुरक्षा अभियान के दौरान जम्मू-कश्मीर में तैनात पुलिस उपाधीक्षक रैंक के एक अधिकारी को हिजबुल मुजाहिदीन के दो आतंकवादियों के साथ गिरफ्तार किया गया। तीनों एक ही वाहन में पकड़े गए और आशंका है कि वे किसी आतंकी वारदात को अंजाम देने के मकसद से कहीं जा रहे थे।

इससे ज्यादा अफसोस की बात और क्या होगी कि जिस पुलिस अफसर को पिछले साल श्रेष्ठ सेवाओं के लिए राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया गया था, उसके आतंकवादियों के साथ मिले होने की बात सामने आई। बेशक अभी गहन जांच के बाद स्थितियां और स्पष्ट होंगी कि पकड़ा गया डीएसपी किस स्तर तक इस आरोप में सहभागी था, लेकिन इससे इतना तो साफ हुआ ही है कि जिस तंत्र के बूते हमारे देश में एक बड़ी चुनौती का सामना करने का दावा किया जा रहा है, उसके भीतर भी कई तरह के खतरे मौजूद हैं। यों जांच के दायरे में शायद सामने आया एक और तथ्य हो कि संसद पर हमले के लिए मौत की सजा पा चुके एक आतंकवादी ने अपनी चिट्ठी में इसी अफसर पर मिलीभगत की अंगुली उठाई थी। इसका बस अंदाजा भर लगाया जा सकता है कि एक ओर समूचे देश में आतंकी तत्त्वों से निपटने के लिए एक चौकस तंत्र का गठन किया जा रहा है, संसाधन झोंके जा रहे हैं, दूसरी ओर उसी तंत्र में बैठा कोई व्यक्ति आतंकवादियों का मददगार निकल आता है।

हालांकि यह बेहद अफसोसनाक स्थिति है और देश के सुरक्षा तंत्र में एक बड़ी कोताही का सबूत भी कि उच्च पद पर बैठा पुलिस अधिकारी खुद ही आतंकियों के साथ पकड़ा गया। निश्चित तौर पर यह किसी इक्का-दुक्का पुलिस अफसर के आतंकियों के साथी के तौर पकड़े जाने का मामला है और उम्मीद यही की जानी चाहिए कि सुरक्षा बलों में आज भी इतनी विश्वसीयता कायम है कि वे देश की सुरक्षा जैसे सबसे संवेदनशील मसले पर कोई चूक बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके बावजूद यह समझना मुश्किल है कि इतने समय तक यह अफसर खुद उस महकमे में उच्च पद पर कैसे बना रहा, जिसका काम ही आतंकवादियों का सामना करना और खुफिया सूचनाएं हासिल कर देश के अर्धसैनिक सुरक्षा बलों को प्रेषित करना है। आखिर उसके बारे में खुफिया तंत्र को कोई सूचना कैसे नहीं मिल सकी और कैसे वह इतने समय से ऐसे काम में लगा हुआ था? क्या खुफिया सूचनाएं हासिल करने के इसी स्तर के बूते देश के सुरक्षा बल आतंकवाद से अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं?

## कर्ज माफी का बोझ

सानों की कर्ज माफी अर्थव्यवस्था पर किस कदर भारी पड़ती जा रही है, इसका पता इस तथ्य से चलता है कि पिछले एक दशक में किसानों के करीब पौने पांच लाख करोड़ के कर्ज माफ कर दिए गए। इसमें दो लाख करोड़ रुपए तो पिछले दो साल में माफ किए गए। क्या यह गंभीर चिंता का विषय नहीं होना चाहिए कि एक तरफ तो हम किसानों के कर्ज माफ करते जा रहे हैं, लेकिन किसान की हालत में कोई सुधार नहीं हो रहा है। ऐसे तो कर्ज देने और माफ करने का चक्र कभी टूटने वाला नहीं। किसानों की कर्ज माफी को लेकर एसबीआइ रिसर्च की ताजा चौंकाने वाली है। इसमें साफ कहा गया है कि पिछले एक दशक में जितनी रकम किसानों को कर्ज के रूप में बांट दी गई है, वह देश के उद्योग जगत के फंसे हुए कर्ज यानी एनपीए का बयासी फीसद है। जाहिर है, अगर कुछ समय और किसानों को कर्ज माफी का यह झुनझुना थमाया जाता रहा है तो देश के समक्ष एनपीए का एक और पहाड खडा हो जाएगा।

किसानों की कर्ज माफी को लेकर पहले भी सवाल उठते रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना रहा है कि किसानों की दशा सुधारने के लिए कर्ज माफी कोई स्थायी समाधान नहीं है। इससे न तो किसानों की समस्याएं ही दूर हो पाती हैं, बल्कि सरकारी खजाने पर बोझ और बढ़ता चला जाता है। भारत में यह हमेशा की समस्या रही है कि कर्ज माफी को हमारे राजनीतिक दल और सरकारें किसानों के वोट हासिल करने के हथियार के रूप में इस्तेमाल करते आए हैं। लेकिन किसान की बुनियादी समस्याओं के समाधान की दिशा में कोई कारगर प्रयास शायद ही हुआ हो। इसलिए भारत का किसान खासतौर से छोटे सीमांत किसान आज भी उसी हालत में हैं जो दशकों से चली आ रही है। पिछले दो साल में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, पंजाब, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में किसानों के कर्ज माफ होते रहे। अगर देश के कृषि क्षेत्र के लिए उचित नीतियां बनतीं और लागू होतीं तो आज भारत के करोड़ों किसान दयनीय हालत में नहीं होते और आत्महत्या करने को मजबूर नहीं होते। कृषि कर्जमाफी के आंकड़े बता रहे हैं कि पिछले वित्त वर्ष यानी 2018-19 में कृषि कर्ज का एनपीए एक लाख करोड़ रुपए से निकल गया था, जो इस वक्त देश के सभी वित्तीय संस्थानों के कुल एनपीए 8.79 लाख करोड़ का साढ़े बारह फीसद बैठता है। नतींजे में सिर्फ यही कहा जा सकता है कि किसानों के लिए पैसा तो बहाया जा रहा है, पर वह बेकार जा रहा है।

दो साल पहले नीति आयोग और रिजर्व बैंक तक ने भी किसानों के कर्ज माफ करने को लेकर अपनी असहमति जताई थी। नीति आयोग ने तब साफ कहा था कि कर्ज माफी का फायदा एक सीमित वर्ग जो दस-पंद्रह फीसद से ज्यादा नहीं है, को ही पहुंचता है, इसलिए इसे किसानों की समस्या के हल में रूप में देखना व्यावहारिक नहीं है। रिजर्व बैंक भी किसानों के कर्ज माफ करने के पक्ष में इसलिए नहीं रहा है, क्योंकि बड़े पैमाने पर कृषि कर्ज माफी से सरकारी खजाने पर बोझ तो पड़ता ही है, महंगाई भी बढ़ती है। किसानों की मदद लिए बेहतर रास्ता यह हो सकता है कि उन्हें कर्ज माफी जैसी स्विधा के बजाय खेती की जरूरत का सामान मुहैया कराया जाए। ऐसी दूरगामी योजनाएं बनें जिनसे किसान आर्थिक रूप से स्वावलंबी बन सके और उसे कर्ज की जरूरत ही न पड़े।

#### कल्पमेधा

कला की कीमत नतीजे से नहीं, उसके कलात्मक गुणों से आंकी जाती है।

- गोर्की

# चुनोती बनती मानसिक बीमारियां

मोनिका शर्मा

भारत में तैंतालीस फीसद लोग ही मानसिक बीमारियों के इलाज के लिए अस्पताल जाने की जरूरत महसूस करते हैं। दूरदराज के गांवों–कस्बों में तो ऐसी बीमारी को अंधविश्वास तक से जोड़ दिया जाता है। ऐसे में न केवल मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी चिकित्सकीय सेवाओं की पहुंच बढ़ाने की दरकार है, बल्कि इन व्याधियों के प्रति जन-जागरूकता लाने की की जरूरत है।

स्त में मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं गंभीर रूप लेती जा रही हैं। इस बारे में हाल में लांसेट साइकियाटी में 'इंडिया स्टेट लेवल डिजीज बर्डन इनिशिएटिव' द्वारा किया गया अध्ययन छपा है, जो देश में मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े चिंताजनक हालात सामने रखता है। इस अध्ययन के अनुसार वर्ष 2017 में करीब बीस करोड़ भारतीय मानसिक विकारों से ग्रस्त पाए गए। इनमें हर सात में से एक भारतीय अलग-अलग तरह की मानसिक बीमारी से पीडित निकला। मानसिक रोगों की इस फेहरिस्त में अवसाद, व्यग्रता, सीजोफ्रेनिया, विकास संबंधी बौद्धिक विकृति, आचरण संबंधी विकार और ऑटिज्म जैसी बामरियां शामिल हैं। इनमें अवसाद और व्यग्रता सबसे आम मानसिक विकार हैं। इतना ही नहीं, ये दोनों मानसिक व्याधियां भारत में तेजी से फैल रही हैं। अध्ययन के मुताबिक दो साल पहले तक साढ़े चार करोड़ से ज्यादा लोग अवसाद से ग्रस्त थे। गौरतलब है कि यह अध्ययन मानसिक रोगों के कारण देश पर

बीमारियों के बढ़ते बोझ और हर राज्य में इन समस्याओं के रुख को लेकर सामने आया पहला व्यापक अनुमान है। इसके मुताबिक साल 1990 से साल 2017 के बीच भारत में बीमारियों के कुल बोझ में मानसिक बीमारियों का योगदान बढ़ कर दोगुना हो गया। ऐसे में मन की सेहत बिगड़ने से जुड़ी ऐसी स्थितियां समाज और सरकार दोनों के लिए बेहद चिंतनीय हैं।

दरअसल, बीते कुछ सालों में लोग शारीरिक स्वास्थ्य को लेकर काफी सजग तो हुए हैं, लेकिन मानसिक सेहत संभालने की प्रवृत्ति आज भी नदारद है। इतना ही नहीं, बिगड़ी मनःस्थिति के मर्ज को स्वीकारने में भी संकोच किया जाता है। ऐसे में अपनी हो या किसी अपने की, अवसाद और व्यग्रता को छुपा कर और बड़ी बीमारी बना दिया जाता है। जबिक आज की बदलती जीवनशैली में तनाव और अवसाद घर से लेकर दफ्तर तक जीवन का हिस्सा बन गए हैं। भागमभाग ही कुछ ऐसी है कि बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक, सभी मन की सेहत के मोर्चे

पर पीछे छूट रहे हैं। एक सर्वे से मुताबिक भारत में तियालीस फीसद लोग ही मानसिक बीमारियों के इलाज के लिए अस्पताल जाने की जरूरत महसूस करते हैं। दूरदराज के गांवों-कस्बों में तो ऐसी बीमारी को अंधविश्वास तक से जोड़ दिया जाता है। ऐसे में न केवल मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी चिकित्सकीय सेवाओं की पहुंच बढ़ाने की दरकार है, बल्कि इन व्याधियों के प्रति जन-जागरूकता लाने की की जरूरत है।

असल में देखा जाए तो मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े आंकड़े अब वैश्विक चिंता बन गए हैं। आज दुनियाभर में पैंतालीस करोड़ से भी अधिक लोग मानसिक रोगों से ग्रस्त हैं। हमारे यहां भी एक बड़ी आबादी मानसिक अस्वस्थता से जुझ रही है। कभी विकसित

देशों की समस्या कही जाने वाली ये मानसिक आंकडों को देखें तो साल 2017 में करीब बीस करोड भारतीयों का मानसिक विकारों से ग्रस्त होना देश के लिए एक बडी चिंता का विषय है. क्योंकि यह हमारी कुल आबादी की 14.3 फीसद है। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य सर्वे 2015-16 के आंकड़े बताते हैं कि देश में अठारह साल से अधिक उम्र वाले 5.25 फीसद नौजवान अवसाद के शिकार हैं। यानी हर बीस में से एक व्यक्ति को अवसाद ने घेर रखा है। बच्चों में भी तनाव, व्याकुलता और आत्मविश्वास में कमी जैसी मानसिक समस्याएं तेजी से बढ़ रही हैं। इसके चलते नई पीढ़ी में कम उम्र में ही कई शारीरिक और मानसिक बीमारियां होने का जोखिम भी बढ रहा है।

हाल के वर्षों में भारत में आत्महत्या के आंकड़े भी तेजी से बढ़े हैं। हर उम्र, हर तबके के लोगों में जीवन से हार मान की लेने की प्रवृत्ति देखने को मिल रही है। हालांकि आत्महत्या की प्रवृत्ति दुनिया भर में देखने को मिल रही है, लेकिन हमारे देश के लिए ये एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि किसानों से लेकर शिक्षित युवाओं तक हर वर्ग के लोग जिंदगी से मुंह मोड़ रहे हैं। पिछले कुछ सालों में तो सामूहिक आत्महत्या के मामले भी सामने आए हैं, जिनमें निराशा और असुरक्षा की भावना के चलते पूरे परिवार ने ही आत्मघाती कदम उठा लिया। मन को उद्वेलित करने वाले ऐसे मामलों में घर के बड़े-बुजुर्गों से लेकर बच्चों तक ने एक साथ मौत को गले लगा लिया। अधिकतर मामलों में तनाव और अवसाद ही अहम कारण रहा है, जो व्यावसायिक अफसलता, कर्ज, और सामाजिक-पारिवारिक कलह जैसी वजहों से पनपता है। कछ समय पहले आई विश्व स्वास्थ्य संगठन



व्याधियां अब भारत में भी तेजी से जड़ें जमा रही हैं। की 'प्रिवेंटिंग सुसाइड' नामक रिपोर्ट में भी कहा गया था हुआ है। सामाजिक तानेबाने के टूटने और एकाकी कि दुनिया भर में सबसे अधिक आत्महत्या के मामले भारत में हो रहे हैं। आर्थिक समृद्धि की दौड के बीच गुम अनमोल मानवीय जीवन के अवमूल्यन को सामने रखती इस रिपोर्ट में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने (डब्लूएचओ) आत्महत्या को एक सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के तौर पर रेखांकित किया था। डब्लूएचओ की इस रिपोर्ट में भारत को आत्महत्या के मामले में दुनिया की राजधानी तक कहा गया। ऐसे में मानसिक विकारों के शिकार लोगों की बढ़ती संख्या वाकई चिंतनीय है, क्योंकि इस अध्ययन में आत्महत्या और मानसिक बीमारी के बीच सीधा संबंध पाया गया है। रिपोर्ट के मृताबिक मानसिक रूप से बीमार लोग आत्महत्या के ज्यादा प्रयास करते हैं। मानसिक रूप

से बीमार महिलाएं पुरुषों की तुलना में आत्महत्या के ज्यादा प्रयास करती हैं।

विचारणीय है कि हमारे देश की पारंपरिक जीवनशैली संयमित और सहज जीवन जीने का संदेश लिए हुए है। दिखावे के संस्कृति से दूर, जरूरतों और इच्छाओं में अंतर करने का भाव गहराई से समाहित है। कहना गलत नहीं होगा कि आज की बदलती जीवन शैली के चलते ही अवसाद और व्यग्रता जैसी समस्याएं दस्तक दे रही हैं। मौजूदा जीवनशैली में दो बातें बहुत आम हो चली हैं। एक, सब कुछ पा लेने की की इच्छाएं बढ़ी हैं और दूसरा यह कि हालात से मुकाबला करने की शक्ति कम हुई है। सहिष्णुता और सहनशीलता व्यवहार से नदारद है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के सर्वे में भी यही सामने आया है कि आत्महत्या करने वाले लोगों में अधिकतर पंद्रह से पैंतीस साल के बीच के नौजवान ज्यादा हैं, जिन पर इस आयु में रोजगार पाने और स्वयं

> को साबित कर दिखाने का दवाब होता है। युवाओं का एक बड़ा प्रतिशत ऐसा भी है, जो शिक्षित और सफल तो है, पर अवसाद और अकेलेपन के चलते आत्महत्या जैसे कदम उठा रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत के आईटी हब के तौर पर मशबूर बंगलुरू में आत्महत्या करने वालों की संख्या देश में सबसे अधिक है। यहां अकेलापन और अवसाद जान देने के बड़े कारण हैं। 'इंडिया स्टेट लेवल डिजीज बर्डन इनिशिएटिव' की रिपोर्ट भी बताती है कि नौकरी में अनिश्चितता, वैवाहिक स्थितियां और आर्थिक चिंताओं ने लोगों को अवसाद और तनाव की धकेला है।

> निस्संदेह, मानसिक रुग्णता से जुड़ी व्याधियों के आंकड़े साल दर साल बढ़ रहे हैं। हमारा सामाजिक तानाबाना ही कुछ ऐसा है कि इसमें तनाव और उलझनें कम नहीं हैं। जीवन की आपाधापी में तनावजन्य परिस्थितियों में इजाफा

परिवारों के बढ़ते चलन ने ऐसे रोगियों की संख्या बढ़ा दी है, जो मन से बीमार हैं। बिगडती मनोदशा के कारणों में पारिवारिक समस्याओं का भी अहम स्थान है। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2015-16 के आंकड़े बताते हैं कि भारत की आबादी के करीब चौदह फीसद लोगों को सिक्रय मानसिक स्वास्थ्य हस्तक्षेप की आवश्यकता है। जबिक पहले से ही स्वास्थ्य सेवाओं के जर्जर ढांचे से जुझ रहे हमारे देश में मानसिक रोगियों की समस्याओं का समाधान करने के लिए स्वास्थ्य पेशेवरों की भी भारी कमी है। ऐसे में भारत के बदलते सामाजिक-आर्थिक ढांचे में मनोविकारों से जझ रहे लोगों के बढ़ती तादाद चिंता का विषय है।

## सितारे जमीन पर

अरविंद दास

🔁 मारे देश में सिनेमा महज मनोरंजन का मुख्य स्रोत नहीं है, बल्कि 'पॉपुलर संस्कृति' का हिस्सा भी है। सिनेमा के कलाकारों को सितारों का दर्जा हासिल है। ये सेलिब्रेटी माने जाते हैं। बॉलीवृड से लेकर दक्षिण भारत के सिनेमा के सितारे अपनी इस छवि की बदौलत राजनीति के क्षेत्र में भी उतरे, जिनमें कई सफल रहे और कई नाकाम। जहां एमजी रामचंद्रन, जयललिता आदि काफी सफल रहीं, वहीं अमिताभ बच्चन जैसे अभिनेता असफल रहे। पिछले कुछ समय से रजनीकांत और कमल हासन जैसे अभिनेता राजनीति में हाथ आजमाने की कोशिश कर रहे हैं।

मुख्यधारा की राजनीति में रहते हुए ये सितारे भले ही सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर अपनी राय जाहिर करें, मगर आमतौर पर ये चूप ही रहते हैं। इसका कारण भी स्पष्ट है। सिनेमा एक व्यवसाय है, जिसमें बड़ी पूंजी दांव पर लगी रहती है। साथ ही ये कई कंपनियों के 'ब्रांड एंबेसडर' होते हैं और कई सरकारी विज्ञापनों में भी शामिल होते हैं। ऐसे में राजनीतिक पक्षधरता का खुल कर जाहिर करना कारोबार के लिए जोखिम भरा हो सकता है। पिछले दिनों चर्चित अभिनेत्री दीपिका पादुकोण ने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जाकर विद्यार्थियों से मिली और उनके साथ अपनी कुछ देर की मौजूदगी दर्ज

की। दरअसल, जेएनयू पिछले कुछ महीनों से संघर्ष का परिसर बना हुआ है। जेएनयू में मौजूद दीपिका की तस्वीर सोशल मीडिया में खूब वायरल हुई। इसके बाद यह स्वाभाविक ही था कि कुछ लोगों ने उनकी तारीफ की, वहीं उन्हें 'ट्रोल' भी किया गया। लोगों ने इसे हाल ही में रिलीज हुई 'छपाक' फिल्म के प्रचार से भी जोड़ा।

दरअसल, नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी), जामिया-दुनिया मेरे आगे

जेएनयू में हुई हिंसा के खिलाफ विरोध पूरे देश में विश्वविद्यालयों के परिसर से लेकर सड़कों पर दिखाई पड़ रही है। इसमें बॉलीवुड के कई कलाकार

और निर्देशक भी शामिल हैं। अनुराग कश्यप जैसे कुछ फिल्म निर्देशक तो काफी मुखर हैं। यों फिल्म दुनिया की कुछ हस्तियों ने सीएए का समर्थन भी किया। यों किसी भी आंदोलन में यवाओं-विद्यार्थियों की अग्रणी भूमिका रही है। पिछले दिनों दिल्ली में हो रहे प्रदर्शनों में पुलिस की लाठी से एक पुरुष मित्र को बचाती दो छात्राओं और पुलिस को गुलाब का फूल देती एक छात्रा की तस्वीर काफी वायरल हुई। इस पूरे दौर में हिंसा के खिलाफ छात्र-छात्राओं ने विरोध प्रदर्शन में बढ्-चढ्कर हिस्सा लिया।

आजादी के आंदोलन से लेकर इस दशक की शुरुआत में भ्रष्टाचार के खिलाफ हुए प्रदर्शन आदि में छात्र-छात्राओं और युवाओं ने आगे बढ़ कर भागीदारी की थी। आपातकाल के दौरान किशोर कुमार, देवानंद और मनोज कुमार जैसे कलाकारों ने सरकार के खिलाफ अपना विरोध दर्ज किया था। सत्ताधारी दल के कई नेता और मंत्री आपातकाल के विरोध में हुए आंदोलनों में से ही निकले हैं। हाल ही में दिवंगत हुए राकांपा के नेता और जेएनयू छात्रसंघ के अध्यक्ष रहे देवीप्रसाद त्रिपाठी आपातकाल के दौरान छात्र नेता के

रूप में ही उभरे थे। बहरहाल, कुछ दिन पहले दफ्तर में बैठा खबरों में उलझा

था और नजर टीवी स्क्रीन पर थी कि अचानक अपनी धुन में बांसुरी बजाते एक युवा की आवाज कानों में पड़ी। धून इस गीत की थी- 'थोड़ा सा प्यार हुआ है, थोड़ा है बाकी'। बांसुरी की आवाज में इस फिल्मी गाने में एक कशिश थी। कवि वीरेन डंगवाल के शब्दों में-गोया एक फरियाद है अजान-सी। साहित्य हो या सिनेमा वह सामाजिक यथार्थ के चित्रण के साथ प्रेम और सामाजिक सौहार्द की ही बात करता है।

प्रसंगवश, सड़कों पर निकले जुलूस में 'हर जोर जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है', और 'तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर' जैसे गाने खूब सनाई दिए। इसे हिंदी फिल्मों के चर्चित गीतकार शैलेंद्र ने लिखा है। हालांकि जिस दौर में शैलेंद्र ने इसे लिखा

प्यूरीफायर दिल्ली के लाजपतनगर में लगाया गया है,

जो अपने आसपास 500 से 750 वर्ग मीटर क्षेत्रफल

के छह लाख घनमीटर तक की पीएम 2.5, पीएम 10

पार्टिकल्स वाली प्रदूषित हवा को 75 प्रतिशत तक

साफ करेगा। चूंकि दिल्ली जैसे बड़े महानगर के

लिहाज से यह बहुत छोटा प्यूरीफायर है, इसलिए

सरकार सौरचालित चीनी मेगा प्यूरीफायर की तर्ज पर

बड़े सौर प्यूरीफायर बनाने की सोच

रही है, जो 10 मिलियन क्यूबिक

था, वह दौर अलग था। बॉलीवृड में 'इप्टा' की पृष्ठभूमि से आए निर्देशक-अभिनेता और प्रगतिशील लेखक संघ से जुड़े लेखक-गीतकार काफी सक्रिय थे। इनमें से कई लोगों की राजनीतिक पक्षधरता स्पष्ट थी।

सिनेमा से जुड़े लेखक या सितारे इसी समाज के हिस्से हैं और जाहिर है कि समाज की हलचलों से वे दूर नहीं रह सकते। अगर कुछ युवा सितारे व्यापक महत्त्व के मुद्दों पर अपनी दखल दर्ज कर रहे हैं तो उनकी आवाज को लोकतंत्र की मजबूती के रूप में देखना चाहिए। हॉलीवुड में ऐसे सितारों, फिल्म निर्देशकों की लंबी परंपरा रही है जो राजनीतिक घटनाक्रमों पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते रहे हैं। तीन साल पहले ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित अभिनेत्री मेरिल स्ट्रीप ने गोल्डन ग्लोब पुरस्कार समारोह के दौरान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर जम कर निशाना साधा था और खरी-खोटी सुनाई थी।

असल में लंबे समय से पॉपलर संस्कृति का इस्तेमाल राजनीतिक प्रतिरोध के रूप में होता रहा है। आखिरकार सिनेमा एक सांस्कृतिक उत्पाद है, जो अपने समय के यथार्थ को कलात्मक ढंग से रचता है। पिछले दिनों विद्यार्थियों के प्रदर्शन से प्रेरित होकर सुधीर मिश्रा ने ट्विटर पर लिखा कि वे अपनी पहली फिल्म 'ये वो मंजिल तो नहीं 'का 'रिमेक' बनाएंगे। गौरतलब है कि 1987 में आई यह फिल्म भी छात्र-राजनीति के इर्द-गिर्द थी, जिसे राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था।

## अपारदर्शिता का चंदा

भारत को आजादी हासिल किए सत्तर साल से आधिक हो गए हैं। न केवल भारत के लोग, बल्कि वे लोग भी जिन्होंने देश को आजाद कराया था. उनकी आकांक्षा थी कि इस देश कि राजनीति एक आदर्श की तरह होगी और संविधानसम्मत चलेगी, अपने नागरिकों का उत्तम खयाल रखेगी। इतना ही नहीं, विपक्ष से भी यही उम्मीद थी कि उनकी तरफ से भी विरोध होगा, लेकिन अपनी महत्त्वाकांक्षाओं के लिए नहीं, बल्कि सत्ता पक्ष की गलत दिशा और दशा से यक्त नीतियों पर। लेकिन आज सत्ता पक्ष सोच रहा है कि संसद में हमारा हर तरफ से बहुमत हो, ताकि हम आसानी से मनमाना कानून बना सकें, वहीं विपक्ष को नकारात्मक विरोध से मौका नहीं मिल रहा। किसी भी देश के लिए विपक्ष लोकतंत्र और उसके नागरिकों के लिए तीसरी आंख से कम नहीं होती, क्योंकि सही रास्ता दिखाना और उचित नीतियों के बारे में दिशानिर्देश देना विपक्ष का कर्तव्य होता है।

आज सरकार खुल कर और एक अग्रगामी रूप में अपने नागरिकों के लिए बेहतर और समावेशी विकास की रणनीति इसलिए नहीं ला पा रही है और न इसे अच्छी तरीके से लागु कर पा रही है। राजनीति को आज स्वतंत्र नहीं रहने दिया गया है, क्योंकि सभी पार्टियां तो चंदे देने वाले के इशारे से चलती है। इसका अगर एक उदाहरण देखा जाए तो जैसे एक बड़ी कंपनी जो कीटनाशक का उत्पादन कर रही है और इसका कारोबार भारत में अच्छे से चल रहा है, लेकिन धीरे-धीरे एक लहर आती है कि अब कार्बनिक और जैविक खेती करना होगा, अन्यथा हमारा पर्यावरण और हमारे अपने खुद ही अस्वस्थ होकर काल के मुंह में जाने लगेंगे। अब लोगों ने सोचा कि इस अच्छी पहल पर सरकार भी हमारी बढ़-चढ़ कर मदद करेगी।

लेकिन उनको कहां पता था कि वोट से बढ कर बाद अब देश का पहला बीस फट ऊंचा वाय मुल्य चंदा का होता है। अब अगर सरकार जैविक खेती को बढ़ावा दे तो उधर कीटनाशक कंपनी नाराज हो जाएगी और सरकार पर दबाव बनाएगी। ऐसी स्थिति में सरकार को जनता के सामने कुछ पत्ते खेलना होगा, इधर का मुद्दा उधर, उधर का इधर! इस राजनीतिक चंदे पर विशेष रूप से समीक्षा करके इसको पूर्ण पारदर्शी बनाना होगा। राजनीतिक दलों का पुरा लेन-देन और चुनावी व्यवस्था पारदर्शी होगी, तभी लोकतंत्र जिंदा रह पाएगा।

• कुंदन वर्मा, बहराइच, उत्तर प्रदेश

किसी भी मुद्दे या लेख पर अपनी राय हमें भेजें। हमारा पता है : ए-८, सेक्टर-७, नोएडा २०१३०१, जिला : गौतमबुद्धनगर, उत्तर प्रदेश

आप चाहें तो अपनी बात ईमेल के जरिए भी हम तक पहुंचा सकते हैं। आइडी है : chaupal.jansatta@expressindia.com

#### प्रदूषण के विरुद्ध

'प्रदूषण के उपाय' (संपादकीय, 6 जनवरी) पढ़ा। भारत में दिल्ली और एनसीआर के कई शहर विश्व के सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में अग्रणी हैं। जाड़े की शुरुआत में दिवाली में यहां के शहरों में करोड़ों की संख्या में मुख्य रूप से फुलझड़ियों, चकरी पटाखों और अनार छोड़ने से भयंकर प्रदुषण की वजह से सांस लेना दुभर हो जाता है। आंखों में तेज जलन होने लगती है। पिछले वर्ष सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिवों को तलब करके प्रदूषण नियंत्रण में अब तक उनके द्वारा की ढिलाई के लिए कड़ी फटकार लगाई थी।

मीटर तक की हवा को प्रतिदिन साफ करेगा।

हमें वायु प्रदूषण कम करने के लिए कई स्तरों पर ईमानदारी से प्रयास करने होंगे। मसलन, हमें देश भर में अपने हरेक शहरों में आबादी के अनुसार वायु प्यूरीफायर तो लगाने ही होंगे, उसके साथ हमें विकसित और सभ्य देशों की तर्ज पर कारों, टैक्सियों, मोटर साइकिलों आदि पेट्रोल और डीजलचालित निजी वाहनों का कम से कम प्रयोग करके इनकी जगह विद्युतचालित बसों, ट्रामों, ट्रेनों और मेट्रो आदि का अधिकाधिक प्रयोग करना चाहिए। इसके अलावा, साइकिल के प्रयोग को भी बढ़ावा देना चाहिए। हमें अपने शहरों का पानी भी जल प्यूरीफायर या जल संशोधन संयत्रों से साफ

सप्रीम कोर्ट की कडी फटकार और नसीहत के करके ही अपनी नदियों में डालना चाहिए।

#### निर्मल कुमार शर्मा, गाजियाबाद हिसा का रास्ता

हाल ही में जेएनयू में हुई हिंसक घटना चिंताजनक है। देश में कई शिक्षण संस्थानों में ऐसे हालात देखने को मिल रहे हैं। वे हालात आंदोलन से कम नहीं हैं। इससे पहले दिल्ली की जामिया मिल्लिया में इस तरह का मामला हो चुका है। वहां पुलिस की भूमिका नकारात्मक रूप में देखी गई। इस तरह की घटनाएं बढ़ती ही जा रही हैं। कहीं बदमाशों ने विद्यार्थियों पर गोलियां चलाईं तो कहीं उन पर लाठीचार्ज किया गया। अगर यही स्थिति बनी रही तो लोग बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल या कॉलेज भी नहीं भेजेंगे। अभी भीड में मखौटों की संख्या ज्यादा दिख रही है। वे कहीं छात्रों तो कहीं बेटियों की इज्जत से खिलवाड़ कर रहे हैं।

इस सारे मामले में सरकार मौन दिख रही है। लगता है कि सरकार लोगों की बात को सुनने में हिचकिचा रही है। लेकिन अगर विद्यार्थी अपने भविष्य के लिए सड़क पर उतरे हैं तो सरकार को उनकी बात अवश्य सुननी चाहिए। वे यह लडाई अपने लिए नहीं, बल्कि भविष्य में आने वाले नस्लों के लिए भी लड़ रहे हैं। भारत में आर्थिक स्थिति के साथ लोगों की मानसिक स्थिति भी खराब होती जा रही है। लेकिन सरकार सब पर नजर नहीं डाल रही है। अगर मौजदा असहमति को ठीक से नहीं सुलझाया गया तो आने वाले दिनों में नफरत का दायरा फैल सकता है। और उसके बाद कैसी तस्वीर बनेगी, उसका सिर्फ अंदाजा लगाया जा सकता है। जबिक भारत प्रेम और स्नेह फैलाने वाला देश है। हमारा नाम हिंसा के लिए खराब क्यों हो?

• मो जमील, मधुबनी, बिहार

नई दिल्ली

www.readwhere.com



14 जनवरी, 2020 7



तोक्यो में तोशी मैन मनोरंजन पार्क में आयु दिवस समारोह में जापान की विशिष्ट परंपरागत चोगा 'किमोनो' पहनकर भाग लेती महिलाएं।

जरा हट के

हम ईरान से उन सभी कदमों को वापस लेने की अपील करते हैं जो परमाणु समझौते के अनुरूप नहीं है। -एंजेला मर्केल, जर्मनी की

चांसलर

बोल



विवाद यदि वे (इराक) हमें जाने को कहते हैं, यदि यह मित्रवत रूप से नहीं किया जाता है, तो हम उन पर अब तक के सबसे कड़े प्रतिबंध लगाएंगे।

-डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका

के राष्ट्रपति





## सीमा मुद्दे : डीजीएमओ और चीनी कमांडर के बीच बनेगी हॉटलाइन

राजनयिक पहलू भी

तय हुआ कि सीमा विवादों का

राजनयिक पहलू भी है, इस

कारण भारत-चीन के वास्तविक

नियंत्रण रेखा (एलएसी) पर

बातचीत डीजीएमओ को ही

करना चाहिए। एलएसी पर तनाव

कम करने के लिए शीर्षस्तरीय

बातचीत ही उचित होगी। इसके

अलावा भारत और चीन की

सेनाएं स्थानीय कमान के स्तर

पर तीन और सैन्य हॉटलाइन

स्थापित कर रही हैं। कमान,

ब्रिगेड के अलावा दोनों देश

युनिट स्तर तक संवाद का ढांचा

कर रहे हैं।

जनसत्ता संवाद

रत और चीन के बीच सैन्य मामलों में संवाद के लिए शीर्ष स्तर पर नई हॉटलाइन स्थापित करने की रूपरेखा तैयार कर ली गई है। थलसेनाध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने इस बारे में आधिकारिक ऐलान कर दिया है। हॉटलाइन स्थापित करने के प्रस्ताव में प्रक्रियागत मुद्दों पर दोनों देशों में सहमति बन गई है। इस

आशय का प्रस्ताव लंबे समय से लंबित था। भारतीय सैन्य कार्रवाई महानिदेशालय (डीजीएमओ) और चीनी सेना की वेस्टर्न थिएटर कमान के बीच शीर्ष स्तर पर संवाद का कोई ढांचा नहीं था। दोनों देशों के बीच अधिकतम ब्रिगेडियर स्तर पर संवाद के लिए कई जगह फ्लैग बैठकों या हॉटलाइन का तंत्र विकसित किया गया था। यह पहली मर्तबा है कि डीजीएमओ स्तर पर चीन की फौज से संवाद होगा। भारत और चीन के बीच सीमा विवाद पर वार्ता में इसे अहम कडी माना जा रहा है। अब सीमा विवाद पर बातचीत का एक और

जरिया तैयार हो जाएगा। शीर्ष स्तर पर इस हॉटलाइन के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच वुहान वार्ता में सहमति बनी थी। उसके बाद अगस्त 2018 में चीन के रक्षा मंत्री जनरल वी फेंग भारत आए थे, तब उन्होंने तत्कालीन रक्षामंत्री निर्मला

सीतारमण के साथ बातचीत में प्रस्ताव दिया था कि सीमा पर स्थानीय कमान के स्तर पर दो-तीन नए हॉटलाइन तंत्र विकसित किए जाएं। इस पर तेजी से काम हुआ, क्योंकि सीमा पर कमान में ब्रिगेडियर या लेफ्टिनेंट कर्नल के स्तर पर इस तरह का तंत्र तैयार करने में प्रोटोकॉल

की कोई अडचन नहीं आई।

डीजीएमओं के स्तर पर हॉटलाइन स्थापित करने के प्रस्ताव को लेकर प्रोटोकॉल का सवाल कई दफा उठा। भारत में डीजीएमओ सेना का शीर्षस्तरीय केंद्रीय पद है। जबकि, चीन का कहना था कि उसकी सेना का पश्चिमी थिएटर कमान का प्रमुख ही डीजीएमओ से संवाद रखे, क्योंकि भारतीय सीमा पर चीनी पीएलए की पश्चिमी कमान ही तैनात है। चीन के प्रस्ताव पर भारतीय सेना ने अपनी पूर्वी कमान, उत्तरी कमान

> और मध्य कमान के सैन्य कार्रवाई निदेशकों को समकक्ष मानते हुए वहां हॉटलाइन बनाने की बात कही।

इसको लेकर चीन ने तर्क दिया कि वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) की देखरेख का जिम्मा संभालने वाली उनकी वेस्टर्न थिएटर कमांड के कमांडर को भारत के तीन कमांडरों से अलग-अलग बात करनी होगी। इससे बेहतर है कि भारतीय सेना कोई केंद्रीयकृत विकल्प दे। इसके बाद डीजीएमओ का विकल्प आया। चीन ने एक सुझाव यह भी दिया था कि भारतीय सेना के क्षेत्रीय कमांडर पीएलए की तिब्बत डिवीजन मिलिटी (टीएमडी) के कमांडर से बात करें। लेकिन टीएमडी का प्रमुख (मेजर जनरल) भारतीय कमान के कमांडर

अधिकारी होता है। तैयार करने के एजंडे पर काम इस कारण भारत ने सुझाव दिया कि टीएमडी और सेना के कोर कमांडरों

की रैंक (लेफ्टिनेंट

जनरल) से कम ओहदे का

के बीच संवाद हो। चीन ने तर्क दिया कि टीएमडी के मातहत चार कोर कमांडर काम करते हैं। ऐसे में टीएमडी और कोर कमांडर स्तर पर संवाद की रूपरेखा की जगह फिलहाल केंद्रीयकृत हॉटलाइन पर काम आगे बढाया गया।



## आरओ का पानी हमारे लिए कितना मुफीद

जनसत्ता संवाद

स-पंद्रह सालों से महानगरों सिहत देश के छोटे-छोटे शहरों में आरओ वॉटर प्योरिफायर का प्रयोग बढ़ा है। वहीं नीरी के जल शोधन वैज्ञानिकों ने चेताया है कि पीने के पानी में टीडीएस 500 एमजी से कम होने पर आरओ उपयोगी नहीं है। वहीं आरओ से 70 फीसद पानी की बर्बादी भी होती है। पिछले दिनों संसद में दिल्ली में पीने के पानी को लेकर खूब हो

हल्ला हुआ। कारण कि भारतीय मानक ब्यूरो ने देशभर के 21 शहरों के पानी के नमूनों की जांच के बाद मुंबई का पानी सर्वोत्तम तो दिल्ली का पानी सबसे खराब बताया। यह पहला मौका नहीं है जब दिल्ली में पानी को लेकर बवाल मचा है। दरअसल पिछले साल और उससे पहले भी कई बार राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (एनजीटी) ने केंद्र सरकार से दिल्ली में जिन इलाकों में पानी ज्यादा खारा नहीं है, वहां आरओ के इस्तेमाल पर बैन लगाने की मांग की थी। प्राधिकरण का तर्क है कि आरओ से पानी की बहुत बर्बादी होती है और यह सेहत के लिए मुफीद भी नहीं है। खास बात यह है कि महानगरों में पानी सप्लाई करने वाली एजेंसियां भी इस बात पर जोर देती हैं कि उनका पानी सौ फीसदी शुद्ध है, लेकिन हकीकत यह है कि महानगरों में सबसे ज्यादा आरओ वॉटर प्योरिफायर ही बिक रहे हैं।

भारत में हैंडपंप, कुएं और निदयों के पानी को सीधे पीने की परंपरा रही है। समय के साथ इसमें बदलाव आया और लोगों ने कैंडल वाले फील्टर का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। फिर अचानक न जानें क्या हुआ कि देश में खासकर महानगरों का पानी पीने योग्य नहीं रहा और जानी-मानी कंपनियां पानी में टीडीएस की मात्रा अधिक बताकर भय पैदा करके आरओ यानी रिवर्स ओस्मोसिस प्यरीफायर बेचने लगीं। यह वाटर प्यूरीफायर पानी में टीडीएस के स्तर को संतुलित करता है। शुद्ध पानी बेस्वाद, बेरंग, और बिना गंध का होता है और उसमें गंदगी आसानी से घुल जाती है। टीडीएस का मतलब

नीरी ने कहा जिन जगहों पर पानी में टीडीएस की मात्रा 500 मिलीग्राम प्रति लीटर से कम है वहां घरों में सप्लाई होने वाले नल के पानी को पिया जा सकता है। आरओ से पानी की बहुत बर्बादी होती है।



कुल घुलित ठोस से है। पानी में मिट्टी में उपस्थित खनिज घुले रहते हैं। भुमिगत जल में ये छन जाते हैं। सतह के पानी में खनिज उस मिट्टी में रहते हैं जिस पर पानी का प्रवाह होता है (नदी/ धारा) या जहां पानी ठहरा रहता है (झील / तालाब / जलाशय)। पानी में घुले खनिज को आम तौर पर कुल घुलित ठोस, टीडीएस (टोटल डिजॉल्वड सॉलिड ) यानी घुले हुए ठोंस पदार्थ कहा जाता है। पानी में टीडीएस की मात्रा को मिलीग्राम/लीटर (एमजी/ली) या प्रति मिलियन टुकड़े (पीपीएम) से मापा जा सकता है।

वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआइआर) के वैज्ञानिकों ने बताया है कि आरओ की आवश्यकता सिर्फ उन्हीं जगहों पर है जहां पीने के पानी में टीडीएस की मात्रा 500 मिलीग्राम से अधिक हो। इंडिया वाटर क्वालिटी एसोसिएशन के विशेषज्ञ वीए राजू ने कहा कि पानी की गुणवत्ता को 68 जैविक और अजैविक मापदंड़ों पर परखा जाता है। टीडीएस इन मापदंडों में से सिर्फ एक है। पानी की गुणवत्ता को आर्गेनिक तत्वों में बैक्टीरिया और वायरस भी प्रभावित कर सकते हैं। वहीं इन-आर्गेनिक तत्वों में क्लोराइड, फ्लोराइड, आर्सेनिक, जिंक, कैल्श्यिम, मैग्नीज, सल्फेट, नाइट्रेट जैसे मिनरल्स के साथ पानी में खारापन, पीएच वैल्यू, गंध, स्वाद व रंग जैसे गुण भी शामिल हैं। नागपुर स्थित राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान (नीरी) के वैज्ञानिक डॉ. पवन

लभसेत्वार ने कहा कि जिन जगहों पर पानी में टीडीएस की मात्रा 500 मिलीग्राम प्रति लीटर से कम है वहां घरों में सप्लाई होने वाले नल के पानी को पिया जा सकता है। उन्होंने चेताया कि आरओ का अनावयक उपयोग करने पर शरीर को पानी से मिलने वाले महत्वपूर्ण खनिज नहीं मिलते है क्योंकि वे पानी से अलग हो जाते हैं। वहीं राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण ने केंद्र सरकार को आरओ के बढ़ते उपयोग को लेकर दिशानिर्देश जारी करने और नीति बनाने का सुझाव दिया है। एनजीटी ने पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को ऐसे स्थानों पर आरओ के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने को भी कहा है जहां आरओ की आवश्यकता नहीं है।

दिल्ली हमलों के पीछे भी सुलेमानी

रविवार, 5 जनवरी : अमेरिकी राष्ट्रपति ने दावा किया है कि अमेरिकी ड्रोन हमले में मारे गए ईरान के शीर्ष कमांडर कासिम सुलेमानी की नई दिल्ली और लंदन तक में आतंकवादी षड्यंत्रों को रचने में भूमिका थी।

जवाबी कार्रवाई की तो अमेरिका तैयार : ट्रंप सोमवार, 6 जनवरी : अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी है कि यदि उसने अपने शीर्ष सैन्य कमांडर कासिम सुलेमानी की मौत का बदला लेने के लिए कोई जवाबी कार्रवाई की, तो उस पर अब तक का सबसे जोरदार हमला किया जाएगा।

वहीं ईरानी सेना प्रमुख ने कहा कि अमेरिका में इतना साहस नहीं।

परमाणु समझौते का उल्लंघन न करे ईरान मंगलवार, ७ जनवरी : जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन के नेताओं ने रविवार को ईरान से अपील की कि वह 2015 परमाणु समझौते का उल्लंघन न करे। तेहरान के संवर्धन की सीमा का पालन न करने की घोषणा करने के बाद इन देशों के प्रमुख

नेताओं ने यह अपील की।



प्रिंस हैरी और मेगन मार्कल

सुलेमानी के जनाजे में भगदड़, 50 की मौत

बुधवार, 8 जनवरी : ईरान के शीर्ष सैन्य कमांडर कासिम सुलेमानी के जनाजे की जुलूस में मची भगदड़ में 50 से अधिक लोगों की मौत हो गई और 213 लोग घायल हो गए। बाद में सरकार ने सुलेमानी के दफन कार्यक्रम को टाल दिया। गौरतलब है कि सैन्य कमांडर शुक्रवार को इराक में हुए अमेरिकी डोन हमले में मारे गए थे।

अमेरिकी ठिकानों पर ईरान ने दागीं मिसाइलें

गरुवार. 9 जनवरी : ईरान ने इराक स्थित अमेरिकी सेना और गठबंधन बलों के कम से कम दो ठिकानों पर12 से अधिक बैलिस्टिक मिसाइलें दागीं और कहा कि यह अमेरिका के 'चेहरे पर एक तमाचा' है। ईरान ने इस हमले में 80 आतंकी अमेरिकी सैनिकों के मारे जाने का दावा किया है।

हैरी-मेगन ने राजपरिवार से खुद को अलग किया शुक्रवार, 10 जनवरी : प्रिंस हैरी और उनकी पत्नी मेगन ने बुधवार को ब्रिटिश राजशाही को चौंकाते हुए खुद को राज परिवार से अलग कर लिया। दंपति ने कहा कि वह अब अपना समय उत्तर अमेरिका में व्यतीत करेंगे और प्रेस के साथ लंबे

समय से स्थापित संबंधों को भी वे समाप्त कर रहे हैं। मिसाइल से नहीं गिरा यूक्रेन का विमान'

शनिवार, 11 जनवरी : ईरान के नागरिक उड्डयन प्रमुख अली आबेदजाहेद ने शुक्रवार को कहा कि वह पूरी तरह से 'आश्वस्त' हैं कि इस सप्ताह तेहरान के बाहर दुर्घटनाग्रस्त हुआ यूक्रेन का विमान मिसाइल की चपेट में नहीं आया था।

इंटरनेट पर रोक : अरबों का नुकसान

## जीने के हक जैसे अधिकार के सवाल

दीपक रस्तोगी

टरनेट पर रोक के सरकार के आदेशों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के बाद इस बारे में बहस तेज हो गई है। कश्मीर में जारी पाबंदियों की समीक्षा करते हुए सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की पीठ ने कहा कि यह लोगों का मौलिक अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने 10 जनवरी को अपने फैसले में कहा कि इंटरनेट संविधान के अनुच्छेद-19 के तहत लोगों का मौलिक अधिकार है। यानी यह जीने के हक जैसा ही जरूरी है।

#### क्या है अनुच्छेद 19

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 भारत के नागरिकों के लिए कुछ मौलिक अधिकारों की बात करता है। अनुच्छेद 19 (1) के तहत ये हमारे मौलिक अधिकार हैं : सभी नागरिकों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बिना हथियार किसी जगह शांतिपूर्वक इकट्टा होने, संघ या संगठन बनाने, कहीं भी स्वतंत्र रूप से घूमने, भारत के किसी भी हिस्से में रहने और बसने, कोई भी व्यवसाय- पेशा अपनाने या व्यापार करने का अधिकार। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल 2017 में एक फैसले में कहा था कि इंटरनेट एक्सेस नागरिकों का हक है।

#### इंटरनेट रोकने की कानुनी प्रक्रिया

भारत में इंटरनेट सेवाएं रोकने के लिए अभी दो कानुनी प्रावधान और एक नियमावली है। ये हैं- कोड ऑफ क्रिमिनल प्रासीजर- 1973 (सीआरपीसी), इंडियन टेलिग्राफ एक्ट-1885 और 2017 का टेंपररी सस्पेंशनऑफ टेलिकॉम सविर्सेज (पब्लिक इमरजेंसी या पब्लिक सेफ्टी) रूल्स। इनके आधार पर ही सरकारी एजंसियां भारत के जिलों या राज्यों में इंटरनेट बंद करने का फैसला करती हैं। इसकी पूरी प्रक्रिया है। केंद्र या राज्य के गृह सचिव इंटरनेट पर रोक करने का आदेश देते हैं। यह आदेश एसपी या उससे ऊपर के रैंक के अधिकारी के माध्यम से सेवा प्रदाता को भेजा जाता है।

#### 4.196 घंटे रोक, 92 अरब नुकसान

साल 2019 में सरकार ने कई बार इंटरनेट बंद किया। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा इंटरनेट पर प्रतिबंध लगाने वाला देश

'टेल ऑफ टू सिटीज' : आस्था का युग, अविश्वास का दौर सुप्रीम कोर्ट का फैसला जस्टिस एनवी रमना, जस्टिस सुभाष रेड्डी और

जस्टिस बीआर गवई की पीट ने सुनाया। फैसले से पहले जस्टिस रमना ने फ्रांसिसी क्रांति के बाद 1859 में लिखे गए चार्ल्स डिकेन्स के मशहूर उपन्यास 'टेल ऑफ टू सिटीज' की पंक्तियां पढीं, 'वह सबसे अच्छा वक्त था, वह सबसे खराब दौर भी था। वह अक्लमंदी का दौर था, वह मूर्खता का भी जमाना था। वह आस्था का युग था, वह अविश्वास का भी दौर था। वह रोशनी का मौसम था, वह अंधकार का भी समय था। वह उम्मीदों का बसंत था, लेकिन वहां सर्द निराशा भी थी। हमारे सामने सब कुछ था, लेकिन हमारे पास कुछ भी नहीं था।

रहे थे, लेकिन असल में हम सभी

वह वक्त मौजूदा दौर जैसा था, जब

बात माने जाने पर जोर दे रहा था,

चाहे वह बात अच्छी हो या बुरी।'



कही और जा रहे थे। संक्षेप में कहें तो शोरशराबा करने वाला प्रशासन अपनी



#### सरकार एकतरफा फैसला नहीं कर

सकती। यह सत्ता की ताकत का दुरुपयोग है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में यही बात स्पष्ट की है। –शादान फरासात,

साइबर विशेषज्ञ और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ट वकील



ई-कॉमर्स कंपनियों (एमेजॉन और फ्लिपकार्ट जैसी) ने कारोबार में कम से कम 20 फीसद गिरावट दर्ज की है। डिजिटल भुगतान कंपनियों और बैंकों पर भी बड़ा असर पड़ा है। -अकुर पाहवा,

ई-कॉमर्स और कंज्यूमर इंटरनेट विशेषज्ञ

भारत ही है। इंटरनेटशटडाउंस डॉट इन के मुताबिक, 2012 से लेकर 2019 तक भारत में कुल 379 बार इंटरनेट बंद किया गया है। केवल 2019 में ही 103 बार इंटरनेट को बंद किया गया है। सबसे अधिक प्रतिबंध जम्मू-कश्मीर में 180 बार लगाया गया है। शोध संस्था टॉप10वीपीएस के मुताबिक, इससे भारत को बड़ा आर्थिक नुकसान हुआ है। भारत को करीब 1.3 बिलियन डॉलर यानी करीब 92 अरब 18 करोड़ 75 लाख 50 हजार रुपए का नुकसान हुआ है। केवल कश्मीर में करीब 78 हजार करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है।

### केरल में इंटरनेट मूलभूत अधिकार

केरल ने अब से करीब तीन साल पहले इंटरनेट को लोगों का मुलभूत अधिकार घोषित कर दिया था। मार्च 2017 में ही केरल ने हर नागरिक के लिए भोजन, पानी और शिक्षा की तरह इंटरनेट को भी मूलभूत अधिकार की श्रेणी में रख दिया था। अपने बजट में इस राज्य ने अपने 20 लाख गरीब परिवारों तक इंटरनेट की पहुंच देने के लिए योजना बनाई थी और फंड आवंटित किया था।

#### संयुक्त राष्ट्र और इंटरनेट अधिकार

संयुक्त राष्ट्र ने भी सभी देशों से लोगों के लिए इंटरनेट को मौलिक अधिकार बनाने की सिफारिश की है। कोस्ट रीका, एस्तोनिया, फिनलैंड, फ्रांस, ग्रीस और स्पेन में इंटरनेट को नागरिकों का मूलभूत अधिकार घोषित किया जा चुका है। इन देशों ने अपने संविधान में इसे चिन्हित किया है। भारत और पाकिस्तान के बाद जिन देशों में इंटरनेट बंद किए जाने के सबसे अधिक मामले सामने आए, उनमें इराक (सात बार), यमन (सात बार), इथियोपिया (छह), बांग्लादेश (पांच और रूस (दो) शामिल हैं।

रूस की सरकार एक तरह का समानांतर इंटरनेट बना रही है, जो केवल रूस की सीमाओं में ही उपलब्ध होगा। तब रूस की सरकार का लोगों के इंटरनेट इस्तेमाल करने पर पूरा नियंत्रण होगा। चीन में सरकार या देश विरोधी कंटेंट रोकने के नाम पर कई फिल्टर लगाए गए हैं। चीन ने कई वेबसाइटों पर भी रोक लगा रखी है।



## सिद्धार्थ श्रीवास्तव : सातवीं का छात्र बना डाटा वैज्ञानिक

जनसत्ता संवाद



ज बच्चे नए कीर्तिमान रच रहे हैं। इस कड़ी में हैदराबाद के 12 वर्षीय सिद्धार्थ श्रीवास्तव पिल्लई का नाम भी शामिल

है। सिद्धार्थ को हाल ही में एक सॉफ्टवेयर कंपनी ने डाटा वैज्ञानिक (डाटा साइंटिस्ट) पद के लिए चुना है। सिद्धार्थ

श्रीवास्तव पिल्लई हैदराबाद के श्री चैतन्य टेक्नो स्कूल में कक्षा सातवीं के छात्र हैं। अपने पिता से प्रेरणा लेते हुए उन्होंने कम उम्र में क्लाउड कंप्यूटिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीखा है। सिद्धार्थ को हैदराबाद की

एक सॉफ्टवेयर कंपनी मोंटेजी स्मार्ट बिजनेस

सॉल्यूशन ने अपने यहां डाटा वैज्ञानिक के तौर पर नियुक्त किया है। युवा डाटा वैज्ञानिक ने कहा कि वह बहुत सारे खेल (गेम) खेलते थे, जिससे उन्हें प्रेरणा मिली और जिसके बाद उन्होंने अन्य संभावनाओं के बारे में सोचना शुरू किया। इतनी कम में यहां तक पहुंचने के लिए सिद्धार्थ अपने परिवार के लगातार प्रोत्साहन को श्रेय देते हैं। इस बारे में उन्होंने

कहा, 'मैं 12 साल का हूं और मोंटेजी स्मार्ट बिजनेस सॉल्यूशन कंपनी में डाटा वैज्ञानिक का काम कर रहा हं। सॉफ्टवेयर कंपनी में डाटा साइंटिस्ट बनने के पीछे मेरी सबसे बडी प्रेरणा तन्मय बख्शी हैं। तन्मय बख्शी को कम उम्र में ही गुगल में सॉफ्टवेयर डेवलपर की भूमिका मिल गई थी और वह दुनिया को यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआइ) कितनी अच्छी क्रांति है।' डाटा वैज्ञानिक बनने के लिए सूचना,

प्रौद्योगिकी, कंप्यूटर विज्ञान, गणित, भौतिकी

या अन्य संबंधित क्षेत्र में स्नातक या डेटा या संबंधित क्षेत्र (स्वास्थ्य सेवा, भौतिकी,


व्यवसाय) में मास्टर डिग्री का होना आवश्यक है। पायथन, जावा और सैस जैसी प्रोग्रामिंग भाषाओं का ज्ञान होना भी जरूरी होता है। सिद्धार्थ अपनी इस सफलता के लिए अपने पिता को धन्यवाद देते हैं। वे उन्हें अपना गुरु मानते है। सिद्धार्थ ने बताया कि पिता के लगातार प्रयासों के बदौलत उनकी दिलचस्पी कोडिंग में हुई। उन्होंने कहा, 'मैं अपने पिता का धन्यवाद करता हूं, क्योंकि उन्होंने मुझे तमाम सफल लोगों की जीवनी पढ़ाई और कोडिंग करना सिखाया। उन्होंने मुझे नौकरी दिलाने में मेरी मदद की है। आज

मैं जो कुछ भी हूं, उन्हीं की वजह से हूं।' सिद्धार्थ ने कहा कि मेरे पिता ने मुझे सभी कोर्स खरीदे कर दिए ताकि मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डाटा साइंस

सीख सकुं। भले ही सिद्धार्थ को एक सॉफ्टवेयर कंपनी ने डाटा साइंटिस्ट की नौकरी दी है लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि वे बहुत मेधावी हैं और कक्षा में पहले स्थान पर रहते हैं। इस बारे में उन्होंने कहा कि मैं पढ़ाई में बहुत

अच्छा नहीं हूं और कक्षा में पांचवा स्थान रखता हुं। इसके बावजूद सिद्धार्थ की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीनरी लर्निंग और डाटा पर अच्छी पकड़ है। सिद्धार्थ ने सॉफ्टवेयर कंपनी का यह ऑफर स्वीकार कर लिया है और अब वह स्कूल के साथ ऑफिस भी जाते हैं। सिद्धार्थ हफ्ते के पहले तीन दिन ऑफिस और बाकी

तीन दिन अपने स्कूल जाते हैं। एक साक्षात्कार के दौरान उन्होंने बताया कि वह सात साल की उम्र से सी, जावा और पायथन प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं।





# जेएनयू हिंसा: अदालत ने पुलिस, वाट्सऐप और गूगल से जवाब मांगा

नई दिल्ली, 13 जनवरी (भाषा)।

दिल्ली हाई कोर्ट ने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में पांच जनवरी को हुई हिंसा की घटना से संबंधित सीसीटीवी फुटेज, डेटा और अन्य साक्ष्य सुरक्षित रखने की मांग करने वाली विश्वविद्यालय के तीन प्रोफेसरों की याचिका पर दिल्ली पुलिस, दिल्ली सरकार, वाट्सऐप, ऐपल और गूगल कंपनी से सोमवार को जवाब मांगा। पुलिस ने दिल्ली हाई कोर्ट को बताया कि उसने जेएनयू प्रशासन से हिंसा की सीसीटीवी फुटेज संभाल कर रखने और उसे सौंपने को कहा है। न्यायमूर्ति ब्रृजेश सेठी ने कहा कि इस मामले पर सुनवाई मंगलवार को होगी।

दिल्ली सरकार के स्थायी अधिवक्ता (अपराध) राहुल मेहरा ने हाई कोर्ट को बताया कि हिंसा की सीसीटीवी फुटेज संरक्षित रखने के पुलिस के अनुरोध पर जेएनयू प्रशासन की ओर से अभी तक कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ है। मेहरा ने अदालत को बताया कि पुलिस ने जेएनयू हिंसा के संबंध में वाट्सऐप को भी लिखित अनुरोध भेज दो ग्रुपों का डेटा सुरक्षित रखने को कहा है। इन वाट्सऐप ग्रुप के नाम हैं 'यूनिटी अगेंस्ट लेफ्ट' और 'फ्रेंड्स ऑफ आरएसएस'। इन समूहों के संदेश, तस्वीरें और वीडियो व सदस्यों के फोन नंबर सुरक्षित रखने का अनुरोध किया गया है।

याचिका जेएनयू के प्रोफेसर अमीत परमेश्वरन, अतुल सूद और शुक्ला विनायक सावंत ने दायर की। याचिका में दिल्ली पुलिस आयुक्त और दिल्ली सरकार को आवश्यक दिशा-निर्देश देने की मांग की गई। याचिका में दिल्ली पुलिस को जेएनयू परिसर के सभी सीसीटीवी फुटेज प्राप्त करने का निर्देश देने की भी मांग की गई। पांच जनवरी को नकाबपोश लोगों की भीड़ ने जेएनयू परिसर में घुसकर तीन हॉस्टलों के छात्रों को निशाना बनाया था। उन लोगों के हाथों में लाठियां और लोहे की छड़ें थीं। उन्होंने छात्रों को पीटा और परिसर में तोड़फोड़ की।

इस घटना के सिलसिले में वसंत कुंज (उत्तर) पुलिस थाने में तीन प्राथमिकी दर्ज करवाई गई थी। याचिका में दावा किया गया कि

हिंसा की घटना से संबंधित डेटा, जानकारी, साक्ष्य और सामग्री का वाट्सऐप प्लेटफॉर्म के जरिए आदान-प्रदान हुआ। इस घटना के जिम्मेदार लोगों के पंजीकृत फोन नंबर भी इसमें शामिल हैं। इसका डेटा बैक-अप महत्त्वपूर्ण सबूत है।

इसमें कहा गया कि घटना से संबंधित साक्ष्यों को सुरक्षित रखने के लिए जेएनयू शिक्षक संघ ने पुलिस आयुक्त, वाट्सऐप और गूगल को अनुरोध भेज इस सभी सामग्री को जांच उद्देश्य के लिए सुरक्षित प्राप्त करने का अनुरोध किया है। याचिका में कहा गया कि पुलिस ने इस अनुरोध का कोई जवाब नहीं दिया है। ऐसे में याचिकाकर्ताओं को संदेह है कि अदालत या पुलिस आयुक्त के निर्देश के अभाव में संबद्ध साक्ष्यों को उचित तरीके से सुरक्षित नहीं रखा जाएगा। इसमें यह भी दावा किया गया कि जहां तक याचिकाकर्ताओं को जानकारी है या समाचारों में जो कुछ आया है उससे ऐसा लगता है कि पुलिस ने अब तक सीसीटीवी फुटेज प्राप्त नहीं की है, जो कि बेहद महत्त्वपूर्ण साक्ष्य है।

# अर्थशास्त्री अमित भादुड़ी ने जेएनयू एमेरिटस प्रोफेसरशिप छोड़ी

जनसत्ता संवाददाता नई दिल्ली, 13 जनवरी।

प्रख्यात अर्थशास्त्री अमित भादुड़ी ने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय प्रशासन पर वहां की मौजूदा स्थिति से गलत तरीके से निपटने का आरोप लगाते हुए जेएनयू में 'एमेरिटस प्रोफेसरशिप' छोड़ दी है। जेएनयू के कुलपति को लिखे अपने पत्र में भादुड़ी ने विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा असहमति का गला घोंटे जाने पर दुख प्रकट किया है।

उन्होंने अपने ईमेल में लिखा, 'यह मुझे कष्ट देता है लेकिन मुझे लगता है कि विश्वविद्यालय में अब असहमति का गला घोंटने वाली इस व्यापक, भयावह योजना के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराए बगैर मूकदर्शक बने रहना मेरे लिए अनैतिक होगा।' उन्होंने यह मेल साझा किया है, जिसमें कहा गया है, 'मैं जेएनयू में अपनी 'एमेरिटस प्रोफेसरशिप' छोड़ता हूं।' महत्त्वपूर्ण है कि 'एमेरिटस प्रोफेसरशिप' की उपाधि ऐसे प्रोफेसर को दी जाती है जो सेवानिवृत्त हो गए हैं लेकिन अपने विश्वविद्यालय के सदस्य बने हुए हैं।

भादुड़ी विश्वविद्यालय में एक युवा प्रोफेसर

के रूप में 1973 में नियुक्त हुए थे। उन्होंने 2001 में इसे छोड़ दिया था। उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि जेएनयू में उनके समय में विश्वविद्यालय छात्रों के उचित या अनुतित असंतोष के विभिन्न चरणों से गुजरा और यहां तक कि अस्थायी तौर पर शिक्षण भी बंद रहा। उन्होंने जोर देते हुए कहा, 'अब यह अंतर आ गया है कि न सिर्फ (विश्वविद्यालय प्रशासन के) अधिकारी स्थिति से निपटने में अक्षम हैं, बल्कि बहस व चर्चा के स्वतंत्र और जीवंत माहौल का जानबूझ कर गला घोंटने की कोशिश की जा रही है जबिक इसके (इस माहौल के) लिए जेएनयू देश भर में जाना जाता है।' भादुड़ी ने यह भी आरोप लगाया कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को नष्ट करने की प्रशासन की मौजूदा कोशिश एक व्यापक एवं भयावह योजना के अनुरूप है,

जिसके जेएनयू के कुलपति अहम हिस्सा है। उन्होंने कहा, 'आप अपने प्रशासन के संकीर्ण वैश्विक नजरिए की छाप डालने और छात्रों के विचारों के अन्य सभी मंचों को बंद करने के प्रति कृत संकल्प है।' प्रख्यात अर्थशास्त्री ने यह आशा भी जताई कि इस सम्मान को वापस करने से जेएनयू प्रशासन को एक सही संदेश जाएगा।

युवाओं की आवाज सुने राजग सरकार: राहुल

जनसत्ता ब्यूरो नई दिल्ली, 13 जनवरी।

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने सोमवार को कहा कि अर्थव्यवस्था को दुरुस्त कर युवाओं को रोजगार देने में यह सरकार पूरी तरह विफल साबित हुई है।

यही वजह है कि सरकार अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए जनता को बांटने की कोशिश कर रही है।

पार्लियामेंट एनेक्सी में आयोजित 20 विपक्षी दलों की बैठक के बाद राहुल ने संवाददाताओं से कहा कि कहा कि अर्थव्यवस्था की खराब हालत को देखते हुए देश के युवाओं में एक गुस्सा व डर का माहौल है क्योंकि युवाओं को अपना भविष्य अंधकारमय दिखाई दे रहा है। ऐसे में युवाओं की आवाज को दबाया नहीं जा

सरकार को युवाओं की बात सुननी चाहिए और प्रधानमंत्री को जवाब देना चाहिए कि देश की अर्थव्यवस्था कैसे पटरी पर आएगी।

#### सेना का जवान बर्फ में फिसलकर पाकिस्तान पहुंचा

पेज 1 का बाकी

सूचित किया गया है कि राजेंद्र सिंह नेगी बर्फ में फिसलकर पाकिस्तान सीमा में पहुंच गए और वहां से लापता हो गए।

परिवार के लोगों ने सोमवार को रक्षा मंत्री को पत्र लिखकर उनकी जल्द वापसी की गुहार लगाई। सैन्य अधिकारियों के मुताबिक, नेगी की पत्नी राजेश्वरी देवी से उनकी बातचीत आठ जनवरी को हुई थी।

उसके बाद से परिजन लगातार सैन्य अधिकारियों के संपर्क में हैं। मूल रूप से गढ़वाल के आदिबद्री और देहरादून में अंबीवाला सैनिक कॉलोनी में रहने वाले राजेंद्र सिंह नेगी वर्ष 2002 में 11 गढ़वाल राइफल्स में शामिल हुए थे। वह अक्तूबर में एक माह की छुट्टी बिताने देहरादुन गए थे और नवंबर में लौट गए थे।

#### डीएसपी देविंदर सिंह निलंबित, मामले की जांच एनआइए को

पेज 1 का बाकी

हिजबुल मुजाहिदीन के स्वयंभू जिला कमांडर नवीद बाबा और अल्ताफ को शुक्रवार को अधिकारी के घर ले कर गया था। पुलिस के अनुसार इरफान आतंकी समृहों के लिए काम करता था। उन्होंने बताया कि सिंह शनिवार को इयटी से अनुपस्थित था। पुलिसकर्मियों की एक टीम ने उसी दिन उसे राष्ट्रीय राजमार्ग पर मीर बाजार में अन्य तीन के साथ गिरफ्तार किया था। सिंह ने रविवार से गुरुवार तक छुट्टी के लिए आवेदन किया था। पुलिस ने यहां उसके आवास की तलाशी

ली थी और भारी मात्रा में गोला-बारूद के साथ दो पिस्तौल और एक एके राइफल जब्त की थी। अधिकारियों ने बताया कि सिंह के नाम को पुलिस अधीक्षक के पद पर पदोन्नत करने के लिए मंजुरी दे दी गई थी।

#### 'मुख्यमंत्री एनपीआर प्रक्रिया निलंबित करें'

पेज 1 का बाकी

राज्यों में एनआरसी लागू नहीं करने की घोषणा की थी. उन्हें राष्टीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) की प्रक्रिया को भी निलंबित करने पर विचार करना चाहिए क्योंकि यह एनआरसी का ही पहला चरण है।

विपक्षी दलों ने कहा कि सीएए, एनपीआर और एनआरसी एक पैकेज है, असंवैधानिक है व गरीब, दबे-कुचले लोग, अनुसूचित जाति-जनजाति और भाषायी व धार्मिक अल्पसंख्यक इसके मुख्य निशाने पर हैं। उन्होंने कहा कि हम सीएए को वापस लेने और एनआरसी व एनपीआर पर तत्काल रोक लगाने की मांग करते हैं। अपने राज्यों में एनआरसी को लागू नहीं करने की घोषणा करने वाले सभी मुख्यमंत्रियों को एनपीआर की प्रक्रिया निलंबित करने पर विचार करना चाहिए क्योंकि यह एनआरसी का शुरुआती चरण है। पार्लियामेंट एनेक्सी में हुई बैठक में सीएए के विरोध में हुए प्रदर्शनों व जेएनयू सहित कई विश्वविद्यालय परिसरों में हिंसा के बाद पैदा हुए हालात, आर्थिक मंदी और कई अन्य मुद्दों पर चर्चा की गई।

#### खुदरा मुद्रास्फीति पांच साल के उच्चतम स्तर पर

पेज 1 का बाकी

2.65 फीसद नीचे थी। नवंबर, 2019 में यह 10.01 फीसद पर थी। दालों और उससे जुड़े उत्पादों की मुद्रास्फीति दिसंबर माह में 15.44 फीसद रही जबिक मांस और मछली की मुद्रास्फीति करीब दस फीसद रही। केंद्र सरकार ने रिजर्व बैंक को मुद्रास्फीति को चार फीसद (दो फीसद ऊपर या नीचे) के दायरे में रखने का लक्ष्य दिया है। अब यह केंद्रीय बैंक के लक्ष्य से कहीं अधिक हो गई है।

रिजर्व बैंक की अगली मौद्रिक नीति समिति की बैठक छह फरवरी को होनी है। दिसंबर की बैठक में केंद्रीय बैंक ने मुद्रास्फीति की चिंताओं का हवाला देते हुए नीतिगत दर को पूर्वस्तर पर बरकरार रखा था।

www.readwhere.com

## जामिया में सेमेस्टर परीक्षाएं रह

पेज 1 का बाकी

कही। विद्यार्थी मुख्यद्वार का ताला तोड़कर कार्यालय परिसर में दाखिल हो गए और कुलपित के खिलाफ नारेबाजी की। अख्तर ने विद्यार्थियों को समझाने की कोशिश की जो पीछे हटने को तैयार नहीं थे।

विद्यार्थियों ने विश्वविद्यालय परीक्षाओं की तारीखें नए सिरे से निर्धारित करने और विद्यार्थियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की। इस पर विश्वविद्यालय ने कहा कि विद्यार्थियों की मांग पर कुलपति ने डीन, विभागाध्यक्षों और अन्य अधिकारियों से परामर्श किया और घोषणा की कि अगली सूचना तक चल रहे सेमेस्टर परीक्षाएं रद्द रहेंगी। परीक्षा की नई तारीखें बाद में घोषित की जाएंगी। नाराज विद्यार्थियों ने दावा किया कि हिंसा के बाद उन्हें छात्रावास खाली करने का नोटिस दिया गया. जिससे कलपति ने इनकार किया।

विद्यार्थियों ने कहा कि अगर पुलिस प्राथमिकी दर्ज करने के लिए तैयार नहीं है तो वे शिकायत पर संज्ञान लिए जाने तक मार्च करने के लिए तैयार हैं। बयान में विश्वविद्यालय ने कहा कि प्रशासन छात्राओं की चिंताओं को दूर करने के लिए सभी संभव कदम उठाएगा। बयान में कहा गया कि यह भी फैसला लिया गया है कि प्रशासन 15 दिसंबर 2019 को विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में पुलिस की बर्बरता के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए जल्द ही अदालत जाने की संभावना पर विचार करेगा।

जामिया ने बयान में कहा कि विश्वविद्यालय प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए पहले ही सभी संभव कदम उठा चुका है। उसने जामिया नगर के थानाप्रभारी को शिकायत दी थी और इसकी प्रति दिल्ली पुलिस के आयुक्त और दक्षिण पूर्व दिल्ली के उपायुक्त को भी भेजी थी।

#### जेटली की चुनिंदा रचनाओं का संग्रह जल्द बाजार में

जनसत्ता ब्यूरो नई दिल्ली, 13 जनवरी।

दिवंगत भाजपा नेता अरुण जेटली की चुनिंदा रचनाओं को एक संग्रह के रूप में लाकर तैयार की गई एक नई किताब इस वर्ष फरवरी में बाजार में आएगी। किताब के प्रकाशक जगरनट बुक्स ने यह घोषणा की कि जेटली की किताब 'ए न्यू इंडिया : सेलेक्टेड राइटिंग्स 2014-19' प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के पहले कार्यकाल में फैसलों और नीतियों का एक प्रामाणिक ब्योरा देगी।

### नौकरियों में भारी गिरावट का अनुमान

पेज 1 का बाकी

2018-19 में 89.7 लाख नए रोजगार के अवसर उत्पन्न हुए थे। चाल वित्त वर्ष में इसमें 15.8 लाख की कमी आने का अनुमान है। ईपीएफओ के आंकड़े में मुख्य रूप से कम वेतन वाली नौकरियां शामिल होती हैं जिनमें वेतन की अधिकतम सीमा 15,000 रुपए मासिक है। रिपोर्ट में की गई गणना के अनुसार अप्रैल-अक्टूबर के दौरान शुद्ध रूप से ईपीएफओं के साथ 43.1 लाख नए अंशधारक जुड़े। सालाना आधार पर यह आंकडा 73.9 लाख बैठेगा। हालांकि इन ईपीएफओ में केंद्र और राज्य सरकार की नौकरियों और निजी काम-धंधे में लगे लोगों के आंकडे शामिल नहीं है। 2004 से ये आंकडे राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) के तहत स्थानांतरित कर दिए गए हैं।

# शुल्क का मुद्दा सुलझने के बाद विद्यार्थियों

जनसत्ता ब्यूरो नई दिल्ली, 13 जनवरी।

मानव संसाधन विकास (एचआरडी) मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने सोमवार को कहा कि जेएनयू के शुल्क संबंधित मामले को संस्थान के विद्यार्थियों और शिक्षक संघ के प्रतिनिधियों के साथ कई दौर की चर्चाओं के बाद सुलझा लिया गया है। ऐसे में उनका आंदोलन अनावश्यक है।

निशंक ने आंदोलनकारी जेएनय विद्यार्थियों से मुलाकात के दौरान मामले को देखने का आश्वासन दिया था. जिसके बाद मंत्री के मार्गदर्शन में मंत्रालय ने एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया था। समिति के सदस्यों में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के पूर्व अध्यक्ष वीएस चौहान, एआइसीटीई के अध्यक्ष अनिल सहस्रबुद्धे और यूजीसी के सचिव रजनीश जैन शामिल थे।

इस उच्चस्तरीय समिति ने जेएनय में सामान्य कामकाज को बहाल करने के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन को सभी हितधारकों के

का आंदोलन अनावश्यक : निशंक साथ बातचीत करके समाधान निकालने की सलाह दी थी। उच्चाधिकार समिति की सिफारिशों और विद्यार्थियों व जेएनयू प्रशासन के प्रतिनिधियों के साथ एचआरडी मंत्रालय के सचिव की 10 और 11 दिसंबर को हुई बैठक के आधार पर सहमति बनी थी कि विद्यार्थियों से शीतकालीन सत्र में पंजीकरण के लिए कोई युटिलिटी और सेवा कर नहीं लिया जाएगा। हालांकि, बदले छात्रावास के कमरे का किराया लागु होंगे लेकिन इसमें बीपीएल के विद्यार्थियों को 50 फीसद की छट दी जाएगी। इसके परिणाम स्वरूप जेएनयू ने बैठक में बनी सहमति पर लिए गए फैसलों के बारे में विद्यार्थियों को सुचित कर दिया था। ऐसे में फीस का मुद्दा अब खत्म हो चुका है क्योंकि विद्यार्थियों की प्रमुख मांग मान ली गई है। इसी का परिणाम है कि अब तक पांच हजार से अधिक विद्यार्थियों ने अपना पंजीकरण करा

मंत्रालय और मंत्री निशंक ने समय-समय पर विद्यार्थियों का आह्वान किया है कि वे अपना आंदोलन समाप्त करें।

## जेएनयू शिक्षकों ने कक्षा का बहिष्कार किया

पेज 1 का बाकी

गतिविधियों के लिए अनुकुल नहीं है। शिक्षकों के बहिष्कार के बाद जेएनयू प्रशासन की ओर से शिक्षकों के लिए परामर्श जारी किया गया जिसमें कहा गया कि शिक्षकों का विश्वविद्यालय प्रशासन से असहयोग परिसर के हालात को सामान्य करने में बाधक बनेगा। इतना ही नहीं इसके माध्यम से यह संदेश भी जाएगा कि जेएनय शिक्षक संघ विश्वविद्यालय को सही तरह से कार्य नहीं करने देना चाहता है। वहीं जेएनयू के सभी स्कुलों के डीन ने विद्यार्थियों और शिक्षकों से ऐसी गतिविधियों से दूर रहने की अपील की है जो विश्वविद्यालय के नियमित संचालन में बाधा बनती हो।

एचआरडी मंत्रालय के अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान शिक्षक संघ के पांच सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने कुलपति एम जगदीश कुमार को हटाने की अपनी मांग दोहराई। शिक्षक संघ के अध्यक्ष डीके लोबियाल ने मंत्रालय के अधिकारियों से कहा कि हम परिसर में सुरक्षित महसूस नहीं करते हैं, वहां का माहौल अकादिमक

गतिविधियों के लिए अनुकूल नहीं है। हिंसा के बाद जो विद्यार्थी चले गए, वे

लौटने से डर रहे हैं, ऐसे में कैसे हम अध्यापन बहाल करें। शिक्षक संघ ने फीस वृद्धि और पांच जनवरी को परिसर में हुई हिंसा समेत कई मुद्दों पर अकादिमक विषयों में असहयोग का आह्वान किया है।

सोमवार को विश्वविद्यालय के उत्तरी द्वार पर पुलिस का पहरा था और गंगनाथ मार्ग पर बैरिकेडिंग की थी। लोगों की बिना जांच किए अंदर नहीं आने दिया जा रहा था। बीए अरबी के दूसरे वर्ष के छात्र सौरभ ने बताया कि वह अपने घर से कक्षाओं के लिए वापस लौटे हैं लेकिन यहां कक्षाएं हो नहीं रही हैं।

जेएनयू छात्र संघ के उपाध्यक्ष साकेत मून कहा कि विश्वविद्यालय प्रशासन दिखाने भर के लिए विभिन्न कदम उठा रहा है लेकिन सही अर्थों में वह चाहता ही नहीं है

कि परिसर में हालात सामान्य हों। उन्होंने कहा कि शनिवार को छात्र संघ ने तय किया था कि हम पंजीकरण का पहला कदम पूरा कर लेते हैं लेकिन जब हम पंजीकरण के लिए पोर्टल पर गए तो वहां हम पंजीकरण ही नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रॉक्टोरियल जांच के नाम पर करीब 300 विद्यार्थियों को पंजीकरण से रोका

## दिलीप घोष की सीएए विरोधियों पर विवादास्पद टिप्पणी

पेज 1 का बाकी

एक जनसभा को संबोधित करते हुए दिसंबर में राज्य में नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों पर गोली चलाने तथा लाठीचार्ज का आदेश नहीं देने के लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की आलोचना की।

उन्होंने कहा था, 'दीदी की पुलिस ने उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जिन्होंने सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया क्योंकि वे उनके मतदाता थे। उत्तर प्रदेश, असम और कर्नाटक में हमारी सरकारों ने इन लोगों को कुत्तों की तरह गोली चलाकर मार दिया।' केंद्रीय मंत्री तथा भाजपा नेता बाबुल सृप्रियो ने घोष के बयान को गैरजिम्मेदाराना करार दिया है।

उन्होंने ट्वीट किया, 'पार्टी के नाते भाजपा का उससे कुछ लेना देना नहीं है जो दिलीप घोष ने अपनी कल्पना के अनुरूप कहा होगा। उत्तर प्रदेश और असम में भाजपा सरकारों ने कभी भी लोगों पर गोलियां नहीं चलाईं, कारण जो भी रहा हो। दिलीप दा ने जो कहा, वो बहत गैरजिम्मेदाराना है।' तृणमूल कांग्रेस के नेताओं ने घोष पर हमला करते हुए कहा कि उनकी

टिप्पणी भाजपा की इस सोच को दिखाती है कि उन्हें असहमति बर्दाश्त नहीं है।

तृणमूल कांग्रेस महासचिव और प्रदेश सरकार में मंत्री पार्थ चटर्जी ने कहा, 'सिमिति भाजपा की सोच दिखाती है। यह दिलीप घोष का इकलौता बयान नहीं है। यह भाजपा की सोच और एजंडा है। वे असहमति पसंद नहीं करते।' घोष ने सीएए विरोधी हिंसक प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की गोलीबारी की घटनाओं के लिए उत्तर प्रदेश, असम और कर्नाटक की भाजपा सरकारों का बचाव किया था और कहा था कि उन्होंने सही किया।

भाजपा नेता ने कहा था कि आगजनी और तोड़फोड़ में शामिल लोगों को उत्तर प्रदेश की तरह गोली मार देनी चाहिए। उन्होंने कहा, 'वे यहां आते हैं, सारी सविधाओं का फायदा उठाते हैं और देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं क्या यह उनकी जमींदारी है?' घोष ने मांग की कि हिंदू बंगालियों के हितों को नुकसान पहुंचा रहे लोगों को पहचानना होगा।

घोष के बयान पर माकपा के वरिष्ठ नेता सुजान चक्रवर्ती ने कहा, 'भाजपा दावा कर रही है कि उनकी राज्य सरकारों ने गोली नहीं चलाई। अब सच सामने आ गया है। दिलीप घोष ने हकीकत बयां कर दी है।

#### ड्रोन का 31 तक कराएं पंजीकरण, नहीं तो कार्रवाई

पेज 1 का बाकी

कराने वालों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता और विमान अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। मंत्रालय ने एक नोटिस में कहा, 'सरकार के संज्ञान में ऐसे ड्रोन और उनका संचालन करने वाले आए हैं जो सीएआर (नागर विमानन आवश्यकताएं) का अनुपालन नहीं करते। इसमें कहा गया, 'असैनिक डोनों और डोन संचालकों की पहचान की सुविधा के लिये ऐसे ड्रोनों और ड्रोन संचालकों को एक बार स्वैच्छिक प्रकटीकरण का अवसर दिया जा रहा है...ड्रोन रखने वाले सभी लोगों को 31 जनवरी 2020 तक यह प्रक्रिया (ऑनलाइन पंजीकरण की) पूरी करनी होगी।' ड्रोन पर फिक्की की एक समिति के सह-अध्यक्ष अंकित मेहता ने पिछले साल 22 अक्तूबर को कहा था कि भारत में अवैध ड्रोनों की संख्या 50 से 60 हजार होने की उम्मीद है। ईरान के विशिष्ट अल-कृदुस बल के प्रमुख मेजर जनरल सुलेमानी तीन जनवरी को उस वक्त अमेरिकी सेना के ड्रोन से किए गए मिसाइल हमले में मारे गए थे जब उनका काफिला बगदाद अंतरराष्ट्रीय हवाईड्डे से निकल रहा था। भारत सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि इस हमले ने देश में संचालित हो रहे मानकों का अनुपालन नहीं करने वाले सैकड़ों ड्रोन पर कार्रवाई के लिए सरकार को प्रेरित किया।

### सात बड़ी पार्टियां नहीं हुईं शामिल

पेज 1 का बाकी

समस्याओं को सुलझाने के बदले ध्यान बंटाने के लिए कभी जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाने, सीएए लगाने, एनआरसी लाने और अब एनपीआर लाने जैसे कदम उठा रही है। जब पूरे देश में सरकार के इन फैसलों के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन हो रहे हैं तो भाजपा शासित राज्यों व दिल्ली में पुलिस के दम पर इन आंदोलनों को कुचलने की कोशिश की जा रही है। विपक्षी दलों ने इन विरोध प्रदर्शनों का समर्थन करते हुए संविधान की रक्षा के लिए देश के तमाम लोगों की एकजुटता का आह्वान किया।

पार्लियामेंट एनेक्सी में हुई इस बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, राकांपा प्रमुख शरद पवार, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अहमद पटेल, एके एंटनी, केसी वेणुगोपाल, गुलाम नबी आजाद और रणदीप सुरजेवाला, माकपा के सीताराम येचुरी, भाकपा के डी राजा, झामुमो के नेता व झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, राकांपा के प्रफुल्ल पटेल, राजद के मनोज झा, नेशनल कान्फ्रेंस के हसनैन मसूदी और रालोद के अजित सिंह मौजूद थे। इसके साथ ही आइयूएमएल के पीके कुन्हालीकुट्टी, लोकतांत्रिक जनता दल के शरद यादव, पीडीपी के मीर मोहम्मद फैयाज, जद (एस) के डी कुपेंद्र रेड्डी, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के जीतन राम मांझी, रालोसपा के उपेंद्र कुशवाहां और कई अन्य दलों के नेता भी बैठक में शामिल हुए।

#### देशव्यापी एनआरसी अनावश्यक व औचित्यहीन : नीतीश

पेज 1 का बाकी

(नए प्रावधान जोड़े जाने को लेकर) उठायी जा रही हैं, उन पर वे जल जीवन हरियाली को लेकर आगामी 19 जनवरी को आयोजित की जाने वाली मानव शृंखला के बाद गौर करेंगे। गौरतलब है कि गत चार जनवरी को भाजपा के बिहार मुख्यालय में पत्रकारों को संबोधित करते हुए उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा था कि बिहार में एनपीआर का कार्य 15 मई से 28 मई के 2020 के दौरान जनगणना के प्रथम चरण मकान सूचीकरण और मकान गणना के साथ किया जाएगा।।

## यूपी के 21 जिलों में 32 हजार शरणार्थियों का पता लगा

पेज 1 का बाकी

है कि वे अपने-अपने यहां शरणार्थियों के चिह्नांकन का काम करें। उन्होंने बताया कि अब तक 75 में से 21 जिलों में 32 हजार से ज्यादा शरणार्थियों को चिह्नित किया जा चुका है। हालांकि यह अभी पहली ही सूची है। यह प्रक्रिया पूरे प्रदेश में चल रही है और गृह विभाग से मिली सूचना के मुताबिक अन्य जिलों से भी जल्द रिपोर्ट आएगी।

शर्मा ने बताया कि प्रदेश के सहारनपुर, गोरखपुर, अलीगढ़, रामपुर, प्रतापगढ़, पीलीभीत, लखनऊ, वाराणसी, बहराइच, लखीमपुर, रामपुर, मेरठ और आगरा जिलों में चिह्नित ये शरणार्थी अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से आए हैं। सूत्रों के मुताबिक इनमें से सबसे ज्यादा संख्या पीलीभीत में रह रहे शरणार्थियों की है। हालांकि सरकार ने उनकी असल संख्या जाहिर नहीं की है। इस बीच, एक गैर सरकारी संगठन नागरिक अधिकार मंच ने 116

पन्नों की एक रिपोर्ट तैयार की है। इसका शीर्षक 'उत्तर प्रदेश में आए पाकिस्तान, अफगानिस्तान एवं बांग्लादेश के शरणार्थियों की आपबीती (उनके उत्पीडन की कहानी)'है। हालांकि राज्य सरकार ने इस बात की पुष्टि नहीं की है कि वह

इस रिपोर्ट का संज्ञान लेगी या नहीं। गृह विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि उन्हें नागरिक अधिकार मंच की एक रिपोर्ट मिली है। हालांकि उन्होंने इस बारे में विस्तार से कुछ नहीं बताया। केंद्र सरकार ने पिछले सप्ताह सीएए के सिलसिले में एक गजट अधिसूचना जारी की थी। गृह मंत्रालय ने कहा था कि यह कानून 10

जनवरी से लागू होगा।

# यूपी में पुलिस आयुक्त प्रणाली

पेज 1 का बाकी

महानिदेशक आलोक सिंह नोएडा के पहले पुलिस आयुक्त चुने गए हैं।

गौतम बुद्ध नगर में पुलिस आयुक्त के साथ डीआइजी स्तर के दो अतिरिक्त आयुक्त होंगे। पुलिस अधीक्षक (एसपी) स्तर के पांच अधिकारियों की भी यहां नियुक्ति होगी। कानून व्यवस्था के जानकारों के मृताबिक आयुक्त प्रणाली के लागू होने पुलिस को काम करने की आजादी मिलेगी। साथ ही उसकी जवाबदेही भी बढ़ेगी। वहीं, पुलिस आयुक्त प्रणाली को लाग् करने पर बसपा प्रमुख मायावती ने ट्वीट कर कहा कि, प्रदेश में केवल कुछ जगह पुलिस व्यवस्था बदलने से नहीं बल्कि आपराधिक तत्वों के खिलाफ दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सख्त कानूनी कार्रवाई से ही प्रदेश की कानून व्यवस्था में सुधार आ सकता है।

सोमवार को कैबिनेट की बैठक के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पिछले 50 सालों से कानून व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण और स्मार्ट पुलिसिंग की मांग को राजनैतिक इच्छाशक्ति की कमी के चलते पूरा नहीं किया गया। तय समय में कार्रवाई न हो पाने से न्यायालय हमेशा पुलिस को कठघरे में खड़ा करता था। पुलिस विभाग में सुधार के लिहाज से इस कदम को सरकार ने उठाया है। लखनऊ शहर के तहत पुलिस आयुक्त

व्यवस्था में 40 थाने आएंगे। जिसमें एडीजी स्तर का अधिकारी पुलिस आयुक्त के रूप में काम करेगा। आइजी स्तर के दो संयुक्त पुलिस -आयुक्त, एक अपराध और दूसरा कानून– व्यवस्था की निगरानी के लिए होगा। इसके अलावा एसपी स्तर के नौ अधिकारी तैनात होंगे। महिला विरोधी अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए एसपी स्तर की महिला अधिकारी और एक एएसपी रैंक की महिला अधिकारी की विशेष तैनाती की जा रही है।

गौतम बुद्ध नगर में इस व्यवस्था के तहत दो डीआइजी स्तर के अतिरिक्त पुलिस आयुक्त, पांच एसपी स्तर के अधिकारियों के अलावा महिला विरोधी अपराधों पर अंकुश एवं विवेचना के लिए एक महिला पुलिस अधीक्षक की तैनाती की जाएगी।

यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए अलग से एसपी स्तर का अधिकारी तैनात किया जाएगा। इस प्रणाली के तहत जिले में दो नए थाने बनाए जा रहे हैं। निर्भया फंड के तहत सीसीटीवी कैमरे और यातायात बत्ती आदि की व्यवस्था की जाएगी। इस व्यवस्था के तहत नोएडा व लखनऊ की कानून व्यवस्था व शांति, अपराध नियंत्रण, महिला अपराध नियंत्रण और यातायात प्रबंधन आदि पर प्रत्येक छह महीने पर समीक्षा एवं आयुक्त प्रणाली का मूल्यांकन किया जाएगा।

महाभियोग खारिज करें : ट्रंप

वाशिंगटन, 13 जनवरी । अमेरिकी

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है

कि उनके खिलाफ महाभियोग

मामले को सीनेट को सीधे खारिज

कर देना चाहिए। प्रतिनिधि सभा

ट्रंप के खिलाफ ऐतिहासिक

सुनवाई के लिए आरोपों को सीनेट

भेजने की तैयारी में है। (एपी)

## मुशर्रफ के खिलाफ विशेष अदालत का गठन असंवैधानिक: हाई कोर्ट

## मुशर्रफ को मौत की सजा सुनाई थी विशेष अदालत ने

लाहौर, 13 जनवरी (भाषा)।

लाहौर हाई कोर्ट ने पाकिस्तान के पूर्व सैन्य शासक परवेज मुशर्रफ के खिलाफ देशद्रोह के मामले की सूनवाई करने वाली और उन्हें मौत की सजा सूनाने वाली विशेष अदालत के गठन को सोमवार को असंवैधानिक करार दिया। इस्लामाबाद की विशेष अदालत ने पिछले साल 17 दिसंबर को 74 वर्षीय मुशर्रफ को मौत की सजा सुनाई थी। छह साल तक उनके खिलाफ देशद्रोह के हाई प्रोफाइल मामले की सुनवाई चली थी। यह मामला 2013 में तत्कालीन पाकिस्तान मुसलिम लीग नवाज सरकार ने दायर किया था। डॉन अंखबार की खबर के अनुसार लाहौर हाई कोर्ट ने मुशर्रफ के खिलाफ विशेष अदालत के गठन को असंवैधानिक करार दिया।

न्यायमर्ति सैयद मजहर अली अकबर नकवी. न्यायमूर्ति मोहम्मद अमीर भट्टी और न्यायमूर्ति चौधरी मसूद जहांगीर के पीठ का सोमवार का यह फैसला मुशर्रफ की याचिका पर आया है। मुशर्रफ ने उनके खिलाफ देशद्रोह के मामले की सुनवाई के लिए विशेष अदालत के गठन को चुनौती दी थी। अपनी याचिका में मुशर्रफ ने लाहौर हाई कोर्ट ने विशेष अदालत के फैसले को अवैध, क्षेत्राधिकार से बाहर और असंवैधानिक करार देते हुए उसे खारिज करने की मांग की थी। उन्होंने इस याचिका पर फैसला आने तक

विशेष अदालत के निर्णय को निलंबित रखने की भी

जियो टीवी की खबर है कि लाहौर हाई कोर्ट ने यह भी व्यवस्था दी कि मुशर्रफ के खिलाफ देशद्रोह का मामला कानून के अनुसार तैयार नहीं किया गया। अतिरिक्त अटार्नी जनरल इश्तियाक अहमद खान ने अदालत से कहा था कि संविधान के अनुच्छेद 6 के तहत मुशर्रफ के खिलाफ सुनवाई के लिए विशेष अदालत का गठन तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की सरकार की संघीय कैबिनेट बैठकों के एजेंडे का हिस्सा नहीं था। खान ने अदालत में कहा, 'विशेष अदालत मंत्रिमंडल की औपचारिक मंजूरी के बगैर ही गठित कर दी गई।' उन्होंने कहा कि पूर्व राष्ट्रपति के खिलाफ लगाए गए आरोपों में दम नहीं है क्योंकि कार्यकारी की आपात शक्तियों के तहत मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं। मुशर्रफ ने पाकिस्तान में 1999 से लेकर 2008 तक शासन किया था और अब वह स्वनिर्वासन में दुबई में रहते हैं।

पीएमएलएन सरकार ने नवंबर, 2007 में संविधानेत्तर आपातकाल लगाने को लेकर पूर्व सेना प्रमुख के खिलाफ 2013 में देशद्रोह का मामला दायर किया था। इस आपातकाल के चलते ऊपरी अदालतों के कई न्यायाधीशों को उनके घरों में कैद कर लिया गया था और 100 से अधिक न्यायाधीश बर्खास्त कर

# ईरान में प्रदर्शनकारियों पर

दुबई, 13 जनवरी (एपी)।

ईरानी पुलिस और सुरक्षाबलों ने युक्रेन के विमान को मार गिराने की बात से शुरू में इस्लामिक गणराज्य द्वारा इनकार करने के विरुद्ध जुटे प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए गोलियां चलायीं और आंसू गैस के गोले दागे। इस घटना से संबंधित कथित वीडियो सोमवार को सामने आए।

ईरान की सरकारी मीडिया ने तेहरान के आजादी या फ्रीडम चौक पर रविवार की रात को हुई इस घटना पर फिलहाल कोई खबर नहीं दी है। लेकिन कई अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन पहले ही ईरान से लोगों को देश के संविधान के अनुसार शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने का आह्वान कर चुके हैं। न्यूयार्क के सेंटर फोर ह्यूमन राइट्स इन ईरान के कार्यकारी निदेशक हादी गईम ने कहा, 'बहुत कम समय में कई राष्ट्रीय सदमों के बाद लोगों को सुरक्षित ढंग से शोक मनाने और जवाबदेही की मांग करने देना चाहिए। ईरानियों को शांतिपूर्ण ढंग से एकत्र होने के अपने संवैधानिक अधिकारों का इस्तेमाल करने के लिए अपनी जान दांव पर नहीं लगाना पड़े।' इस सेंटर को भेजे गए और बाद में एपी के सत्यापन से गुजरे वीडियो में आंस् गैस से भाग रहे प्रदर्शनकारियों की भीड़ नजर आ रही है।

एक वीडियो में आंसू गैस के गोले से बचने की कोशिश कर रहे लोग खांस रहे हैं और थूक रहे हैं। उसमें महिला फारसी में कहती हुई नजर आ रही है, 'उन्होंने लोगों पर आंसू गैस के गोले दागे। आजादी स्क्वायर। तानाशाह मुर्दाबाद।' अन्य वीडियो में एक महिला को ले जाया जा रहा है और नीचे जमीन पर खुन के छींटे नजर आ रहा है। वीडियो में नजर आ रहा है कि इस महिला के आसपास लोग चिल्ला रहे हैं कि उसके पैर में गोली मार दी गई। इस वीडियो में व्यक्ति चिल्लाता हुआ नजर आ रहा है, 'उसका खून लगातार बह रहा है।' वीडियो में एक अन्य व्यक्ति यह कहता हुआ नजर आ रहा है, 'पट्टी करो।'' इस घटना के फोटो और वीडियो में सड़कों पर खून दिख रहा है

रविवार को वली-ए-अस्र स्क्वायर, तेहरान विश्वविद्यालय व अन्य महत्त्वपूर्ण स्थानों पर दंगारोधी पुलिस काली वर्दी और हेल्मेट पहन कर पहुंच गए थे। रिवोल्युशनरी गार्ड के सदस्यों ने मोटरसाइकिलों पर शहर में गश्त लगाई। सादे कपड़ों में अन्य सुरक्षाकर्मी भी तैनात थे।

### पाक टैक्सी चालक ने भारतीय लडकी का बटुआ लौटाया

दुबई, 13 जनवरी (भाषा)।

दुबई में एक भारतीय छात्रा का खोयां हुआ बटुआ लौटाने वाले ईमानदार पाकिस्तानी टैक्सी चालक की लड़की के परिवार ने सराहना की है।

गल्फ न्यूज की खबर के मुताबिक केरल की रहने वाली और ब्रिटेन के लैंकेस्टर विश्वविद्यालय में कॉरपोरेट कानून की छात्रा राशेल रोज का यहां चार जनवरी को मुदस्सर खादिम की कैब में बटुआ छूट गया था। वह अपने दोस्त के जन्मदिन की पार्टी में जा रही थी। उसने यहीं से स्नातक की पढ़ाई की है। रोज आठ जनवरी को यहां से मैनेचेस्टर रवाना हो गई थी। उसके बट्ए में उसका ब्रिटिश छात्र वीजा और विभिन्न करेंसी में 19,000 रुपए से अधिक मूल्य की राशि थी। भारतीय परिवार ने मदद के लिए पुलिस से संपर्क किया और सीसीटीवी फुटेज खंगाला गया लेकिन कुछ पता नहीं चल पाया क्योंकि कार नंबर साफ–साफ नजर नहीं आ रहा था। रोज की मां सिधू बिजू ने कहा, 'चूंकि उन्होंने यात्रा शुरू नहीं की थी इसलिए चालक ने मीटर शुरू नहीं किया था। इसलिए सड़क व परिवहन प्राधिकरण कॉल सेंटर से चालक का पता लगाना भी मुश्किल था।' बिजू भी इस यात्रा में अपनी बेटी के साथ थी। वहीं, खादिम ने दो और यात्रा पूरी करने के बाद टैक्सी में बटुआ पड़ा पाया। खादिम ने प्राधिकरण को इसकी जानकारी दी, लेकिन रोज से संपर्क

नहीं हो पाया। उन्होंने बताया कि आखिरकार प्राधिकरण ने ब्योरे का मिलान करने के बाद उन्हें उनका नंबर दिया, जिसके बाद वह उनके घर बटुआ पहुंचाने गये। खादिम ने बताया, 'उन्हें रोज के पिता ने 600 दिरहम दिए लेकिन उसके माता-पिता के बार-बार के आग्रह पर भी स्वीकार करने से इनकार कर दिया और कहा कि रोज उसकी छोटी बहन जैसी है।' भारतीय परिवार ने प्राधिकरण को पत्र लिख कर खादिम की सद्भावना की सराहना की।

www.readwhere.com

#### सात भारतीय हिरासत में लिए गए

कोलंबो, १३ जनवरी (भाषा)।

श्रीलंकाई आव्रजन प्राधिकारियों ने वीजा की अवधि पूरी हो जाने के बाद भी श्रीलंका में कथित रूप से रुकने के मामले में सात भारतीयों को हिरासत में लिया है।

'डेलीमिरर डॉट एलके' ने बताया कि आव्रजन व प्रवास विभाग की जांच शाखा ने वीजा की अवधि समाप्त होने के बाद भी देश में रह कर और राजधानी के निकट स्थित वट्टाला में प्रमुख निर्माण स्थल पर श्रमिकों के तौर पर काम करके वीजा शर्तों का उल्लंघन करने के मामले में सात भारतीयों को पिछले सप्ताह हिरासत में लिया।

#### POLYCAB पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड

(पर्व में 'पॉलीकेब वायर्स लिमिटेड') सीआईएन: L31300DL1996PLC266483 पंजीकृत कार्यालयः ई-554, ग्रेटर कैलाश-2, नई दिल्ली - 110048, भारत फ़ोन नंबर: 011-29228574, वेबसाइट: www.polycab.com ई-मेल: shares@polycab.com

सूचना

सेबी (सूचीबद्धता की बाध्यताएं तथा प्रकटीकरण की अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 47(1)(अ) के साथ पठित विनियम 29(1)(अ) के अनुक्रम में एतद्दवारा सूचित किया जाता है कि कंपनी के 31 दिसंबर 2019 को समाप्त तिमाही और नौ महीनों के अलेखापरीक्षित पृथक्कृत तथा समेकित वित्तीय परिणामों पर विचार करने तथा उन्हें स्वीकृत करने के लिए मंगलवार, 21 जनवरी 2020 को कंपनी के निदेशक मंडल की एक बैठक आयोजित की जाएगी.

यह सूचना कंपनी की वेबसाइट www.polycab.com तथा स्टॉक एक्सचेंजेज की वेबसाइट, जहां इक्विटी शेयर्स सूचीबद्ध हैं अर्थात www.bseindia.com व www.nseindia.com पर भी उपलब्ध है.

कृते पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड (पूर्व में 'पॉलीकेंब वायर्स लिमिटेड)

स्थान: नई दिल्ली दिनांक: 13 जनवरी 2020

सुब्रमण्यम साई नारायण कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी सदस्यता संख्याः एफ5221



#### **DABUR INDIA LIMITED** CIN - L24230DL1975PLC007908

Regd. Office: 8/3, Asaf Ali Road, New Delhi - 110 002 Tel. No. - 011-23253488, Fax No. - 011-23222051 Website - www.dabur.com; e-mail: investors@mail.dabur

NOTICE

lotice is hereby given that the undermentioned share certificates of the Company have been reported to be lost or misplaced.

SL.NO	FOLIO NO.	NAME	CERTIFICATE NOS	SHARES	DISTINCTIVE NOS
1	DIL0901276	Mahesh Kumar Ahluwalia Neelam Ahluwalia	73922 90721	1000 1000	36139291- 36140290 606463305 -606464304
2	DIL0041691	Hasmukh L Shah Premila H Shah	**57489 72423 81842	**100 1000 1000	**28057751-28057850 34599731-34600730 601563999-601564998
3	DIL0070971	Anju Bansal (Deceased) Narender Kumar Bansal	95697	100	892904750-892904849
4	DIL0066691	Saremal B Jain (Deceased)	93736 107004	1000 1000	899124485-899125484 904847529-904848528
5	DIL0901295	Rajesh Sood Hardesh Kumar J L Sood	**58034 73934	**100 1000	**28112251-28112350 36151291-36152290
6	DIL0018877	Hemraj Dalsania	**22877 70086	**100 1000	**24596551-24596650 31909001-31910000
7	DIL0027028	Saryu Sevanti Parikh Sevanti Parikh	**31028 71002 107727	**100 1000	**25411651-25411750 32828001-32829000

Shares of nominal value of Rs.10/- each of Dabur India Limited . Any person who has a claim or lien or interest in the above shares and having any objection to the issue of duplicate share certif cates in lieu of the above, is requested to notify the same to the Company at its Registered Office latest by 27.01.2020, indicating the

2. In case company does not receive any objection within aforesaid period it shall proceed with the issue of new share certificates of the face value of Re.1 each in lieu of the old shares of the face value of Rs.10 or Re.1 each, as the case may be, comprised in the above mentioned lost share certificates without entertaining any claim/damages whatsoever it may be. 3. The submission of documents by the members to the company shall be deemed to be completed on 27.01.2020 being last date of

receipt of objection, if any, by the company on the above shares. for DABUR INDIA LIMITED New Delhi (A K JAIN)

E.V.P. (Finance) & Company Secretary

906346666-906347665

**O**SBI

भारतीय स्टेट बैंक, तनावग्रस्त आस्ति प्रबंधन शाखा-IL, 11वां तल, जवाहर व्यापार भवन, एसटीसी बिल्डिंग, 1 टॉल्स्टॉय मार्ग, जनपथ, नई दिल्ली—11000 ईमेल : sbi.50950@sbi.co.in, फोन : 011-23701209

#### शुद्धिपत्र

दिनांक 12.12.2019 को इस समाचार पत्र में छपे विज्ञापन ई-नीलामी बिक्री सूचना के संदर्भ में आम जनता को सूचित किया जाता है कि बैंक के कर्जदार मैसर्स गोपीश फार्मा लिमिटेड की सम्पत्ति प्लॉट नं. 1455, ब्लॉक-एच डीएसआईआईडीसी, नेरला, नई दिल्ली में स्थित की ई-नीलामी दिनांक 22.01.2020 को होनी थी। हम इस सम्पत्ति की ई-नीलामी को स्थगित करते है। हस्ता /- प्राधिकृत अधिकारी, भारतीय स्टेट बैंक

#### ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स

(भारत सरकार का उपक्रम) आईएमएस, लाल कुँआ, बी एस गाजियाबाद—201009 फोन नं. 2866494, 2866495 ई—मेलः bm5146@obc.co.in नियम - 8 (1) अधिग्रहण सूचना (अचल सम्पत्ति हेतू)

जबकि अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय आस्तियों का प्रतिभृतिकरण और पुनर्गठन एंव प्रतिभृति हित प्रवर्तन ऐक्ट 2002 के तहत ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स का प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते तथा प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कर्जदारों / गारंटरों को निम्नलिखित दिनांकों को डिमांड नोटिस जारी किया था, जिसमें उक्त सूचना की तिथि से 60 दिनों के अन्दर भूगतान करने को कहा गया था।

उधारकर्ताओं / गारंटरों उक्त राशि का भुगतान करने में असफल हो गये हैं इसलिये एतदद्वारा उधारकर्ता तथा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि अद्योहस्ताक्षरी ने इसमें नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा, उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (4), उक्त नियमों के नियम 8 के साथ पठित के अधीन उन्हें प्रदत्त शक्तियों के इस्तेमाल के अन्तगर्त निम्नलिखित दिनांकों को कब्जा ले लिया है।

उधारकर्ताओं को विशेष रूप से और सर्वसाधारण को सामान्य रूप से चेतावनी दी जाती है कि वे निम्न सम्पत्तियों के साथ लेन—देन न करें तथा सम्पत्ति के साथ कोई भी लेन-देन ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स, के प्रभार वास्ते बकाया राशि के अधीन होगा।

उधारकर्ताओं का ध्यान एक्ट की धारा 13 की उप धारा (8), के प्रावधानों के अंतर्गत सुरक्षित परिसंपत्तियों के मुक्त करने हेतू उपलब्ध समय सीमा

की ओर आकर्षित किया	जाता है। अचल सम्पत्तियों का विवरण			
		मांग सूचना की तारीख	बकाया राशि (रू. में	
कर्जदार का नाम	सम्पत्तियों का विवरण	कब्जा की तारीख	मांग सूचना के अनुर	
	सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि रिहायुशी सम्पत्ति मकान	01-10-2019	₹9,82,016.49	
गाजियाबाद	नं. 5/65 सी (ईंडब्ल्यूएस) तृतीय तल, सैक्टर–5, वैशाली गाजियाबाद में स्थित, सब रजिस्ट्रार -IV गाजियाबाद, जिला		दिनांक 01.10.2019 र	
	गाजियाबाद, यू.पी में पंजीकृत, यह सम्पत्ति श्री पंकज सिंह के नाम पर है। चौहद्दी: पूरब में – 20फीट चौडा रोड, पश्चिम में – मकान नं. 5/80सी, उत्तर में – मकान नं. 5/64सी, दक्षिण में – मकान नं.		होने वाला ब्याज एवं अन्य प्रभार	

देनांक 10-01-2020, स्थान : गाजियाबाद

प्राधिकृत अधिकारी, ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स

#### FORM A PUBLIC ANNOUNCEMENT [Regulation 14 of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Voluntary Liquidation Process) Regulations, 2017]

FOR THE ATTENTION OF THE STAKEHOLDERS OF STERLING FINCAP PRIVATE LIMITED NAME OF CORPORATE PERSON STERLING FINCAP PRIVATE LIMITED DATE OF INCORPORATION OF CORPORATE April 04, 1988 PERSON AUTHORITY UNDER WHICH CORPORATE Registrar of Companies, NCT of Delhi & Haryana PERSON IS INCORPORATED/ REGISTERED CORPORATE IDENTITY NUMBER U74899DL1988PTC031175 Unit No. 515, DLF Tower-A, Jasola District ADDRESS OF THE REGISTERED OFFICE

OF CORPORATE PERSON Centre, New Delhi-110025 LIQUIDATION COMMENCEMENT DATE OF Monday, January 13, 2020 CORPORATE PERSON NAME, ADDRESS, EMAIL ADDRESS, Mr. Rajeev Bhambri TELEPHONE NUMBER AND THE IBBI Registration No.: IBBI/IPA-002/IP-REGISTRATION NUMBER OF THE N00152/2017-18/10399

LIQUIDATOR Address: SCO 9, 2nd Floor, Jandu Towers, Miller Ganj Ludhiana - 141003, Punjab Mail id: rajeev.bhambri@gmail.com Phone no.: +91-9915710010 LAST DATE FOR SUBMISSION OF CLAIMS February 12, 2020

Notice is hereby given that the Sterling Fincap Private Limited has commenced voluntary liquidation on Monday, The stakeholders of Sterling Fincap Private Limited are hereby called upon to submit a proof of their claims, on

or before February 12, 2020, to the liquidator at the address mentioned against item 7. The financial creditors shall submit their proof of claims by electronic means only. All other stakeholders may submit the proof of claims in person, by post or by electronic means.

Submission of false or misleading proofs of claim shall attract penalties.

Date: 13-01-2020 Place: New Delhi

Rajeev Bhambri (Voluntary Liquidator)



#### ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स (भारत सरकार का उपक्रम)

समाधान वसूली व विधि विभाग, फरीदाबाद नीलम चौक एनआईटी, फरीदाबाद-121002 (हरियाणा) फोन: 0129-2415525, ई-मेल: rrl\_7622@obc.co.in नियम 8(1) अधिग्रहण सूचना (अचल सम्पत्ति हेत्)

जबकि अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय आस्तियों का प्रतिभृतिकरण और पुनर्गठन एंव प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के तहत ओरियन्टल बैंक

ऑफ कॉमर्स का प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते तथा प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कर्जदारों को निम्नलिखित दिनांकों को मांग नोटिस जारी किया था, जिसमें मांग नोटिस में लिखित बकाया राशि उक्त नोटिस की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के अन्दर भुगतान करने को कहा गया था। उधारकर्ता उक्त राशि का भूगतान करने में असफल हो गये हैं इसलिये एतदद्वारा उधारकर्ता तथा सर्वसाधारण को सुचित किया जाता है कि

अधोहस्ताक्षरी ने इसमें नीचे वर्णित सम्पत्तियों का कब्जा, उक्त अधिनियम की धारा 13 (4), उक्त नियमों के नियम 8 के साथ पठित के अधीन उन्हें प्रदत्त शक्तियों के इस्तेमाल के अन्तगर्त **निम्नलिखित दिनांकों को ले लिया है।** उधारकर्ताओं को विशेष रूप से और सर्वसाधारण को सामान्य रूप से चेतावनी दी जाती है कि वे निम्न सम्पत्तियों के साथ लेन—देन न करें तथा सम्पत्ति के साथ कोई भी लेन—देन **ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स**, के प्रभार वास्ते बकाया राशि के अधीन होगा।

उधारकर्ताओं का ध्यान एक्ट की धारा 13 की उप धारा (8), के प्रावधानों के अंतर्गत सुरक्षित परिसंपत्तियों के मुक्त करने हेतु उपलब्ध समय सीमा

अचल सम्पत्ति का विवरण

माँग सूचना की तारीख अचल सम्पत्तियों का विवरण

No.	(4701414)	बकाया राशि (रू. में)	STACE VEHICLE AND TAKES			
1	श्रीमती	05-11-2019	सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि साम्यिक बंधक रिहायशी सम्पत्ति मकान न			
220	हेमा शर्मा	10-01-2020	एमसीएफ-बी-184, वार्ड नं. 2, खसरा / रैक्ट नं. 30/16/1(2-15), रैक्ट नं. 31, किला नं.			
	और श्री राम कुमार	रु. 23,63,499.00 विनांक 31.12.2019 तक और हाउसिंग लोन में होने वाला ब्याज	20(8—0), जोकि मौज़ा डबुआ, एनआईटी फरीदाबाद, तहसील और जिला फरीदाबाद में स्थित, क्षेत्रफल 100.00 वर्ग गज, यह सम्पत्ति श्रीमती हेमा शर्मा पत्नी राम कुमार के नाम पर सब रजिस्ट्रार फरीदाबाद जिला फरीदाबाद में पंजीकृत, चौहदी: उत्तर में — 15फीट रास्ता, पूरब में — मकान नं. बी—183, दक्षिण में — मकान नं. बी / 184 का अन्य भाग, पश्चिम में — मकान नं. बी—185			
2	श्री विपिन	06-11-2019	सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि साम्यिक बंधक सम्पत्ति दुकान नं. 7, बेसर			
	दलाल	10-01-2020	बिना छत के अधिकार के, खसरा नं. 62/1 का शेष हिस्सा, नाथू कॉलोनी / चावला			
	पुत्र श्री राम सिंह दलाल	रु. 13,26,412.00 दिनांक 31.12.2019 तक और हाउसिंग लोन में	कॉलोनी, अग्रवाल धर्मशाला के समाने, मौजा बल्लभगढ़, तहसील बल्लभगढ़, जिला फरीदाबाद में स्थित, क्षेत्रफल 28 वर्ग गज, यह सम्पत्ति श्री विपिन पुत्र श्री राम सिंह के नाम पर सब रजिस्ट्रार बल्लभगढ़ जिला फरीदाबाद में पंजीकृत, चौहरी : उत्तर में — अन्य की			

दिनांक : 10-01-2020, स्थान : फरीदाबाद (हरियाणा) प्राधिकृत अधिकारी, ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स

#### **EDUCOMP SOLUTIONS LIMITED**

CIN No:- L74999DL1994PLC061353 Regd. Office: 1211, Padma Tower I, Rajendra Place, New Delhi-110008 Phone: 91-11-3912 5000. Fax No: 91-11-3912 6117 Website: www.educomp.com, E-mail: investor.services@educomp.com

Statement of Standalone and Consolidated Audited Results for the Quarter and Year Ended March 31, 2017 (Rs. in lacs)

		X.	Stand	alone		Consoli	dated
	Particulars	Quarter Ended 31.03.2017 (Unaudited)	Quarter Ended 31.03.2016 (Unaudited)	Year Ended 31.03.2017 (Audited)	Year Ended 31.03.2016 (Audited)	Year Ended 31.03.2017 (Audited)	Year Ended 31.03.2016 (Audited)
1	Total Income From Operations (Net)	4,808.40	4,943.51	17,747.68	18,633.89	29,241.60	49,470.90
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and /or Extraordinary Items)	(7,660.82)	(8,488.51)	(32,377.37)	(31,055.17)	(40,255.70)	(55,838.50)
3	Net Profit / (Loss) for the period before Tax (after Exceptional and /or Extraordinary Items)	(25,037.71)	(8,488.51)	(47,555.95)	(32,346.26)	(78,052.30)	(63,952.80)
4	Net Profit / (Loss) for the period after Tax (after Exceptional and /or Extraordinary Items and Minority Interest and Share of Profit/ (Loss) of Associates)	(25,037,71)	(8,488.51)	(47,555.95)	(30,437.18)	(78,166.50)	(62,557.30)
5	Equity Share Capital (Paid up)	2,449.34	2,449.34	2,449.34	2,449.34	2,449.34	2,449.34
6	Reserves (Excluding Revaluation Reserve as shown in the Balance Sheet of Previous Year)			(35,447.70)	8,432.00	14,020.90	44,194.30
7	Earnings Per Share (Before Extraordinary Items) (of Rs 10/- each, fully paid up) a. Basic EPS (Rs) b. Diluted EPS (Rs)	(20.33) (20.33)	(6.92) (6.92)	(38.83) (38.83)	(24.85) (24.85)	(27.38) (27.38)	(45.60) (45.60)
8	Earnings Per Share (After Extraordinary Items) (of Rs 10/- each, fully paid up) a. Basic EPS (Rs) b. Diluted EPS (Rs)	(20.33) (20.33)	(6.92) (6.92)	(38.83) (38.83)	(24.85) (24.85)	(27.38) (27.38)	(45.60) (45.60)

Place: Delhi

Date: 13.01.2020

The above is an extract of the detailed format of Quarterly / Annual Financial Results filed with Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly / Annual Financial Results is available on the Company's website www.educomp.com and Stock Exchanges' website www.nseindia.com and Pursuant to an application for Corporate Insolvency Resolution Process ("CIRP") under Section 10 of the Insolvency and Bankruptcy

Code, 2016 ("the Code") on May 12, 2017, Hon'ble National Company Law Tribunal, Delhi ("Adjudicating Authority"), vide its order dated 30th May 2017, had ordered the commencement of CIRP in respect of the Company under the provisions of Code. Thereafter, in accordance with Section 17 of the Code, the powers of the Board stood suspended and Dr. Sanjeev Aggarwal was appointed as interim resolution professional of the Company. The IRP carried out his duties from May 30, 2017 till Mr. Mahender Khandelwal was appointed as Resolution Professional ("RP") vide the order of NCLT dated September 12, 2017 and took over the management of the affairs of the Company. Hence, the attached financial results are not approved by the Audit Committee and Board of Directors of the Company. These financial results are prepared and initialed by RP in order to meet the compliance.

> For Educomp Solutions Limited (Under CIRP)

> > Mahender Khandelwal

Resolution Professional

सार्वजनिक सूचना

मैसर्स इरकॉन इन्टरनेशन लिमिटेड, सी-4 डिस्ट्रिक्ट सेंटर, साकेत, नई दिल्ली – 110017 सूचित करता है कि पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने सफदरजंग रेलवे स्टेशन न्यू मोती बाग-1, नई दिल्ली के पुनर्विकास हेत् पर्यावरण अनुमति प्रदान कर दी है अनुमति पत्र की प्रतिलिपि (प्रस्ताव संख्या आईए / डीएल / एमआईएस / 120657 / 2019 दिनांक 07 नवंबर, 2019) एमओईएफ

उपलब्ध है ।

COURT NOTICE In the court of Ms. Rajbinder Kau JMIC bathinda Next date, purpose of case, orders and

judgments as well as other Case information is available on http://ecourts.gov.in CNR NO: PBBT13-003747-2015 NEXT DATE: 17-02-2020

Jagiit Singh @ Jojo V/s Rajesh Mohan Baunthyiyal Publication Issued To: Rajesh Mohan Father:- Madan Mohan Bauthyiyal R/o H.No.53-c Ashok Nagar, Roorki. In above titled case, the accused could not be served. It is ordered that accused Should appear in person or through counsel on 17-02-2020 at 10.00 a.m. एवं सीसी, नई दिल्ली की वेबसाइट पर Dated, this day of 08-01-2020For details logon to ps://highcourtchd.gov.in/?trs=district\_no

#### **Subros Limited**

Regd. Office: LGF, World Trade Centre, Barakhamba Lane, New Delhi-110 001 Tel. 011-23414946-49, Fax No. 011-23414945, CIN No. L74899DL1985PLC020134 E-mail: rakesh.arora@subros.com Website: www.subros.com NOTICE

Notice is hereby given pursuant to Regulation 29, 47 and other applicable regulations of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, that a meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Tuesday, 28th January, 2020, inter-alia, to consider and approve the unaudited financial results for

the quarter ended 31st December 2019. The details of the said meeting are also available on the website of the Company www.subros.com and on the website of the Stock Exchange(s) www.nseindia.com and www.bseindia.com

Place : New Delhi Date: 13.01.2020

Rakesh Arora Company Secretary

बेंक ऑफ महाराष्ट्र Bank of Maharashtra

दिल्ली अंचल कार्यालयः 15, एन बी सी सी टॉवर, तृतीय तल भिकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली- 110066 होन: 011-26164817/26197769, फैक्स: 011-26171554 ई-मेल: legal\_del@mahabank.co.in कब्जे की सूचना (अचल संपत्ति के लिये)

प्रतः (Whereas) अधोहस्ताक्षरकर्त्ता ने बैंक ऑफ महाराष्ट्र का प्राधिकृत अधिकारी होते हुये वेत्तीय आस्तियों का प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13 की उपधारा (12) के संपठित नियम 3 के अन्तर्गत प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम, के अनुसार प्रदत्त शक्तियों का अनुप्रयोग करते हुए एक मांग सूचना पत्र दिनांक 02.11.2019 को जारी किया, जिसमें 1. श्री सुनिल गर्ग पुत्र श्री राजकुमार गर्ग (ऋणी), 2. श्रीमती मनीषा गुप्ता पत्नी श्री सुनिल गर्ग एवं ३. श्री संजय गर्ग पुत्र श्री वेद प्रकाश गर्ग को रूपये **17,29,208/- + दिनांक** 02.11.2019 से 8.75 प्रतिशत की दर से अप्रयुक्त न्याज (हाऊसिंग लोन खाता नं. 60125702955 हेतु) तथा रूपये **11,68,506/- + दिनांक** 02.11.2019 से अनुबंध की दर से अप्रयुक्त ब्याज (कैंश क्रेडिट खाता नं. 60235984284 एवं डब्ल्यूसी टर्म

ऋणी एवं जमानतदारों द्वारा राशि का भूगतान करने में असफल रहने पर, ऋणी एवं जमानतदारों और आमजन को यह नोटिस दिया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभृति हित प्रवर्तन नियम 2002 की धारा 13 की उपधारा (4) के सपठित नियम 8 के तहत उसे प्रदान की गई शक्तियों के प्रयोग में नीचे वर्णित संपत्ति को **दिनांक 08 जनवरी 2020** को सांकेतिक कब्जे में ले लिया है। ऋणी एवं जमानतदारों को विशेषतया तथा जनसाधारण को सामान्यतया संपत्ति में व्यवहार ना

उपरोक्त वर्णित राशि के साथ अध्यधीन होगा। ऋणियों एवं जमानतदारों का ध्यान प्रतिभूत आस्तियों के मोचन के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के उपबंधों की ओर आकष्ट किया जाता है।

बैंक को गिरवी रखी गई और बैंक द्वारा कब्जे में ली गई संपत्तियों का विवरण निम्नानुसार है:-श्री सुनिल गर्ग एवं श्रीमती मनीषा गुप्ता के नाम से मकान नं. 97, खसरा नं. 124/1 एवं 135 प्रथम

तल, विश्वा एनक्लेब, मोखमपुर, दिल्ली रोड़, मेरठ में स्थित। वास्ते बेंक ऑफ महाराष्ट्र दिनांक: 08.01.2020,

सहायक महाप्रबंधक एवं प्राधिकृत अधिकारी स्थानः मेरठ



जैसा कि. वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत भारतीय स्टेट बैंक, आरएसीपीसी-कम-एसआरसी, फरीदाबाद के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के (नियम 3) के साथ पठित धारा 13 (2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना तिथि 10.10.2019 जारी कर ऋणधारक श्री राकेश कुमार तथा श्रीमती किरण नरचाल, एच.नं. 1063, सेक्टर-09, फरीदाबाद-121006 तथा गारन्टरों 1) श्री राकेश कुमार, पुत्र स्व. श्री हीरा लाल, प्रॉ. मैं हिन्द केमिकल जनरल ट्रेडिंग क., काठ मंडी, रोहतक 2) श्री राकेश कुमार पुत्र स्व. श्री. हीरा लाल, एच.नं. 689, एस्कोर्ट नगर, सेक्टर-15ए, फरीदाबाद-12100 को सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि रु. 7,64,091.00/- (रुपये सात लाख चौंसठ हजार इक्यानवे मात्र)+ 10.10.2019 से अनुबंधित दर पर आगे के ब्याज के साथ अनुषांगिक खर्चे, लागत, चार्जेज आदि वापस लौटाने का निर्देश दिया था।

ऋणधारक(कों)/गारन्टरों खाता नं. 6517083096 के माध्यम से इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतदुद्वारा ऋणधारक, गारन्टरों तथा आम जनता को सुचित किया जाता है कि आज, 11 जनवरी, 2020 को अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमावली के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 (4) के अंतर्ग उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा कर लिया है विशेष रूप से ऋणधारकों तथा आम जनता को एतद्द्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित सम्पित्त का व्यवसाय न करें तथा इन सम्पत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय रु. 7,64,091.00/- (रुपये सा लाख चौंसठ हजार इक्यानवे मात्र)+ 10.10.2019 से अनुबंधित दर प आगे के ब्याज के साथ अनुषांगिव खर्चे, लागत, चार्जेज आदि के लिये भारतीय स्टेट बैंक के चार्ज के अधीन होगा।

अचल सम्पत्ति का विवरण सम्पत्ति एच.नं. 1063, जीएफ, सेक्टर-09, फरीदाबाद-121006 का सभी भाग तथा हिस्सा। सम्पत्ति वे क्षेत्रफल की माप 250.00 वर्ग यार्ड्स है।

तिथि: 14.1.2020 स्थानः फरीदाबाद

प्राधिकृत अधिकारी भारतीय स्टेट बैंक, आरएसीपीसी-कम-एसएआरर्स

कब्जा सूचना

जैसा कि, वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत भारतीय स्टेट बैंक, आरएसीपीसी-कम-एसआरसी, फरीदाबाद के प्राधिकृत अधिकारी के रूप तथा प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के (नियम 3) के साथ पठित धारा 13 (2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना तिथि 10.10.2019 जारी कर ऋणधारकः श्री दीपक नरुला, पत्र श्री बसंत लाल नरुला, एच.नं. 1589, सेक्टर-23ए, फरीदाबाद 121002 तथा गारन्टरों: 1) १ दीपक नरुला पुत्र श्री बंसत लाल नरुला, एच.नं. 1590, सेक्टर-23ए, फरीदाबाद-121002, 2) श्री दीपव नरुला, पुत्र श्री बसंत लाल नरुला, सी/ओ श्री बालाजी इलेक्ट्रिकल्स, शॉप नं. 48, 58, 59, 22-फीट रोड संजय कॉलोनी, बल्लभगढ 121004 को सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि रु. ९,04,651.00/- (रुपये नौ लाख चार हजार छः सौ इक्यावन मात्र)+ 10.10.2019 से अनुबंधित दर फ आगे के ब्याज के साथ अनुषांगिक खर्चे, लागत, चार्जेज आदि वापस लौटाने का निर्देश दिया था। ऋणधारक(कों)/गारन्टरों खाता नं. 65119908131 एवं 65119912488 के माध्यम से इस राशि को वापर लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्द्वारा ऋणधारक, गारन्टरों तथा आम जनता को सूचित किया जाता है वि आज, 11 जनवरी, 2020 को अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमावली के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम व धारा 13 (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित सम्पित्त

विशेष रूप से ऋणधारकों तथा आम जनता को एतद्द्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन सम्पत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय रु. 9,04,651,00/- (रुपये नौ लाख चार हजार छः सौ इक्यावन मात्र)+ 10.10.2019 से अनुबंधित दर प आगे के ब्याज के साथ अनुषांगिक खर्चे, लागत, चार्जेज आदि के लिये भारतीय स्टेट बैंक के चार्ज के अधीन होगा।

अचल सम्पत्ति का विवरण सम्पत्ति एच.नं. 1590, ईडब्ल्युएस हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, सेक-23ए, फरीदाबाद का सभी भाग तथा हिस्सा।

यह सम्पत्ति श्री दीपक नरुला, पुत्र श्री बसंत लाल नरुला के नाम है। प्राधिकृत अधिकारी स्थानः फरीदाबाद भारतीय स्टेट बैंक, आरएसीपीसी-कम-एसएआरर्स

र्ण सिंडिकेटबैंक

पटौदी शाखा, तांगा स्टैंड के निकट, SyndicateBank तहसील पटौदी, गुरुग्राम, जिला पटौदी, हरियाणा

कब्जा सूचना

(अचल सम्पत्ति के लिए) [देखें नियम 8(1)]

जैसा कि, वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 (2002 के 54) के अंतर्गत सिंडिकेट बैंक के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभृति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना तिथि 19.07.2019 जारी कर ऋणधारक(कों) एवं गारन्टर(रों) 1) साकिर, पुत्र श्री निजामुद्दीन कुरेशी, 2) श्री अशोक कुमार (स्युरिटी) को उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना मं वर्णित राशि रु. 7,30,732.12 (रुपए सात लाख तीस हजार सात सौ बत्तीस एवं पैसे बारह मात्र) वापस लौटाने का निर्देश दिया था।

ऋणधारक इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्द्वारा ऋणधारक तथा आम जनता को सुचित किया जाता है कि आज, 8 जनवरी, 2020 को अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमावर्ल के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा कर लिया है।

विशेष रूप से ऋणधारकों तथा आम जनता को एतद्द्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन सम्पत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय आगे के ब्याज तथा उस पर लागतों के साथ 1.7.2019 को रु. 7,30,732.12 की राशि के लिए सिंडिकेट बैंक (पटौदी शाखा) के चार्ज के अधीन होगा।

ऋणधारक का ध्यान प्रतिभृत परिसम्पत्तियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है।

#### अचल सम्पत्ति का विवरण

साकिर, पुत्र निजामुद्दी कुरैशी के स्वामित्व में मस्जिद एवं गव. सी, सै. स्कूल के सामने, बब्ब शाह मोहल्ला, पटौदी, जिला गुरुग्राम में स्थित खेवत नं. 2087/2038, खतौनी नं. 2163, खसर नं. 387 (10-16) के भाग में आवासीय सम्पत्ति (एक मंजिली) तथा चौहद्दीः उत्तरः खलील क मकान, दक्षिणः रोड, पूर्वः बाबू का प्लॉट, पश्चिमः रोहताश का मकान

तिथि: 14.1.2020 प्राधिकृत अधिकार्र सिंडिकेट बैंक स्थानः गुरुग्राम

नई दिल्ली

tice&district= Bathinda JMIC BATHINDA

For SUBROS LIMITED

लोन खाता नं. 60323516169 हेतु) इस नोटिस की पावती से 60 दिनों के भीतर भुगतान

करने हेतु कहा गया। यह सूचना स्पीड पोस्ट द्वारा भेजी गई थी। करने हेतु सचेत किया जाता है एवं संपत्ति में किया गया कोई भी व्यवहार बैंक ऑफ महाराष्ट्र वे

### पीएमसी बैंक के पुनरोद्धार पर विचार विमर्श के लिए ठाकुर से मिले पवार

मुंबई, 13 जनवरी (भाषा)।

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) प्रमुख शरद पवार ने घोटाले में घिरे पंजाब एंड महाराष्ट्र कोआपरेटिव (पीएमसी) बैंक के पुनरोद्धार को लेकर सोमवार को वित्त राज्य मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर से मुलाकात की। दिल्ली में हुई मुलाकात के बाद पवार ने कहा कि बातचीत 'रचनात्मक' रही।

करोड़ों का घोटाला सामने आने के बाद रिजर्व बैंक ने पीएमसी बैंक पर कई तरह के अंकुश लगाए हैं। बैंक के जमाकर्ताओं के लिए शुरुआत में निकासी की सीमा 1,000 रुपए तय की गई थी। इसे धीरे-धीरे रिजर्व बैंक ने बढ़ाकर 50,000 रुपए कर दिया है। पवार ने ट्वीट किया– केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री अनुराग सिंह ठाकुर से नई दिल्ली में पीएमसी बैंक के पुनरोद्धार पर चर्चा हुई। हमने इस बारे में काफी रचनात्मक विचार विमर्श किया। रिजर्व बैंक ने पाया था कि पीएमसी बैंक ने लगभग दिवाला हो चुकी कंपनी हाउसिंग डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लि.को 6,700 करोड़ रुपए से अधिक का ऋण देने के लिए कथित रूप से बड़ी संख्या में फर्जी खाते बनाए थे।

# वाणिज्य मंत्रालय का बजट में सोने पर आयात शूल्क घटाने का प्रस्ताव

नई दिल्ली, 13 जनवरी (भाषा)।

वाणिज्य मंत्रालय ने आगामी बजट में सोने पर आयात शुल्क घटाने की मांग की है। रत्न और आभूषणों को बनाने-तराशने और निर्यात बढाने के उद्देश्य से यह कदम उठाया गया है। एक सूत्र ने यह जानकारी दी। सूत्रों ने कहा कि वाणिज्य मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय को बजट के लिए सुझावों में सोने से आयात शुल्क घटाने पर विचार करने को कहा है। पिछले बजट में सोने पर आयात

शुल्क बढाकर 12.5 फीसद कर दिया गया। रत्न और आभषण निर्यात उद्योग ने इसे

चार फीसद रखने की मांग की है। वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक, देश का सोना आयात चालू वित्त वर्ष की अप्रैल-नवंबर अवधि में करीब सात फीसद गिरकर 20.57 अरब डॉलर रह गया। वित्त वर्ष 2018-19 की इसी अवधि में यह आंकड़ा 22.16 अरब डॉलर था।

सोने के आयात में कमी से देश के व्यापार घाटे को कम करने में मदद मिली। 20.5 अरब डॉलर रहा।

2019-20 के अप्रैल-नवंबर में व्यापार घाटा कम होकर 106.84 अरब डॉलर रहा। एक साल पहले इसी अवधि में व्यापार घाटा 133.74 अरब डॉलर पर था। भारत दुनिया में सबसे बड़ा स्वर्ण आयातक है और मुख्य रूप से आभूषण उद्योग की मांग को पूरा करने के लिए आयात किया जाता है। देश का सालाना स्वर्ण आयात 800-900 टन है। वहीं, रत्न और आभूषण निर्यात अप्रैल-नवंबर अवधि में करीब 1.5 फीसद गिरकर

#### रिजर्व बैंक से फिर लाभांश लेने की योजना चिंताजनकः गहलोत

जयपुर, १३ जनवरी (भाषा)।

राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उन मीडिया रपटों पर चिंता जताई है जिनके अनुसार केंद्र सरकार अपने खर्च मद के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से और अंतरिम लाभांश मांगने की योजना बना रही है। गहलोत ने इस बारे में ट्वीट किया है- केंद्र सरकार द्वारा अपनी खर्च प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए आरबीआइ से एक और अंतरिम लाभांश मांगने की योजना बनाए संबंधी रपटें चिताजनक हैं। सरकार पहले ही आरबीआई से एक बड़ी राशि ले चुकी है। गहलोत ने इस के साथ ही एक खबर का लिंक शेयर किया है जिसके अनुसार अर्थव्यवस्था में मौजूदा सुस्ती के बीच केंद्र सरकार रिजर्व बैंक से 45,000 करोड़ रुपए और मांग सकती है।

गहलोत के अनुसार- राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार अर्थव्यवस्था को पूरी तरह तबाह कर रही है जबकि आम जनता की वित्तीय दिक्कतें लगतार बढ रही हैं।

### भारत ने चार देशों से तांबे की तारों के आयात पर सबसिडी रोधी शुल्क लगाया

नई दिल्ली, 13 जनवरी (भाषा)।

भारत ने चार देशों इंडोनिया, मलेशिया, थाइलैंड और वियतनाम से तांबे की तारों के आयात पर पांच साल के लिए सबसिडी रोधी शुल्क लगा दिया है। सरकार की ओर से जांच में यह तथ्य सामने आया है कि इन देशों से तांबे की तारों के आयात से घरेलू कंपनियां प्रभावित हो रही हैं। वित्त मंत्रालय ने सोमवार को अधिसूचना जारी कर कहा कि उसने वाणिज्य मंत्रालय की जांच इकाई व्यापार उपचार महानिदेशालय (डीजीटीआर) के अंतिम निष्कर्षों पर विचार के बाद सबसिडी रोधी या प्रतिपूर्ति शुल्क लगाने का फैसला किया है। डीजीटीआर ने इन चार देशों से तांबे की तारों के आयात पर सबसिडी रोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की थी। अधिसूचना में कहा गया है कि यह प्रतिपूर्ति शुल्क पांच साल के लिए होगा। बशर्ते इसे वापस नहीं लिया जाए या उससे पहले इसमें संशोधन नहीं किया जाए।



जैसा कि, वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत भारतीय स्टेट बैंक, आरएसीपीसी-कम-एसआरसी, फरीदाबाद के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के (नियम 3) के साथ पठित धारा 13 (2) के अंतर्गत प्रदत्त शिवतयों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना तिथि 05.04.2019 जारी कर ऋणधारकः श्री विशाल यादव तथा श्रीमती किरण यादव, एच. नं. 1851, भृतल, सेक्टर-29, फरीदाबाद 121008 तथा गारन्टरों: 1) श्री विशाल यादव, पुत्र श्री आरएस यादव, सी-27, 1ला तल, चौ. धर्मवीर मार्केट, न्यू कैबल सिनेमा बदरपुर, नई दिल्ली-110044, 2) श्री विशाल यादव तथा श्रीमती किरण यादव, एच. नं. 1414 एमआईजी, जीएफ सेक्टर 29, एचबीसी, फरीदाबाद-121006 को उक्त सचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सचना में वर्णित राशि रु. 35,93,537.00/- (रुपये पैंतीस लाख तिड़ानवे हजार पांच सौ सैंतीस मात्र) तथा 5.4.2019 से अनुबंधित दर पर आगे के ब्याज के साथ अनुषांगिक खर्चे, लागत, चार्जेज आदि वापस लौटाने का निर्देश दिया

ऋणधारक(कों)/गारन्टरों खाता नं. 65247694493, 65244358012 एवं 65244357029 के माध्यम से इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतदुद्वारा ऋणधारक, गारन्टरों तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आज, 11 जनवरी, 2020 को अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमावली के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे

विशेष रूप से ऋणधारकों तथा आम जनता को एतद्द्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन सम्पत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय रु. 35,93,537,00/- (रुपये पैंतीस लाख तिड़ानवे हजार पांच सौ सैंतीस मात्र) तथा 5.4.2019 से अनुबंधित दर पर आगे के ब्याज के साथ अनुषांगिक खर्चे, लागत, चार्जेज आदि के लिये भारतीय स्टेट बैंक के चार्ज के अधीन होगा। अचल सम्पत्ति का विवरण

सम्पत्ति मकान नं. 1414/एमआईजी/जीएफ, सेक्टर-29, एचवीसी का सभी भाग तथा हिस्सा, माप 85 वर्ग

यार्ड्स, फरीदाबाद में स्थित तिथि: 14.1.2020 प्राधिकृत अधिकारी,

स्थानः फरीदाबाद भारतीय स्टेट बैंक, आरएसीपीसी-कम-एसएआरसी

कैलिबर एसोसिएट्स प्राइवेट लिमिटेड (परिसमापनाधीन) के लिए कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 230 के तहत योजना की प्रस्तुति का आमन्त्रण पंजीकृत कार्यालय : ई-20, लाजपत नगर-III, नई दिल्ली-110024

सीआईएन : U74140DL2003PTC118931 कैलिबर एसोसिएट्स प्राइवेट लिमिटेड (कॉर्पोरेट ऋणकर्ता/कम्पनी) के सदस्यों अथवा उनमें/लेनदारों के किसी वर्ग या उनमें से किसी वर्ग से कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 230 के तहत समझौते तथा व्यवस्था की योजना के आमन्त्रण हेतु सूचना। कम्पनी के इच्छुक सदस्य/लेनदार जो कम्पनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों तथा ऋणशोध

अक्षमता एवं दिवालिया संहिता, 2016 के तहत पात्र हैं, अधोहस्ताक्षरी के पास कम्पनी के पुनर्जीवन हेतु ई-मेल द्वारा या मुहरबन्द लिफाफे में अपनी योजना निम्नलिखित पते पर भेज सकते हैं: श्री मोहन लाल जैन

परिसमापक

कैलिबर एसोसिएट्स प्राइवेट लिमिटेड के मामले में पत्राचार का पता : C/o सुमेधा मैनेजमेंट प्रा.लि. बी-1/12, सफदरजंग एन्कलेव, दूसरी मंजिल, नई दिल्ली-110029

ई-मेल आईडी (प्रक्रिया विशिष्ट) : cirp.kaliberapl@gmail.com सम्पर्क नं. : 011-4165 4481/85 / वेबसाइट : www.kaliberassociates.in इससे सम्बन्धित कोई पूछताछ अधोहस्ताक्षरी के पास निर्देशित की जा सकती है। योजना अधिकतम 10.02.2020 तक जमा की जानी है। भारतीय ऋण शोध अक्षमता तथा दिवालिया बोर्ड (परिसमापन प्रक्रिया) विनियम, 2016 के विनियम 2बी के अनुसार, जहाँ समझौता या व्यवस्था कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 230 के तहत प्रस्तावित है, इसे परिसमापन के आदेश के नब्बे (90) दिनों के भीतर अर्थात 02.01.2020 तक आईबी संहिता, 2016

> मोहन लाल जैन परिसमापक

स्थान : नई दिल्ली तिथि : 14.01.2020

की धारा (4) की उपधारा (1) के तहत पूरी की जायेगी।

कैलिबर एसोसिएट्स प्राइवेट लिमिटेड के मामले में पंजीकरण सं IBBI/IPA-002/IP-N00006/2016-17/10006

राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण, पीठ, नई दिल्ली सीए( सीएए )-117/( एनडी )/2019 कम्पनी अधिनियम, 2013 के मामले में

कम्पनी अधिनियम, 2013 के अन्य प्रासंगिक प्रावधानों के साथ पठित धारा 230-232 के मामले में

जीई इण्डिया इण्डस्ट्रियल प्राइवेट लिमिटेड

के मामले में जीई इण्डिया इण्डिस्ट्रियल प्राइवेट लिमिटेड तथा जीई ऑयल एण्ड गैस इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड तथा उनके सम्बद्ध

शेयरधारकों तथा लेनदारों के बीच निर्विलयन की योजना के मामले में : जीई इण्डिया इण्डस्टियल प्राइवेट लिमिटेड.

कम्पनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के तहत निगमित कम्पनी जिसका पंजीकृत कार्यालय ए-18, प्रथम तल,

ओखला इण्डस्ट्रियल एरिया, फेज II, दक्षिण दिल्ली, नई दिल्ली-110020, भारत आवेदक/निर्विलयक कम्पनी के इक्विटी शेयरधारकों तथा अप्रतिभूत लेनदारों की बैठक की सूचना का विज्ञापन

एतद्वारा सूचना दी जाती है कि आदेश दिनांक 13 दिसम्बर, 2019 (''आदेश'') के माध्यम से माननी राष्ट्रीय कम्पनी

विधि अधिकरण, पीठ, नई दिल्ली (''अधिकरण'') ने जीईआईआईपीएल तथा जीई ऑयल एण्ड गैस इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड (''गैर-आवेदक/परिणामी कम्पनी'') तथा उनके सम्बद्ध शेयरधारकों एवं लेनदारों के बीच निर्विलयक की प्रस्तावित योजना (''योजना'') पर विचार करने तथा यदि उचित समझे, संशोधन(नों) सहित या रहित अनुमोदन करने के लिए जीई इण्डिया इण्डस्ट्रियल प्राइवेट लिमिटेड (''आवेदक/निर्विलयक कम्पनी'' अथवा ''जीईआईआईपीएल''] के इक्विटी शेयरधारकों तथा अप्रतिभूत लेनदारों की अलग से बैठक आयोजित करने का निर्देश दिया है।

कथित आदेश तथा उसमें निहित निर्देशों के अनुसार एतद्वारा पुनः सूचना दी जाती है कि जीईआईआईपीएल के इक्विटी शेयरधारकों तथा अप्रतिभूत लेनदारों की अलग से बैठक निम्नलिखित के अनुसार तिथि तथा स्थान पर आयोजित की जायेगी जिसमें इक्विटी शेयरधारकों तथा अप्रतिभृत लेनदारों को उपस्थित रहने का निवेदन किया जाता है :

क्र.	बठक का श्रणा	बठक का	समय (भारताय	बठक का स्थान
सं.		तिथि	मानक समय)	
				इस्कान ऑडिटोरियम, इस्कॉन टेम्पल कॉम्पलेक्स, सन्त
2.	अप्रतिभूत लेनदार	फरवरी, 2020	11:30 बजे प्रातः	नगर, मेन रोड, ईस्ट ऑफ कैलाश, नई दिल्ली-110065

कथित योजना तथा कम्पनी (समझौते, व्यवस्थाएँ तथा समामेलन) नियम, 2016 के नियम 6 के साथ पठित धारा 230(3) के तहत एक्स्प्लेनटरी स्टेटमेंट और प्रॉक्सी प्रपत्र की प्रतियाँ जीईआईआईपीएल, ए-18, प्रथम तल. ओखला इण्डस्ट्रियल एरिया, फेज II, दक्षिण दिल्ली, नई दिल्ली-110020 से अथवा इसे अधिवक्ता के कार्यालय डीएमडी एडवोकेट्स, 30, निजामुद्दीन ईस्ट, नई दिल्ली-110013 से प्राप्त की जा सकती हैं। उसमें उपस्थित होने तथा सम्बद्ध बैठकों में मतदान के पात्र व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से या प्रॉक्सी के माध्यम से मतदान कर सकते हैं बशर्ते कि सभी प्रॉक्सियाँ उपर्युक्त बैठकों हेतु निर्धारित तिथि से अधिकतम 48 (अड़तालीस) घण्टे पूर्व जीईआईआईपीएल के उपर्युक्त पंजीकृत कार्यालय पर निर्धारित प्रारूप में जमा कर दिये गये हों।

चेयरमैन (''चेयरमैन'') के रूप में नियुक्त करने का निर्देश दिया है। माननीय अधिकरण द्वारा निर्गत कथित निर्देशन के आलोक में, जीईआईआईपीएल किसी एक निदेशक को कथित बैठकों का चेयरमैन नियक्त करेगा अतः जीईआईआईपीएल ने श्री हेमन्त सिंह, कार्यरत कम्पनी सचिव (एफसीएस सं. 6033) को कथित बैठकों तथा उसके किसी स्थगन(नों) के

माननीय अधिकरण ने अपने आदेश के माध्यम से जीईआईआईपीएल के किसी एक निदेशक को कथित बैठकों के

यदि उपर्युक्त सम्बद्ध बैठकों में अनुमोदित हो जाता है तो प्रस्तावित योजना माननीय राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण,

पीठ नई दिल्ली तथा चेन्नई के अनुगामी अनुमोदन का विषय होगी। स्थान : नई दिल्ली तिथि : 10 जनवरी, 2020

www.readwhere.com

दीपक सचदेवा जीईआईआईपीएल के पूर्णकालिक निदेशक

## वॉलमार्ट ने भारत में 56 लोगों को नौकरी से हटाया, थोक बाजार में बनी रहेगी

नई दिल्ली, 13 जनवरी (भाषा)।

CORRIGENDUM

dated 11.01.2020 with respect to

Autoneeds (India) Private Limited

wherein inadvertently incorrect

CIN:U34300DL 1997PLC088642 was

mentioned the correct cin no. is as

This corrigendum should be read togethe

with the publication made on 11.01.2020

Vinay Kumar Jairath

In the matter o

Interim Resolution Professiona

Registration No: IBBI/IPA

Autoneeds (India) Private Limited

002/IPN00169/2017-18/10439

जय भारत मारूति लिमिटेड

CIN: L29130DL1987PLC027342

पंजी. कार्यालयः 601 हेमकृत्त चैम्बर्स,

89, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-110 019

फोन: 011-26427104; पैकस: 011-26427100

E-mail: jbml.investor@jbmgroup.com

Website: www.jbmgroup.com

सूचना

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीयन

दायित्व और प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015

के विनियम 47 के अनुसरण में एतदद्वारा सूचन

दी जाती है कि कंपनी के निदेशक मंडल की

एक बैठक मंगलवार, 21 जनवरी, 2020 क

गुरूग्राम (हरियाणा) में आयोजित की गई है

जिसमें अन्य बातों के साथ - साथ कंपनी के

31 दिसंबर, 2019 को समाप्त तृतीय तिमाही

एवं नौमाही की अवधि के लिये अनंकेक्षित

वित्तीय परिणामों पर विचार करने और उनका

उक्त बैठक का अपरोक्त विवरण कंपनी की

वेबसाइट www.jbmgroup.com और स्टॉक

एक्सचेंजों की वेबसाइट www.bseindia.com

और www.nseindia.com से भी प्राप्त की

इसके अलावा, इन्साइडर ट्रेडिंग की रोकथाम

के लिये कंपनी की आचार संहिता के अनुरूप

कंपनी के शेयरों के कारोबार के लिये ट्रेडिंग

विंडो कंपनी के निदेशकों / अधिकारियों /

पदनामित कर्मचारियों के लिये 1 जनवरी,

2020 से 21 जनवरी, 2020 को परिणाम

सार्वजनिक किये जाने के उपरांत 48 घण्टे

प्रपत्र सं. आईएनसी-26

[कंपनी (निगमन) नियमावली, 2014 के

नियम 30 के अनुपालन में]

केन्द्र सरकार⁄क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र

के समक्ष

कंपनी अधिनियम, 2013 कम्पनी अधिनियम

2013 की धारा 13 (4) तथा कंपनी

(निगमन) नियमावली, 2014 के नियम

30(6) (ए) के मामले में

जेवेरिअन ऑटो इंडस्टीज प्राईवेट लिमिटेड

जिसका पंजीकृत कार्यालय 301, 3रा तल,

आर.जी. ट्रेड टावर, नेताजी सुभाष प्लेस,

एतद्द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है

कि ''संघ क्षेत्र दिल्ली'' से " हरियाणा राज्य'

में उसके पंजीकत कार्यालय को परिवर्तित करने

के लिए कंपनी को सक्षम बनाने के लिए 13

जनवरी, 2020 को आयोजित असाधारण

आमसभा में पारित विशेष प्रस्ताव के अनसार

कंपनी के मेमोरैंडम ऑफ एसोसिएशन के

परिवर्तन की पष्टि के लिए कंपनी अधिनियम,

2013 की धारा 13 के अंतर्गत यह कंपनी क्षेत्रीय

निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, दिल्ली के माध्यम से केन्द्र

सरकार के पास आवेदन करने का प्रस्ताव करती

कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के इस प्रस्तावित

परिवर्तन से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित

होता हो, वे एमसीए-21 पोर्टल

(www.mca.gov.in) पर निवेशक शिकायत

प्रपत्र दाखिल कर अथवा उसके ऊपर वर्णित

पंजीकृत कार्यालय में आवेदक कंपनी को उसकी

एक प्रति के साथ इस सचना के प्रकाशन की तिथि

से 14 (चौदह) दिनों के भीतर अपने हित की

प्रकृति तथा आपत्ति के कारणों का उल्लेख करते

हए एक शपथ पत्र द्वारा समर्थित अपनी आपत्ति

क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र दिल्ली, बी-2 विंग, 2रा

तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लैक्स, नई

दिल्ली-110003 में जमा करें या जमा कराएं या

आवेदक के लिए तथा उसकी ओर से

निपुण पिलानी

DIN: 06385140

निदेशक

जेवेरिअन ऑटो इंडस्टीज प्राईवेट लिमिटेड

पंजीकृत डाक से भेजें:

स्थानः नई दिल्ली

तिथि: 13.01.2020

में U74899DL1991PTC045467)

आवेदक /याचिकाकर्ता कम्पनी

मामले

पीतमपुरा, दिल्ली-110034 में है।

कृते जय भारत मारूति लिमिटेड

(रवि अरोडा)

कंपनी सचिव

BTG Global Advisory

www.btgga.com

समाप्त होने तक, के लिये बंद रहेगी

स्थान : गुरूग्राम

तिथि : 13 जनवरी, 2020

अनुमोदन किया जायेगा।

CIN: U74899DL1992PTC048706

वॉलमार्ट ने भारत में अपने 56 अधिकारियों और कर्मचारियों को नौकरी से हटा दिया। इनमें आठ वरिष्ठ प्रबंधन स्तर के अधिकारी हैं। कंपनी ने सोमवार को कहा कि वह भारत में अपने कारोबार को पुनर्गठित कर रही है लेकिन वह यहां अपने कारोबार को लेकर प्रतिबद्ध है।

वॉलमार्ट इंडिया के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ)कृष अय्यर ने बयान में कहा कि कंपनी भारत में अपने थोक खुदरा कारोबार को आगे बढ़ाने को लेकर प्रतिबद्ध है। इस छंटनी से प्रभावित ज्यादा तर लोगा कंपनी के अचल संपत्ति विभाग में काम कर रहे थे। यह विभाग नए नए स्टोर की जगह

के प्रबंध का काम देखता है। इसे कंपनी के लिए थोक कारोबार के विस्तार में दिक्क का संकेत माना जा रहा है। वॉलमार्ट के भारत में 28 थोक स्टोर है जहां से छोटे दकानदारों को थोक में सामान की आपर्ति की जाती है। सरकार ने छोटे किराना कारोबारियों के हित में विदेशी कंपनियों को बहु ब्रांड खुदरा कारोबार में प्रवेश की छूट नहीं दी है। अय्यर ने कहा कि हमें कारोबार में दक्षता बढ़ाने के लिए अपनी कंपनी के ढांचे की समीक्षा की जरूरत है। इस समीक्षा के तहत हमने कार्यालय से 56 लोगों को हटाया गया है। इनमें से आठ वरिष्ठ प्रबंधन स्तर और 48 मध्यम तथा निचले प्रबंधन स्तर के कर्मचारी हैं। उन्होंने कहा कि इन कर्मचारियों को अच्छा मुआवजा दिया गया है और हम उन्हें बाहर काम ढूंढने में भी सहयोग कर रहे हैं।

AXIS BANK

नोएडा एक्स्प्रैसवे, जयपी नियंत्रण कार्यालयः एक्सिस हाउस, बाम्बे डाइंग कम्पाउण्ड, पांड्रंग बुधकर मार्ग, वर्ली, मुम्बई-400025

प्रतिभित हित (प्रवर्त्तन) नियमावली के नियम 8(6) के प्रावधानों के साथ पठित वित्तीय परिसम्पित्तयं के प्रतिभूतिकरण एवं पुनिर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन नियामवली, 2002 के अंतर्गत अचल

संपत्तियों की बिक्री के लिये बिक्री सूचना रतद्द्वारा आम जनता तथा विशेष रूप से ऋणधारक(कों) तथा गारन्टर(रों) को सूचित किया जाता है कि प्रतिभूत क्रेडीटर के पास गिरवी/चार्ज्ड नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति जिसका प्रतिभृत क्रेडीटर के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा भौतिक कब्जा किया गया है, की श्री अक्षय बत्रा तथा युधवीर बत्रा से प्रतिभृत क्रेडीटर के बकाये वास्तविक भगतान एवं/अथव उगाही की तिथि तक लागू होने वाले आगे के ब्याज, अनुषांगिक खर्चे, लागतों तथा वहन की गई प्रभारों आदि वे साथ 07.01.2020 को बकाया रु. 83,36,626/- की वसूली के लिये एक्सिस हाउस, टावर-2, 2रा तल, आई-14, सेक्टर-128, नोएडा एक्स्प्रैसवे, जयपी ग्रीन्स विशटाउन, नोएडा (उ.प्र.)-201301 में 15.02.2020 को 11.30 ब<sup>ुं</sup> पूर्वा. में ''जैसा है जहां है'', ''जो भी जैसा है'' तथा ''जो कुछ भी वहां है'' आधार पर बिक्री की जाएगी। आरक्षित मूल्य रु. 61,68,500/- तथा धरोहर राशि भुगतान रु. 6,16,850/- है।

खाता संख्या	बिक्री के लिये प्रस्तावित तथा रखी गई अचल सम्पत्ति/प्रतिभूत परिसम्पत्ति की अवस्थिति/विवरण	बैंक की जानक अधिभार, यदि क
पीएचआर 979200729188	ग्राम ग्वाल पहारी, तहसील सोहना, जिला गुड़गाँव, हरियाणा– 122001 की राजस्व सम्पदा में स्थित वैलील्यू इस्टेट में आवस्थित ग्रुप हाउसिंग टावर नं.–1 (गोल्ड लीफ क्रेसेन्ट) में कार पार्किंग स्थान सं. ओपी–35 के साथ फ्लैट नं. 105 का	

बिक्री के विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिये कृपया प्रतिभृत क्रेडीटर की वेबसाईट अर्थात् https://www.axisbank.com/auction-notices में दी गई लिंक देखें। तिथि: 14 जनवरी, 2020 हस्ता./- प्राधिकृत अधिकारी स्थानः नोएडा, उ. प्र. एक्सिस बैंक लि

आईडीएफसी फस्टे बैंक लिमिटेड (पूर्व का कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड)

**IDFC FIRST** सीआईएन : L65110TN2014PLC097792 पंजीकृत कार्यालय : केआरएम टॉवर्स, 8वीं मंजिल, हैरिगटन रोड, चेटपेत, चेन्नई-600031. दूरभाष : +91 44 4564 4000 । फैक्स : +91 44 4564 4022. अधिकृत प्राधिकारी : श्री अमृतपाल सिंह गिल । सम्पर्क नम्बर : +91-9999776185

परिशिष्ट-IV-A [नियम 8(6) के प्रावधान देखें] अचल सम्पत्तियों के विक्रय हेतु विक्रय सूचना प्रतिभूत हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के प्रावधान के साथ पठित प्रतिभूति हिल्

अधिनियम, 2002 की वित्तीय आस्तियों तथा प्रवर्तन के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निर्माण के तहत अचल आस्तियों के विक्रय हेतु ई-नीलामी विक्रय सुचना। एतद्वारा सामान्य रूप से जनता को तथा विशेष रूप से कर्जदार(रों) एवं जमानती(यों) को सूचित किय जाता है कि प्रतिभृत लेनदार के पास गिरवीकृत/प्रभारित नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति, जिस पर पूर्व के कैपिटल फर्स्ट होम फाइनेंस लिमिटेड अब आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के अधिकृत प्राधिकारी ने भौतिक कब्ज किया है, का अम्बे ऑटो, राकेश कुमार सरना, अनुराधा बब्बर, भारत भूषण बब्बर से आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्व का कैपिटल फर्स्ट होम फाइनेंस लिमिटेड) के 4 मई, 2019 तक बकाये फ. 7,22,71,085/- की राशि की वसूली के लिए 30.01.2020 को "जो है यहीं है" तथा "जो कुछ भी

है वहीं है'' के आधार पर बिक्री की जायेगी। The Reserve Price will be INR 5,00,00,0001- and the Earnest Money Deposi आरक्षित मूल्य रु. 5,00,00,000/- तथा धरोहर राशि रु. 50,00,000/- होगी।

अचल सम्पत्ति का विवरण सम्पत्ति सं. ए-14, खसरा नं. 570/1, देवली रोड, खानपुर एक्सटेंशन, दिल्ली-110062 विक्रय के विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिए कृपया आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की वेबसाइट में प्रावधानित लिंक www.idfcfirstbank.com देखें।

अस्वीकरण : कृपया ध्यान दें कि कथित सूचना केवल अचल सम्पत्ति की बिक्री के लिए निर्गत की गयी है और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड को अचल सम्पत्ति पर उपस्थित किसी चल आस्तियों, यदि कोई हो, की बिक्री का कोई अधिकार नहीं है।

अधिकृत प्राधिकारी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्व का कैपिटल फर्स्ट होम फाइनेंस लिमिटेड) दिनांक : 13.01.2020

## सूचकांक, निफ्टी नए उच्चस्तर पर, इंफोसिस पांच फीसद चढ़ा

मुंबई, 13 जनवरी (भाषा)।

सकारात्मक वैश्विक और घरेलू संकेतों के बीच सूचकांक और निफ्टी सोमवार को नए रेकार्ड स्तर पर पहुंच गए। इंफोसिस के शेयरों में उछाल से भी बाजार धारणा मजबूत हुई। अमेरिका-चीन के बीच शुरुआती व्यापार की उम्मीद के बीच वैश्विक बाजारों में जोरदार तेजी दर्ज हुई, जिसका असर यहां भी दिखाई दिया।

बंबई शेयर बाजार का 30 शेयरों वाला सूचकांक दिन में कारोबार के दौरान करीब 300 अंक तक चढ़कर 41,899.63 अंक तक गया। अंत में सूचकांक 259.97 अंक या 0.62 फीसद की बढ़त के साथ 41,859.69 अंक पर बंद हुआ, जो इसका नया उच्चस्तर है।

में कारोबार के दौरान के अपने उच्चस्तर 12,337.75 अंक तक गया। अंत में निफ्टी 72.75 अंक या 0.59 फीसद की बढ़त के साथ 12,329.55 अंक के नए रिकॉर्ड स्तर पर बंद हुआ। इंफोसिस के शेयरों में 4.76 फीसद का उछाल आया। सूचकांक और निफ्टी की बढ़त में उसके शेयर का खास योगदान रहा। इन्फोसिस का दिसंबर तिमाही का एकीकृत शुद्ध लाभ 23.7 फीसद बढ़कर 4,466 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। कंपनी के परिणाम शुक्रवार को आए थे।

सुचकांक की अन्य कंपनियों में इंडसइंड बैंक, भारती एअरटेल, हिंदुस्तान यूनिलीवर, महिंद्रा एंड महिंद्रा, टाटा स्टील, पावरग्रिड और टेक महिंद्रा के शेयर भी लाभ में रहे। वहीं

दूसरी ओर टीसीएस, एसबीआइ, बजाज आटो, आइसीआइसीआइ बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज, एक्सिस बैंक और नेस्ले इंडिया के शेयर नुकसान में रहे। कारोबारियों ने कहा कि इंफोसिस के बेहतर तिमाही नतीजों के अलावा सकारात्मक वृहद आंकड़ों और मजबृत वैश्विक रुख से बाजार धारणा को बल मिला। लगातार तीन महीने तक गिरने के बाद नवंबर में औद्योगिक उत्पादन ( आइआइपी)1.8 फीसद बढ़ा है। विनिर्माण क्षेत्र के बेहतर प्रदर्शन से आइआइपी सकारात्मक दायरे में लौटा है। आइआइपी के आंकड़े शुक्रवार को बाजार बंद होने के बाद आए थे।

अमेरिका-चीन के बीच पहले चरण के व्यापार करार पर इसी हफ्ते हस्तखत होने हैं। इससे वैश्विक बाजारों में भी तेजी रही। सैंक्टम वेल्थ मैनेजमेंट के पोर्टफोलियो प्रबंधक (शेयर निवेश उत्पाद) हेमांग इसी तरह नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी दिन कपासी ने कहा- वैश्विक स्तर पर भू राजनीतिक स्थिरता के बीच भारतीय बाजार लगातार नई ऊंचाई को छू रहे हैं। तिमाही नतीजों के सत्र की शुरुआत अच्छी रही है। मौजूदा तिमाही नतीजों के सत्र में कारोबार बहुत अच्छा नहीं रहेगा लेकिन कंपनियों का मुनाफा अच्छा रहेगा। इसकी वजह ऊंचा मार्जिन और कर कटौती का लाभ मिलना है। बीएसई मिडकैप और स्मॉलकैप 0.95 फीसद तक चढ़ गए।

> चीन का शंघाई, हांगकांग का हैंगसेंग और दक्षिण कोरिया का कॉस्पी लाभ में रहे। शुरुआती कारोबार में यूरोपीय बाजार भी मजबूत थे। ब्रेंट कच्चा तेल वायदा 0.37 फीसद की बढत के साथ 65.22 डॉलर प्रति बैरल पर था। अंतर बैंक विदेशी विनिमय बाजार में रुपया आठ पैसे की बढ़त के साथ 70.86 प्रति डॉलर पर बंद हुआ।

ब्रिज एंड रूफ कॉ. [इंडिया] लि.

(भारत सरकार का उपक्रम)

CIN No. U27310WB1920GOI003601

''कंकरिया सेंटर'', (चौथा और पांचवा तल), 2/1, रूसेल स्ट्रीट, कोलकाता-71

इं निविदा (ईएनआइटी) आमंत्रण सूचना

सं.: बीवआर/एचओ/७७१४/शीट पाईल/पाल्टा/एनआईटी/०१ दिनांक १४.०१.२०२०

कार्य ''मै. कोलकाता नगर निगम (केएमसी), कोलकाता के लिए

आइजीडब्ल्यूटीपी के शोर प्रोटेक्शन हेतु विब्रो-सिंकर विधि द्वारा 600 एमएम

चौड़ी स्टील शीट पाईल की पेंटिंग, प्लेसिंग और ड्राईविंग'' के लिए निर्धारित

योग्यता मानदंड पूरा करने वाले प्रतिष्ठित, संसाधन-संपन्न और अनुभवी

पार्टियों से दो भाग प्रणाली में ऑनलाइन एकल प्रतिशत दर प्रस्ताव आमंत्रित

इच्छुक बोलीदाता को http://eprocure.gov.in/eprocure/app पर लॉग

ऑन के माध्यम से सरकारी ई-प्रोक्योरमेंट सिस्टम के साथ पंजीकृत तथा

प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 27.01.2020 को 16.00 बजे तक है।

परिशोधन/शुद्धिपत्र यदि कोई होगा, केवल कम्पनी की वेबसाईट

www.bridgeroof.co.in और सीपीपी पोर्टलः http://eprocure.gov.in/

बी एए आर

BANDR

नामांकन करना होगा।

eprocure/app पर डाला जाएगा।

फार्म नं. आईएनसी-26 (कम्पनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसरण में}

केन्द्रीय सरकार, क्षेत्रीय निवेशक, उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली के समक्ष वथा संशोधित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13(4) और कम्पनी (निगमन) निवम, 2014 के निवम 30(5) (ए) के मामले

सोलोमन कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड (CIN: U74900DL2009PTC190379) जिसका पंजीकृत कार्यालय : 809, 8वीं मंजिल, अरुणाचल बिल्डिंग, 19, बाराखंभा रोड, नई दिल्ली -110001 में हैं, के मामले में

....आवेदक कंपनी / याचिकाकर्त्ता तदुद्धारा जनसामान्य को सुचित किया जाता है कि कम्पनी ने कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के तहत कम्पनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में परिवर्तन लाने हेत् पृष्टिकरण है लिए केंद्र सरकार को आवेदन प्रस्तुत करने का प्रस्ताव किया है, यह विशेष प्रस्ताव एक असाधारण आम बैठक में कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय को "राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली" से "हरियाणा राज्य" में वदलने हेतु **मंगलबार** 31 दिसम्बर, 2019 को पारित किया गया।

यदि किसी व्यक्ति का हित कंपनी में इस पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित परिवर्तन से प्रभावित हो तो वह व्यक्ति या तो निवेशक शिकायत प्ररूप फाइल कर एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) में शिकायत दर्ज करें अथवा एक शपध पत्र जिसमें उनके हित / विपक्ष के आधार हों, कारण देते हुए, क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, कारपोरेट कार्य मंत्रालय, बी-2 विंग, दूसरा तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्पलैक्स, नई दिल्ली-110003 को पंजीवत डाक डारा प्रेषित करें तथा इसकी एक कॉपी आवेदक कम्पनी को इसके पंजीकृत कार्यालय 809, 8वीं मंजिल, अरुणाचल बिल्डिंग, 19, बाराखंभा रोड, नई दिल्ली -110001 पर इस सुचना के छपने के 14 (चीदह) दिनों के भीतर भेज दे । कते सोलोमन कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड

(निदेशक) डीआईएन: 00009963 🔾 पंजाब नेशनल बैंक ...भरोसे का प्रतीक ! शाखा आबूलेन मेरठ कैन्ट

सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि सम्पत्ति जो कि आवासीय मकान नं0 52, निर्मित प्लॉट नं0 09 मिनजुमला खसरा नं0 214 रिथत मंगतपुरम कालोनी, ग्राम हाफिजाबाद मेवला, परगना तहसील व जिला, मेरठ एरिया 206 वर्ग मीटर जो श्री मौहम्मद असलम पुत्र श्री वली मौहम्मद के नाम है जो कि (ऋणी) श्री मौहम्मद असलम पुत्र श्री वली मौहम्मद निवासी नकरचियान गुजरी बाजार मेरठ व श्रीमती रिहाना बेग पत्नी श्री मौहम्मद असलम व श्री मौहम्मद आसिफ क्रैशी पुत्र श्री मौहम्मद बाबू क्रैशी निवासी 315, निकट कुरैशियान मस्जिद पसोन्डा पासबाडा साहिबाबाद जिला गाजियाबाद द्वारा पंजाब नेशनल बैंक की शाखा आबूलेन में होंम लोन हेतू बन्धक की गयी है तथा उक्त ऋणियों द्वारा खाता नियमित न चलने के कारण बैंक अपनी कानूनी कार्यवाही करते हुए उक्त बन्धक सम्पत्ति जिसका कब्जा पंजाब नेशनल बैंक, शाखा आबूलेन मेरठ कैन्ट के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया जाना है।

अतः किसी भी व्यक्ति विशेष व संस्था को कोई भी आपत्ति उक्त बंधक सम्पत्ति से सम्बंधित हो तो वह उक्त बैंक शाखा में विज्ञापन की दिनांक से 10 दिन के अन्दर सम्पर्क करें अन्यथा की रिथति में बैंक यह मानेगा की किसी भी व्यक्ति व संस्था को कोई आपत्ति नहीं है और बैंक का पूर्ण अधिकार है कि बैंक अपना भौतिक कब्जा प्राप्त कर सकता है व सम्पत्ति को बेच अपना ऋण वसूल सकता है।

प्राधिकृत अधिकारी दिनांक:- 10.01.2020 स्थान:- मेरठ

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्व में कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड) CIN: L65110TH2014PLC097792

पंजीकृत कार्यालय: केआरएम टावर्स, 8वॉ तल, हैरिग्टन रोड, चेतपेट, चेन्नई-600031 टेली.: +91 44 4564 4000, फैक्स: +91 44 4564 4022 प्राधिकृत अधिकारी: श्री अमृत पाल सिंह गिल/ सम्पर्क नं. +91-9999776185

#### परिशिष्ट-IV-ए (देखें नियम 8 (6) का प्रावधान] अचल सम्पत्तियों की बिक्री के लिये बिक्री सूचना

प्रतिभृति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8 (6) के प्रावधानों के साथ पठित वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत अचल परिसम्पत्तियों की ई-नीलामी बिक्री सचना

एतद्द्वारा आम जनता तथा विशेष रूप से ऋणधारक (कों) तथा गारन्टर (रों) को सूचित किया जात है कि प्रतिभृत क्रेडीटर के पास गिरवी/ चार्ज्ड नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति जिसका ( आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड तात्कालिक कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड अब, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड रं समामेलित के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा **भौतिक कब्जा** किया गया है, की मै. जिलिअन इन्फ्रा प्रॉजेक्ट्स प्रा. लि., दुरहा विट्टिक प्रा. लि., अनंत सक्सेना, राकेश सक्सेना, नवल सक्सेना, आंचल सक्सेना तथा शेखर सक्सेना (सह-ऋणधारक (कों) से आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के बकाये 27.11.2017 को आईएनआर 3,70,06,651/- की वसूली के लिये 30.01.2019 को ''जैसा है जहां है'', ''जैसा है जो भी है'' तथा ''जो कुछ भी वहां है'' आधार पर बिक्री की जायेगी। आरक्षित मल्य आईएनआर 1,80,00,000/- (रुपये एक करोड अस्सी लाख मात्र) होगी।

अचल सम्पत्ति का विवरण व्यावसायिक स्थान/ शॉप नं. 1, 2रा तल, रेक्टा. नं. 29, किल्ला नं. 10 एवं 11, हांगकांग बाजार,

बिक्री के विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिये कृपया आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की वेबसाईट अर्थात

www.idfcfirstbank.com में दी गई लिंक देखें।

इन्टीग्रेटेड कैपिटल सर्विसेस लिमिटेड CIN: L74899DL1993PLC051981

पंजी. कार्यालय: 606, नई दिल्ली हाउस, बाराखंबा रोड, नई दिल्ली-110001

31 दिसम्बर, 2019 को समाप्त तिमाही तथा नौ महीने के लिए समेकित अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों का विवरण

	विवरण		अ	नंकेक्षित	
		समाप्त 3 महीने	चालू अवधि की तिथि तक वर्ष के आंकड़े	पूर्व वर्ष में समाप्त तत्स्थानीय 3 महीने	समाप्त पूर्व व की तिथि तक वर्ष के आँक
		31.12.2019	31.12.2019	31.12.2018	31.3.2019
1.	परिचालनों से कुल आय	13.22	79.14	28.79	157.70
2.	अवधि के लिये शुद्ध लाभ (कर से पूर्व)	(19.31)	(4.53)	9.53	(394.63)
3.	अवधि के लिये शुद्ध लाभ (कर से पश्चात)	(13.78)	(2.32)	13.95	(402.99)
4.	कुल व्यापक आय (कर के बाद अवधि के लिये लाभ/हानि तथा अन्य व्यापक आय (कर के बाद) से शामिल	(13.78)	(2.32)	13.95	(403.16)
5.	प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी (सम मूल्य रु. 1/- प्रति)	355.84	355.84	355.84	355.84
6.	आय प्रति शेयर (सममूल्य रुपये 1/- प्रति (वार्षिकीकृत नहीं)				
	- मूल तथा तरल आय प्रति शेयर (रु. में)	(0.04)	(0.01)	0.04	(1.13)

1. उपरोक्त अनंकेक्षित समेकित वित्तीय परिणामों की ऑडिट कमिटी द्वारा समीक्षा की गई तथा 11 जनवरी, 2020 को आयोजित उनकी बैठक में निदेशक मंडल 2. कंपनी के सांविधिक लेखा–परीक्षकों ने सेबी (सूचीयन दायित्व एवं उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के विनियमन 33 के अनुपालन में अनंकेक्षित समेकित

वित्तीय परिणामों की सीमित समीक्षा की है तथा उस पर अपनी सीमित समीक्षा रिपोर्ट जारी किये हैं। 3. कंपनी तथा उसकी सहायकों/एसोसिएट्स के अनंकेक्षित समेकित वित्तीय परिणामों को कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के प्रावधान के अनुसार कंपनी ( भारतीय

लेखा मानक) नियमावली, 2015 के अंतर्गत अधिसूचित रूप में भारतीय लेखा मानक 110 (''इंड एएस'') के सिद्धातों एवं प्रक्रिया के अनुसार तैयार किया गया 4. कंपनी (इंड एएस) नियमावली, 2015 के अंतर्गत अधिसूचित तथा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के प्रावधान के अनुसार इंड एएस-108 'प्रचालन खंडों' के

प्रावधानों के अनरूप समह का प्रचालन शीर्ष ''कंसल्टैन्सी एवं परामर्श सेवाओं का प्रावधान'' के अंतर्गत आता है जिसे प्रबंधन द्वारा विवरण देने योग्य केवल एक खंड माना गया है। इन्टीग्रेटेड कैपिटल सर्विसेस लिमिटेड, धारक कम्पनी के उद्देश्य उपबंध में परिवर्तन के अनुसार इस कम्पनी का क्रियाकलाप दिवाला तथा दिवालिया से संबंधित मामलों में परामर्श के प्रकृति की सेवाऐं उपलब्ध कराना है। कुछ पूर्वापेक्षाओं की पूर्णता पर कम्पनी दिवाला तथा दिवालिया संहिता, 2016 के प्रावधानों तथा उसके अंतर्गत नियमों/विनियमनों के अनुसार इन्साल्वेन्सी प्रॉफेश्नल सत्ता के रूप में पंजीकृत करने के लिये भारत दिवाला तथा दिवालिया मंडल में आवेदन करेगा।

5. इस वित्त वर्ष के दौरान कम्पनी ने समेकित वित्तीय परिणामों के प्रकाशन का चयन किया है। 201 को समाप्त तिमाही के लिये कम्पनी के स्टैण्डएलॉन तथा समेकित वित्तीय परिणाम कम्पनी की वेबसाईट www.raas.co.in तथा बंबई स्टॉक एक्सचैंज वेबसाईट www.bseindia.com पर दिए गए हैं। 6. मुख्य वित्त अधिकारी ने प्रमाणित किया है कि 31 दिसम्बर 2019 को समाप्त तिमाही तथा नौ महीने के वित्तीय परिणामों में कोई भी गलत या भ्रामक विवरण

अथवा आंकडे शामिल नहीं है तथा ऐसे किसी भौतिक तथ्यों को छिपाया नहीं गया है जो इन विवरणों एवं आंकड़ों को भ्रामक बनाए। 7. 31 दिसम्बर, 2019 को समाप्त तिमाही तथा नौ महीने के लिए स्टैण्डएलॉन आधार पर कम्पनी के आंकड़ेः 31 दिसम्बर, 2019 को समाप्त नौ महीने | 31 दिसम्बर, 2019 को समाप्त तिमाही

iii) कर के बाद लाभ, अन्य व्यापक आय सहित (28.21) (15.03) 8. उसे चालू अवधि के लिए वर्गीकरण के अनुरूप बनाने के लिये जहां भी जरूरी हुआ, पूर्व अवधि के आंकड़े पुनर्वर्गीकृत/पुनर्व्यवस्थित किए गए हैं। बोर्ड के आदेश से इन्टीग्रेटेड कैपिटल सर्विसेस लिमिटेड के लिए

> सजीव ड्योर DIN: 00003305

(28.95)

तिथि: 11 जनवरी, 2020 स्थानः नई दिल्ली

टर्न ओवर

ii) कर से पूर्व लाभ

( निदेशक

(14.18)

तिथि: 13.01.2020 प्राधिकृत अधिकारी

नई दिल्ली

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लि

IDFC FIRST Bank

# भीलों को आपराधिक प्रवृत्ति

इंदौर/भोपाल, 13 जनवरी (भाषा)।

मध्य प्रदेश की राज्य प्रशासनिक सेवा की रविवार को आयोजित प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्नपत्र में भील समुदाय के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियों से विवाद खड़ा हो गया है जिसके बाद भाजपा ने दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। दूसरी ओर कांग्रेस के एक विधायक ने मुख्यमंत्री से खेद जताने की मांग भी

प्रश्नपत्र के एक गद्यांश में 'आपराधिक प्रवृत्ति' वाले लोगों के रूप में भीलों का विवादास्पद सामान्यीकरण किया गया है। इसके साथ ही, विवाह से जुडी एक प्रथा के कारण भील समुदाय को शराब में डूबती जा रही जनजाति बताया गया है। इस पर मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव और भाजपा विधायक राम दांगोरे समेत कांग्रेस के कुछ विधायकों ने दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है. तो वहीं कांग्रेस विधायक लक्ष्मण सिंह ने कहा कि इस मामले में मुख्यमंत्री कमलनाथ को भी सदन में खेद व्यक्त करना चाहिए।

विवाद बढने के बीच मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (एमपीपीएससी) की सचिव रेणु पंत ने सोमवार को कहा, 'यह मामला दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन प्रश्नपत्र में संबंधित गद्यांश रखे जाने के पीछे किसी भी व्यक्ति की कोई दुर्भावना नहीं थी। हम देख रहे हैं कि यह चूक कैसे हुई और इसे दुरुस्त करने के लिए हम कौन-सा कदम उठा सकते हैं।'

उन्होंने सफाई देते हुए कहा कि एमपीपीएससी की आयोजित भर्ती परीक्षाओं के प्रश्नपत्र तैयार करने वाले लोगों को हमेशा हिदायत दी जाती है कि वे इनमें किसी भी वर्ग की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली विषयवस्तु न रखें। प्रदेश के खंडवा जिले के पंधाना क्षेत्र के भाजपा विधायक राम दांगोरे (30) ने भी

मामले में आपत्ति जताई है। पेशे से अध्यापक दांगोरे भील जनजाति से ही ताल्लुक रखते हैं। वह एक उम्मीदवार के रूप में उसी एमपीपीएससी परीक्षा में शामिल हुए थे जिसके पर्चे में इस समुदाय को लेकर विवादास्पद गद्यांश रखा गया था।

#### प्रश्नपत्र निर्माता, जांचकर्ता से जवाब-तलब

इंदौर, 13 जनवरी (भाषा)।

मध्य प्रदेश की राज्य प्रशासनिक सेवा की प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्नपत्र में भील समुदाय पर आपत्तिजनक टिप्पणियों को लेकर एमपीपीएससी प्रशासन ने इस चूक पर सोमवार को अफसोस जाहिर किया। इसके साथ ही, विवादास्पद प्रश्नपत्र तैयार करने वाले व्यक्ति और तैयार पर्चे को छपाई से पहले जांचने वाले शख्स से हफ्ते भर में जवाब मांगा गया है।

प्रश्नपत्र को लेकर मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (एमपीपीएससी) के अध्यक्ष भास्कर चौबे ने यहां संवाददाताओं से कहा, '(प्रश्नपत्र तैयार करने में) जो भी चूक हुई, वह नहीं होनी चाहिए थी। इस मामले में एमपीपीएससी को क्षोभ है और इससे मैं खुद भी दुःखी हूं। उन्होंने कहा, 'हम पता लगा रहे हैं कि राज्य प्रशासनिक सेवा की प्रारंभिक परीक्षा का प्रश्नपत्र तैयार करने में चूक कैसे हुई? हमने संबंधित प्रश्नपत्र के सेटर (प्रश्नपत्र तैयार करने वाला व्यक्ति) और मॉडरेटर (तैयार पर्चे को छपाई से पहले जांचने वाला शख्स) को नोटिस जारी कर उनसे सात दिन के भीतर जवाब-तलब किया है। नोटिस के जवाब के आधार पर आगामी कदम उठाया जाएगा।'

## असम: सामाजिक अध्ययन की किताबों में विसंगतियों की जांच का आदेश

गुवाहाटी, 13 जनवरी (भाषा)।

जनसत्ता ब्यूरो

असम सरकार ने असमिया माध्यम वाले स्कूलों के लिए सातवीं कक्षा की सामाजिक अध्ययन पाठ्यपुस्तक के कुछ अध्याय दुसरी भाषाओं में पाए जाने पर जांच का आदेश दिया है।

एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि अतिरिक्त मुख्य सचिव (शिक्षा) मनिंदर सिंह उन स्थितियों की जांच करेंगे, जिसके कारण पाठ्यपस्तक में इस प्रकार की विसंगतियां हुईं। वह सात दिन के भीतर रिपोर्ट सौंपेंगे। सबसे पहले माजली जिले के दो स्कूलों में इस चूक का पता चला।

राज्य सरकार ने 'गीगाबाइट प्रेस एंड

पब्लिकेशन', नगांव के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया है। किताब के प्रकाशन की जिम्मेदारी इसी को दी गई थी। शिक्षा विभाग को भी पाठ्यपुस्तकों की देख-रेख और वितरण के लिए जिम्मेदार राज्य स्तरीय. जिला स्तरीय और प्रखंड स्तरीय अधिकारियों के साथ स्कूलों के प्रमुखों के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी करने का निर्देश दिया गया है।

सरकार ने सभी जिला स्तरीय शिक्षा अधिकारियों और शिक्षकों को निर्देश जारी कर सावधानीपूर्वक पाठ्यपुस्तकों का निरीक्षण करने और किसी भी तरह की विसंगति पाए जाने पर अवगत कराने को कहा है ताकि उन कमियों को दुर किया जा सके।

#### तेलंगाना में दो समुदायों के बीच झड़प

हैदराबाद, 13 जनवरी (भाषा)।

तेलंगाना के निर्मल जिले के सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील भैंसा करबे में दो समूहों के बीच मामूली से मुद्दे पर शुरू हुई झड़प हिंसक हो गई, जिसमें तीन पुलिस अधिकारियों समेत 11 लोग घायल हो गए।

पुलिस ने सोमवार को बताया कि रविवार रात को साइलेंसर निकालकर मोटरसाइकल चलाने के मामले में मामूली सी बात पर दो समुदायों के बीच

बहस हो गई। इसके बाद दोनों समूहों ने एक दूसरे पर हमला, पथराव और आगजनी की। उन्होंने बताया कि पुलिस ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 लागू करके हालात को काबू में किया।

एक वरिष्ठ पुलिस

अंतरिम संकल्प पेशेवर द्वारा निर्धारित

कार्य करने के लिए पहचाने जाते हैं

(प्रत्येक वर्ग के लिए तीन नाम)

दिवालियापन पेशेवरों के नाम एक वर्ग में

अधिकारी ने बताया, 'भैंसा करबे के अन्य हिस्सों में सोमवार को पथराव की घटनाएं

हुईं। दो समूहों ने एक दूसरे पर पथराव किया लेकिन अब हालात नियंत्रण में हैं।'

कंड्रेसिड इंडस्ट्राज ।त्त. पंजी. कार्यालयः डी-90, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फेज-I, नई दिल्ली-110020 CIN: L74899DL1992PLC051527 टेली: +91-11-26818840/8642, फैक्स: +91-11-26811959, 26817225 ईमेलः cs@kei-ind.com, वेबसाईटः www.kei-ind.com एतदह्वारा सचित किया जाता है कि कम्पनी द्वारा जारी की प्रमाणपत्र के गम होने/खो जाने की सचना दी गई है तथा उसके

संबंधित शेयरधारक ने कम्पनी/आरटीए के पास डुप्लिकेट शेयर प्रमाणपत्र जारी करने के लिये आवेदन किया हैं।

यदि उक्त शेयर प्रमाणपत्र के सिलसिले में सम्पत्ति में किसी भी व्यक्ति का कोई दावा(वे) हों, वे दिये गये पते पर उसके पंजीकृत कार्यालय में इस सचना के प्रकाशन के पन्द्रह दिनों के भीतर ऐसे दावे दाखिल करें जिसके बाद किसी भी दावे पर विचार नहीं होग तथा कंपनी द्वारा डुप्लिकेट शेयर प्रमाणपत्र जारी की जायेगी। केईआई इंडस्ट्रीज लिमिटेड के लिए

🕊 पंजाब नैशनल बैंक

स्थानः नई दिल्ली

तिथि: 13.1.2020

हमारे द्वारा दि. 12.01.2020 को फाइनेंशियल एक्सप्रेस व जनसत्ता में एक विज्ञापन सीलबन्द निविदा के माध्यम से वाहन की विक्रय हेत् सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन किया गया था। उक्त सूचना में निविदा समापन की तारीख में आंशिक रूप से संशोधित करते हुए इसे 22.01.2020 (बुधवार) किया गया है, शेष प्राधिकृत अधिकारी यथावत रहेगा।

शुद्धि पत्र

पंजाब नेशनल बैंक फॉर्म-ए

सार्वजनिक घोषणा (भारतीय दिवाला एवं शोधन अक्षमता बोर्ड कॉर्पोरेट व्यक्तियों हेत् दिवाला प्रस्ताव प्रक्रिया विनियमावली. 2016 के विनियम 6 के अधीन)

	प्रासंगि	कि विवरण
1.	कॉर्पोरेट ऋणी का नाम	डी. आई. पैकेजिंग प्राईवेट लिमिटेड
2.	कॉर्पोरेट ऋणी के गठन की तिथि	20.12.2016
3.	प्रधिकरण जिसके अधीन कॉपॉरेट ऋणी गवित/पंजीकृत है	रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज – दिल्ली
4.	कॉर्पोरेट ऋणी की कॉर्पोरेट आइडेंटिटी संख्या / सीमित देयता पहचान संख्या	U21098DL2006PTC156833
5.	कॉर्पोरेट ऋणी के पंजीकरण कार्यालय तथा प्रधान कार्यालय (यदि कोई) का पता	पंजी. कार्याः ए-48, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फेज-। दिल्ली-110020
6.	कॉर्पोरेट ऋणी के सम्बन्ध में दिवाला आरम्भ तिथि	माननीय एनसीएलटी दिल्ली का आदेश दिनांक 17-12-2019 (आवेदक परिवालक लेनदार से कॉपॉरेट देनदार की सूचना और विवरण प्रान्ती की तिथि 11.01.2020)
7.	दिवालियापन संकल्प प्रक्रिया को बंद करने की अनुमानित तारीख	09.07.2020 (आईआरपी की नियुक्ति की सूचना की तिथि से 180 दिन, अर्थात 11.01.2020 से संगणित)
8.	अंतरिम समाधान पेशेयर का पता और ईमेल पता जो समिति के पास पंजीकृत हो	श्री पुनीत संबदेव पंजी.सं:IBBI/IPA-001/IP-P01124/2018-19/1182
9,	अंतरिम समाधान पेशेयर के साथ पत्राचार पता और ईमेल पता जो समिति के पास पंजीकृत हो	पंजी. पताः ए-5 / 105-सी, पश्चिम विहार, नई दिल्ली 110063 इंमेल: psachdev78@gmail.com
10.	अंतरिम समाचान पेशेवर के साथ पत्राचार, के लिए उपयोग किए जाने वाला पता और ई—मेल	पताः 305, दीप किस्ता बिल्डिंग, 8, राजेन्द्रा प्लेस, नई दिल्ली-110008. ईमेल: irpdipackagings@gmail.com
11.	दावों के निवेदन की अंतिम तिथि	25.01.2020 (आइआरपी की नियुक्ति की सूचना की तिथि से संगणित)
12.	धारा 21 के उपधारा (6ए) के खंड (बी) के तबत लेनदारों की ककाएं यदि कोई हों	लागू नहीं है

4. (क) प्रासंगिक फार्म और (ख) अधिकृत प्रतिनिधियों का विवरण https://www.ibbi.gov.in/home/downloads ख) लागू नहीं है तदद्वारा सुचित किया जाता है कि **माननीय राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण** द्वारा दिनांव 17.12.2019 को **डी. जाई. पैकेजिंग प्राईवेट लिमिटेड** के खिलाफ कॉर्पोरेट दिवालियापन प्रस्ताव प्रक्रिय शुरू करने का आदेश दिया गया है।

**डी. आई. पैकेजिंग प्राईवेट लिमिटेड** के लेनदार (क्रेडिटर्स) को 25.01.2020 तक या उससे पहले अपने दावों का सबू प्रमाण राहित प्रस्तुत करने के लिए कहा जाता है, जो एंट्री नं. 10 में उल्लिखित पते पर अंतरिम रामाधान पेरॉवर को देना है। वित्तीय लेनदार केवल इलेक्ट्रॉनिक साधनों के द्वारा दावों का सबूत प्रमाण सहित जमा करेंगे। अन्य स॰ लेनदार पोस्ट द्वारा या इलेक्ट्रॉनिक माध्यमाँ द्वारा या व्यक्तिगत रूप से अपने–अपने दावों का सबत प्रमाण दावों के संदर्भ में झूठे या भ्रामक सबूत प्रस्तुत करने पर जुर्माना देय होगा।

(पुनीत सचदेव) अंतरिम समाधान प्रोफेशनल्स दिनांक: 13-01-2020 डी. आई. पैकेजिंग प्राईवेट लिमिटेड स्थान: नई दिल्ली पंजीकरण संख्याः IBBI/IPA-001/IP-P01124/2018-19/11821

#### MARUTI & SUZUKI मारूति सुजुकी इंडिया लिमिटेड CIN: L34103DL1981PLC011375 पंजीकृत कार्यालयः प्लाट नं01, नेलसन मंडेला रोड वसंत कुंज, नई दिल्ली-110070 Tel: 011-46781000, Fax: 011-46150275/76

(किशोर कुणाल)

जीएम (कॉर्पोरेट) तथा कंपनी सचिव

www.marutisuzuki.com, investor@maruti.co.in ारतीय प्रतिभृति और विनियम बोर्ड (सुचीबद्धः 2015 के विनियम 47 के अनुसार एतदहारा सूचित किर जाता है कि 31 दिसम्बर, 2019 को समाप्त हुई तिमाही र लिये कम्पनी के अलेखापरीक्षित वितीय परिणामों पर विचार और खीकृति डेतु कम्पनी के निदेशक मंडल की बैठव मंगलवार, 28 जनवरी, 2020 को आयोजित की जाएगी। bपया अधिक जानकारी के लिए कम्पनी की वेबसा

www.marutisuzuki.com) या वी एस ई लिमिटे (www.bseindia.com) या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडियां लिमिटेड (www.nseindia.com) पर सम्पंक करें। वास्ते मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड

संजीव ग्रोवर नई विल्ली उप-अध्यक्ष एवम् 13 जनवरी, 2020 कम्पनी सचिव

**KE**। केईआई इंडस्ट्रीज लि. फेज-I, नई दिल्ली-110020 CIN: L74899DL1992PLC051527 टेली: +91-11-26818840/8642/5558/5559 फैक्सः +91-11-26811959/7225

ई-मेलः cs@kei-ind.com वेबसाईटः www.kei-ind.com सेबी (सूचीयन दायित्व तथा उद्घाटन अपेक्षा)

विनियमन, 2015 के विनियमन 29, विनियमन 33 तथा विनियमन 47 के साथ पठित कम्पनी अधिनियम 2013 के लाग होने वाले अन्य प्रावधानों के अनुपालन में एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि कंपनी के निदेशक मंडल की एक बैठक सोमवार, 20 जनवरी, 2020 को आयोजित की जाएगी जिसमें अन्य विषयों के साथ 31 दिसम्बर, 2019 को समाप्त तीसरी तिमाही तथा नौमाही के अनंकेक्षित स्टैण्डएलान तथा समेकित वित्तीय परिणामों पर विचार तथा अनुमोदन पुनः कम्पनी द्वारा निर्मित ट्रेडिंग को विनियमन

निगरानी तथा रिपोर्ट करने की आचार संहिता के साथ पठित सेबी (इंसाइडर टेडिंग निषेध) विनियमन 2015 के अनुपालन में कम्पनी के सभी विनिर्दिष्ट व्यक्तियों (और उनके खास रिश्तेदारों) के लिये कम्पनी के ट्रेडिंग विण्डो 1 जनवरी, 2020 से कम्पनी के वित्तीय परिणाम घोषित होने के 48 घण्टे पश्चात अर्थात 22 जनवरी, 2020 (दोनों दिवस सहित) तक बंद रहेंगे।

अधिक विवरणों के लिए निवेशक कंपनी की वेबसाईट (www.kei.ind.com) तथा स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाईट (www.bseindia.com) तथा (www.nseindia. com) देख सकते हैं। केईआई इंडस्ट्रीज लिमिटेड के लिए

> (अनिल गुप्ता) अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक DIN: 00006422

स्थानः नई दिल्ली

तिथि: 13.01.2020

#### इण्डियन ओवरसीज़ बैंक 👧 Indian Overseas Bank 🛛 ट्राज्या स्पित्त हेतु (नियम ८(१)) क्षेत्रीय कार्यालय, 595 मलिक चौक, इंद्रा नगर, देहरादून, उत्तराखण्ड

नई दिल्ली, 13 जनवरी केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने अपने मंत्रालय में काम न करने वाले और उसमें बाधक बने अधिकारियों को बाहर का रास्ता दिखाने की चेतावनी दी है। गडकरी ने कहा है कि ऐसे अधिकारी जो

लालफोताशाही बर्दाश्त

नहीं करेंगे: गडकरी

फाइलें दबाकर बैठे रहते हैं और न तो ख़ुद कोई फैसला करते हैं और न दूसरों को करने देते हैं उन्हें बाहर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि लालफीताशाही हरगिज बर्दाश्त नहीं की जाएगी। गडकरी ने सोमवार को यहां सड़क सुरक्षा से जुड़े संगठनों की बैठक में स्पष्ट कहा कि धैर्य की सीमा होती है। उन्होंने कहा कि ऐसे अधिकारी जो समय पर निर्णय न कर सड़क सुरक्षा से समझौता करते हैं या जो विस्तृत

परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) में गड़बड़ी या गलत सड़क इंजीनियरिंग के लिए जिम्मेदार हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मंत्री ने कहा कि भारत ऐसा देश है जहां आतंकवाद या नस्लवाद की वारदात से ज्यादा लोग सड़क दुर्घटनाओं में मारे जाते हैं। उन्होंने इस परिदृश्य को 'दुर्भाग्यूपर्ण और दर्दनाक' करार दिया। सड़क मंत्री ने कहा कि दुर्घटनाओं को रोकने के तमाम प्रयासों के

बावजूद भारत इस मामले में दुनिया में पहले नंबर पर है। यहां सड़क हादसों में मारे जाने वाले व्यक्तियों में 65 प्रतिशत 18 से 35 साल के बीच के होते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार में कम न करने वाले, बेकार पड़े निखट्ट अधिकारियों को बाहर किया जाएगा। किसी तरह की हिचकिचाहट नहीं होगी। ऐसे अधिकारियों में संवेदना नहीं होती और उनमें निर्णय लेने की योग्यता नहीं होती। वे गलत डीपीआर तैयार करते हैं और बरसों तक फाइल दबाकर बैठते हैं। वे न तो ख़ुद कोई फैसला करते हैं और न ही दूसरों को करने देते हैं। किसी के धैर्य की सीमा होती है।



उज्जीवन स्मॉल फाइनैंस बैंक लिमिटेड पंजीकृत कार्यालयः प्लॉट नं. 2364/8, खामपुर राया गांव, शादी कामपुर, मेन पटेल रोड, नई दिल्ली-110 008, भारत; फोनः + 91 11 3043 2121 **कॉर्पोरेट कार्यालय**ः ग्रेप गार्डन, नं. 27, थर्ड 'ए' क्रॉस, 18 मेन, 6 ब्लॉक, कोरमंगला, वेंगलूरु-560 095, कर्नाटक, भारत; फोनः + 91 80 4071 2121 वेबसाइट : www.ujjivansfb.in; ई-मेल : chanchal.kumar@ujjivan.com कॉर्पोरेट पहचान संख्या: U65110DL2016PLC302481

#### सूचना

एतदद्वारा सचित किया जाता है कि भारतीय प्रतिभृति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण आपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 29 के साथ पठित विनियम 47 के अनुसरण में बैंक के निदेशक मंडल की बैठक बुधवार, 22 जनवरी 2020 को होगी जिसमें अन्य विषयों के साथ 31 दिसंबर, 2019 को समाप्त तिमाही के लिए बैंक के अनांकेक्षित वित्तीय परिणामों पर विचार और अनुमोदन किया जाएगा।

यह सूचना बैंक की वेबसाइट www.ujjivansfb.in पर 'निवेक्राक संबंध' अनुभाग के साथ-साथ बैंक के शेयर जिन स्टॉक एक्सचेंजों पर सूचीबद्ध है उनकी वेबसाइट www.bseindia.com और www.nseindia.com, पर उपलब्ध है।

कृत उज्जीवन स्मॉल फाइनैंस बैंक लिमिटेड

स्थानः बेंगलूरु तिथि: जनवरी 13, 2020

www.readwhere.com

चंचल कुमार कम्पनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी

प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 3 के साथ पढ़ते हुए अनुच्छेद—13 (12) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इण्डियन ओवरसीज बैंक के प्राधिकत अधिकारी ने सम्बन्धित ऋणी / ऋणियों को प्रत्येक के नाम के सामने दर्शाये गये खाते में उनके नामों के सामने दी गई तारीखों पर नोटिस प्राप्ति की तारीख / उक्त नोटिस की तारीख से 60 दिनों में बकाया राशि अदा करने के लिए मांग नोटिस जारी किया गया था। ऋणी / ऋणियों द्वारा राशि अदा करने में असफल रहने पर ऋणी / ऋणियों और जन सामान्य को नोटिस दिया जाता है कि प्राधिकृत अधिकारी ने खाते के सामने दी गई तारीख को उक्त नियमों के नियम-8 के साथ पढ़ते हुए उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के अन्तर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे दी गई सम्पत्ति / सम्पत्तियों का कब्जा ले लिया है। ऋणी / ऋणियों को विशेष रूप से एवं जन सामान्य रूप से यह चेतावनी दी जाती है कि वे उक्त सम्पत्ति / सम्पत्तियों के सम्बन्ध में किसी प्रकार का लेन-देन न करें। इन सम्पत्ति / सम्पत्तियों से किसी प्रकार का लेन-देन **इण्डियन ओवरसीज बैंक, सम्बन्धित शाखा** को देय राशि एवं उस पर अर्जित ब्याज के चार्ज के पूर्ण भूगतान के पश्चात ही किया जा सकता है। "उधारकर्त्ता(ओं) का ध्यान प्रतिभव आस्वियों के मोचन के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप धारों (8) के उपबंधों की ओर आकार किया जाता है।"

東東	शाखा / ऋणी / बंधककर्ता के नाम	बंधक सम्पत्ति का विवरण	मांग सूचना की तिथि	कब्जा सूचना की तिथि	बकाया राशि
1.	शाखाः नैनीताल (2804)  ऋणी/बंधककर्ताः आयुष रेस्टोरेंट एवं जरनल स्टोर प्रोपराइटर श्री राजेन्द्र सिंह विष्ट पुत्र श्री नारायण सिंह विष्ट, ग्राम- बलता बरी, पट्टी खासपुर्जा, निकट ईसीओ पार्क पपरसेली, अल्मोड़ा, उत्तराखण्ड- 263601	वंधक आवासीय भवन माप 1 नल्ली अर्थात् 200 वर्ग मीटर स्थित ग्राम- वल्टा वरी, पट्टी खासपुर्जा, निकट ईसीओ पार्क, पपरसेली, अल्मोड़ा, खाता नं0 03 वर्तामान 04, वसरा नं0 10, सर्वे नं0 540, सम्पत्ति स्वामी श्री राजेन्द्र सिंह विष्ट। सीमार्थे:- पूर्वः श्री धनसिंह का प्लॉट, पश्चिमः श्री धनसिंह का प्लॉट, उत्तरः सुखी नदी, दक्षिणः श्री प्रताप सिंह का प्लॉट।	27.12.2018	AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE	50 11,59,137/- दिनांक 31.12.2019 + आगे के व्याज एवं अन्य खर्चे
2.	शाखाः काशीपुर (2217) ऋणीः मैसर्स श्री कृष्णा व्रिक्स इंडस्ट्रीज प्रोपराइटर श्री धीरज शर्मा पुत्र श्री नरेश कुमार शर्मा, ग्राम- बरखेरा पाण्डेय, पोस्ट- काशीपुर, तहसील- काशीपुर, उत्तराखण्ड- 244713 गारन्टर वंषककर्ताः श्री नीरज कुमार शर्मा पुत्र श्री नरेश कुमार शर्मा, निवासीः ग्राम- बरखेरा पाण्डेय, पोस्ट- काशीपुर, तहसील- काशीपुर, जिला- उथम सिंह नगर- 244713 गारन्टरः 1. श्री सीता राम पुत्र गुलाब सिंह, निवासीः ग्राम- बरखेरा पाण्डेय, पोस्ट- काशीपुर, तहसील- काशीपुर, जिला- उथम सिंह नगर- 244713। 2. श्री व्रजराज सिंह पुत्र गजराम सिंह पुत्र ग्राम- कृकर झुंडी, पोस्ट- मेवला कलां, मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश। सम्पत्ति नं0 3. बंधक सम्पत्ति के सभी भाग व खंड भूमि खस् जसपुर, जिला- उथम सिंह नगर, सम्पत्ति स्वामी श्री नीरज कुमार	सम्पत्ति नं0 1. वंधक सम्पत्ति के सभी भाग व खंड खसरा नं0 343 मिन क्षेत्रफल 184.01 वर्ग मीटर स्थित ग्राम- डीमरखेडा, तहसील- काशीपुर, जिला- उधम सिंह नगर। सम्पत्ति स्वामी श्री नीरज कुमार शर्मा (गारन्टर) पुत्र नरेश कुमार शर्मा स्थित ग्राम- वरखेरा पाण्डेय, पोस्ट- काशीपुर, तहसील- काशीपुर, उत्तराखण्ड। सीमार्ये:- पूर्वः विक्रेता की सम्पत्ति, पश्चिमः महुआखेडा गंज रोड, उत्तरः विक्रेता की सम्पत्ति, दक्षिणः क्रेता की सम्पत्ति। सम्पत्ति नं0 2. वंधक सम्पत्ति के सभी भाग व खंड खसरा नं0 343 मिन क्षेत्रफल 11.15 वर्ग मीटर स्थित ग्राम- डीमरखेडा, तहसील- काशीपुर, जिला- उधम सिंह नगर, सम्पत्ति स्वामी श्री नीरज कुमार शर्मा (गारन्टर) पुत्र श्री नरेश कुमार शर्मा निवासीः ग्राम- वरखेरा पाण्डेय, पोस्ट- काशीपुर, तहसील- काशीपुर, उत्तरः विक्रेता की सम्पत्ति, दक्षिणः क्रेता की सम्पत्ति। तहसील- काशीपुर, उत्तरः विक्रेता की सम्पत्ति, दक्षिणः क्रेता की सम्पत्ति। तहसील- काशीपुर, अत्तरः विक्रेता की सम्पत्ति, दक्षिणः क्रेता की सम्पत्ति। तहसील- काशीपुर, अत्तरः विक्रेता की सम्पत्ति, दक्षिणः क्रेता की सम्पत्ति। तहसील- काशीपुर, अत्तरः विक्रेता की सम्पत्ति, दक्षिणः क्रेता की सम्पत्ति। तहसील- काशीपुर, अत्तरः प्रवीन सिंह की शर्मा (गारन्टर) पुत्र श्री नरेश कुमार शर्मा, निवासीः ग्राम- वरखेरा पाण्डेय, । ।ई साहिव की भूमि, पश्चिमः 20 फीट चीडा रास्ता, उत्तरः प्रवीन सिंह की		10.01.2020	ह0 49,14,813/- दिनांक 31.12.2019 + आगे के ब्याज एवं अन्य खर्चे
3.	शाखाः काशीपुर (2217) ऋणीं/बर्धककर्ताः श्री संजीव कुमार शर्मा पुत्र श्री आर0डी0 शर्मा निवासीः श्यामपुरम काशीपुर, श्यामपुरम कॉलोनी, खरकपुर,	बंधक आबासीय भूमि एवं भवन स्थित बरखेरा कलां, तहसील- काशीपुर, जिला- उथम सिंह नगर खतौनी खाता नं0 30, 1415-20 एफ बरखेरा कलां एवं सब-रजिस्ट्रार ऑफिस काशीपुर विक्रेय विलेख दिनांक 21.10.2013, बुक नं0 1 पेज नं0 215 से 230 क्र0सं0 11441 दिनांक 21.10.2013		10.01.2020	ह0 10,90,768/- दिनांक 31.12.2019

देवीपुरा, उद्यम सिंह नगर, उत्तराखण्ड- 244713। + आगे के ब्याज पर पंजीकृत है। सम्पत्ति स्वामी श्री संजीव कुमार शर्मा पुत्र आर0डी0 एवं अन्य खर्चे <u>गारन्टरः</u> श्री राजेश कुमार शर्मा पुत्र श्री आर0डी0 शर्मा सी/ओ शर्मा, श्यामपुरम, काशीपुर, श्यामपुरम कॉलोनी, खरकपुर देवीपुरा, उधम आर0के0 कांट्रेक्टर, 546/ए, खड़कपुर, कटोरताल, काशीपुर, सिंह नगर, उत्तराखण्ड- 244713। सीमार्थे:- पूर्वः अन्य व्यक्ति की उधम सिंह नगर- 244713। **आवासीय पताः** श्यामपुरम कॉलोनी, सम्पत्ति, पश्चिमः 18 फीट बौडा रास्ता, उत्तरः श्री नीरज शर्मा की गीतमी हाइट्स होटल के पीछे, काशीपुर, उधम सिंह नगर, सम्पत्ति, दक्षिणः श्रीमती सर्वेश देवी की सम्पत्ति। उत्तराखण्ड- 244713। वंधक आवासीय सम्पत्ति ग्राम- कनकपुर, तहसील- काशीपुर, जिलां- 31.07.2019 10.01.2020 शाखाः काशीपुर (2217) 11,89,744/-ऋणीं /बधंककर्ताः श्री रतनलाल, ग्राम- खरकपुर, तहसील-उधम सिंह नगर, उत्तराखण्ड- 244713, खसरा नं0 1/5 मिन खाता नं0 काशीपुर, जिला- उधम सिंह नगर, उत्तराखण्ड- 244713 131 फसली वर्ष 1428-1423, माप क्षेत्रफल पूर्व 35 फीट, पश्चिम 35 31.12.2019 गारन्टर: श्रीमती निर्मेला देवी पत्नी श्री अशोक कुमार, मकान नं0 फीट, उत्तर 35.714 फीट, दक्षिण 35.714 फीट कुल क्षेत्रफल 1250 वर्ग + आगे के ब्याज 702, ग्राम-खड़कपुर देवीपुरा, काशीपुर, उधमसिंह नगर-244713 फीट एवं 116.7 वर्ग मीटर, सब-रजिस्ट्रार ऑफिस काशीपुर, विक्रेय विलेख एवं अन्य खर्चे दिनांक 12.11.2014 बुक नं0 1, जिल्द न0 4107 पेज 15-30 क्र0सं0 11477 दिनांक 12.11.2014 पर पंजीकृत है। सम्पत्ति स्वामी श्री रतनलाल। **सीमार्ये:**- पूर्वः अन्य का खेत, पश्चिमः 12 फीट चौडा कच्चा

रास्ता, उत्तरः राकेश कृमार की सम्पत्ति, दक्षिणः अन्य व्यक्ति की सम्पत्ति। बंधक भूमि एवं भवन आवासीय सम्पत्ति खसरा नं0 159 मिन क्षेत्रफल 06.09.2019 10.01.2020 शाखाः काशीपुर (2217) 42,30,032/-ऋणीं: मैसर्स सिटी डेरी प्रोपराइटर श्री हसन अली पुत्र मीहम्पद 0.068 हैक्टेयर, स्थित ग्राम- जसपुर खुर्द, तहसील- काशीपुर, जिला-उथम सिंह नगर, सब-रजिस्ट्रार ऑफिस काशीपुर, अडल बुक नं0 1, पेज अली, गीता भवन, कानून गायों, काशीपुर, जिला- उधम सिंह 31.12.2019 105 से 108 जिल्द नं0 1014, क्र0सं0 2687 दिनांक 15.09.1998 नगर, उत्तराखण्ड- 244713। - आगे के व्याज पर पंजीकृत है। सम्पत्ति स्वामी सबी हुसैन पुत्र श्री मलखे, मौहल्ला गारन्टर/बंधककर्ताः श्री सबी हुसैन पत्नी श्री मलखे, काजीबाग. एवं अन्य खर्चे काजीबाग, काशीपुर, उधम सिंह नगर, उत्तराखण्ड- 244713। सीमार्थे:-काशीपुर, उधम सिंह नगर, उत्तराखण्ड- 244713 पूर्वः स्कूल की भूमि, पश्चिमः रास्ता, उत्तरः रास्ता, दक्षिण घासी की भूमि।

काशीपुर, तहसील- काशीपुर, जिला- उधम सिंह नगर, उत्तराखण्ड -2447131 शाखाः काशीपुर (2217) **ऋणीः** मैसर्स कम्बोज इलेक्ट्रॉनिक्स एवं इलेक्ट्रिक्ल प्रोपराइटर श्री मनोज कुमार कम्बोज पुत्र रामीतार सिंह कम्बोज, निवासीः

गारन्टर: श्री निजामुद्दीन पुत्र मीहम्मद जाकी, ग्राम- बाइलीजुरी,

विजय नगर, नई बस्ती, निकट स्टेडियम, मानपुर रोड, उत्तराखण्ड |

ऋ**र्णी ∕बंधककर्ताः** श्री प्रमोद कुमार पुत्र रामौतार सिंह कम्बोज निवासीः विजय नगर, नई बस्ती, निकट स्टेडियम, मानपुर रोड,

<u>बंधककर्ताः</u> श्री सतीश कुमार पुत्र रामीतार सिंह कम्बोज, निवासीः विजय नगर, नई बस्ती, निकट स्टेडियम, मानपुर रोड, उत्तराखण्ड-244713। <u>गारन्टरः</u> श्री गगन कम्बोज पुत्र श्री राकेश कम्बोज सिंह, 217, कटरा ताल, वार्ड 20, विजय नगर, काशीपुर, उधम सिंह नगर, उत्तराखण्ड-244713 शाखाः काशीपुर (2217)

पुत्र कन्हैया लाल गुप्ता, निवासीः मकान नं0 5, राधा हरिपुरम, काशीपूर, उधम सिंह नगर, उत्तराखण्ड- 244713 गारन्टर: 1. श्री विनोद कुमार पुत्र स्व0 कन्हैया लाल, निवासीः कच्छल गुसाई, काशीपुर, उधम सिंह नगर, उत्तराखण्ड- 244713।

दिनांकः 13.01.2020

विक्रेता की भूमि, दक्षिणः मुकेश कुमार विक्रेता की भूमि।

स्थान-देहरादून

कच्चा रास्ता, दक्षिणः रणवीर सिंह की भूमि।

बंधक भूमि खसरा नं0 276 मिन माप क्षेत्रफल पूर्व 15 फीट, पश्चिम 15 24.10.2019 10.01.2020 ऋणीं /बंधकतर्ताः सभी जीवित कानुनी उत्तराधिकारी स्व0 श्री फीट, उत्तर 55 फीट एवं दक्षिण 55 फीट, कुल क्षेत्रफल 825 वर्ग फीट बब्बन गुप्ता पुत्र स्व0 कन्हैया लाल गुप्ता, एवं श्री श्यामजी गुप्ता एवं 76.767 वर्ग मीटर, स्थित ग्राम- खरकपुर देवीपुरा, तहसील- काशीपुर, जिला- उथम सिंह नगर, उत्तराखण्ड। सम्पत्ति स्वामी स्व0 श्री बब्बन गुप्ता एवं श्यामजी गुप्ता। सीमायें:- पूर्वः 20 फीट चौडा कच्चा रास्ता, पश्चिमः श्रीमती राजरानी पत्नी जगवीर सिंह की सम्पत्ति, उत्तरः मुकेश कुमार 2. श्री मीहम्मद उमर पुत्र श्री रिफक अहमद, निवासी: मीहल्ला अल्लीखां, वार्ड नं0 10, काशीपुर, उधम सिंह नगर- 244713।

वंधक भूमि एवं भवन आवासीय सम्पत्ति खसरा नं0 682 मिन का भाग 30.09.2019 10.01.2020

क्षेत्रफल 1140 वर्गफीट एवं 105.94 वर्गमीटर स्थित ग्राम- बेलजुड़ी,

तहसील- काशीपुर, जिला- उधम सिंह नगर। सम्पत्ति स्वामित्वः श्री प्रमोद

कुमार पुत्र श्री रामौतार एवं श्री सतीश कुमार पुत्र श्री राम आउटर।

श्री मनोज कुमार पुत्र श्री रामीतार (एचयूएफ)। सीमायें:- पूर्व श्रीमती

वीरवती की भूमि, पश्चिमः विक्रेता की सम्पत्ति, उत्तरः 15 फीट चौडा

11,60,796/-दिनांक 31.12.2019 + आगे के ब्याज एवं अन्य खर्चे

15,71,138/-

दिनाक

31.12.2019

- आगे के ब्याज

एवं अन्य खर्चे

प्राधिकृत अधिकारी, इण्डियन ओवरसीज बैंक

र्बेंक ऑफ महाराष्ट् Bank of Maharashtra दिल्ली अंचल कार्यालय: 15, एन बी सी सी टॉवर, तृतीय तल भिकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली- 110066 होन: 011-26164817/26197769, फैक्स: 011-26171554

ई-मेल: legal\_del@mahabank.co.in कब्जे की सूचना (अचल संपत्तियों के लिये)

यतः (Whereas) अधोहरताक्षरकर्ता ने बैंक ऑफ महाराष्ट्र का प्राधिकृत अधिकारी होते हुदे वित्तीय आस्तियों का प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13 की उपधारा (12) के संपठित नियम 3 के अन्तर्गत प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, के अनुसार प्रदत्त शक्तियों का अनुप्रयोग करते हुए एक मांग सूचना पत्र दिनांक 19.06.2019 को जारी किया, जिसमें 1. मैसर्स कमल स्पोर्ट्स प्रोप:- श्री कमल पुत्र श्री मदन लाल (ऋणी), 2. श्री मदन लाल एवं 3. श्रीमती ओमवती को रूपये 20.85.659/- (रूपये बीस लाख पिच्यासी **हजार छः सौ उनसठ मात्र) + दिनांक** २०.०६.२०१९ से १२.७५ प्रतिशत की दर से अप्रयुक्त व्याज इस नोटिस की पावती से 60 दिनों के भीतर भुगतान करने हेतु कहा गया। (यह सूचना

ऋणी एवं जमानतदारों द्वारा राशि का भुगतान करने में असफल रहने पर, ऋणी एवं जमानतदारें और आमजन को यह नोटिस दिया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभृति हित प्रवर्तन नियम 2002 की धारा 13 की उपधारा (4) के सपठित नियम 8 के तहत उसे प्रदान की गई शक्तियों के प्रयोग में नीचे वर्णित संपत्ति को **दिनांक 08 जनवरी 2020** को सांकेतिक कब्जे में ले लिया है। ऋणी एवं जमानतदारों को विशेषतया तथा जनसाधारण को सामान्यतया संपत्ति में व्यवहार न

करने हेत् सचेत किया जाता है एवं संपत्ति में किया गया कोई भी व्यवहार बैंक ऑफ महाराष्ट्र के उपरोक्त वर्णित राशि के साथ अध्यधीन होगा। ऋणियों एवं जमानतदारों का ध्यान प्रतिभूत आस्तियों के मोचन के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में

अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के उपबंधो की ओर आकुष्ट किया जाता है। बैंक को गिरवी रखी गई और बैंक द्वारा कब्जे में ली गई संपत्तियों का विवरण

निम्नानुसार है:-।. श्रीमती ओमबती पत्नी श्री मदन लाल के नाम से आवासीय मकान नं. 112. पॉकेट-ई. सेक्टर-2.

जिसका क्षेत्रफल 29.96 वर्गमीटर जो शताब्दी नगर, मेरठ में स्थित है। 2. श्री मदनलाल पुत्र श्री मुरलीधर के नाम से आवासीय मकान नं. 111, पाँकेट-ई, सेक्टर-2, जिसका क्षेत्रफल 29.96 वर्गमीटर जो शताब्दी नगर, मेरठ में स्थित है।

वास्ते बैंक ऑफ महाराष्ट्र दिनांक: 08.01.2020, सहायक महाप्रबंधक एवं प्राधिकृत अधिकारी स्थानः मेरठ



#### B. L. KASHYAP AND SONS LIMITED

(CIN: L74899DL1989PLC036148)

Regd. Off.: 409, 4th Floor, DLF Tower-A, Jasola, New Delhi - 110025 Ph: 011-40500300, 011-43058345, fax: 011-40500333 Email: info@blkashyap.com; Website: www.blkashyap.com

Notice is hereby given pursuant to Regulation 47 read with Regulation 29 of SEB (Listing Obligation and Disclosure Requirement) Regulations, 2015, that meeting of Board of Directors of the Company will be held on Wednesday, the February 12, 2020 at New Delhi at 1.30 p.m. to inter alia consider un-audited financial (Standalone & Consolidated) results of the Company for the third quarte and nine months ended December 31, 2019.

The said notice may be accessed on the Company's website a http://www.blkashyap.com and also on the website of stock exchanges a https://www.nseindia.com and https://www.bseindia.com

For B.L. Kashyap And Sons Limited

Dated: 13th January, 2020 Place: New Delhi

GM-Corporate Affairs & Company Secretary WE BUILD YOUR WORLD

(Pushpak Kumar)

कब्जा सचना

जैसा कि, वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002

के अंतर्गत भारतीय स्टेट बैंक, आरएसीपीसी-कम-एसआरसी, फरीदाबाद के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के (नियम 3) के साथ पठित धारा 13 (2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना तिथि 10.10.2019 जारी कर ऋणधारक श्री राजेन्द्र कुमार तथा संजय कुमार एच नं. १ए/८८, एनआईटी, फरीदाबाद-121001 तथा गारन्टरों: श्री राजेन्द्र कुमार तथा संजय कुमार, सी/ओ मै. श्री गुरु नानक लॉजिस्टिक्स, एच नं. १ए/८८, एनआईटी, फरीदाबाद 121001 को सुचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सुचना में वर्णित राशि रु. 26,04,212.00/ रुपए छब्बीस लाख चार हजार दो सौ बारह मात्र) तथा 10.10.2019 से अनुबंधित दर पर आगे के ब्याज वे साथ अनुषांगिक खर्चे, लागत, चार्जेज आदि वापस लौटाने का निर्देश दिया था। ऋणधारक एवं गारन्टर खाता नं. 62191540955 एवं 62333754266 के माध्यम से इस राशि को वापस

लौटाने में विफल रहे, अतः एतदुद्वारा ऋणधारक, गारन्टरों तथा आम जनता को सचित किया जाता है वि आज, 11 जनवरी, 2020 को अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमावली के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम क धारा 13 (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित सम्पित्त विशेष रूप से ऋणधारकों तथा आम जनता को एतदुद्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति

का व्यवसाय न करें तथा इन सम्पत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय रु. 26,04,212.00/- रुपए छब्बीर लाख चार हजार दो सौ बारह मात्र) तथा 10.10.2019 से अनुबंधित दर पर आगे के ब्याज के साथ अनुषांगिक खर्चे, लागत, चार्जेज आदि के लिये भारतीय स्टेट बैंक के चार्ज के अधीन होगा।

अचल सम्पत्ति का विवरण सम्पत्ति एच.नं. १ए/८८, एनआईटी, फरीदाबाद, माप २२७ वर्ग यार्ड्स की सम्पत्ति का सभी भाग तथा हिस्सा

जो राजिन्दर कुमार, पुत्र मदन लाल तथा संजय कुमार, पुत्र मदन लाल के नाम में है। तिथि: 14.1.2020 स्थानः फरीदाबाद भारतीय स्टेट बैंक, आरएसीपीसी-कम-एसएआरर्स



कब्जा सूचना जैसा कि, वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002

के अंतर्गत भारतीय स्टेट बैंक, आरएसीपीसी-कम-एसआरसी, फरीदाबाद के प्राधिकृत अधिकारी के रूप र तथा प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के (नियम 3) के साथ पठित धारा 13 (2) के अंतर्गत प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना तिथि 10.10.2019 जारी कर ऋणधारकः श्री वीरेन्ड नागपाल तथा श्रीमती सरोज नागपाल (गारन्टर), एच.नं. 1976, सेक्टर-09, फरीदाबाद-121006 तथ गारन्टरों: 1) श्री मोहिन्दर नागपाल, पुत्र श्री केसी नागपाल, एच.नं. 1878, सेक्टर-9, फरीदाबाद-121006 2) श्री सुरिन्दर नागपाल, पुत्र श्री के.सी. नागपाल, एच.नं. 1976, सेक्टर-6, फरीदाबाद-121006, 3) श्र वीरेन्दर नागपाल तथा मोहिन्दर नागपाल, सी/ओ नागपाल स्टील्स, 1बी/198, एनआईटी, नीलम बाटा रोड फरीदाबाद को उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि रु. 4,66,284.00/ (रुपये चार लाख छियासठ हजार दो सौ चौडासी मात्र) तथा 4.10.2019 से अनुबंधित दर पर आगे के ब्याज के साथ अनुषांगिक खर्चे, लागत, चार्जेज आदि वापस लौटाने का निर्देश दिया था। ऋणधारक(कों)/गारन्टरों खाता नं. 10174755346 के माध्यम से इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे,

अतः एतदुद्वारा ऋणधारक, गारन्टरों तथा आम जनता को सचित किया जाता है कि आज, 11 जनवरी, 2020 को अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमावली के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा कर लिया है विशेष रूप से ऋणधारकों तथा आम जनता को एतदुद्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन सम्पत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय रु. 4,66,284.00/- (रुपये चा लाख छियासठ हजार दो सौ चौड़ासी मात्र) तथा 4.10.2019 से अनुबंधित दर प आगे के ब्याज के साथ अनुषांगिक खर्चे, लागत, चार्जेज आदि के लिये भारतीय स्टेट बैंक के चार्ज के अधीन होगा। अचल सम्पत्ति का विवरण

श्री एमएम नागपाल तथा वीरेन्दर नागपाल के नाम में प्लॉट 1976, सेक्टर-2, फरीदाबाद में गिरवी रखी गः तिथि: 14.1.2020 प्राधिकृत अधिकारी स्थानः फरीदाबाद

भारतीय स्टेट बैंक, आरएसीपीसी-कम-एसएआरर्स नीलामी बिक्री सुचना

एतद्वारा अधिकत प्राधिकारी द्वारा जनसामान्य तथा विशेष रूप से कर्जदारों/तथा जमानतियों को सचन दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने ऋणशोध अक्षमता तथा दिवालिया संहिता, 2016 के प्रावधानों के तहत् मैसर्स राठी सुपर स्टील लिमिटेड की निम्नलिखित चल सम्पत्तियों पर कब्जा कर लिया है जिसकी बिक्री बकायों की वसुली हेतु निम्नलिखित के अनुसार नीलामी द्वारा की जायेगी। चल सम्पत्तियों की बिक्री ''जो है जैसे है'', ''जो कुछ भी है वहीं है तथा आश्रय रहित आधार पर' की जायेगी और यह बिक्री बिना किसी वारंटी तथा क्षतिपूर्ति रहित है। वाहनों का विवरण निम्नलिखित है :

निर्माण का वर्ष

19/9/2013

आरक्षित मूल्य (रुपयों में)

	मारुति स्विफ्ट डिजायर वीडीआई	13/5/2010	137700
Ī	मारुति स्विफ्ट डिजायर वीडीआई	12/10/2011	170100
	मारुति स्विफ्ट डिजायर वीडीआई	21/2/2012	182250
5	मारुति आल्टो एलएक्सआई (सीएनजी)	11/5/2012	81000
6.	मारुति स्विफ्ट डिजायर वीडीआई	4/7/2012	182250
5.	मारुति आल्टो 800 एलएक्सआई (सीएनजी)	29/3/2013	109350
	मारुति स्विफ्ट डिजायर वीडीआई	14/5/2013	251100
9.	मारुति स्विफ्ट डिजायर वीडीआई	14/5/2013	251100
10.	मारुति ईको (सीएनजी)	28/6/2013	101250
11.	मारुति वैगन-आर	11/6/2014	174150
12	होंडा एकॉर्ड	27/5/2005	129600
13.	टोयोटा कोरोला	2/6/2005	81000
14.	होंडा सिविक 1.8	12/2/2007	145800
15.	टाटा इण्डिका ईवी2	30/3/2011	68850
16.	होण्डा सिविक	10/10/2006	121500
17.	मारुति वैगन आर एलएक्सआई (सीएनजी)	12/1/2014	81000
18.	मर्सिडीज बेंज ई200	2/5/1998	40500
19.	हुण्डई वेरना	19/10/2013	324000
20.	बजाज डिस्कवर 150	11/2/2011	4050
21.	बजाज चेतक	19/4/2001	1620
22.	बजाज चेतक	30/8/1998	1620
23.	एस्कॉर्ट जोश ट्रैक्टर ट्रॉली सहित	2009	81000
24.	एस्कॉर्ट जोश ट्रैक्टर ट्रॉली सहित	2009	81000
25.	ट्रॉली	2009	5670
26.	मारुति स्विफ्ट एलडीआई बीएस4	29/05/2010	121500
	कुल		30,04,910/-

उपर्युक्त वाहन विक्रय हेत् हैं, इच्छुक क्रेता इसका निरीक्षण राठी सुपर स्टील की फैक्ट्री, ए-1 इण्डिस्ट्रियल एरिया, जीटी रोड के दक्षिण, निकट विजय नगर पुलिस चौकी, गाजियाबाद-201009 प मंगलवार, 14 जनवरी, 2020 को 10.00 बजे पूर्वा 4. से 15.00 बजे अपराहन के बीच किया ज सकता है और अपने कोटेशन जमा किये जा सकते हैं।

कृपया किसी सूचना हेतु अधोहस्ताक्षरी से सम्पर्क करें : रीसर्जेण्ट इण्डिया लिमिटेड :

विवरण

टाटा इण्डिका ईवी2

क्र.सं.

श्री जोगिन्दर सिंह हरीश चन्दर अरोडा समाधान प्रोफेशनल ई-मेल : cirp.rathisupersteel@gmail.com राठी सुपर स्टील लिमिटेड (सीआईआरपी में मोबाइल : (+91) 78400 00667

# शिवाजी से मोदी की तुलना वाली किताब लेखक ने वापस ली: भाजपा

नई दिल्ली, 13 जनवरी (भाषा)।

भाजपा ने सोमवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मराठा शासक छत्रपति शिवाजी महाराज से तुलना वाली किताब के लेखक ने अपनी किताब वापस ले ली है।

इस किताब के कारण विरोध तेज होने के बाद पार्टी ने विवाद को शांत करने के लिए ऐसा कदम उठाया है ।

पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर ने कहा, 'जय भगवान गोयल (लेखक) की किताब से भाजपा का कोई लेना-देना नहीं है। उन्होंने निजी हैसियत से यह किताब लिखी है। उन्होंने भावनाएं आहत करने के लिए महाराष्ट्र और बाहर के लोगों से खेद भी प्रकट किया है। उन्होंने किताब वापस ले ली है। अब विवाद का अंत हो जाना चाहिए।' गोयल भाजपा के सदस्य हैं। महाराष्ट्र में भाजपा के प्रतिद्वंद्वियों ने इस किताब के खिलाफ पार्टी पर निशाना साधा और मराठा योद्धा के अपमान का आरोप लगाया

उधर इससे पहले सोमवार दिन में किताब के खिलाफ महाराष्ट्र में कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन हुए। इसके खिलाफ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) ने सोमवार को पुणे के

लालमहल इलाके के बाहर प्रदर्शन किया। राकांपा नेता प्रशांत जगताप ने इस तुलना (मोदी की शिवाजी से तुलना) की निंदा करते हुए कहा कि यह 'मराठा शासक के गौरवपूर्ण इतिहास को मिटाने का प्रयास' है। संभाजी ब्रिगेड के पदाधिकारी संतोष शिंदे ने कहा कि पुस्तक को वापस लिया जाए और अगर ऐसा नहीं हुआ तो और अधिक प्रदर्शन होंगे।

जगताप ने आरोप लगाया, 'आज शिवाजी महाराज से तुलना की गई, कल, राजस्थान में यह महाराणा प्रताप से की जा सकती है। यह इतिहास के महान आदर्शों को मिटाने का भाजपा और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ (आरएसएस) का एजंडा है।' शिवसेना के वरिष्ठ नेता संजय राउत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छत्रपति शिवाजी महाराज से तुलना करने वाली पुस्तक को 'अपमानजनक' बताते हुए सोमवार को मांग की कि इस पुस्तक पर प्रतिबंध लगाया जाए।

उन्होंने कहा कि मराठा योद्धा के वंशजों को यह स्पष्ट करना चाहिए कि उन्हें उनकी (शिवाजी) तुलना मोदी से किया जाना पसंद है, या नहीं। राउत ने यहां संवाददाताओं से कहा कि किसी की शिवाजी महाराज से तुलना 'अस्वीकार्य' है और यह पुस्तक प्रधानमंत्री को खुश करने के लिए किसी चाटुकार का काम

प्रतीत होती है। राज्य की महाराष्ट्र विकास अघाडी सरकार ने इस पुस्तक की निंदा की है।

इस बीच किताब के खिलाफ सोमवार को महाराष्ट्र के सोलापुर में शिकायत दर्ज कराई

शिवसेना के एक कार्यकर्ता ने सोलापुर में पुलिस को शिकायत देकर किताब के लेखक जय भगवान गोयल के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। फौजदार चावड़ी थाने में शिकायत देने वाले दिनकर जगदाले ने कहा, 'छत्रपति शिवाजी महाराज से प्रधानमंत्री मोदी की तुलना करते हुए लेखक ने महान मराठा शासक का अनादर किया है और शिवप्रेमियों और शिवभक्तों की भावनाओं को चोट पहुंचाई है।' किताब पर प्रतिबंध लगाने की मांग करते हुए जगदाले ने आरोप लगाया कि इससे महाराष्ट्र में बहुत असंतोष पैदा हुआ है।

उन्होंने कहा, 'लेखक ने बिना सम्मान से उनका नाम लेकर छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान किया है। हम तुरंत पाबंदी और गोयल के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग करते हैं।' महाराष्ट्र कांग्रेस के एक प्रवक्ता ने किताब से लोगों की भावनाएं आहत करने के लिए रविवार को गोयल के खिलाफ नागपुर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी।



जम्मू में सोमवार को लोहड़ी मनातीं महिलाएं। लोहड़ी

#### केरल: भाजपा सचिव पर मस्जिद में हमला

कट्टाप्पना (केरल) १३ जनवरी (भाषा)।

संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) पर आयोजित एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने के थोड़ी देर बाद ही भाजपा के राज्य सचिव एके नजीर पर इडुक्की जिले की नेदुंगंदम स्थित एक मस्जिद में कथित तौर पर हमला किया गया।

भाजपा ने 'सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया' (एसडीपीआइ) और माकपा समर्थक 'डेमोक्रेटिक यूथ फेडरेशन ऑफ इंडिया' (डीवाइएफआइ) के कार्यकर्ताओं पर हमला करने का आरोप लगाया है। पुलिस का कहना है कि घटना मस्जिद के अंदर होने की वजह से यह साफ नहीं है कि नजीर पर किसने हमला किया। जन जागृति बैठक में शिरकत करने के बाद थुकुप्पलम जामा मस्जिद में नमाज पढ़ने पहुंचे नजीर को कुछ लोगों ने अंदर दाखिल होने से रोका। इमाम ने उन्हें नमाज पढ़ने की अनुमति दे दी। भाजपा ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, 'नमाज पढ़ते समय नजीर को पीटा गया और लातें भी मारी गईं।' नजीर को तुरंत स्थानीय अस्पताल ले जाया गया।

## सीसीआइ ने अमेजन, फ्लिपकार्ट के खिलाफ जांच का आदेश दिया

नई दिल्ली, 13 जनवरी (भाषा)।

प्रतिस्पर्धा नियामक सीसीआइ ने बिक्री मूल्य में भारी छूट और पसंदीदा विक्रेताओं के साथ गठजोड़ समेत अन्य गड़बड़ी के आरोप में प्रितमा के खिलाफ यहां पास के कनकपुरा में के अहम मुद्दे के खिलाफ भी ये प्रदर्शन थे। लोगों फ्लिपकार्ट और अमेजन के खिलाफ सोमवार को जांच का आदेश दिया।

यह मामला प्रतिस्पर्धा कानून के कथित उल्लंघन से जुड़ा है। दिल्ली व्यापार महासंघ की ओर से की गई शिकायत के बाद जांच का आदेश दिया गया है। महासंघ के कई सदस्य स्मार्टफोन और उससे जुड़ी चीजों का कारोबार करते हैं। उद्योग संघ ने आरोप लगाया कि ई-कॉमर्स कंपनियां विशेष गठजोड़, सूचीबद्ध करने में चुनिदा विक्रेताओं को तरजीही देना समेत अन्य प्रतिस्पर्धी रोधी गतिविधियों में शामिल हैं।

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने एक आदेश में कहा, मोबाइल फोन ब्रांड और ई-कॉमर्स मंचों के बीच विशेष व्यवस्था के साथ-साथ ई-कॉमर्स कंपनियों के कुछ चुनिंदा विक्रेताओं को तरजीही देने के आरोपों के आधार पर जांच का यह आदेश दिया गया है।' आयोग ने कहा कि यह जांच करने की जरूरत है कि फ्लिपकार्ट और अमेजन की ओर से दी जा रही कथित भारी छूट दिया जाना , कुछ विक्रेताओं को (ई-मार्केट) प्लेटफार्म पर जोडने में तरजीह देना और उनके साथ विशेष समझौते का उपयोग क्या प्रतिस्पर्धा को रोकने की चाल है और दीनदयाल उपाध्याय पशुचिकित्सा विज्ञान क्या इसका प्रतिस्पर्धा पर प्रतिकृल प्रभाव पड़ता है।

## बंगलुरु के पास प्रस्तावित क्राइस्ट प्रतिमा के खिलाफ प्रदर्शन

बंगलुरू, 13 जनवरी (भाषा)।

दक्षिणपंथी संगठनों ने सोमवार को व्यापक प्रदर्शन 🛮 ने 'हिंदू जागरण वेदिके' द्वारा आयोजित किया। स्थानीय विधायक व कांग्रेसी नेता डीके 'कनकपुरा चलो' प्रदर्शन में भाग लिया।

शिवकुमार के सहयोग से कथित रूप से सरकारी जमीन पर प्रतिमा लगाने का प्रस्ताव है। जीसस क्राइस्ट की प्रस्तावित 114 फुट ऊंची प्रदर्शनकारियों ने कहा कि क्षेत्र में हो रहे धर्मांतरण

### दुधारू पशु से भी तीन से पांच लाख कमाए जा सकेंगे : गिरिराज

मथुरा, 13 जनवरी (भाषा)।

केंद्रीय मत्स्य, पशुपालन एवं डेयरी मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि कृषि मंत्रालय उस योजना पर काम कर रहा है, जिसके सफल होने पर एक वर्ष में सड़कों पर कोई भी बेसहारा पश् दिखाई नहीं देगा और ऐसे पशुओं को पालकर बेरोजगार युवा एक साल में तीन से पांच लाख रुपए तक कमा सकेंगे। वह आज यहां पं. विश्वविद्यालय एवं गो अनुसंधान संस्थान में

राष्ट्रीय कृषि योजना के अंतर्गत आयोजित 'बकरियों में कृत्रिम गर्भाधान के माध्यम से उत्पादकता वृद्धि, संभावनाएं, चुनौतियां एवं रणनीति' विषयक दो दिवसीय कार्यशाला का उद्घाटन करने पहुंचे थे। उन्होंने पश्चिम बंगाल, अंडमान एवं निकोबार और उत्तराखंड के तीन वैज्ञानिकों को 'क्रायोप्रिजर्व्ड गोट सीमेन स्ट्रा किटों' का वितरण कर इस योजना का शुभारंभ किया तथा विवि द्वारा प्रकाशित इससे संबंधित एक पस्तक का विमोचन भी किया। उनके साथ पशुपालन आयुक्त डॉ. प्रवीण मलिक भी थे।

## टिड्डी दलों के हमले से राजस्थान के 11 जिले प्रभावित

जयपुर, 13 जनवरी (भाषा)।

राजस्थान के किसान बीते लगभग तीन दशक के सबसे बड़े टिड्डी दल हमले का सामना कर रहे हैं। राजस्थान के 11 जिले प्रभावित हैं। राज्य सरकार ने प्रभावित इलाकों में विशेष गिरदावरी (नुकसान आकलन) का आदेश दिया है और अधिकारियों का कहना है कि टिड्डी दल हमला एक अंतरराष्ट्रीय समस्या है जिसका मुकाबला भी समन्वित प्रयासों से किया जा सकता है और आने वाले दिनों में भी सावधान रहने की जरूरत है।

राज्य सरकार के अधिकारियों के अनुसार हमेशा की तरह इस बार भी इन टिड्डी दलों का सबसे अधिक असर पाकिस्तानी सीमा से लगते जोधपुर, जैसलमेर, बाडुमेर और बीकानेर जिलों में है। थार रेगिस्तान का यह इलाका पाकिस्तान के सिंध प्रांत के सामने पड़ता है और टिड्डी दल हवाओं के रुख के साथ इसी सीमा से होकर भारत में आते हैं। एक टिड्डी दल में हजारों– लाखों की संख्या में टिड्डियां होती हैं और जहां भी यह पड़ाव डालता है, वहां फसलों व अन्य वनस्पतियों को चट करता हुआ चला जाता है।

इस संबंध में एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि बीते लगभग आठ महीने में राज्य के 11 जिलों में लगभग 3.70 लाख हेक्टेयर जमीन को उपचारित किया जा चुका है। इसमें सबसे अधिक प्रभावित जैसलमेर जिले में दो लाख हेक्टेयर, बाड़मेर व बीकानेर में 80000-80000, गंगानगर जिले में 5000 हेक्टेयर, जालौर में 1500 हेक्टेयर, हनुमानगढ़ जिले में 800 हेक्टेयर, नागौर जिले में 500 हेक्टेयर, सिरोही और पाली में 400-400 हेक्टेयर और डूंगरपुर जिले में 50 हेक्टेयर जमीन को उपचारित किया जा चुका है।

टिड्डी नियंत्रण के लिए नोडल अधिकारी एवं कृषि विभाग में संयुक्त निदेशक (पौध संरक्षण) डॉ. सुआलाल जाट ने कहा, 'इस बार पहला टिड्डी दल 21 मई 2019 को देखा गया था। उसके बाद कल 12 जनवरी तक लगभग 3.50 लाख हेक्टेयर जमीन को उपचारित किया चुका है।' विभाग की 54 सर्वे टीम निगरानी व नियंत्रण के काम में लगी हैं और 45 माइक्रोनियर मशीनें नियंत्रण के काम में लगी हैं। 450 ट्रैक्टर स्प्रेयर के साथ काम में लगे हैं। इसके अलावा प्रभावित जिलों में किसानों के सहयोग से हर दिन 400 से 450 ट्रैक्टरों की मदद से टिड्डी दलों को भगाने की कोशिश की जाती है, ताकि वे फसलों को नुकसान नहीं पहुंचा सकें।

अधिकारियों के अनुसार प्रभावित इलाके में अब तक 2.60 लाख लीटर दवा (मेलाथियान) छिड़की जा चुकी है। अधिकारी ने कहा कि यह इससे पहले जुलाई-अक्तूबर 1993 में टिड्डी दलों ने राजस्थान में बड़ा हमला किया था और हजारों हेक्टेयर में फसल और वनस्पति को चट कर दिया था। उस साल कृषि विभाग ने 3,10,482 हेक्टेयर जमीन को उपचारित किया था जबकि इस बार वह 3.70 लाख हेक्टेयर इलाके को तो पहले ही उपचारित कर चुका है, लेकिन खतरा अभी बरकरार है। टिड्डी नियंत्रण संगठन (एलडब्ल्यूओ) के जोधपुर स्थित मुख्यालय में उपनिदेशक के एल गुर्जर ने कहा कि राजस्थान में टिड्डी दलों का यह हमला अपनी तरह का अब तक का सबसे बड़ा है। इससे पहले राजस्थान में 1993 में इस तरह का हमला हुआ था लेकिन प्रभावित इलाके के हिसाब से आंकड़ा इस बार पहले ज्यादा हो चुका है।

बर्फबारी

श्रीनगर में सोमवार को भारी बर्फबारी के बीच रेंगते वाहन।

# जम्मू-कश्मीर में मुठभेड़ में आतंकी ढेर

श्रीनगर, 13 जनवरी (भाषा)।

जम्मू-कश्मीर के बडगाम जिले में सोमवार को सुरक्षा बलों के साथ हुई एक मुठभेड़ में एक स्थानीय आतंकवादी मारा गया। पुलिस ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सुरक्षा बलों ने चादूरा क्षेत्र में आतंकवादियों की मौजूदगी की जानकारी मिलने के बाद वहां घेराबंदी कर तलाशी अभियान शुरू किया। उन्होंने बताया कि मुठभेड़ तब शुरू हुई, जब उस आतंकवादी ने सुरक्षाबलों पर गोलियां चलानी शुरू कर दी, जिसके बाद सुरक्षा बलों की जवाबी कार्रवाई में वह आतंकवादी मारा गया। मारे गए आतंकवादी की पहचान बडगाम के रहने वाले आदिल अहमद के रूप में हुई है। उसके समूह का तत्काल पता नहीं चल सका है।

### आव्रजन अधिकारी ने की खुदकुशी

मुंबई, 13 जनवरी (भाषा)।

मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे पर सोमवार सुबह 55 साल के एक आव्रजन अधिकारी ने कथित रूप से खुदकुशी कर ली। सहार थाने के वरिष्ठ निरीक्षक शशिकांत माने ने बताया कि एनवाई अभिषय बाबू ने हवाईअड्डे की बिल्डिंग से छलांग लगा ली और पार्किंग क्षेत्र में उनका शव मिला।

# मोदी और पुतिन ने क्षेत्रीय वैश्वक मुद्दों

नई दिल्ली, 13 जनवरी (भाषा)।

राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सोमवार को क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय तथा वैश्विक सुरक्षा, शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने में दोनों देशों के नजरिये में समानता को रेखांकित किया। प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने एक बयान में कहा कि टेलीफोन पर हुई बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री ने याद किया कि रूस ने क्रिसमस मनाया था और उन्होंने राष्ट्रपति पुतिन और रूस के लोगों को नववर्ष की बंधाई भी दी। पुतिन ने भी बंधाई दी और प्रधानमंत्री मोदी और भारत के लोगों की समृद्धि, प्रगति, शांति और खुशी की कामना

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूसी

रूस में दो बार नववर्ष मनाया जाता है। पहला एक जनवरी को ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार नववर्ष मनाया जाता है जबकि दूसरी बार ऑर्थोडॉक्स कैलेंडर के अनुसार 14 जनवरी को नववर्ष मनाया जाता है। बयान में कहा गया है, ''दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान-प्रदान किया और क्षेत्रीय तथा वैश्विक सुरक्षा, शांति एवं स्थिरता सुनिश्चित करने में दोनों देशों के नजरिये में समानता को रेखांकित • दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान-प्रदान किया और क्षेत्रीय तथा वैश्विक सुरक्षा, शांति एवं स्थिरता सुनिश्चित करने में दोनों देशों के नजरिये में समानता को रेखांकित किया।

 वर्ष 2020 तक सभी क्षेत्रों में भारत-रूस संबंधों को और मजबूत करने के लिए निकटता से काम करने के वास्ते चर्चा जारी रखने पर सहमति व्यक्त की गई।

किया।" इसमें कहा गया है, "उन्होंने वर्ष 2020 तक सभी क्षेत्रों में भारत-रूस संबंधों को और मजबत करने के लिए निकटता से काम करने के वास्ते चर्चा जारी रखने पर सहमति व्यक्त की।"

मोदी ने कहा कि 2020 रूस के लिए विशेष महत्व का होगा और उन्होंने इस वर्ष मई में मास्को में 75वें विजय दिवस समारोह में भाग लेने के लिए राष्ट्रपति पुतिन के निमंत्रण को याद किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि वह इस वर्ष रूस में शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) और ब्रिक्स देशों के शिखर सम्मेलनों में भाग लेने और 21वें द्विपक्षीय वार्षिक शिखर सम्मेलन के वास्ते भारत में पुतिन का स्वागत करने के लिए उत्सुक हैं।

### आयुक्त प्रणाली पर बोले पूर्व डीजीपी, 50 साल पुराना मिथक टूट गया

लखनऊ, 13 जनवरी (भाषा)।

उत्तर प्रदेश में पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू किए जाने की पूर्व पुलिस अधिकारियों ने सराहना की है। पूर्व पुलिस महानिदेशक बुजलाल ने कहा कि आज एक मिथक ट्ट गया है कि उत्तर प्रदेश में कभी पुलिस पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू नहीं हो सकती है। देश के 71 महानगरों में बहुत पहले से ही ये प्रणाली लागू है।पूर्व डीजीपी ने इस फैसले के लिए प्रदेश की जनता, नौकरशाही, पुलिस के अधिकारियों और कर्मचारियों की तरफ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बधाई दी है। इस प्रणाली में कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने और अपराधों को नियंत्रण करने में पुलिस को सीधे अधिकार मिल गए हैं, जिससे वह त्वरित निर्णय लेकर यहां की जनता को राहत पहुंचाएगी। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पहले से ही बहुत अच्छी है उसमें और सुधार होगा और इससे प्रदेश की जनता लाभान्वित होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज उत्तर प्रदेश की पुलिस व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया है। पिछले 50 साल से उत्तर प्रदेश में 'स्मार्ट पुलिसिंग' के लिए पुलिस आयुक्त प्रणाली की मांग की जा रही थी। पूर्व डीजीपी एके जैन ने कहा कि बदलाव के लिए यह एक अच्छा कदम है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक साहासिक कदम उठाया है।

## टलती रही पुलिस आयुक्त प्रणाली

लखनऊ, १३ जनवरी (भाषा)।

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ और औद्योगिक नगरी गौतमबुद्धनगर में पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू करने का रास्ता मंगलवार को साफ हो गया। विशेषज्ञों के मुताबिक इच्छाशक्ति की कमी और हितों के टकराव के कारण उत्तर प्रदेश में इस प्रणाली के लागू होने में इतनी देर लगी। जानकारों का मानना है कि पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू होना पुलिस की कार्य स्वतंत्रता की दिशा में एक बेहद महत-वपूर्ण कदम है और यह पुलिस सुधार के प्रयासों का तकाजा भी है। प्रदेश के पूर्व पुलिस महानिदेशक आइसी द्विवेदी ने कहा कि उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में आयुक्त प्रणाली बहुत पहले लागू हो जानी चाहिए थी। मगर, हितों के टकराव और कुछ हद तक राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी की वजह से यह नहीं लागू हो सकी थी। सरकार ने देर आयद, दुरुस्त आयद की तर्ज पर इस पुलिसिंग प्रणाली को हरी झंडी देकर अच्छा काम किया है। इससे पुलिस को काम करने की आजादी मिलेगी और उसकी जवाबदेही भी बढ़ेगी। द्विवेदी ने कहा कि पिछली सरकारों ने भी राज्य में पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू करने की कोशिश की थी, मगर दुर्भाग्य से यह हितों के टकराव में उलझ गई। आइएएस संवर्ग को यह लगा कि इससे उनके अधिकारों में कटौती हो जाएगी। इस वक्त देश में 71 स्थानों पर पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू है, लेकिन उत्तर प्रदेश में बार-बार राजनेताओं को पुलिस के प्रणाली लागू नहीं हो सकी थी।

इच्छाशक्ति की कमी और हितों के टकराव से

प्रदेश के एक अन्य पूर्व पुलिस महानिदेशक रंजन द्विवेदी ने कहा कि अंग्रेजों की बनाई शासन प्रणाली में तब्दीली की गुंजाइश लगभग न के बराबर थी। उत्तर प्रदेश भी काफी हद तक उसी ढरें पर चल रहा है। ऐसे में पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू करना सरकार का अच्छा कदम है। उन्होंने कहा कि अफसरशाही खुद ही कोई बदलाव नहीं चाहती है। क्योंकि बदलाव होने से अधिकारों का कुछ हद तक अंतरण हो जाता है और अफसरशाही की तंत्र पर पकड कम हो जाती है। दिल्ली में जब पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू हुई तो उसका खासा विरोध किया गया था। कोई भी बदलाव होता है तो एक पक्ष को लगता है कि उसका नुकसान होगा। उन्होंने कहा कि आयुक्त प्रणाली लागू होने से खासे फायदे होंगे। शहर जितना बड़ा होगा, समस्याएं भी उतनी ही विकट होंगी। गांव में जो समस्या एक दिन में फैलेगी, वह शहर में एक घंटे में ही फैल जाएगी।

ऐसे में यह जरूरी है कि तुरंत निर्णय लेने की एक व्यवस्था हो। द्विवेदी ने कहा कि अंग्रेजों ने भारत में पुलिस की जो प्रणाली लागू की, वह आयरलैंड जैसी थी। उसमें पुलिस का सिर्फ इस्तेमाल किया जाता था, उसे निर्णय लेने के कोई अधिकार नहीं दिए जाते थे। लखनऊ और गौतमबुद्धनगर जिलों में पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू करने का फैसला इस गलती के सुधार की दिशा में उठाया गया अहम कदम है।सेवानिवृत्त

निरंकुश होने का डर दिखाए जाने के कारण यह आइपीएस अफसर एसआर दारापुरी ने कहा कि आज से करीब 25 साल पहले एक घोषणा की गई थी कि कानपुर में पुलिस आयुक्त प्रणाली लागृ होगी और वीपी पंजानी पहले पुलिस आयुक्त होंगे, मगर रातोंरात एक लॉबी ने मिलकर सरकार को अपना फैसला वापस लेने पर मजबूर कर दिया था। उन्होंने बताया कि पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू होने से उस जिले में पुलिस को मजिस्ट्रेट के अधिकार मिल जाते हैं। जिलाधिकारी, अपर जिलाधिकारी और उपजिलाधिकारी की मजिस्ट्रेट वाली शक्तियां पुलिस के हाथ में आ जाती हैं। जिलाधिकारी के पास केवल राजस्व और विकास संबंधी शक्तियां रह जाती हैं। पुलिस के पास अधिकार आ जाने से एक तरह सिंगल विंडो सिस्टम लागू हो जाता है और काम सुगमता से होता है। दारापुरी ने कहा कि इससे पुलिस को अपना काम करने की आजादी मिलती है और उसे विभिन्न प्रक्रियाओं के लिए प्रशासनिक अफसरों पर निर्भर नहीं रहना

> उन्होंने कहा कि जब शक्ति के विकेंद्रीकरण की बात हो रही है, तो पुलिस को अछूता नहीं रखा जाना चाहिए। उन्होंने भी कहा कि राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी की वजह से ही उत्तर प्रदेश में पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू होने में इतनी देर हुई। राजनेता और अफसर अब तक लागू रही प्रणाली के सबसे बड़े लाभार्थी होते हैं और वे पुरानी प्रणाली को ही लागू रखने की कोशिश करते रहे।

नई दिल्ली

#### www.readwhere.com

फोन - 011-23717344



#### बैंक ऑफ इंडिया, आंचलिक कार्यालय, नई दिल्ली क्षेत्र, "स्टारहाउस", एच-2, कनाट सर्कस, मिडिल/आउटर सर्कल, पीवीआर प्लाजा हाल के पास, नई दिल्ली-110001, फोन नं. 011-28844099

Relationships beyond banking.

#### अचल संपत्ति के विक्रय हेत् विक्रय नोटिस

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक : 14.01.2020

प्रतिभूतिहित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के परन्तु क के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन अचल आस्ति के विक्रय हेतु ई-नीलामी विक्रय नोटिस

आम लोगों को तथा विशेष रूप से उधार लेने वाले और प्रत्याभृति–दाता को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति जो बैंक ऑफ इंडिया के पास गिरवी / प्रभारित है, का **वास्तविक कब्जा** बैंक ऑफ इंडिया के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को "जहां है, जैसा है और जो कुछ भी है" के आधार पर उधारकर्ताः श्री राजीव शर्मा और गारंटरः श्री नवनीत सिंह से बैंक ऑफ इंडिया की रुपये 21.99 लाख + यूसीआई + अन्य प्रभार की बकाया राशि की वसली हेत् दिनांक 17.02.2020 को बेचा जाएगा। आरक्षित मूल्य रुपए 16.34 लाख होगा और अग्रिम धनराशि रुपए 1.63 लाख होगी।

संपत्ति का विवरण :- (आवासीय) प्रथम तल, 4/440, (ओल्ड सं 252), खसरा नं 506/513/514 और 534, गली नंबर 12, भोला नाथ नगर, गांव चंद्रावली उर्फ शाहदरा, दिल्ली—110032, श्री राजीव शर्मा पुत्र श्री वी. डी. शर्मा के नाम पर। क्षेत्रफलः 50 वर्ग गज

विक्रय के निबंधन और शर्तों के ब्यौरे के लिए कृपया बैंक ऑफ इंडिया की वैबसाइट https://www.bankofindia.co.in/Dynamic/Tender?Type=3 देखें

दिनांक : 14.01.2020 श्री एस. सी. गौतम, प्राधिकृत अधिकारी स्थान : नई दिल्ली फोन - 011-23280192

आम लोगों को तथा विशेष रूप से उधार लेने वाले और प्रत्याभृति–दाता को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति जो बैंक ऑफ इंडिया के पास गिरवी / प्रभारित है, का **वास्तविक कब्जा** बैंक ऑफ इंडिया के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को "जहां है, जैसा है और जो कुछ भी है" के आधार पर उधारकर्ताः श्री राजीव शर्मा और गारंटरः श्री नवनीत सिंह से बँक ऑफ इंडिया की रुपये 24.20 लाख + युसीआई + अन्य प्रभार की बकाया राशि की वसूली हेतु दिनांक 17.02.2020 को बेचा जाएगा। आरक्षित मूल्य **रुपए 16.43 लाख** होगा और अग्रिम धनराशि **रुपए 1.64 लाख** होगी। संपत्ति का विवरण :- (आवासीय) फ्लैट दूसरे तल पर, (छत के अधिकार के साथ) संपत्ति संख्या 252, नयी संख्या 4/440, गली संख्या 12,

भोला नाथ नगर, शाहदरा, दिल्ली-110032, श्री राजीव शर्मा के नाम पर। क्षेत्रफलः 41.80 वर्ग मीटर विक्रय के निबंधन और शर्तों के ब्यौरे के लिए कृपया बैंक ऑफ इंडिया की वैबसाइट https://www.bankofindia.co.in/Dynamic/Tender?Type=3 देखें

दिनांक : 14.01.2020 श्री सुवेन्द् दास, प्राधिकृत अधिकारी स्थान : नई दिल्ली फोन - 011-23971045

• आम लोगों को तथा विशेष रूप से उधार लेने वाले और प्रत्याभृति–दाता को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति जो बैंक ऑफ इंडिया के पास गिरवी / प्रभारित है, का वास्तविक कब्जा बैंक ऑफ इंडिया के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को "जहां है, जैसा है और जो कुछ भी है" के आधार पर मैसर्स ब्लेस्सिंग्स एडु-टेक, श्री जसबीर शाह सिंह, श्री परमजीत शाह सिंह, उधारकर्ता : श्री जसबीर शाह सिंह और श्रीमती सरबजीत कौर से बेंक ऑफ इंडिया की (मैसर्स ब्लेस्सिंग्स एड्-टेक) रुपये 17.89 लाख + यूसीआई + अन्य प्रभार, (श्री जसबीर शाह सिंह) रुपये 95.66 लाख + यूसीआई + अन्य प्रभार, (श्री परमजीत शाह सिंह) रुपये 12.93 लाख + यूसीआई + अन्य प्रभार की बकाया राशि की वसूली हेतु दिनांक 17.02.2020 को बेचा जाएगा। आरक्षित मूल्य रुपए 157.50 लाख होगा और अग्रिम धनराशि रुपए 15.75 लाख होगी।

संपत्ति का विवरण :- (आवासीय) संपत्ति जो 1 बी-38, दूसरी मंजिल, शिवालिक मालवीय नगर, नई दिल्ली-110017 तथा जो श्री जसबीर शाह सिंह और श्रीमती सरबजीत कौर के नाम पर है। क्षेत्रफल – 192 वर्ग गज विक्रय के निबंधन और शर्तों के ब्यौरे के लिए कृपया बैंक ऑफ इंडिया की वैबसाइट https://www.bankofindia.co.in/Dynamic/Tender?Type=3 देखें।

दिनांक : 14.01.2020 श्री एस. के. सिंगला, प्राधिकृत अधिकारी स्थान : नई दिल्ली फोन - 011-28865059

आम लोगों को तथा विशेष रूप से उधार लेने वाले और प्रत्याभूति–दाता को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति जो बैंक ऑफ इंडिया के पास गिरवी / प्रभारित है, का **वास्तविक कब्जा** बैंक ऑफ इंडिया के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को "जहां है, जैसा है और जो कुछ भी है" के आधार पर **मैसर्स** ढीसीपी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, निदेशक तथा गारंटर : श्री अजित कुमार जैन, श्रीमित साधना जैन, श्री गौरव जैन, श्रीमित राशि जैन से बँक ऑफ इंडिया की (बैंक ऑफ इंडिया) रुपये 2108.11 लाख + यूसीआई + अन्य प्रभार तथा (साउथ इंडिया बैंक) रुपये 1270.18 लाख + यूसीआई + अन्य प्रभार की बकाया राशि की वसूली हेतु दिनांक 17.02.2020 को बेचा जाएगा। आरक्षित मूल्य रुपए 1551.00 लाख होगा और अग्रिम धनराशि रुपए 155.10 लाख होगी। संपत्ति का विवरण :— (आवासीय) भूमि और भवन जो कि प्लॉट नंबर 42, रोड नंबर 75, हंसराज मॉडल स्कूल के पास, पंजाबी बाग, दिल्ली—110026 के पूर्वी हिस्से पर स्थित है तथा जो श्री अजीत कुमार जैन, श्रीमती साघना जैन, श्री गौरव जैन, श्रीमती राशी जैन के नाम पर है। (साउथ इंडियन बैंक के

साथ पारी-परसू वार्ज) क्षेत्रफल - कुल प्लॉट क्षेत्रफल 1050 वर्ग गज में से 525 वर्ग गज विक्रय के निबंधन और शतों के ब्यौरे के लिए कृपया बैंक ऑफ इंडिया की वैबसाइट https://www.bankofindia.co.in/Dynamic/Tender?Type=3 देखें। दिनांक : 14.01.2020

सुश्री आरती अनुजा, प्राधिकृत अधिकारी स्थान : नई दिल्ली 5. आम लोगों को तथा विशेष रूप से उधार लेने वाले और प्रत्याभूति–दाता को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति जो बैंक ऑफ इंडिया के पास गिरवी / प्रभारित है, का **वास्तविक कब्जा** बँक ऑफ इंडिया के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को "जहां है, जैसा है और जो कुछ भी है" के आधार पर

मैसर्स ब्लेस्सिंग्स इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नालजी, मैसर्स ब्लेस्सिंग्स एड्–टेक, श्री परमजीत शाह सिंह, प्रोपराइटर : श्री परमजीत शाह सिंह तथा गारंटर : श्रीमित स्वर्ण कौर से बँक ऑफ इंडिया की (मैसर्स ब्लेसिंग्स इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नालजी) रुपये 58.47 लाख + यूसीआई + अन्य प्रभार तथा (मैसर्स ब्लेसिंग्स एड्-टेक) रुपये 42.55 लाख + यूसीआई + अन्य प्रभार, (श्री परमजीत शाह सिंह) रुपये 62.12 लाख + यूसीआई + अन्य प्रभार की बकाया राशि की वसूली हेतु दिनांक 17.02.2020 को बेचा जाएगा। आरक्षित मूल्य रुपए 160.95 लाख होगा और अग्रिम धनराशि

संपत्ति का विवरण :- (आवासीय) संपत्ति जो 1 बी-38, तीसरी मंजिल, शिवालिक मालवीय नगर, नई दिल्ली-110017 तथा जो श्री परमजीत शाह सिंह तथा श्रीमति स्वर्ण कौर के नाम पर है। क्षेत्रफल – 1192.21 वर्ग फीट

विक्रय के निबंधन और शतों के ब्यौरे के लिए कृपया बैंक ऑफ इंडिया की वैबसाइट https://www.bankofindia.co.in/Dynamic/Tender?Type=3 देखें दिनांक : 14.01.2020 सुश्री अल्पना अनेजा, प्राधिकृत अधिकारी स्थान : नई दिल्ली फोन - 011-28898163

। आम लोगों को तथा विशेष रूप से उधार लेने वाले और प्रत्याभृति–दाता को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति जो बैंक ऑफ इंडिया के पास गिरवी / प्रभारित है, का **वास्तविक कब्जा** बैंक ऑफ इंडिया के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को "जहां है, जैसा है और जो कुछ भी है" के आधार पर मैसर्स तलवार एजेन्सीज प्राइवेट लिमिटेड, निदेशक व गारंटर : श्री प्रवेश तलवार, श्री क्रिशन कुमार पुरी तथा अन्य गारंटर : श्रीमति गुरविंदर पुरी, श्री सुमित कुमार से बैंक ऑफ इंडिया की रुपये 336.07 लाख + यूसीआई + अन्य प्रभार की बकाया राशि की वसूली हेतु दिनांक 17.02.2020 को बेचा जाएगा। आरक्षित मूल्य रुपए 171.00 लाख होगा और अग्रिम धनराशि रुपए 17.10 लाख होगी। संपत्ति का विवरण :- (आवासीय) संपत्ति सं. A-604 / 605, (आंतरिक रूप से जुड़े हुए दो फ्लैट), अहिंसा निकेतन, 45 DP रोड, चिंचोली, ग्रीन

विक्रय के निबंधन और शर्तों के ब्यौरे के लिए कृपया बैंक ऑफ इंडिया की वैबसाइट https://www.bankofindia.co.in/Dynamic/Tender?Type=3 देखें। दिनांक : 14.01.2020 श्री मंगेश पाटिल, प्राधिकृत अधिकारी, फोन - 022-28881584

सुश्री संगीता खोसला, शाखा प्रबन्धक, नई दिल्ली ओवरसीज शाखा, फोन – 011–41823676

होटल के विपरीत, अहिंसा मार्ग, ऑफ लिंक रोड, मलाड (वेस्ट), मुंबई—400064 जो कि श्रीमती गुरविंदर पुरी के नाम पर है। क्षेत्रफल — 882 वर्ग

आम लोगों को तथा विशेष रूप से उधार लेने वाले और प्रत्याभूति-दाता को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति जो बैंक ऑफ इंडिया के पास गिरवी / प्रभारित है, का **प्रलक्षित कब्जा** बैंक ऑफ इंडिया के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को "जहां है, जैसा है और जो कुछ भी है" के आधार पर **मैसर्स** मेरिका इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड, निदेशक व गारंटर : श्री नवीन गोयल, श्री सुजीत कुमार गोपाल से बैंक ऑफ इंडिया की रुपये 70.81 लाख 4 यूसीआई + अन्य प्रभार की बकाया राशि की वसुली हेतु दिनांक 17.02.2020 को बेचा जाएगा। आरक्षित मूल्य रुपए 91.97 लाख होगा और अग्रिम धनराशि रुपए 9.20 लाख होगी।

संपत्ति का विवरण :— (आवासीय) फ्लैट नं. 163, छठी मंजिल, छत के अधिकार के बिना, प्लॉट नं डी—19, कैसल टॉवर नंबर 1, ब्लॉक—डी, शिव कला लक्जरी अपार्टमेंट-2, सेक्टर-51, नोएडा, गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश - 201301 जो कि श्री सुजीत कुमार गोपाल के नाम पर है। फ्लैट का सुपर क्षेत्रफल — 1800 वर्ग फीट या 167.22 वर्ग मीटर

विक्रय के निबंधन और शर्तों के ब्यौरे के लिए कृपया बैंक ऑफ इंडिया की वैबसाइट https://www.bankofindia.co.in/Dynamic/Tender?Type=3 देखें दिनांक : 14.01.2020 श्री अमित कुमार, प्राधिकृत अधिकारी

फोन - 011-26329566 स्थान : नई दिल्ली 3. आम लोगों को तथा विशेष रूप से उधार लेने वाले और प्रत्याभूति—दाता को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति जो बैंक ऑफ इंडिया के पास

गिरवी / प्रभारित है, का **वास्तविक कब्जा** बँक ऑफ इंडिया के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को "जहां है, जैसा है और जो कुछ भी है" के आधार पर मैसर्स रतन सागर ज्वेलर्स, प्रोपराइटर : श्री गिरीश भिलवाड़ा और गारंटीकर्ता : श्री हरपाल सिंह से बैंक ऑफ इंडिया की रुपये 186.24 लाख + यूसीआई + अन्य प्रभार की बकाया राशि की वसूली हेतु दिनांक 17.02.2020 को बेचा जाएगा। आरक्षित मूल्य रुपए 70.36 लाख होगा और अग्रिम धनराशि रुपए 7.04 लाख होगी।

संपत्ति का विवरण :— (व्यावसायिक) ग्राउंड फ़्लोर पर दो बिल्ड—अप दुकानें और 1 फीट गहरी और 14 फीट लम्बी एक आलमारी के साथ (बिना छत के अधिकार के), बिल्ट—अप प्रॉपर्टी नंबर 3240, वार्ड नं XVI, गली नं. 29, खसरा नंबर 2693 / 2616, ब्लॉक नंबर पी, बस्ती रेगर, बीडन पूरा, करोल बाग, नई दिल्ली-110005 जो कि श्री हरपाल सिंह के नाम पर है। क्षेत्रफल : 210 वर्ग फीट

विक्रय के निबंधन और शतौं के ब्यौरे के लिए कृपया बैंक ऑफ इंडिया की वैबसाइट https://www.bankofindia.co.in/Dynamic/Tender?Type=3 देखें। दिनांक : 14.01.2020 श्री अमित कुमार, प्राधिकृत अधिकारी स्थान : नई दिल्ली फोन - 011-26329566

3. आम लोगों को तथा विशेष रूप से उधार लेने वाले और प्रत्याभृति–दाता को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति जो बैंक ऑफ इंडिया के पास गिरवी / प्रभारित है, का वास्तविक कब्जा बैंक ऑफ इंडिया के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को "जहां है, जैसा है और जो कुछ भी है" के आधार पर मैसर्स स्वदेशी एल्युमीनियम कं. प्रा. लि., निदेशक तथा गारंटर – श्री संजय नागपाल, श्री श्याम नागपाल तथा श्री सतपाल नागपाल, अन्य गारंटर -श्री सोमनाथ भूटानी, श्रीमति कांता भूटानी से बँक ऑफ इंडिया की रुपये 2773.12 लाख + यूसीआई + अन्य प्रभार की बकाया राशि की वसूली हेत् दिनांक 17.02.2020 को बेचा जाएगा। आरक्षित मूल्य **रुपए 109.00 लाख** होगा और अग्रिम धनराशि **रुपए 10.90 लाख** होगी। संपत्ति का विवरण :- (व्यावसायिक) तीन मंज़िला संपत्ति संख्या 1/2-2845-एक्सवी, गली नंबर 5, चूना मंडी, पहाड़गंज, नई दिल्ली-110005 जो

कि श्री संजय नागपाल, श्री श्याम नागपाल तथा श्री सतपाल नागपाल के नाम पर है। क्षेत्रफल – 55 वर्ग गज़ विक्रय के निबंधन और शर्तों के ब्यौरे के लिए कृपया बैंक ऑफ इंडिया की वैबसाइट https://www.bankofindia.co.in/Dynamic/Tender?Type=3 देखें।

श्री प्रमोद कुमार दीक्षित, प्राधिकृत अधिकारी दिनांक : 14.01.2020

0. आम लोगों को तथा विशेष रूप से उधार लेने वाले और प्रत्याभृति–दाता को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति जो बैंक ऑफ इंडिया के पास गिरवी / प्रभारित है, का **प्रलक्षित कब्जा** बैंक ऑफ इंडिया के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को "जहां है, जैसा है और जो कुछ भी है" के आधार पर **मैसर्स** बोन मार्ट इंटरनेशनल लिमिटेड, निदेशक व गारंटर : श्री राकेश बंसल, श्री सनेह प्रकाश बंसल, श्री तुषार बंसल से बैंक ऑफ इंडिया की रुपये 896.51 लाख + युसीआई + अन्य प्रभार की बकाया राशि की वसूली हेत् दिनांक 17.02.2020 को बेचा जाएगा। आरक्षित मूल्य रुपए 85.50 लाख होगा और अग्रिम धनराशि रुपए 8.55 लाख होगी। संपत्ति का विवरण :- (आवासीय) 307, तीसरी मंजिल, पर्ल हाइट्स, ग्रुप हाउसिंग (टाइप-3), पॉकेट 10, सेक्टर 9, वैशाली एक्सटेंशन,

गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश-201010 जो कि श्री राकेश बंसल के नाम पर है। क्षेत्रफल - 148.64 वर्ग मीटर

विक्रय के निबंधन और शर्तों के ब्यौरे के लिए कृपया बैंक ऑफ इंडिया की वैबसाइट https://www.bankofindia.co.in/Dynamic/Tender?Type=3 देखें।

श्री शशि कांत सदाभरतीय, प्राधिकृत अधिकारी दिनांक : 14.01.2020

स्थान : नई दिल्ली फोन - 011-23717344

11. आम लोगों को तथा विशेष रूप से उधार लेने वाले और प्रत्याभृति—दाता को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति जो बँक ऑफ इंडिया के पास गिरवी / प्रभारित है, का प्रलक्षित कब्जा बैंक ऑफ इंडिया के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को "जहां है, जैसा है और जो कुछ भी है" के आधार पर मैसर्स बोन मार्ट इंटरनेशनल लिमिटेड, निदेशक व गारंटर : श्री राकेश बंसल, श्री सनेह प्रकाश बंसल, श्री तुषार बंसल से बैंक ऑफ इंडिया की

होगा और अग्रिम धनराशि रुपए 8.55 लाख होगी। संपत्ति का विवरण :- (आवासीय) 410, चौथी मंजिल, पर्ल हाइट्स, ग्रुप हाउसिंग (टाइप-3), पॉकेट 10, सेक्टर 9, वैशाली एक्सटेंशन, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश-201010 जो कि श्री सनेह प्रकाश बंसल के नाम पर है। क्षेत्रफल - 154.22 वर्ग मीटर

रुपये 896.51 लाख + यूसीआई + अन्य प्रभार की बकाया राशि की वसूली हेत् दिनांक 17.02.2020 को बेचा जाएगा। आरक्षित मूल्य रुपए 85.50 लाख

विक्रय के निबंधन और शर्तों के ब्यौरे के लिए कृपया बैंक ऑफ इंडिया की वैबसाइट जिजबेरूहू व्हंदाविषदकपंण्यवण्यद्वलदं उपबध्ज्यदकमत्वध्वन वेखें।

श्री शशि कांत सदाभरतीय, प्राधिकृत अधिकारी दिनांक : 14.01.2020 स्थान : नई दिल्ली फोन - 011-23717344 12. आम लोगों को तथा विशेष रूप से उधार लेने वाले और प्रत्याभूति–दाता को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति जो बैंक ऑफ इंडिया के पास

गिरवी / प्रभारित है, का **वास्तविक कब्जा** बैंक ऑफ इंडिया के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को "जहां है, जैसा है और जो कुछ भी है" के आधार पर मैसर्स बोन मार्ट इंटरनेशनल लिमिटेड, निदेशक व गारंटर : श्री राकेश बंसल, श्री सनेह प्रकाश बंसल, श्री तुषार बंसल से बँक ऑफ इंडिया की रुपये 896.51 लाख + यूसीआई + अन्य प्रभार की बकाया राशि की वसूली हेत् दिनांक 17.02.2020 को बेचा जाएगा। आरक्षित मूल्य रुपए 38.00 लाख होगा और अग्रिम धनराशि रुपए 3.80 लाख होगी।

संपत्ति का विवरण :- (आवासीय) फ्लैट नं बी-1005, एससीसी सैफायर, राज नगर एक्सटेंशन, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश-201001 जो कि श्री राकेश बंसल के नाम पर है। क्षेत्रफल – 140.75 वर्ग मीटर

विक्रय के निबंधन और शर्तों के ब्यौरे के लिए कृपया बैंक ऑफ इंडिया की वैबसाइट जिजबेरूधूण्डंदाविषदकपंण्बवण्पदध्वलदंउपबध्ज्नदकमतध्ज्लवमत्र देखें। दिनांक : 14.01.2020 श्री शशि कांत सदाभरतीय, प्राधिकृत अधिकारी

स्थान : नई दिल्ली फोन - 011-23717344 13. आम लोगों को तथा विशेष रूप से उधार लेने वाले और प्रत्याभूति–दाता को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति जो बँक ऑफ इंडिया के पास गिरवी / प्रभारित हैं, का **वास्तविक कब्जा** बैंक ऑफ इंडिया के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को "जहां है, जैसा है और जो कुछ भी है" के आधार पर मैसर्स बोन मार्ट इंटरनेशनल लिमिटेड, निदेशक व गारंटर : श्री राकेश बंसल, श्री सनेह प्रकाश बंसल, श्री तुषार बंसल से बँक ऑफ इंडिया की रुपये 896.51 लाख + यूसीआई + अन्य प्रभार की बकाया राशि की वसूली हेतु दिनांक 17.02.2020 को बेचा जाएगा। आरक्षित मूल्य रुपए 38.00 लाख होगा और अग्रिम धनराशि रुपए 3.80 लाख होगी।

संपत्ति का विवरण :- (आवासीय) फ्लैट नं बी 1105, एससीसी सैफायर, राज नगर एक्सटेंशन, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश-201001 जो कि श्री राकेश बंसल के नाम पर है। क्षेत्रफल - 140.75 वर्ग मीटर विक्रय के निबंधन और शर्तों के ब्यौरे के लिए कृपया बैंक ऑफ इंडिया की वैबसाइट जिजनेक्क इन्द्रवाविषदक पंणविणविषय के स्वार के लिए कृपया बैंक ऑफ इंडिया की वैबसाइट जिजनेक इन्द्रवाविषदक पंणविणविषय के स्वार के स्वर के स्वार के

श्री शशि कांत सदाभरतीय, प्राधिकृत अधिकारी दिनांक : 14.01.2020 स्थान : नई दिल्ली फोन - 011-23717344

14. आम लोगों को तथा विशेष रूप से उधार लेने वाले और प्रत्याभूति–दाता को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति जो बैंक ऑफ इंडिया के पास गिरवी / प्रभारित है, का **वास्तविक कब्जा** बैंक ऑफ इंडिया के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को "जहां है, जैसा है और जो कुछ भी है" के आधार पर मैसर्स बोन मार्ट इंटरनेशनल लिमिटेड, निदेशक व गारंटर : श्री राकेश बंसल, श्री सनेह प्रकाश बंसल, श्री तुषार बंसल से बैंक ऑफ इंडिया की रुपये 896.51 लाख + युसीआई + अन्य प्रभार की बकाया राशि की वसूली हेत् दिनांक 17.02.2020 को बेचा जाएगा। आरक्षित मूल्य रुपए 38.00 लाख होगा और अग्रिम धनराशि रुपए 3.80 लाख होगी। संपत्ति का विवरण :- (आवासीय) फ्लैट नं बी 1205, एससीसी सैफायर, राज नगर एक्सटेंशन, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश-201001 जो कि श्री

राकेश बंसल के नाम पर है। क्षेत्रफल - 140.75 वर्ग मीटर विक्रय के निबंधन और शतों के ब्यौरे के लिए कृपया बैंक ऑफ इंडिया की वैबसाइट https://www.bankofindia.co.in/Dynamic/Tender?Type=3 देखें।

श्री शशि कांत सदाभरतीय, प्राधिकृत अधिकारी दिनांक : 14.01.2020 स्थान : नई दिल्ली फोन - 011-23717344

15. आम लोगों को तथा विशेष रूप से उधार लेने वाले और प्रत्याभूति-दाता को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति जो बैंक ऑफ इंडिया के पास गिरवी / प्रभारित है, का **वास्तविक कब्जा** बँक ऑफ इंडिया के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को "जहां है, जैसा है और जो कुछ भी है" के आधार पर मैसर्स बोन मार्ट इंटरनेशनल लिमिटेड, निदेशक व गारंटर : श्री राकेश बंसल, श्री सनेह प्रकाश बंसल, श्री तुषार बंसल से बँक ऑफ इंडिया की रुपये 896.51 लाख + यूसीआई + अन्य प्रभार की बकाया राशि की वसूली हेतु दिनांक 17.02.2020 को बेचा जाएगा। आरक्षित मूल्य रुपए 38.00 लाख होगा और अग्रिम धनराशि रुपए 3.80 लाख होगी। संपत्ति का विवरण :- (आवासीय) फ्लैट नं बी 12A05, एससीसी सैफायर, राज नगर एक्सटेंशन, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश-201001 जो कि श्री

तुषार बंसल के नाम पर है। क्षेत्रफल — 140.75 वर्ग मीटर विक्रय के निबंधन और शर्तों के ब्यौरे के लिए कृपया बैंक ऑफ इंडिया की वैबसाइट https://www.bankofindia.co.in/Dynamic/Tender?Type=3 देखें। श्री शशि कांत सदाभरतीय, प्राधिकृत अधिकारी दिनांक : 14.01.2020

16. आम लोगों को तथा विशेष रूप से उधार लेने वाले और प्रत्याभूति–दाता को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति जो बैंक ऑफ इंडिया के पास गिरवी / प्रभारित है, का **वास्तविक कब्जा** बैंक ऑफ इंडिया के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को "जहां है, जैसा है और जो कुछ भी है" के आधार पर मैसर्स दौलतराम नरेश कुमार, मालिकः श्रीमती गीता रानी और गारंटरः श्री आशीष सिंघल, श्री शंकर सिंघल, श्री पवन कुमार अग्रवाल, श्रीमती संतोष कुमार अग्रवाल से बैंक ऑफ इंडिया की रुपये 146.31 लाख + यूसीआई + अन्य प्रभार की बकाया राशि की वसूली हेतु दिनांक 17.02.2020 को बेचा जाएगा। आरक्षित मुल्य रुपए 12.40 लाख होगा और अग्रिम धनराशि रुपए 1.24 लाख होगी। संपत्ति का विवरण :- (व्यावसायिक) गोदाम, 2321 और 2322 में, ग्राउंड फ्लोर, गली हींगा बेग, तिलक बाजार, खारी बावली, वार्ड नंबर 3,

दिल्ली—110006, श्रीमति संतोष कुमारी अग्रवाल और श्री पावन कुमार अग्रवाल के नाम पर। क्षेत्रफलः 157 वर्ग फीट विक्रय के निबंधन और शर्तों के ब्यौरे के लिए कृपया बैंक ऑफ इंडिया की वैबसाइट https://www.bankofindia.co.in/Dynamic/Tender?Type=3 देखें।

श्री शशि कांत सदाभरतीय, प्राधिकृत अधिकारी स्थान : नई दिल्ली फोन - 011-23717344 17. आम लोगों को तथा विशेष रूप से उधार लेने वाले और प्रत्याभृति–दाता को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति जो बैंक ऑफ इंडिया के पास गिरवी / प्रभारित है, का प्रलक्षित कब्जा बैंक ऑफ इंडिया के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को "जहां है, जैसा है और जो कुछ भी है" के आधार पर मैसर्स जी. डी. इंडस्ट्रीज, पार्टनर्स: श्री सुनील शर्मा, श्री रॉबिन शर्मा, श्री नीलम शर्मा तथा गारंटर: श्री दिनेश शर्मा से बैंक ऑफ इंडिया की रुपये 1602.98 लाख + यूसीआई + अन्य प्रभार की बकाया राशि की वसूली हेत् दिनांक 17.02.2020 को बेचा जाएगा। आरक्षित मूल्य रुपए 1872.00 लाख होगा और अग्रिम

धनराशि रुपए 187.20 लाख होगी। संपत्ति का विवरण :- (व्यावसायिक) 1156 / 57, ग्राउंड फ्लोर तथा मेज्जनाइन फ्लोर, वार्ड-2, कूचा महाजनी, चाँदनी चौक, दिल्ली-110006 जो कि श्री सुनील कुमार शर्मा के नाम पर है। क्षेत्रफल – 21.75 वर्ग मीटर विक्रय के निबंधन और शर्तों के ब्यौरे के लिए कृपया बैंक ऑफ इंडिया की वैबसाइट https://www.bankofindia.co.in/Dynamic/Tender?Type=3 देखें।

दिनांक : 14.01.2020 श्री शशि कांत सदाभरतीय, प्राधिकृत अधिकारी स्थान : नई दिल्ली फोन - 011-23717344 18. आम लोगों को तथा विशेष रूप से उधार लेने वाले और प्रत्याभूति-दाता को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति जो बैंक ऑफ इंडिया के पास गिरवी / प्रभारित है, का प्रलक्षित कब्जा बैंक ऑफ इंडिया के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को "जहां है, जैसा है और जो कुछ भी है" के आधार

पर मैसर्स मान इंटरनेशनल इंडिया (प्रा.) लिमिटेड, निदेशक व गारंटर : श्री सतवीर सिंह मान, श्री मिकी मान, श्रीमित सुरेन्द्र कौर मान से बैंक ऑफ इंडिया की रुपये 41.92 लाख + यूसीआई + अन्य प्रभार की बकाया राशि की वसूली हेतु दिनांक 17.02.2020 को बेचा जाएगा। आरक्षित मूल्य रुपए 39.58 लाख होगा और अग्रिम धनराशि रुपए 3.96 लाख होगी। संपत्ति का विवरण :- (व्यावसायिक) संपत्ति संख्या 836/8, प्रथम तल, मान मार्केंट, बीपीसी पेट्रोल पम्प के विपरीत, पुराना तहसील रोड, गोहाना, जिला सोनीपत, हरयाणा-131301 जो कि श्री मिकी मान के नाम पर है। क्षेत्रफल - 135.33 वर्ग गज विक्रय के निबंधन और शर्तों के ब्यौरे के लिए कृपया बैंक ऑफ इंडिया की वैबसाइट https://www.bankofindia.co.in/Dynamic/Tender?Type=3

श्री शशि कांत सदामरतीय, प्राधिकृत अधिकारी दिनांक : 14.01.2020 स्थान : नई दिल्ली फोन - 011-23717344 आम लोगों को तथा विशेष रूप से उधार लेने वाले और प्रत्याभूति-दाता को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति जो बैंक ऑफ इंडिया के पास

गिरवी / प्रभारित है, का **वास्तविक कब्जा** बैंक ऑफ इंडिया के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को "जहां है, जैसा है और जो कुछ भी है" के आधार पर मैसर्स सैनी एंटरप्राइजेज़, प्रोपराइटर : श्री पवन सैनी से बैंक ऑफ इंडिया की रुपये 37.12 लाख + यूसीआई + अन्य प्रभार की बकाया राशि की वसूली हेत् दिनांक 17.02.2020 को बेचा जाएगा। आरक्षित मुल्य रुपए 52.00 लाख होगा और अग्रिम धनराशि रुपए 5.20 लाख होगी। संपत्ति का विवरण :— (आवासीय – भूमि और भवन) प्लॉट नं C-131, गली नंबर 4, पहला पुश्ता, न्यू उस्मानपुर, शाहदरा, दिल्ली-110053 जो कि श्रीमती चंदो देवी के नाम पर है। क्षेत्रफल - 66.88 वर्ग मीटर विक्रय के निबंधन और शर्तों के ब्यौरे के लिए कृपया बैंक ऑफ इंडिया की वैबसाइट https://www.bankofindia.co.in/Dynamic/Tender?Type=3 देखें।

श्री प्रदीप कुमार, प्राधिकृत अधिकारी दिनांक : 14.01.2020 स्थान : नई दिल्ली फोन - 011-22583135 20. आम लोगों को तथा विशेष रूप से उधार लेने वाले और प्रत्याभूति–दाता को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति जो बैंक ऑफ इंडिया के पास गिरवी / प्रभारित है, का **वास्तविक कब्जा** बैंक ऑफ इंडिया के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को "जहां है, जैसा है और जो कुछ भी है" के आधार पर

उधारकर्ता : श्री हरी भूषण झा तथा गारंटीकर्ता : श्री संजीव कुमार झा से बैंक ऑफ इंडिया की रुपये 21.63 लाख + यूसीआई + अन्य प्रभार की बकाया राशि की वसूली हेत् दिनांक 17.02.2020 को बेचा जाएगा। आरक्षित मूल्य रुपए 18.00 लाख होगा और अग्रिम धनराशि रुपए 1.80 लाख होगी। संपत्ति का विवरण :— (आवासीय) फ्लैट नंबर 149, चौथी मंजिल, ब्लॉक—ए, कोंडली के ले—आउट प्लान में स्थित, घरोली, जिसे मयूर विहार—III के रूप में जाना जाता है, दिल्ली-110096 जिसके मालिक श्री हिर भूषण झा हैं। क्षेत्रफल - 28 वर्ग मीटर

विक्रय के निबंधन और शर्तों के ब्यौरे के लिए कृपया बैंक ऑफ इंडिया की वैबसाइट https://www.bankofindia.co.in/Dynamic/Tender?Type=3 देखें। श्री आर. के. महासेठ, प्राधिकृत अधिकारी

दिनांक : 14.01.2020 फोन: 011-22013574 स्थान : नई दिल्ली

#### नियम और शर्तें

नीलामी बिक्री 🖊 बोली केवल "ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक बोली प्रक्रिया" https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/index.jsp वेबसाइट के माध्यम से होगी। ईएमडी राशि के साथ दस्तावेज जमा करने की अंतिम तिथि - 15.02.2020 या उससे पहले शाम 5 बजे तक।

संपत्ति का निरीक्षण करने की तिथि और समय - 10.02.2020 सुबह 11:00 बजे से दोपहर 01:00 बजे तक उपरोक्त सभी सम्पत्तियों के लिए। 3) नीलामी की तिथि और समय — 17.02.2020 सुबह 11:00 बजे से दोपहर 01:00 बजे तक असीमित 10 मिनट प्रत्येक ऑटो—एक्सटेंशन के साथ। 4)

नीलामी आरक्षित मूल्य + पहले वृद्धि मूल्य जैसा कि बैंक की वैबसाइट पर उल्लिखित हैं, पर शुरू होगी। उपरोक्त सभी सम्पत्तियों के लिए बोलीदाता बैंक की वैबसाइट पर उल्लिखित गुणकों में अपनी बोली बढ़ाएँगे।

5) इच्छुक बोलीदाताओं को पोर्टल https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/index.jsp पर अपना नाम पंजीकृत करवाना है और यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त करना है, जिसके पश्चात उन्हें उक्त पोर्टल पर ऑनलाइन ई-नीलामी में भाग लेने की अनुमित दी जाएगी। 6)

7)

फान: 011-28833127

इच्छुक बोलीदाताओं को नीलामी की बिक्री प्रक्रिया में भाग लेने से पहले उपरोक्त संपत्ति से संबंधित किसी भी वैधानिक देनदारियों, संपत्ति कर के बकाया, बिजली बकाया आदि के बारे में स्वयं अपनी पूछताछ करनी होगी। संपत्तियों को सभी मौजूदा और भविष्य के एन्कम्ब्रेन्स के साथ बेचा जा रहा है, चाहे बैंक को ज्ञात हो या अज्ञात हो । अधिकृत कार्यालय 🖊 सुरक्षित लेनदार किसी भी तरह से किसी भी तीसरे पक्ष के दावों 🖊 अधिकारों 🖊 बकाया के लिए जिम्मेदार नहीं होगा ।

ऊपर अनुसूची में निर्दिष्ट विवरण प्राधिकृत अधिकारी / बैंक की सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार है। प्राधिकृत अधिकारी और / या बैंक इस सार्वजनिक सूचना में किसी भी त्रुटि, गलत बयान या चूक के लिए जवाबदेह नहीं होंगे।

इस शेष राशि को जमा करने में असफल रहने पर जमा की गयी राशि को जब्त कर लिया जाएगा और प्राधिकृत अधिकारी / बैंक के पास नीलामी रद्द करने और नई नीलामी आयोजित करने का पूर्ण अधिकार होगा।

उपर्युक्त संपत्ति ऊपर उल्लिखित आरक्षित मूल्य + पहले वृद्धि मूल्य जो कि बँक की वैबसाइट पर उल्लिखित हैं, से नीचे नहीं बेची जाएगी। इच्छुक बोलीकर्ताओं को संपत्ति के क्रय के लिए ई-नीलामी के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों / विवरणों को ईएमडी के साथ जो कि बोली राशि का 10% है, उपरोक्त सभी संपत्तियों के लिए तालिका में उल्लिखित खाते के नाम के साथ 15.02.2020 को या उससे पहले उक्त पोर्टल पर शाम 5 बजे तक जमा करना होगा। उच्चतम / सफल बोलीदाता के मामले में ईएमडी राशि समायोजित कर दी जाएगी, अन्यों को बिक्री समाप्त होने के 5 दिनों के भीतर ईएमडी पर कोई ब्याज देय नहीं होगा। यदि बोलीदाता बोली जमा करने / ईएमडी राशि जमा करने के बाद ई-नीलामी प्रक्रिया में भाग नहीं

लेता है और यदि वह एकमात्र बोलीदाता है, तो उसकी बोली को उपरोक्त आरक्षित मूल्य पर माना जाएगा, और उसे सफल बोलीदाता घोषित किया जाएगा। 11) उच्चतम / सफल बोलीदाता को बिक्री के संबंध में प्राधिकृत अधिकारी द्वारा बोली की स्वीकार्यता के बाद पहले से भुगतान की गयी ईएमडी राशि का 10% है, को मिलाकर बोली / खरीद राशि का का 25% बिक्री की पृष्टि के अगले कार्यदिवस तक (बैंकिंग अवधि के दौरान) जमा करनी होगी अन्यथा उसकी ईएमडी राशि जब्त कर ली जाएगी। 12) बोली / खरीद राशि की शेष 75% राशि प्राधिकृत अधिकारी द्वारा बिक्री की पुष्टि के 15 वें दिन या उससे पहले (बैंकिंग कार्यदिवस के दौरान) या पूरी तरह से प्राधिकृत अधिकारी के विवेकानुसार लिखित में किए गए समझौते के अनुसार बढ़ाई गयी ऐसी किसी तिथि तक जमा करनी होगी। निर्धारित अवधि के भीतर

सम्पूर्ण बिक्री राशि प्राप्त होने के बाद, प्राधिकृत अधिकारी बिक्री प्रमाणपत्र जारी करेगा और उसके बाद बिक्री को पूर्ण माना जाएगा और इस संबंध में बैंक किसी भी दावे पर विचार नहीं लेगा। प्राधिकृत अधिकारी उच्चतम बोली अथवा किसी या सभी बोलियों को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है और बिना कोई कारण बताए बिना किसी या सभी बोलियों को स्वीकार करने या अस्वीकार करने

यह प्रकाशन उपरोक्त उधारकर्ताओं / गारंटरों / बंधककर्ताओं को अग्रिम में 30 दिनों का नोटिस भी है।

स्थान : नई दिल्ली

स्थान : नई दिल्ली

2)

#### खबर कोना



गुवाहाटी : खेलो इंडिया युवा खेलों के चौथे दिन सोमवार को महिलाओं के अंडर-21 में बाधा दौड़ जीतने के बाद दिल्ली की

#### खेलो इंडिया पदक तालिका में महाराष्ट्र से आगे निकला हरियाणा

गुवाहाटी, 13 जनवरी (भाषा) ।

हरियाणा ने खेलो इंडिया युवा खेलों के चौथे दिन 12 स्वर्ण पदक जीतकर पदक तालिका में महाराष्ट्र को पीछे छोड दिया। हरियाणा ने कबड्डी में चार, तीरंदाजी और एथलेटिक्स में तीन–तीन और साइकिलिंग तथा जिमनास्टिक में एक-एक स्वर्ण समेत कुल 17 स्वर्ण अपने नाम किए। इससे वह पदक तालिका में छटे से पहले स्थान पर पहुंच गया। महाराष्ट्र ने सोमवार को चार ही स्वर्ण जीते और 16 पीले तमगो के साथ दूसरे स्थान पर खिसक गया। उसके कुल ७१ पदक हैं। अंडर २१ जिमनास्ट अदिति दांडेकर और चार गुणा 100 मीटर रिले टीम ने महाराष्ट्र को स्वर्ण दिलाया। महिला अंडर-21 फाइनल में हरियाणा ने कडे मुकाबले में हिमाचल प्रदेश को हराया। एथलेटिक्स में तमिलनाडू ने पांच स्वर्ण जीते। अंडर–21 चार गुणा सौ मीटर रिले में केरल को पीला तमगा मिला। तमिलनाडु केएस सरन (अंडर-21 लंबी कूद), पवित्रा (अंडर-21 बांस कूद) और बाबिशा

(अंडर–21 त्रिकूद) ने स्वर्ण पदक जीता। तमिलनाडु आठ स्वर्ण समेत 25 पदक जीतकर पांचवें स्थान पर है। दिल्ली तीसरे और गुजरात चौथे स्थान पर है। तीरंदाजी में हरियाणा ने तीन स्वर्ण समेत सात पदक जीते। मध्य प्रदेश को तीरंदाजी में दो स्वर्ण मिले। रोडरेस में असम की गंगुत्री बारडोलोइ ने महिलाओं का अंडर-21

खिताब जीता जबिक पुरुष वर्ग में हरियाणा के अनिल मंगला विजयी रहे। निशानेबाजी में गुजरात के ऋषिराज जडेजा ने अंडर-21 दस मीटर एअर राइफल का स्वर्ण जीता। महाराष्ट्र के रूद्राक्ष पाटिल ने 10 मीटर एयर राइफल में अंडर-17

खिताब अपने नाम किया।

# आस्ट्रेलिया की मजबूत टीम से भिड़ने को तैयार भारत

तीन मैचों की शृंखला का पहला एकदिवसीय मुकाबला आज, दोपहर डेढ़ बजे से शुरू होगा

मुंबई, 13 जनवरी (भाषा) ।

आस्ट्रेलिया के खिलाफ शुरू हो रहे तीन मैचों की एकदिवसीय शृंखला के पहले मुकाबले में मंगलवार को यहां भारतीय टीम पिछली शृंखला की हार का बदला चुकता करने के साथ-साथ घरेलू सरजमीं पर अपना शानदार रेकार्ड बरकरार रखने उतरेगी। पिछले साल मार्च में घरेलू सरजमीं पर 2-3 से हार मिली थी। उधर भारत की सलामी जोड़ी की पहेली का हल निकालने के लिए कप्तान विराट कोहली बल्लेबाजी क्रम में नीचे आने को तैयार हैं। वानखेड़े स्टेडियम की पिच आम तौर पर बल्लेबाजों के अनुकूल होती है।

दूसरी तरफ घरेलू सत्र में शानदार प्रदर्शन के बाद आरोन फिंच की अगुआई वाली आस्ट्रेलिया की टीम आत्मविश्वास से भरी है। घरेलू सत्र में आस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के खिलाफ शृंखलाएं जीती। टैस्ट क्रिकेट में शानदार फार्म में चल रहे मार्नस लाबुशेन के पदार्पण की उम्मीद है। दूसरा एकदिवसीय राजकोट में 17 जनवरी जबिक तीसरा बंगलुरु में 19 जनवरी को खेला जाएगा।

आस्ट्रेलिया और भारत के बीच होने वाली इस द्विपक्षीय शृंखला में निजी प्रतिद्वंद्विताएं भी देखने को मिलेगी जिसमें रोहित शर्मा बनाम डेविड वार्नर तथा विराट कोहली बनाम स्टीव रिमथ की जंग रोमांचक होगी। जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी और नवदीप सैनी की मौजूदगी वाला भारत का तेज गेंदबाजी आक्रमण



आस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों की परीक्षा लेने को तैयार है। वहीं आस्ट्रेलिया के पास आइपीएल के सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी पैट कमिंस, केन

एलेक्स कैरी की आक्रामक बल्लेबाज और रेकार्ड शानदार है। दोनों टीमों के बीच शानदार विकेटकीपिंग को भारत के ऋषभ पंत से चुनौती मिलेगी। अगर मौजूदा फार्म को रिचर्डसन और अनुभवी मिशेल स्टार्क जैसे तेज मानक माना जाता है तो राहुल इस दौड़ में धवन गेंदबाज हैं जो कोहली और उनकी टीम को को पीछे छोड़ देंगे लेकिन आस्ट्रेलिया के परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। खिलाफ सीमित ओवरों के क्रिकेट में धवन का

एकदिवसीय विश्व कप में पिछले मुकाबले के दौरान धवन ने शतक जड़कर भारत की आसान जीत की नींव रखी थी। हालांकि इस मुकाबले को सात से अधिक महीने बीत चुके हैं और तब से धवन चोटों से परेशान रहे हैं।

#### सलामी जोड़ी की गुत्थी सुलझी

भारत की सलामी जोड़ी की पहेली का हल निकालने के लिए आगे आए कप्तान विराट कोहली ने कहा कि उन्हें बल्लेबाजी क्रम में नीचे आने में कोई हिचक नहीं है जिससे कि बेहतरीन फार्म में चल रहे लोकेश राहुल और अनुभवी शिखर धवन दोनों को अंतिम एकादश में जगह मिल सके। उन्होंने कहा, हां, इसकी संभावना है। ऐसा करने में मुझे बेहद खुशी होगी। मैंने किसी क्रम को अपने लिए तय नहीं किया है। मैं कहां बल्लेबाजी करूं, इसे लेकर मैं असुरक्षित नहीं हूं।

भारत : विराट कोहली (कप्तान), रोहित शर्मा, शिखर धवन, लोकेश राहुल, श्रेयस अय्यर, मनीष पांडे, केदार जाधव, ऋषभ पंत, शिवम दुबे, रविंद्र जडेजा, युजवेंद्र चहल, कुलदीप यादव, नवदीप सैनी, जसप्रीत बुमराह, शारदुल टाकुर और मोहम्मद शमी।

आस्ट्रेलिया : आरोन फिंच (कप्तान), एलेक्स कैरी, पैट्रिक कमिंस, एश्टन एगर, पीटर हैंड्सकांब, जोश हेजलवुड, मार्नस लाबुशेन, केन रिचर्डसन, स्टीव स्मिथ, मिशेल स्टार्क, एशटन टर्नर, डेविड वार्नर और एडम जम्पा।

## पंड्या ने टीम के साथ किया अभ्यास

मुंबई, 13 जनवरी (भाषा)

पीठ की सर्जरी से उबर रहे हरफनमौला हार्दिक पंड्या ने सोमवार को यहां वानखेड़े स्टेडियम में भारतीय टीम के साथ अभ्यास सत्र में हिस्सा लिया। पंड्या को अंतिम लम्हों में न्यूजीलैंड दौरे पर जाने वाली भारत ए टीम से हटा दिया गया था क्योंकि वह सर्जरी से परी तरह नहीं उबर पाए थे।

हार्दिक को सबसे पहले कप्तान विराट कोहली और तेज गेंदबाजी आक्रमण के अगुआ जसप्रीत बुमराह के साथ स्टंप को हिट करने का अभ्यास करते हुए देखा गया। पंड्या ने बाद में गेंदबाजी कोच भरत अरूण के मार्गदर्शन में नेट पर गेंदबाजी की। हार्दिक का लंदन में आपरेशन हुआ था और तब से वह मुंबई में अपने ट्रेनर रजनीकांत के निरीक्षण में रिहैबिलिटेशन प्रक्रिया से गुजर रहे हैं। इस बीच



टीम के लगभग सभी सदस्यों को अभ्यास सत्र में हिस्सा लेने देखा गया। अंतिम एकादश में बल्लेबाज की।

वैकल्पिक अभ्यास सत्र के बावजूद भारतीय दूसरे सलामी बल्लेबाज के स्थान के दावेदार लोकेश राहुल और शिखर धवन ने नेट्स पर

## टी-20 विश्व कप में टीमों की संख्या बढ़ाने पर विचार कर रहा है आइसीसी

लंदन, 13 जनवरी (भाषा) ।

अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आइसीसी) 2023-31 सत्र में टी-20 विश्व कप में टीमों की संख्या 16 से बढ़ाकर 20 करने पर विचार कर रहा है। एक मीडिया रिपोर्ट में यह दावा किया गया।

'टेलीग्राफ डॉट को डॉट युके' के अनुसार खेल के दायरे को बढ़ाने के लिए टी-20 प्रारूप को सर्वश्रेष्ठ तरीका मानने वाला आइसीसी इस विकल्प पर विचार कर रहा है जिससे कि क्रिकेट, फुटबॉल और बास्केटबॉल जैसे लोकप्रिय खेलों की बराबरी का प्रयास कर सके। समाचार पत्र के अनुसार इस मुद्दे पर विचार 2023-31 के अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट

कैलेंडर को लेकर होने वाली विस्तृत चर्चा का हिस्सा है। इस सत्र का पहला टी-20 विश्व कप 2024 में होगा। आइसीसी ने वैश्विक मीडिया अधिकार बाजार में उतरने से पहले प्रत्येक वर्ष एक वैश्विक प्रतियोगिता के आयोजन का प्रस्ताव रखा है और विश्व कप में टीमों की अधिक संख्या से दर्शकों की संख्या में भी इजाफा होगा। बड़े टूर्नामेंट का मतलब है कि अमेरिका के इसमें प्रतिनिधित्व की संभावना बढ़ेगी। आइसीसी अमेरिका को बड़े बाजार के रूप में देखता है और यहां खेल को बढ़ावा देने के लिए उसने हाल में कई प्रयास किए हैं। कनाडा, जर्मनी, नेपाल और नाईजीरिया की टीम को भी इसमें खेलने का मौका मिल सकता है।

## टाटा स्टील मास्टर्स के दूसरे दौर में वेस्ले से हारे आनंद एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम में साक्षी, राहुल

विज्क आन जी (नीदरलैंड) 13 जनवरी (भाषा)।

पांच बार के विश्व चैंपियन विश्वनाथ आनंद को टाटा स्टील मास्टर्स शतरंज टूर्नामेंट के दूसरे दौर में वेस्ले सो के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा।

पहले दौर में रूसी ग्रैंडमास्टर व्लादिस्लाव आर्टेमिएव से ड़ा खेलने वाले आनंद ने सोमवार को काले मोहरों से खेलते हुए कुछ शानदार चालें चली जिससे अमेरिकी खिलाड़ी सो बैकफुट पर आ गए। आनंद हालांकि 22वीं चाल में गलती कर बैठे जिसका फायदा उठाकर सो ने तीन और चालों के बाद मुकाबला अपने नाम कर लिया। उधर अन्य भारतीय

ग्रैंडमास्टर सूर्य शेखर गांगुली को नीदरलैंड के लुकास वैन फोरीस्ट ने ड्रा पर रोका जबिक प्रतिभाशाली निहाल सरीन ने यूक्रेन के पावेल इलजानोव को ड्रा पर रोक दिया। दूसरे दौर के अन्य मुकाबलों में रूस के दानिल दुबोव ने बेलारूस के वलादिस्लाव कोवालेव को हराया जबकि व्लादिस्लाव आर्टेमिएव ने हमवतन निकिजा वितुगोव को शिकस्त दी। अमेरिका के जैफ्री शिओंग ने नीदरलैंड के जार्डन वैन फोरीस्ट को मात दी। विश्व चैंपियन मैगनस कार्लसन को लगातार दूसरे दिन ड्रा से संतोष करना पड़ा। उन्हें सफेद मोहरों से खेलते हुए यू यांगयी ने जीत से दूर रखा। टूर्नामेंट में अभी 11 दौर के मुकाबले खेले जाने बाकी हैं।

नई दिल्ली, 13 जनवरी (भाषा) ।

पीट की

सर्जरी से

अभ्यास सत्र

करते हुए।

ओलंपिक कांस्य पदक विजेता साक्षी मलिक और राष्ट्रमंडल खेल चैंपियन राहुल अवारे 17 से 23 फरवरी तक यहां होने वाली सीनियर एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारत की 12 सदस्यीय टीम की गैर ओलंपिक भारवर्ग में नुमाइंदगी करेंगे।

भारतीय कुश्ती महासंघ के एक बयान के मुताबिक गैर ओलंपिक वर्ग के चयन ट्रॉयल रविवार और सोमवार को लखनऊ और सोनीपत में हुए। राष्ट्रमंडल खेल 2018 के

स्वर्ण पदक और 2019 में विश्व चैंपियनशिन के कांस्य पदक विजेता राहुल 61 किलो फ्रीस्टाइल में उतरेंगे। उनके अलावा नवीन (70 किलो), गौरव बालियान (79 किलो) और सोमवीर (92 किलो) भी इसमें भाग लेंगे। रियो ओलंपिक कांस्य पदक विजेता साक्षी महिलाओं के 65 किलो वर्ग में उतरेंगी। इसमें पिंकी (55 किलो), सरिता (59 किलो) और गुरशरणप्रीत कौर (72 किलो) भी भाग ले रही है। ग्रीको रोमन में अर्जुन (55 किलो), सचिन राणा (63 किलो), आदित्य कुंडू (72 किलो) और हरप्रीत सिंह (82 किलो) भाग लेंगे।

## भारतीय टैस्ट टीम, पूनिया को स्पोर्ट्सस्टार के शीर्ष पुरस्कार

मुंबई, 13 जनवरी (भाषा)

भारतीय टैस्ट टीम को स्पोर्ट्सस्टार एसेस पुरस्कार में वर्ष की सर्वश्रेष्ठ टीम चुना गया जबकि पहलवान बजरंग पूनिया ने व्यक्तिगत वर्ग में वर्ष के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार जीता।

शतरंज खिलाड़ी कोनेरू हम्पी और निशानेबाज अपूर्वी चंदेला को वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का पुरस्कार संयुक्त रूप से दिया गया। बल्लेबाज रोहित शर्मा को वर्ष के सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर का और स्मृति मंधाना को सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर का पुरस्कार दिया गया। विश्व चैंपियन पीवी सिंध ने रैकेट खेलों में सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का पुरस्कार जीता जबकि लिएंडर पेस को विशेष पुरस्कार दिया गया। भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह को वर्ष के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी (टीम खेल) का पुरस्कार मिला। निशानेबाज मेहुली घोष को सर्वश्रेष्ठ युवा महिला खिलाड़ी का पुरस्कार मिला। भारतीय टैस्ट टीम ने पिछले साल शानदार प्रदर्शन करते हुए आस्ट्रेलिया में पहली बार शृंखला जीती। वहीं घरेलू शृंखला में दक्षिण अफ्रीका को 3-0 और बांग्लादेश को 2-0 से हराया। पुरस्कारों की जूरी में पूर्व क्रिकेट कप्तान सुनील गावसकर, शतरंज खिलाड़ी विश्वनाथने आनंद, हिंदू प्रकाशन समूह के अध्यक्ष एन राम, पूर्व हॉकी कप्तान एमएम सोमैया, ओलंपियन निशानेबाज अंजलि भागवत और ओलंपियन बैडमिंटन खिलाडी अपर्णा पोपट शामिल थे।

### पाकिस्तान में टैस्ट शृंखला खेलने से बांग्लादेश का इनकार

ढाका, १३ जनवरी (एएफपी)।

बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान के दौरे पर टैस्ट शृंखला नहीं खेलने का फैसला किया है लेकिन टीम तीन मैचों की टी-20 अंतरराष्ट्रीय शृंखला खेलेगी। बीसीबी के अध्यक्ष नजमुल हसन ने रविवार को कहा कि इस फैसले के पीछे पश्चिम एशिया में हाल ही में ईरान और अमेरिका के बीच हुआ तनाव मुख्य वजह है। सरकार ने बोर्ड को बहुत संक्षिप्त समय के लिए टीम भेजने की अनुमति दी है। उन्होंने कहा, सरकार ने हमें वहां तीन टी-20 मैचों की शृंखला को जितना संभव हो उतना छोटा रखने को कहा है।



**Dual Front** 

SRS Airbags

Anti-pinch Driver Front Seatbelts **Power Window** with PT/FL



Power of choice Savings Peace of mind







**Monitoring System** Dual Front SRS Airbags, ABS with EBD & Pretensioner Force Limiter (PTFL) standard across all Toyota cars

Toyota Range Available in CSD 3 Years or 1,00,000 km Unmatched Vehicle Warranty\*\* GHAZIABAD UTTAM MGF MGF UTTAM UTTAM

GALAXY UTTAM GALAXY THIRTY SIX **ESPIRIT** GALAXY GALAXY GALAXY **ESPIRIT** ESPIRIT THIRTY SIX Delhi Mathura Road, athura Road, N.Delhi Ring Road, Opp. Moolchan 39 Milestone Shallmar Place, 94-95 Patpargani G-1 Station Box. Moti Nagar Crossin 14/7, Main Mathura D-11, Sec-8, Noida ector-50, Gurugran MGF Mega City Mall, A-11, Meerut Road Outer Ring Road, Nr. Rohini 8448293658, Road, Faridabad ndi, Area, Ghaziabad Industrial Area 7290095001. Chattarpur Metro Station Hospital, Laipat Nacar-N M.G. Road, Gurugram Site-4, Kasna, Gr. Noida 9899266992, 8199900186. Highway, NH-8 9810916666, 9599788513, 7838193193, 8800333636, 9810916666, 9871637000 9870191014 418 77 777 9910067020, 9654999635 9654999635 8527565522. 9599788514 9810907071 465 77 777 434 77 777 8800790052 9810907071, 9810907071 66763666 9871637000 9654999635 9818899964 1800 103 5686 1800 103 5686 0124-4415566

0129-4293636 Terms & conditions apply on all schemes and offers. Offer valid till 31" January 2020. "Low EMI: 1) Scheme applicable on 5 Years Financial Services under Toyota EDGE program. 2) Under Toyota EDGE program terms and conditions applied. Scheme inclusive of Exchange

र्जिस्ट्रेशन नं. डी.एल.-21047/03-05, आरएनआई नं. 42819/83, वर्ष 37, अंक 58, हवाई शुल्क: इंफल-पांच रुपए, गुवाहाटी-चार रुपए, गुवाहाटी-चार रुपए, और पटना-एक रुपए।
दि इंडियन एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड के लिए आर. सी. मल्होत्रा द्वारा ए-8, सेक्टर 7, नोएडा- 201301, जिला गौतम बुद्ध नगर (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित और मेजनीन फ्लोर, एक्सप्रेस बिल्डिंग, 9-10, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002 से प्रकाशित। फोनः (0120) 2470700/2470740, ई-मेलः edit.jansatta@expressindia.com, फैक्सः (0120) 2470753, 2470754, बोर्ड अध्यक्ष: विवेक गोयनका, कार्यकारी संपादकः मुकेश भारद्वाज\*, \*पीआरबी अधिनियम के तहत खबरों के चयन के जिम्मेवार। कापीराइटः दि इंडियन एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड। सर्वाधिकार सुरक्षित। लिखित अनुमित लिए बगैर प्रकाशित सामग्री या उसके किसी अंश का प्रकाशन या प्रसारण नहीं किया जा सकता।